दशम

8 मार्च, 1996
1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सोलहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

दिनांक 8 मार्च, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची पृष्ठ (ii)	13	एक सौत्रहवां	एक सौ सत्रहवां
- वही -	16	"को" शब्द का लोप करें ।	
- वही - और 278	नीचे से 9 और नीचे से 7	त्रिपनवां	तिरेपनवां
3	नीचे से 2	श्री जनादन मिश्रा	श्री जनार्दन मिश्र
16	पाद-टिप्पण	अध्ययन	अध्यक्ष
22	नीचे से 7	श्री पी॰चिन्दम्बरम्	श्री पी॰चिदम्बरम्
23	नीचे से 3	श्री वीरेन्द्र	श्री वीरेन्द्र सिंह
53	2	वस्त मंत्री	वस्त्र मंत्री
77	नीचे से 6	श्रीमती चन्द्रमा अर्स	श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स
92	9	(च)	(छ)
105	13	श्री पृथ्वीराज डा॰चव्हाण	श्री पृथ्वीराज डी॰चव्हाण
115	नीचे से 16	(ख)	(ख) से (घ)
134	नीचे से 6	(ख)	(ख) से (घ)
158	2	श्री गापी नाथ गजपति	श्री गोपी नाथ गजपति
185	14	(घ)	(च)
221	10	संबंधी	संबंधित
221	11	"असफलता" के पश्चात "पर" जोड़िए	
232	नीचे से 22	श्री पी॰जे॰कूरियन	श्री पी॰जे॰कुरियन

लोक सभा

शुक्रवार 8 मार्च, 1996, 18 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोकसभा, 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी श्री रोबिन काकोती के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री रोबिन काकोती 1971-77 के दौरान पांचवी लोकसभा में असम के डिब्रूगढ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे 1962-68 तथा 1978-84 के दौरान दो बार राज्य सभा के भी सदस्य रहे थे। इससे पूर्व, वे 1952-57 के दौरान असम विधान सभा के सदस्य रहे थे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी, श्री रोबिन काकोती एक सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1930 में अपनी पढ़ाई छोड दी तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कूद पडे और स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल गये।

एक लोकप्रिय तथा पक्के श्रमिक नेता, श्री काकोती ने सहकारी आन्दोलन में गहन रुचि ली। असम के शिवसागर और डिब्रूगढ जिलों में सहकारी खेती और बुनकर सोसायटी स्थापित करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने 1953 से 1971 तक असम राज्य सहकारी यूनियन के संयोजक तथा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे आल असम फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे।

उन्होंने व्यापक भ्रमण किया था। उन्होंने सहकारिता तथा श्रमिक आन्दोलन पर विवरधन, दिशाहरा और कुछ अन्य पुस्तकें लिखी। वे 1958-65 के दौरान धर्मयुग साप्ताहिक तथा 1968-71 के दौरान शहजातरी साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादक थे।

श्री रोबिन काकोती का 3 मार्च, 1996 को गुवाहाटी में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते है और मुझे विश्वास है कि समस्त सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण मौन खडी होगी।

11.02 म. पू.

तत्पश्चात् सभागण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 388 के तहत एक नोटिस दिया है क्वश्चन आवर को सस्पेण्ड करने का। आप जानते है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेण्ट आया है। . . . (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री सदन में आ रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

नगर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, जैसा कि मैने पहले ही कहा था, प्रधान मंत्री 12 बजे आ रहे हैं और वे यहां बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : आपने क्या बताया हमें समझ में नही आया।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : प्रधान मंत्री 12 बजे यहां आ रहे हैं और वे यहां बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या वे हमारे प्रश्नों को स्पष्ट करेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद : जी, हां।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, इन दिनों में, संसद नहीं चली है इसके कारण उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो दुर्दशा है ....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

11.06 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आर्थिक अपराध

***121. श्री जनार्दन मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधों में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां तो इन अपराधों को न्यूनतम करने और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है?

[अनुवाद]

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के आधार पर, सरकार ने देखा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधों की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) इस तरह के अपराधों को रोकने की दृष्टि से लेकर कानूनों तथा संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं युक्तियुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही प्रवर्तन एजेन्सियों को सुदृढ़ बनाया गया है। उन्हें कड़ी निगरानी रखने तथा निवारक सक्रिया में वृद्धि करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री जर्नादन मिश्रा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने उत्तर में यह कहा है कि आर्थिक अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में यानि 1992–93, 1993–94, 1994–95 में आर्थिक अपराधों में कुल कितनी वृद्धि हुई है: और इनकी कुल संख्या कितनी है, उनका क्या प्रतिशत है और अपराध किस कोटि के हैं, गबन है, बैंक घोटाला है, हवाला कांड है, तस्करी है, कर चोरी है। किस तरीके के अपराधों में वृद्धि हुई है? मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसमें किसी विदेशी व्यक्ति का भी हाथ है?

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराधों के संबंध में वक्तव्य दिया गया है वह विभिन्न कानून-लागू करने वाली एजेन्सियों द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर है। यदि आप अर्थव्यवस्था की विकास दर की समग्रता को देखे तो मैं सभा को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है लेकिन हमें सतर्क रहना है।

मेरे पास वित्त मंत्रालय के विभिन्न विंग स्कन्धों के क्रियाकलापों संबंधी आंकड़ें हैं।

तस्करी विरोधी स्कन्ध द्वारा पकड़ना

1993	
मामलों की संख्या	52963; पकड़ी गई
वस्तुओं का मूल्य	388.96 करोड़ रूपये
1994	
मामलों की संख्या	49,997; पकड़ी गई
वस्तुओं का मूल्य	5735.21 करोड़ रूपये
1995	
मामलों की संख्या	46,246; पकड़ी गई
वस्तुओं का मूल्य	575.80 करोड़ रूपये

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी

1993 – 94	
मामलों की संख्या	5,286; अन्तर्ग्रस्त
धनराशि	911.36 करोड़ रूपये

1994–95

मामलों की संख्या	–	7,606;अन्तर्ग्रस्त
धनराशि	–	1386.03 करोड़ रूपये

1995– जनवरी, 1996 तक

मामलों की संख्या	–	4,359; अन्तर्ग्रस्त
धनराशि	–	807.84 करोड़ रूपये

आयकर छापे तथा जब्तियां

1992–93

छापे तथा जब्तियों की संख्या	–	4,777;
जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य	–	384 करोड़ रूपये

1993–94

मामलों की संख्या	–	5,026
जब्त की गई परिसम्पत्तियों की मूल्य	–	396 करोड़ रूपये

1994–95 में,

मामलों की संख्या	–	4830 थी;
जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य	–	381 करोड़ रूपये था।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत-तलाशियों की संख्या में वृद्धि हो गई है (1992-93--1180)

पकड़ी गई भारतीय मुद्रा 401 लाख रूपये; 1992–93 में पकड़ी गई विदेशी मुद्रा 97 लाख रूपये है; कुल पकड़ी गई मुद्रा - 598 लाख रूपये है। वर्ष 1993-94 में तलाशियों की संख्या 1278 थी, भारतीय मुद्रा 704 लाख रूपये; पकड़ी गई विदेशी मुद्रा 515 लाख रूपये थी. कुल पकड़ी गई मुद्रा 1219 लाख रूपये थी। वर्ष 1994-95 में, तलाशियों की संख्या 1983 थी; पकड़ी गई भारतीय मुद्रा 937 लाख रूपये; विदेशी मुद्रा 773 लाख रूपये थी; कुल पकड़ी गई मुद्रा 1710 लाख रूपये थी।

'काफेपोसा' के अन्तर्गत, वर्ष 1990 में जारी किए गए नजरबन्दी आदेश 1083 थे, और वास्तव में 749 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। वर्ष 1994 में 437 नजरबन्दी आदेश जारी किए गये थे, और वास्तव में 363 व्यक्तियों को नजर बन्द किया गया था। वर्ष 1995 में, 314 नजरबन्दी आदेश जारी किए गये थे और वास्तव में 306 व्यक्यिों को नजरबन्द किया गया था।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मंत्री जी ने आर्थिक अपराधों से संबंधित जो आंकड़े दिये लेकिन आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए लो प्रक्रिया एडोप्ट की गई है, वह बहुत लम्बी, निष्प्रभावी और दीर्घकालीन है और यही कारण है कि आर्थिक अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। मंत्री जी ने इस प्रक्रिया को सरल और युक्तिसंगत बनाने की बात कही है। क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि पुरानी प्रक्रिया में कौन-कौन से सुधार करके नई प्रक्रिया अपनाई गई है और क्या चलैया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उसमे कुछ सुधार किये गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आर्थिक अपराधों में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है और राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण ही ऐसे मामलों में दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे अपराधी बच निकलते है? क्या राजनैतिक दबाव को कम करने के लिए, जैसे हवाला कांड है, प्रतिभूति घोटाला है, अन्य कई प्रकरण हैं, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किये हैं और क्या कुछ अपराधियों को पकड़ा गया है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही कई दिशाओं में की जानी है।

सर्वप्रथम, मैं तस्करी के मामलें का संदर्भ देना चाहता हूं। तस्करी के मामले में एक कारण आयात शुल्कों की अधिक घटनाऐ तथा यह तथ्य भी है कि हमारे यहां परिमाणात्मक आयात प्रतिबंध है। इसलिए, लोगों में तस्करी करने का स्वाभाविक लालच है।

1947 से, 50 वर्ष तक इस देश में सोने की तस्करी होती थी। तस्करों ने इससे साम्राज्य खड़े किए। फिर भी हमारे कानूनों ने केवल यह माना कि भारत में सोने का कोई आयात नही किया जा रहा था। हमारी सरकार ने सोने के आयात को उदार बनाने, चांदी के आयात को उदार बनाने के लिए कार्यवाही की और मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि सोने तथा चांदी की तस्करी बंद हो गई है लेकिन इसमें बहुत कमी आई है। हमे इसी नीति का अनुसरण करना है।

इसी तरह, हमारी सरकार के सत्ता में आने से पूर्व, आयात शुल्क 300 प्रतिशत तक था जो कि बहुत अधिक था, लोगों में तस्करी करने का स्वाभाविक लालच था। अब, यदि हम यह चाहते हैं कि तस्करी फले फुले नहीं, तो फिर, मेरे विचार से, भारत में भी आयात शुल्क प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे तस्करी को प्रोत्साहन न मिले और मात्रात्मक आयात नियन्त्रण के द्वारा हमारे भुगतान सन्तुलन का प्रबन्ध करने की पुरानी नीति को त्यागना पड़ेगा। हमने उसे कम करने के लिए कार्य किया है लेकिन, मेरे विचार से, हम पुरानी प्रणाली को पूर्णतया समाप्त नहीं कर पाए हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में, हम मोडवेट के क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं। मेरे विचार से विगत चार वर्षों में, चेल्लया समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप हमने अब मोडवेट का, तम्बाकू, वस्त्र तथा पैट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में विस्तार कर दिया है।

मैं समझता हूं कि इसके साथ-साथ विशिष्ट से लेकर यथामूल्य शुल्क तक, शुल्कों की दरों की संख्या में कमी होने के फलस्वरूप तथा वर्गीकरण और अन्य संबद्ध विवादों के आसार कम होने के कारण काफी समय से अच्छे परिणाम निकल रहे हैं।

इसी प्रकार से, आय-कर के सम्बन्ध में हमारी नीति आयकर-दर को कम रखने लेकिन प्रशासन को कड़ा और सुदृढ़ रखने की है। अंतरिम बजट पेश करते समय मैंने इसके आंकड़ें सभा सभा में पेश किये हैं। मेरे विचार में उस नीति की सफलता आयकर के एकत्रित आंकड़ो से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और मैं पुनः आयकर विभाग को उनके अच्छे कार्य के लिए बधाई देना चाहूंगा।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात से अभिज्ञ हैं कि देश में कुछ ऐसे संगठन और व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछेक पूजा स्थलों के निर्माण के नाम पर गैर-कानूनी तरीकों और एजेंसियों के माध्यम से लाखों डालर और सोना प्राप्त किया है; अगर यह तथ्य सही है, तो मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय ने इस अवैध राशि और सोने की तस्करी पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है? मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन करने का क्या कोई मामला दर्ज किया गया है? यदि हां तो कितने मामले दर्ज किये गये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री मनमोहन सिंह : सोने की तस्करी के अनेक मामले हमारे ध्यान में आये हैं और अपराधियों को सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा गया है अथवा उनमें से कुछेक को 'कोपेपोसा' के अंतर्गत सजा दी गई है। लेकिन अवैध धनराशि प्राप्त करने के बारे में ... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : पूजा स्थलों के निर्माण हेतु की गई धनराशि का क्या हुआ? ... **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य वह जानकारी मुझ तक पहुंचा सके तो मैं उनका आभारी रहूंगा और इस मामले में आवश्यक जांच-पड़ताल करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 'फेरा', और 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट' को आप अपराध की श्रेणी में समझते है, यदि हां तो क्या यह सही है कि वर्तमान प्रधान मंत्री और भूतपूर्व प्रधान मंत्री के विरूद्ध हवाला कांड के अन्तर्गत करोड़ों रुपए लेने का आर्थिक अपराध बनता है, यदि हां, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के पश्चात् उनको अपराधी घोषित करने के लिए क्या किया है? ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक : ये निर्देश केवल उन्हीं के सम्बन्ध में दिये गए हैं, जिनके संबंध में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किये जा चुके हैं ... **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि प्रश्न काल असंगत आरोप लगाने का अवसर है। चाहे जो भी हो, यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है और मेरे लिए इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह बड़ा असंतोषजनक उत्तर है। ... **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक अपराधों में चाहे जितनी वृद्धि हो जाए, यह चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने यही बात बैंक घोटाले के सामने आने के बाद कही थी। अतः, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या वास्तव में किसी विशेष प्रकार के आर्थिक अपराध अर्थात बैंकों, विशेष तौर पर विदेशी बैंकों के मौध्यम से अवैध धनराशि का लेन-देन पिछले चार वर्षों में बढ़ गया है; क्या उनकी उदारीकरण की नीति धनराशि के इस अवैध लेन-देन पर निगरानी रखने में समर्थ रही है? यह इस बात का प्रमाण है कि वित्त मंत्रालय इतना सचेत नहीं है। चिंता करने की कुछ वजह है। इस बात का यह प्रमाण है कि चार महीने पहले धनराशि के अवैध लेन-देन को रोकने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक सदस्य की अध्यक्षता में पांच-सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने यह कहा है कि बैंकों द्वारा जमा आकर्षित करने के लिए इसमें आने वाली अड़चनों को कम करने के साथ धनराशि का लेन-देन बढ़ जाने के फलस्वरूप इस अवैध लेन-देन की गुंजाइश बढ़ गई है। मैं यह जानना चाहूंगी कि विभिन्न कंपनियों में इक्विटी के रूप में आने वाले विदेशी निवेश को लेन-देन के समय आरंभ में ही संदेहास्पद माना जाता है अथवा नहीं। मैं इस संबंध में उनका जवाब जानना चाहती हूं।

श्री मनमोहन सिंह : जब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा होता है तो ऐसी संभावना रहती है। हमारा विदेशी व्यापार पिछले तीन वर्षों में, लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। हमारे यहां विदेशी निवेश और अधिक बढ़ रहा है। अतः, मेरे विचार में इस बात की संभावना, हमेशा ही रहती है कि कुछ बेईमान लोग ...

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह संभावना का प्रश्न नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हो रहा है?

श्री मनमोहन सिंह : इस बात की हमेशा ही संभावना रहती है कि कुछ बेईमान लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारी सरकार इस मामले में सावधान है। मैं यह बात अंतिम रूप से कह देना चाहता हूं कि धोखेबाजी इत्यादि के कोई मामले सामने नहीं आये हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : समिति का गठन क्यों किया गया था?

श्री मनमोहन सिंह : समिति का गठन अपनी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किया गया था और हम इसमें समय-समय पर सुधार करते रहते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : आप शिकार हाथ से निकल जाने के पश्चात् निशाना लगा रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आज देश की जो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उसमे इस सरकार के आने से पहले जो व्यवस्था थी, उसके मुकाबले ऐसे अपराधों की अब कम गुंजाइश है। ...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे वित्त मंत्री महोदय ने प्रश्न के पहले भाग के अपने उत्तर में तस्करी, आय-कर अपवंचन तथा उत्पाद-शुल्क अपवंचन जैसी बातों का उल्लेख किया है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश को कम अथवा अधिक बीजक दर्ज करने की वजह से, जो कि अब पहले से अधिक हो रहा है, लाखों डालरों का नुकसान भुगतना पड़ रहा है जैसा कि उन्होंने कहा है, संभवत व्यापार के बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। मैं नही जानती कि इसमें कोई बहानेबाजी है। लेकिन इस प्रकार कम या अधिक बीजक दर्ज करने से देश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है वह भी ऐसे समय पर जबकि सरकार वित्तीय संसाधनों की कमी की शिकायत कर रही है। अतः, इस कम तथा अधिक बीजक दर्ज कराने की प्रवृति, जिसके माध्यम से ऐसा हो रहा है, को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, विदेशी मुद्रा में लेन-देन को कम या अधिक बीजक दर्ज करने की प्रवृति के विरूद्ध संघर्ष एक बहुआयामी कार्यवाही है। हमें यह प्रश्न करना होगा कि लोग इस लेन-देन में क्यों संलिप्त होते हैं? इसकी एक वजह अवैध रूप से धनराशि का निकास है। अतः, मेरे विचार में आयकर दरों मे कमी, अर्थव्यवस्था के विनियमन से हमारी अर्थव्यवस्था समुचित रूप से चलती रहती है तो कुछ समय बाद इसमें धनराशि के अवैध निकास की काफी कम गुंजाइश रह जायेगी। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हो सकता। इसके कुछ अन्य कारण ...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह प्रवृत्ति बढ़ रही है?

श्री मनमोहन सिंह : यह बढ़ रही है या नहीं, इस बात का अनुमान लगाने के लिए मेरे पास प्रामाणिक ऑकडें नहीं हैं। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसकी गुंजाइश है। हमारे देश में निर्यात प्रोत्साहनों की प्रणाली है। उदाहरण के लिए हमारे यहां निर्यात लाभ पूर्णरूपेण करमुक्त हैं। अतः, मेरे विचार में, जो लोग विदेशी मुद्रा के लेन-देन में दक्ष है उनके लिए यह एक प्रोत्साहन है; आगे आने वाले समय में, हमें इन सभी स्थितियों से निपटना है। हमने कुछ आयात प्रोत्साहनों की व्यवस्था की है। अतः, इससे भी लोगों में अधिक तथा कम बीजक दर्ज करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। हमे सजग रहना होगा और सुधारात्मक उपाय भी करने होंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : रूपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना देने से ये सभी समस्यायें हल हो सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह चिंता का विषय है कि आर्थिक अपराध दिन-प्रति-दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि देश के सभी भागों में कुछ राजनीतिक और नेतागण ऐसे हैं, जो आर्थिक अपराधी हैं, जिन्होंने अपना पैसा स्विस बैंकों में रखा हुआ है। मैं इसका राज्यवार ब्यौरा चाहती हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास उन लोगों की सूची है; यदि नहीं तो क्या मंत्री महोदय, ऐसे लोगों के बारे में एक सर्वेक्षण करवाएंगे, जो नैतिकता एवं साख की बातें तो करते हैं, परन्तु उन्होंने अपना धन स्विटजरलैंड में जमा करवा रखा है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में विशेषतौर पर उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं तथा उनसे इस संबंध में राज्यवार ब्यौरे प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री मनमोहन सिंह : मेरे पास ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या मंत्री महोदय इस संबंध में एक सर्वेक्षण कराऐंगे ताकि देश के पैसे की बचत की जा सके?

श्री मनमोहन सिंह : यदि मुझे कोई सुराग मिला, तो मैं कार्यवाई करूंगा; यदि माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई जानकारी है, तो वह यह जानकारी मुझे दे दें।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरे पास इस संबंध मे काफी जानकारी उपलब्ध है।

निर्यातकों को निर्यात से होने वाली आय की वसूली पर निगरानी

*123. **श्री चेतन पी एस चौहान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निर्यातकों द्वारा निर्यात से होने वाली आय की वसूली नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों द्वारा निर्यात से होने वाली आय

की वसूली नहीं की जा रही है ;

(ग) सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ;

(घ) *क्या सरकार निर्यातकों द्वारा निर्यात से होने वाली आय की वसूली पर निगरानी रख रही है ;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (च). भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी के अनुसार भुगतान की तारीख के बाद निर्यात से होने वाली बकाया वसूली की राशि दिनांक 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार 5168.64 करोड़ रूपये है।

निर्यातकों को निर्यात से होने वाली आय की वसूली पर निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। जहां आय की वसूली निर्धारित समय के अंदर नहीं हो पाती है वहां भारतीय रिजर्व संबंधी निर्यातकों तथा उनके बैंकरों से बकाया निर्यात आय की वसूली सुनिश्चित करने के लिए लिखा पढ़ी करती है निर्यात आय की वसूली के लिए उपयुक्त मामलों में समयवृद्धि की मंजूरी दी जाती है।

उद्दण्ड निर्यातकों के मामले विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के अधीन आवश्यक जांच पड़ताल तथा कार्रवाई के लिए प्रवर्त्तन निदेशालय को भेज दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, यह बड़ी चिन्ता की बात है कि 1994-95 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट लगभग 85,000 करोड़ रूपया है, ऐसा बताया गया है। सरकार की जो एजेन्सी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो एजेंसी है, सैण्ट्रल इकोनोमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने बताया है कि लगभग 7,000 करोड़ रूपया रीपैट्रिएट नहीं हुआ है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सैण्ट्रल इकोनोमिक इंटेलीजेंस ब्यूरो ने एक स्टडी की है और उसने एक रीकमेण्डेशन दी है कि जो ऐसी इकाइयां हैं, जिन्होंने पैसा रीपैट्रीएट नहीं किया है तो आयकर अधिनियम, 1961 में दुरूपयोग के आधार पर लाभ की शत प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

तो इस प्रकार की जो रीकमेण्डेशन की है, इसके बारे में मंत्री जी कुछ विचार कर रहे हैं और क्या यह लागू होगी, जिससे कि यह पैसा, जो रीपैट्रीएट नहीं हो रहा है, जो आज लगभग 7,000 करोड़ रूपया है, उसके ऊपर कुछ कण्ट्रोल या नियंत्रण हो सके?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : 5,000 करोड़ रूपये से थोड़े से अधिक के आंकडे-जोकि 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार निर्यात से होने वाली बकाया वसूली की राशि हैं - वर्ष 1994-95 के निर्यात से ही वसूल की गई राशि नहीं हैं। यह गत अनेक वर्षों के दौरान संचित की गई राशि है। अत:, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह राशि उस वर्ष के निर्यात का 8 प्रतिशत है। यह राशि इस अवधि की कुल बकाया राशि को प्रदर्शित करती है।

श्री भोगेन्द्र झा : कब से ?

श्री पी. चिदम्बरम : यह प्रारम्भ से ही कुल बकाया राशि के आंकडे हैं, जोकि प्रारम्भ से ही ऐसी राशि को प्रदर्शित करते हैं, जब कभी निर्यात से होने वाली राशि वसूली नहीं की गई है।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : यह अवधि कब से प्रारम्भ हुई थी?

श्री पी. चिदम्बरम् : यह अवधि अनेक वर्ष पहले शुरू हुई थी।

श्री चेतन पी.एस चौहान : वर्ष 1993 तक यह बकाया राशि मात्र 1200 करोड़ रूपये थी। आपकी जानकारी के लिए वर्ष 1992-93 तक यह बकाया राशि मात्र 1200 करोड़ रूपये थी। अधिकतर आंकडे 1993 के बाद वापस नहीं की गई राशि से ही संबंधित है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्होंने 5,168 करोड़ रूपये के आंकडे को 1994-95 के निर्यातों पर ही लागू किया है। मैं आंकडे बता दूंगा। उदाहरण के लिए, जून, 1994 में यह बकाया राशि 3,644 करोड़ रूपये, सितम्बर, 1994 में 4,492 करोड़ रूपये और जून, 1995 में 5,168 करोड़ रूपये थी। 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 की इस अवधि के दौरान हमारे निर्यात में क्रमश: 3.8 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है और अब यह वृद्धि 22 प्रतिशत से अधिक है। अत:, माननीय सदस्य जो तुलना करना चाहते हैं, वह सही तुलना नहीं है।

जहां तक इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का संबंध है, हां, कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जानी है। विदेशी

मुद्रा विनियमन अधिनियम एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत, प्राधिकृत डीलरों को बकाया राशि के बारे में हर तिमाही एवं छमाही के बाद रिपोर्ट देनी होती है। कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं तथा रिजर्व बैंक ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिनके पास बकाया राशि की वसूली की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं है तथा जिन्होंने निर्यात से होने वाली बकाया राशि वसूल नहीं नहीं की है।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार है; 1990 से 1995 तक, निर्यात के लाभ उठाने वाले को धन भेजने से जोड़ा गया था। लेकिन, मंत्री महोदय के कार्यभार सम्भालने के बाद, उन्होंने धन भेजने की इस शर्त को हटा दिया। मंत्री महोदय द्वारा तैयार की गई नई नीति में, अब उन्होंने निर्यात वसूली की इस शर्त को हटा दिया है तथा इसकी वसूली की धन भेजने संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक पर डाल दी है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत निर्यात से होने वाली आय की वसूली न करना एक दण्डनीय अपराध है, जिसके बारे में मंत्री महोदय बात कर रहे हैं।

दूसरी समस्या डालर की दर में वृद्धि होना है। अधिकतर निर्यातक अपने निर्यात से होने वाली आय की वसूली में देरी कर रहे हैं। मंत्री महोदय इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप भारतीय रिजर्व बैंक पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं तथा सर्वेक्षण से भी यही पता चलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी अभी तक यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तथा न ही उसने इस परिवर्तन जोकि मंत्री महोदय ने किया है, के लिए अपने आपको तैयार ही किया है। वित्त मंत्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं। यह अत्यंत गम्भीर स्थिति है कि निर्यातक जानबूझकर अपनी राशि प्राप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि डालर की दरों में वृद्धि हो रही है। यह एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्रालय एवं वाणिज्य मंत्रालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। मंत्री महोदय इस स्थिति के संबंध में क्या करने जा रहे हैं? आप पूरी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक पर डाल रहे हैं तथा इस बैंक का यह कहना है कि वे इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए है। मंत्री महोदय, इस स्थिति से कैसे निबटना चाहते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, मैं अत्यंत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य जो तर्क दे रहे हैं, वे बिल्कुल सही नहीं हैं तथा न ही तथ्यों पर आधारित हैं। रिजर्व बैंक तथा बैंक ही बैंकिंग कार्य करते है। व्यापारी शासन एवं व्यापारिक नीति का उद्देश्य आयात को सुगम बनाना तथा निर्यात की गति तेज करना होता है ताकि अर्थव्यवस्था की व्यापार तीव्रता वर्तमान लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर तकरीबन 30 प्रतिशत के वांछित स्तर तक पहुंच जाये, जिसे कि अत्यंत विकासशील देशों जिन्होंने सराहनीय प्रगति की है, ने प्राप्त किया।

अब, आप इसे किसी निर्यातक को लाभ प्रदान करने हेतु कितनी भी संख्या में फार्मों, प्रमाणपत्रों एवं प्राधिकरण तैयार कर सकते हैं। इसके पीछे इस संख्या को कम करने, अनेक प्वाइंटों पर नहीं बल्कि एक ही प्वाइंट पर नियंत्रण रखने की अवधारणा है। अब, निर्यात वसूली डालने का क्या प्रयोजन था? इसके पीछे प्रयोजन यह था कि उसे यह प्रमाणपत्र पेश करने के बाद ही उसकी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लेकिन यह प्रमाणपत्र एक अन्य दस्तावेज है और व्यापार के मुक्त संचालन तथा देश में एवं देश के बाहर वस्तुओं की तेजी से आवाजाही एक अन्य अनिवार्यता है। अतः गवर्नर से बातचीत करने के बाद, उन्होंने हमें इस बात के लिए राजी किया भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग प्रणाली निर्यात बकाया की वसूली के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अतः हमने गवर्नर एवं वित्त मंत्रालय की पूरी स्वीकृति से ही निर्यात वसूली प्रमाणपत्र की वांछनीयता को समाप्त किया था। अब, भारतीय रिजर्व बैंक इसकी निगरानी कर रहा है तथा इसके परिणाम क्या हैं? काफी समय से 5000 करोड़ रूपये की राशि निर्यात बकाया के रूप में देखने को मिलती है। यदि इसे आज के 100,000 करोड़ रूपये के स्तर पर भी लागू किया जाए, तो यह पांच प्रतिशत का आंकड़ा 100,000 करोड़ रूपये के वर्तमान स्तर पर भी पांच प्रतिशत ही है। लेकिन, यदि आप मेरे इससे पहले के वक्तव्य को देखें, तो यह संचित आंकड़े है; यह तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ऐसा क्यों होता है। दस देश ऐसे हैं, जिनकी कि भुगतान संतुलन संबंधी समस्याएं हैं। इन देशों से पैसा प्राप्त नहीं होता। निर्यातकों के दिवालिया होने की स्थिति पैदा हो सकती है; निर्यात की गई वस्तुओं के वापस लौटाये जाने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। किसी को भुगतान न करने वालों के लिए किसी विशिष्ट राशि का संरक्षण प्रदान करना है, जो व्यापार एवं व्यवसाय की सामान्य स्थिति में होगा। क्या यह चौंका देने वाली स्थिति है? मेरे मत के अनुसार, यह चौंका देने वाली स्थिति नहीं है तथा इसी बारे में मैंने गवर्नर से बात की है। गवर्नर तथा रिजर्व बैंक ने मुझे आश्वासन दिया है कि स्थिति पूर्णतया उनके नियंत्रण में है तथा बकाया राशि की वापसी की स्थिति सामान्य है और बकाया-राशि का स्तर भी सामान्य है। दूसरे, मुझे बताया गया है कि यदि आप छः महीने के अन्दर बकाया राशि का भुगतान नहीं करते तथा रिजर्व बैंक से इस अवधि को नहीं बढ़वाते, तो प्राधिकृत डीलर जो इस संबंध में रिपोर्ट नहीं देते तथा निर्यातक-जो इस राशि को वसूल नहीं करते दोनों ही को दण्डात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त मंत्री इस संबंध में की गई कार्रवाई तथा अधिकृत डीलरों एवं निर्यातकों दोनों को दिये गये दण्ड के बारे में उत्तर देंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, बिना उत्तर दिए ये जो इतनी बातें कही गई हैं, उसके बाद मुझे यह प्रश्न पूछने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : बिना उत्तर दिए ये जो इतनी बातें कही गई है, वह क्या हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक अनर्गल भाषण है।

श्री पी. चिदम्बरम् : ये सभी तार्किक बातें हैं ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यहां तक कि उन द्वारा दिये गये आंकड़ों-यद्यपि वह आंकड़े बताने के आदि नहीं हैं-से यह संकेत मिलता है कि निर्यात से कहीं और जमा की गई इस विदेशी मुद्रा की दर निर्यात में हुई वृद्धि से ऊंची दर पर हुई है। उनका आंकड़ा यही दर्शाता है। प्रश्न यह है कि यह उत्तर देना उनके अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आता है कि कितने ऐसे जिद्दी निर्यातक हैं जिन्होंने अपनी प्राप्तियां नहीं दी है, और कितने वर्षों से नहीं दी हैं? उनका कहना है कि यह सभी संचयी है। मैं जानना चाहता हूं कि पांच वर्ष पूर्व के मामलों में कितनी धन राशि शामिल है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है प्रश्न यह नहीं है कि इस 10,000 करोड़ रूपए की अभिवृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत है अपितु प्रश्न यह है कि आज हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 5,000 करोड़ रूपये उपलब्ध नहीं है। इसलिए, क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताएंगे कि क्या सभी मामलों पर कार्यवाही की जा चुकी है, क्या दोषी व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है तथा क्या उन्हें सजा देने का यही तरीका है।

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, मेरे पास वर्षभर की गई कार्यवाही अथवा दी गई सजा के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। मेरे पास वर्ष 1995 के ब्यौरे उपलब्ध हैं। 1995 में, जांच के आधार में 10 लाख रूपये और उससे अधिक के मामले में 64 कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे। ... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : किस वर्ष का मामला है?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, स्पष्ट है कि इसमें 1994, 1993 और 1992 के संबंध में हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा नहीं है, यह पांच वर्ष पुराना मामला है?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे पास तिथिनुसार अथवा वर्षानुसार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। मैंने यही कहते हुए अपना उत्तर प्रारम्भ किया था कि मेरे पास वर्षानुसार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1995 में, 10 लाख और उससे अधिक की राशि के मामलों में शामिल निर्यातकों को अपने निर्यात से प्राप्त आय की प्राप्तियां न सौंपने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने 64 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया ... (व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न में एक और स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या वाणिज्य मंत्री के पास ऐसे जिद्दी निर्यातकों, जिन्होनें कई वर्षों से अपने निर्यात से प्राप्त कुल प्राप्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, की सूची है और क्या इस सूची को प्रकाशित किया गया है, जिससे कि इन गबनकारों को लोगों के बीच लाकर लज्जित किया जा सके। मैं ऐसे निर्यातकों - जिन्होंने 5,168 करोड़ रूपए की धोखाधड़ी की है - की संख्या तथा ऐसे निर्यातकों के मामलों जिन्हें उक्त अवधि के दौरान दंडित किया गया है, जिनके संबंध में वह बातें कर रहे थे, की संख्या तथा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गए जुर्माने के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केवल नोटिस ही जारी किए गए हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : नहीं, कुछ मामलों में दंडित भी किया गया होगा।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, किसी निर्यातक द्वारा गबन किए जाने के विरूद्ध जब भारतीय रिजर्व बैंक कोई कार्यवाही करता है तो उसकी सूची वाणिज्य मंत्रालय को भेजी जाती है और उस सूची के आधार पर ऐसे निर्यातकों को अन्य अग्रिम लाइसेंस अथवा ऐसे ही अन्य लाइसेंस से वंचित रखा जाता है।

अतः वह सूची वाणिज्य मंत्रालय के पास उपलब्ध होती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मैं नहीं समझता कि उसे उसी रूप में प्रकाशित किया जा रहा हैं। जहां तक मामलों की वास्तविक संख्या का संबंध है तो यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इसके लिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्रालय को अलग से प्रश्न पूछा जाना चाहिए और तब भारतीय रिजर्व बैंक मामलानुसार तथा धनानुसार की गई कीर्यवाही का ब्यौरा उपलब्ध करायेगा। यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है।

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री सदस्यों द्वारा मांगी वर्षानुसार सूचना उपलब्ध कराएंगे तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से, इस मुद्दे पर की स्थिति वास्तव मे सामान्य हैं, की गई चर्चा से वे संतुष्ट हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में बताये। दूसरी बात यह है कि आपके पास अपराधियों की सूची उपलब्ध है और इसीलिए, आप उन लोगों को लाइसेंस उपलब्ध न करवायें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई शातिर अपराधी भी पकड़ा गया है।

श्री पी. चिदम्बरम् : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है तो मैंने अभी-अभी वित्त मंत्री से विचार-विमर्श किया है। और हां हम भारतीय रिजर्व बैंक से वर्षानुसार की गई कार्यवाही का ब्यौरा देने को कहेंगे तथा हम इसे सभा-पटल पर रखेंगे।

दूसरे प्रश्न के संबंध में, मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। मैं हां या नहीं नहीं कह सकता। परंतु जहां तक संभव है, निर्देश यह है कि यदि डी.आर.आई.* तथा सीमा शुल्क विभाग से चूककर्ताओं की कोई सूची आती है तो ऐसे व्यक्ति को अग्रिम लाइसेंस तथा ऐसे लाइसेंस जारी नहीं किए जाते। नैं इस संबंध में पूर्व सूचना चाहूंगा ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इस सब के बावजूद जो व्यक्ति आदतन अपराधी बन गया है उसे लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा उसके बाद मैं जानकारी दूंगा।

श्री राम कापसे : क्या आप वह जानकारी सभा पटल पर रखेंगे?

---

* बुद्धि अध्ययन के निदेशों के निदेश 16(3) के अधीन की गई है

श्री पी. चिदम्बरम : हां, जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री मुरली देवरा : महोदय, निर्यात की आय को देश में न लाने की बढ़ती प्रवृत्ति का मुख्य कारण है, भारतीय रूपए का लगातार अवमूल्यन। मंत्री महोदय यह बात जानते हैं। गत वर्ष निर्यात के माध्यम से प्राप्त जो राशि अंतरित की गई थी वह वर्तमान के मुकाबले बहुत कम थी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि भारतीय रूपए के मूल्य को स्थिर करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ताकि इससे और पुन: प्रेषण न करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से नहीं पूछा जा सकता।

...(व्यवधान)...

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि निर्यात आय की प्राप्तियों को लम्बित किए जाने के क्या कारण हैं और क्या इसमें कोई प्रक्रियात्मक कमी है अथवा निर्यातकों द्वारा निर्यात प्राप्तियों की राशि जानबूझकर प्राप्त नहीं की जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस राशि के संचय होने के कारणों का पता लगाया गया है। निर्यातकों से 5,168.64 करोड़ रूपए की राशि अभी भी वसूल की जानी है।

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, समय-समय पर केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो निर्यात आय को देश में न लाने के कई मामलों की जांच जाती है तथा यह पता लगाने का प्रयास करता है कि वे इस आय को देश में क्यों नहीं वापस ला पाए। अध्ययन से कई कारणों का पता चला है। उदाहरणार्थ, कतिपय समयावधि के दौरान अनेक अफ्रीकी देश विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट का सामना कर रहे थे, अत: उन देशों ने आय को वापस ले जाने पर पाबंदी लगा दी थी। एक दूसरे अध्ययन में पता लगा है कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ को निर्यात के मामले में ऋण सुविधा अचानक रोक दी गई तथा उस समयावधि के दौरान सोवियत यूनियन से भारत आने वाली बड़ी धनराशि वापस नहीं आ सकी।

एक अन्य कारण यह पता चला है कि कुछ विदेशी खरीदारों ने माल की गुणवत्ता खराब होने के कारण अथवा पैकिंग खराब होने जैसे कारणों से माल की सुपुर्दगी लेने से मना कर दिया था अथवा उसने विलम्ब किया था। एक अन्य कारण यह है कि बी.सी. सी.आई. बैंक बंद हो गया जिसके कारण काफी बड़ी राशि वहां फंस गई। एक अन्य कारण यह है कि इराक में गंभीर समस्याएं हैं जिसके कारण 11 करोड़ रुपए से कुछ अधिक की राशि लाई नहीं जा सकी और भी अन्य कई कारण हैं। इन कारणों का पता लगने पर उनका समाधान किया जाता है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निर्यात आय की गैर वसूलीकृत इस राशि में से कितनी राशि पुरुलिया कांड में हथियार गिराने में काम में लाई गई अथवा हवाला के माध्यम से जैन बंधुओं के द्वारा देश में आई जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी। वह बताएं कि इन कामों में वह काम में नहीं लाई जा रही है। वह क्यों नहीं बताते कि यह राशि कहां जा रही है? मैं जानना चाहूंगा कि इसमें से कितना भाग इस काम में लाया गया। निर्यात आय द्वारा गैर-वसूलीकृत राशि कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप में तो जाती होगी। यदि वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं तो यह आर्थिक-अपराध से भी बड़ा है। महोदय उनके इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर दे सकते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय स्पष्ट है कि मैं ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मैंने वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछा था कि क्या डालर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट के कारण निर्यात आय को रोके रखने की बात सरकार की जानकारी में आई है तथा उन्होंने उत्तर दिया है कि सरकार की जानकारी में यह बात आई है। तथापि निर्यात आय की स्वदेशी वापसी में विलम्ब की जानकारी मिली है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत जितनी राशि अतर्ग्रस्त है उतने गुणा जुर्माना करने के लिए प्रतिषेध पहले से विद्यमान है। कानून में दोषी व्यक्तियों के अभियोजन का उपबंध भी है किंतु इन सब बातों के बावजूद अब यह निर्यात से होने वाली आय में, से स्वदेश वापस न लाई गई राशि 7 करोड़ रुपये है, यही बात 'दि इकोनोमिक टाइम्स' में 7 फरवरी को छपी थी, वित्त मंत्रालय के आसूचना स्कन्ध केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों की रिर्पोट के अनुसार विगत वर्ष यू एन आई बैकग्राउन्डर ने बताया है कि 1995 में 2 खरब डालर से अधिक की राशि देश में वापस नहीं लाई गई, उसका तात्पर्य है कि प्रतिवर्ष यह राशि बढ़ती जा रही है और सरकार कहती है कि इस राशि से निपटने के लिए वर्तमान कानून पर्याप्त हैं। अब विशेष रूप से रुपये की कीमत में गिरावट और रुपये के अवमूल्यन से यह राशि स्वाभाविक रूप से और बढ़ जायेगी, निर्यात से होने वाली आय को स्वदेश वापस न लाई जाने वाली इस विशाल राशि को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा वस्तुत: तुरंत क्या कदम उठाये गए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय जिस रिर्पोट के बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया और जो 'दि इकोनोमिक टाइम्स' में छपी थी, को हमारे ध्यान में भी लाया गया है यह अखबार सरकारी अधिकारियों को उद्धृत करता है किंतु कोई भी ऐसा सरकारी अधिकारी नहीं है जो यह कहे कि यह रिर्पोट उसने तैयार की है या इस रिर्पोट की सामग्री उसने दी है यह रिर्पोट सही नहीं है।

मैं इस बात को कहने के लिए कुछ समय लूंगा यदि किसी देश का 100,000 करोड़ डालर का निर्यात व्यापार है और

आयात-निर्यात के क्षेत्र में हजारों व्यापारी हैं तो अच्छे या बुरे कारणों से किसी निश्चित तिथि को एक छोटी राशि बकाया होगी ही कुछ अच्छे कारण हैं जैसे दूसरे देश में कोई आयातक दिवालिया हो गया तो बेचारा निर्यातक उस धन को वापिस नहीं ला सकता है। यह अच्छा कारण हैं। स्पष्ट रूप से बुरे कारण भी हैं जहां पर एक निर्यातक अविद्यमान आयातक को निर्यात करता है। यह बुरा कारण हैं, ऐसे में कार्यवाही की जानी चाहिए किंतु मैं नहीं समझता कि हमें इस एक चिंताजनक स्थिति के रूप में चित्रित करना चाहिए। हमें विश्वास है कि कानून पर्याप्त है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 73 पर्याप्त है।

किंतु चूँकि माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया है, मैं निश्चित रूप से भारतीय रिर्जव बैंक को लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वे कानून पर पुनर्विचार करें, यदि कानून को सख्त बनाया जाना है तो मुझे विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक कानून को सख्त बनाने के लिए कदम उठायेगा।

[हिन्दी]

निर्यात के लिए कार्य योजना

*125. डा. मुमताज अंसारी :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फैडरेशन आफॅ इंडियन चैम्बर्स आफॅ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "फिक्की" ने सरकार से इस कार्ययोजना को अपनाने का अनुराध किया है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय उद्योग और वाणिज्य मण्डल परिसंघ (फिक्की) ने वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित निर्यात पर कार्य-दल के लिए एक चार सूत्री निर्यात संवर्धन नीति का दस्तावेज तैयार किया है। फिक्की द्वारा सुझायी गयी निर्यात संवर्धन नीति में शामिल है:

(1) विश्व बाजार के लिए योजना (2) भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना (3) लागत असमर्थताओं को न्यूनतम करना और (4) ब्राण्ड इमेज बनाना।

निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार, उद्योग तथा अन्य संबधित संस्थाओं के परामर्श से उपाय किए जाते हैं। सरकार नीतियों तथा क्रियाविधियों को निर्यात वृद्धि के अधिकाधिक अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों में आयात-निर्यात नीति तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निर्यात उत्पादन बढ़ाना, कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, गुणवत्ता सुधारने तथा तकनीकी उन्नयन पर जोर डालना, आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप में शामिल करना उल्लेखनीय है। चालू वर्ष में एक वार्षिक कार्य-योजना तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यान संवर्धन के लिए वस्तु विशेष तथा देश विशेष उपायों को शामिल किया गया है। निर्यात संवर्धन एक सतत् कार्यकलाप है तथा सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपायों के संबंध में निर्यातक समुदाय के साथ निरंतर विचार-विमर्श करती रहती है।

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुधार या निर्यात संवर्धन का सम्बन्ध है, वाणिज्य मंत्रालय ने कई उपाय किये हैं जैसे कार्यक्षमता और प्रभावकारिता में सुधार और मंत्रालय ने मूलभूत ढांचे में सुधार के लिए भी कई कदम उठाये हैं। सभी विकसित राज्यों और विकसित शहरों में मूलभूत ढांचे में सुधार हुआ है और इन सभी राज्यों और शहरों में मूलभूत ढांचे में सुधार करने के लिए बहुत लम्बे समय से काफी मात्रा में निवेश किया जा रहा हैं।

पिछड़े राज्य जैसे उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में काफी खनिज संसाधन हैं और उनमें काफी अधिक मात्रा में निर्यात करने की सम्भावना है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि निर्यात संवर्धन के बारे में वे क्या उपाय करने जा रहे हैं। विशेषकर इस प्रकार के पिछड़े जिलों के संदर्भ में ताकि निर्यात संवर्धन हो सके और विभिन्न देशों को अनेक वस्तुओं का निर्यात किया जा सके और इन राज्यों से हमारे देश मे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय निर्यात परिवर्धित औद्योगिक और कृषि संबंधी क्रियाशीलता का परिणाम है। औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन के फलस्वरूप ही निर्यात होते हैं। ये दोनों विषय अनिवार्य रूप से राज्य के विषय हैं। केन्द्र राज्यों को औद्योगिक और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रमुखतया, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि अपने संबधित राज्य में आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करें और यदि अन्य

अपव्ययपूर्ण क्रियाकलाप की अपेक्षा आर्थिक क्रियाकलापों की तरफ ध्यान दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि वे निश्चित रूप से औद्योगिक और कृषि उत्पादन मे वृद्धि करने में समर्थ-होंगे।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मेरी मुख्यमंत्रियों के समूहों के साथ बैठकें हुई थी मूलभूत ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता के लिए उन्हें समझाया, हमारे पास मूलभूत ढांचे में वृद्धि के लिए राज्यों की सहायता हेतु कई स्कीमें और योजनाएं हैं। अभी हाल ही में निर्यात संवर्धन पार्कों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। हमने प्रत्येक राज्य में एक निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना के लिए राज्यों को अपनी इच्छा व्यक्त की है, हम राज्यों को विशेषज्ञताकृत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के लिए विदेशियों को आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन असल में पहल राज्यों को करनी है। यदि उनके पास कोई स्कीम है, कार्यक्रम है तो केन्द्र सरकार की सहायता के अभाव में यह विफल नहीं होगी।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, जहां तक वस्त्र निर्माताओं, वस्त्र निर्यातकों और कम्प्यूटर निर्यातकों का संबंध है, वे सबसे बड़े निर्यातक हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वित्तीय प्रोत्साहन देने और सभी वस्त्र कामगारों, वस्त्र निर्माताओं और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा उन्हें क्या अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, इन प्रोत्साहनों के बारे में सभी जानते हैं। ये संदेह से परे हैं। सबसे बड़ा प्रोत्साहन जो हम देते हैं वह यह है कि वस्तुओं के निर्यात से होने वाले समस्त निर्यात लाभ पर कर नहीं लगाया जाता है और 80 एच एच सी निर्यातकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। वस्तुतः हम विशेष आयात लाइसेंस का प्रोत्साहन भी देते हैं। हम उन निर्यातकों को प्रोत्साहन देते हैं जिनके पास आई एस ओ 9000 प्रमाणन होता है। हम उनको प्रोत्साहन देते हैं जिन्होंने निर्यात घटाने या व्यापार घटाने या प्रतिष्ठित व्यापार धटाने या सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यापार घटाने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आज ये प्रोत्साहन पर्याप्त हैं और इन प्रोत्साहनों के कारण पिछले तीन वर्षों में 20 प्रतिशत, 18.2 प्रतिशत, और 22 प्रतिशत से थोड़ा अधिक की दर से निर्यात वृद्धि हुई है। मैं नहीं समझता कि अतिरिक्त प्रोत्साहनों की कोई जरूरत है। वस्तुतः मुलभूत ढांचा प्रदान करने की जरूरत है। जो कि अधिक कार्यकुशल हो ताकि निर्यातक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता में सुधार और प्रयोगिकीय उन्नयन एक ऐसा उपाय है जो निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार उठाना चाहती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कई देशों ने निम्न गुणवत्ता के कारण वस्तुओं की सुपुर्दगी को लेने से इंकार कर दिया है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं। जो जानबूझ कर इस प्रकार की शरारत कर रहे हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कठोर कदम उठाये हैं। यदि हां, तो माननीय मंत्री महोदय सभा को बताने की कृपा करें।

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि विश्व में यही माना जाता रहा है कि भारतीय वस्तुएं निम्न स्तर की होती हैं। ऐसा कुछ वर्ष पहले हुआ होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमको इस प्रकार के तर्क में उलझना चाहिए।

1991-92 में भारत में पांच कम्पनियां थीं जिनके पास आई. एस.ओ. 9000 प्रमाणन था। आज भारत में आई एस.ओ. 9000 प्रमाणन वाली 1045 कम्पनियां हैं, भारत ने गुणवत्ता के क्षेत्र में काफी अधिक प्रगति की है। आज भारतीय वस्तुएं गुणवत्ता के संबंध में विश्व में किसी का भी सामना कर सकती है। इसके बावजूद, वस्तुतः कुछ लोग हैं जो निम्न स्तर की वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मैंने दो प्रेस वक्तव्य जारी किये जिसमें से एक तीन महीने पहले जारी किया गया था,

....(व्यवधान)....

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समाप्त करने की क्या आवश्यकता है?

श्री पी. चिदम्बरम् : हमने इसे समाप्त नहीं किया है, कुछ लोग हैं और मैंने दो वक्तव्य जारी किये एक तीन माह पूर्व और दूसरा छः माह पूर्व जिनमें यह कहा गया था कि जहां कहीं भी लोगों ने निम्नस्तर की वस्तुएं निर्यातित की हैं और शिकायतें आई हैं तो हमने उनके निर्यात कोड नम्बर रद्द कर दिये हैं और उन्हें अग्रिम लाइसेंस देने से मना कर दिया है। हमने उन्हें दंड दिया है। इस प्रकार हमने कुछ लोगों के विरुद्ध कार्यवाई की है। लेकिन सामान्यतया अनुमान लगाकर यह कहना कि 'भारतीय वस्तुएं निम्न गुणवत्ता की हैं' मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, प्रश्न यह है कि जो मैं उठाना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया है कि कई ऐसे मामले हैं जहां हमें हमारे निर्यातकों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें मिली हैं ....(व्यवधान) और इसके कारण हमारा निर्यात बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ हैं। इस सबके बावजूद, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र जो आत्मनिर्भर था लगभग बन्द होने की प्रकिया में है। आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और देश को मुसीबत में डाल रहे हैं।

श्री पी. चिन्दम्बरम् : महोदय, मुझे बहुत दुःख है। मैं सहमत नहीं हूं । जो किया जा रहा है वह यह है कि माल भेजने से पूर्व अनिवार्य जांच की प्रथा को छोड़ दिया गया है। अधिकांश मामलों में इससे भ्रष्टाचार पनपता है और अकुशलता बढ़ती है। हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जहां आयातक और निर्यातक गुणवत्ता मानकों में स्वंय निर्धारित करेंगे और वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : केवल गुणवत्ता नियंत्रण करने वाले व्यक्ति भ्रष्ट हैं और जो लोग यहां बैठे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, वे गुणवत्ता मानक निर्धारित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। विदेशी आयातक भारतीय वस्तुओं को नहीं खरीदेगा यदि वे उसके गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तथ्य यह है कि निर्यातकों की संख्या में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि भारतीय वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की हैं और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वाणिज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां कालीन और गलीचा जो बहुत अच्छा होता है, उसक क्या विदेशों में निर्यात होने लगा है और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है? इस लोकप्रियता से चिढ़कर अमेरिका आदि कुछ अन्य देशों के अंदर यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान का बना हुआ कालीन और नमदा न खरीदें क्योंकि इनमे बाल श्रमिकों से काम लिया जाता है। इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए और कालीन और गलीचों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, विदेशों में उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, यहां के कालीन बहुत अच्छे होते हैं और हमारे कालीनों का निर्यात बढ़ रहा हैं अप्रैल-दिसम्बर, 1994 और अप्रैल-दिसम्बर, 1995 में हमारा कालीन निर्यात क्रमशः 407 मिलियन और 421 मिलियन अमेरिकी डालर था।

वस्तुतः बालश्रम के कथित दुरुप्रयोग के आधार पर भारतीय कालीनों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया था। वस्त्र मंत्रालय ने 'कालीन' नाम का एक लेबल शुरू किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने उसी दिन 'कालीन' लेबल के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। मैंने कल आंकड़े देखे, अब तक भारतीय कालीनों के लिए 1,41,000 लेबल जारी किए गए हैं और जैसे ही कालीन बनता है उस पर लेबल चिपकाकर बाहर भेजा जाता है, आप देखेंगे कि भारतीय कालीनों के विरुद्ध इस आलोचना में तेजी से कमी आयेगी। 'कालीन' लेबल इस बात की गारंटी के लिए है कि हमारे कालीन उद्योग में बाल श्रम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया कि हम कालीन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक लेबल तय कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पहले जो वाणिज्य मंत्री थे वह उस लेबल को नकार चुके हैं कि उस तरह का कोई लेबल कालीन के निर्यात को बढ़ावा देने में नहीं लगेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का एक मंत्री आता है तो दूसरा निर्णय लेता है, दूसरा मंत्री आता है तो तीसरा निर्णय लेता हैं इस तरह के निर्णय से कालीन के निर्यात में जो रुकावटें आई है, उसको दूर करने के लिए अगर आप सीधा निर्णय नहीं लेगें तो मैं समझता हूं कि कालीन का निर्यात जो कि हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से से निर्यात किया जाता है, वह नहीं हो सकता है। इसलिए मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कालिन के निर्यात में रुकावट नहीं आने देने के लिए कौन से ऐसे उपाय कर रहे हैं कि जिससे निर्यात बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। 'कालीन' लेबल को जुलाई या अगस्त 1995 में ही शुरू किया गया था। इसलिए इससे पूर्व किसी ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया होगा। मैं यहां कहता हूं कि 'कालीन' लेबल ऐसा लेबल है जो विश्व को सुनिश्चित करेगा कि कालीन बनाने में बाल श्रम का प्रयोग नहीं किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी ऋण पर श्वेत पत्र

*122. श्री जीवन शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी ऋण पर श्वेत पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां। 22 दिसम्बर, 1995 को, सरकार ने "भारत के विदेशी ऋण पर प्रस्थिति रिपोर्ट" शीर्षक से एक श्वेत पत्र संसद के पटल पर रखा।

(ख) पत्र में भारतीय ऋण की समीक्षा की गई है जिसमें इसकी अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

दिनांक 31.3.95 को विदेशी ऋण 99.04 बिलियन था। यद्यपि विदेशी ऋण निश्चित रूप से अधिक था, रियायती ऋण का भाग 45 प्रतिशत था और विदेशी ऋण का वर्तमान मूल्य काफी कम था। ऋण शोधन अनुपात में, औसत रूप से, वर्ष 1990-91 में 35.25 प्रतिशत की सीमा से घटाकर वर्ष 1994.95 में 26.65

प्रतिशत तक का सुधार हुआ है। सितम्बर, 1995 के अंत में विदेशी ऋण घटकर 93.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। इसमें और अधिक कमी लाकर इसे अधिक नियंत्रणीय स्तरों तक लाने के लिए एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन नीति, अपनाई जा रही है।

विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार, भारत पर ऋण का अधिक बोझ नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य निगमों को "एक्सपोर्ट हाउस" का दर्जा देना

*124. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य निगमों को "एक्सपोर्ट/ट्रेडिंग हाउस" का दर्जा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निगमों का दर्जा बदलने के बाद से निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उनको राज्यवार कुल कितनी मुद्रा की आय हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). जी, हां। राज्य निगमों सहित कोई भी निर्यातक जो आयात निर्यात नीति 92-97 के अध्याय 12 में यथावर्णित निर्यात धराना/ व्यापार घराना का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्यात निष्पादन का निर्धारित स्तर प्राप्त करता है और इसके लिए आवेदन करता है, तो उसे निर्यात घराना/व्यापार घराना का दर्जा दिया जाता है जो तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 18-6-1993 2 की सार्वजनिक सूचना सं. 152 (पीएन)/92-97 के अनुसार सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के उद्देश्य के लिए नामित किसी भी राज्य निगम को निर्यात घराना का दर्जा देने के लिए बिना किसी निर्धारित पात्रता मानदण्ड को ध्यान में रखकर , एक बारगी सुविधा प्रदान करती है बशर्ते कि उस राज्य का उसी प्रकार का राज्य निगम निर्यात घराने के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका हो।

दिनांक 1-4-1993 से निर्यात घराना/व्यापार घराना प्रमाणपत्र प्राप्त तथा 31-3-1996 तक वैध राज्य निगमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार इन निगमों का दर्जा बदलने के बाद निर्यात में प्रतिशत वृद्धि तथा उनके द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखती है।

विवरण

क्र. संख्या	राज्य निगमों के नाम राज्य-वार। केन्द्र शासित प्रदेश-वार	राज्य निगम का स्तर	
1	2	3	4
	नागालैंड		(1-4-93 से 31-3-96 तक वैध)
1.	नागालैंड ओद्योगिक विकास लि0. दीमापुर (नागालैड)	निर्यात सदन	-वही-
2.	पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम, त्रिपुरा।	निर्यात सदन	-वही-
3.	त्रिपुरा हथकरघा और हस्तशिल्प विकास लि0, अगरतला।	निर्यात सदन	-वही-
	लक्षद्वीप		
4.	लक्षद्वीप विकास निगम लि0, कोचीन।	निर्यात सदन	-वही-
	महाराष्ट्र		
5.	महाराष्ट्र लघुक्षेत्र औद्योगिक विकास निगम लि0 बम्बई।	निर्यात सदन	-वही-
6.	महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादन विपणन संघ लि0, नागपुर ।	व्यापार सदन	(1-4-93 से 31-3-96 तक वैध)

1	2	3	4
हरियाणा			
7.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम लि0, चण्डीगढ़।	निर्यात सदन	(1-4-93 से 31-3-96 तक वैध)
पंजाब			
8.	पंजाब लघु उघोग और निर्यात निगम लि0, चण्डीगढ़	निर्यात सदन	-वही-
पश्चिम बंगाल			
9.	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि0, कलकत्ता।	निर्यात सदन	-वही-
हिमाचल प्रदेश			
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग राज्य लघु उघोग और निर्यात निगम लि0, शिमला	निर्यात सदन	-वही-
दिल्ली राज्य			
11.	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास लिगम लि0, नई दिल्ली।	निर्यात सदन	-वही-
मेघालय			
12.	मेघालय खनिज विकास निगम लि0, शिलांग।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-
आंध्र प्रदेश			
13.	आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लि0, हैदराबाद।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-
उड़ीसा			
14.	उड़ीसा लघु उद्योग निगम लि0, कटक।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-
राजस्थान			
15.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि0, जयपुर।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-
तमिलनाडु			
16.	तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लि0, मद्रास।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-
असम			
17.	असम औद्योगिक विकास निगम लि0, गुवाहाटी।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-
सिक्किम			
18.	सिक्किम ज्वैल्स लि, सिक्किम।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-
गुजरात			
19.	गुजरात राज्य निर्यात निगम , अहमदाबाद।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही-

1	2	3	4
	केरल		
20.	केरल, राज्य औद्योगिक उपक्रम लि0, त्रिवुनन्तपुरम।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	-वही- (1-4-93 से 31-3-96 तक वैध)
	मध्य प्रदेश		
21.	मध्य प्रदेश निर्यात निगम, भोपाल।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र	(1-4-94 से 31-3-97 तक वैध)
	उत्तर प्रदेश		
22.	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0, कानपुर।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र 31-3-98 तक वैद्य)	(1-4-95 से
	बिहार प्रदेश		
23.	बिहार राज्य निर्यात निगम लि0, पटना।	निर्यात सदन प्रमाण-पत्र (1-4-95 से 31-3-98 तक वैद्य)	-वही-

[अनुवाद]

धनराशि जुटाना

*126 **श्री श्रीकान्त जेना :**

डा. एस. पी. यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में पूर्वानुमानित लक्ष्यों की अपेक्षा कम धनराशि जुटाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका विभिन्न चालू कार्यक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) 1995-96 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्र सरकार की कुल प्राप्तियां 172151 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 183004 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) विभिन्न चालू कार्यक्रमों के लिए यथेष्ट प्रावधान किया गया है।

हवाई अड्डों का निर्माण

*127. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) निजी पार्टियां, "खुद बनाओ, खुद चलाओ" आधार पर नये हवाई अड्डों का निर्माण कर सकती हैं। राज्य सरकारें और निजी पार्टियां भी, हवाई अड्डों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम शुरू कर सकती हैं, जैसा कि कोचिन और बंगलौर के निकट नये हवाई अड्डों के मामले में किया जा रहा है। तथापि, कोई भी नई हवाई अड्डा परियोजना आरम्भ कर सकने से पहले, वैमानिकी और पर्यावरणीय पहलुओं से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

[हिन्दी]

अर्द्धनारीश्वरम समिति

*128. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के कार्यकरण का व्यापाक मूल्यांकन करने के लिए श्री के.एन. अर्द्धनारीश्वरम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो यह समिति किस तारीख को गठित की गयी थी तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। वस्त्र मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की कार्य प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए 19-4-1995 को श्री के. एन. अर्द्धनारीश्वरम की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

(ग) और (घ). समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तथापि, रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा सरकार इसका अध्ययन कर रही है।

[अनुवाद]

पोलिएस्टर सूती कमीज का कपड़ा

*129. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने पोलिएस्टर और सूती कमीज के कपड़ें का उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कमीज के ऐसे कपड़े के उत्पादन को पुनः चालू कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान एनटीपीसी मिलों द्वारा कपड़े तथा मार्किट यार्न का उत्पादन निम्नानुसार हैं :-

अवधि	कपड़ा उत्पादन (मि0 मीटर)	मार्किट यार्न (मि0 किग्रा)
1993-94	190.47	81.86
1994-95	102.56	57.60
1995-96 (अप्रैल-दिसम्बर, 95)	54.95	47.80

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

"फेरा" के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*130. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री लाल बाबू राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विदेशों में विदेशी मुद्रा भेजने के आरोप में कुछ व्यक्तियों को "फेरा" के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). गत वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और तस्करी रोधी स्कन्ध द्वारा विमानपत्तनों पर विदेशों में विदेशी मुद्रा भेजने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उनसे जब्त की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई विदेशी मुद्रा की राशि/मूल्य
प्रवर्तन निदेशालय (कैलेन्डर वर्ष 1995)	20	2.32 करोड़ रु0 मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा 1,38,663.00 अमरीकी डालर और 800 स्विस फ्रैंक.
तस्करी रोधी स्कन्ध (वित्तीय वर्ष 1995-96, फरवरी, 96 तक)	97	36.20 करोड़ रु0 मूल्य की विदेशी मुद्रा

[अनुवाद]

भुन्तर हवाई पट्टी को क्षति

*131. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 1995 के दौरान कुल्लू जिले में व्यास नदी में आई बाढ़ के कारण हवाई पट्टी को हुई अत्याधिक क्षति की जानकारी है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कई दिनों तक उड़ानें रद्द रही थी;

(ग) यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी की मरम्मत और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ड़) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुल्लु में भुन्तर में धावनपथ और एप्रन की पुन : कारपेटिंग के लिए 146 लाख रुपए के व्यय के लिए अनुमोदन दे दिया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस हवाई पट्टी के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास 36.89 लाख रुपए की राशि जमा कराई है। इस कार्य के जून, 1996 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ड़) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को घाटा

*132. **श्री राम सिंह कस्वां** :

श्री विलासराव नागनाथराव गूडेंवार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रत्येक एककों में राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान स्थित एककों में कितना-कितना घाटा हुआ;

(ख) उक्त घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन एककों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) और (ख). एन टी सी मिलों को अप्रचलित मशीनों, अत्यधिक जनशक्ति, कम क्षमता उपयोग तथा कार्यशील पूंजी की जटिल कमी आदि के कारण घाटे हो रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एन्.टीसी के प्रत्येक एकक द्वारा उठाए गए घाटों का राज्यवार ब्यौरों, जिनमे राजस्थान राज्य में स्थित मिलें भी शामिल है, को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) उनकी निवल पूंजी में कमी होने के कारण एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं जिसमें उन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के रूप में घोषित कर दिया है। सरकार ने एन.टी.सी. मिलों के आधुनिककरण करने के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है । सरकार द्वारा अनुमोदित तथा बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत सर्वांगीण सुधार योजना में 2005.72 करोड़ रु.0 के परिव्यय से 79 मिलों का आधुनिकीकरण करने तथा 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम एककों में शामिल करके उनका पुनर्निर्माण करने आदि की परिकल्पना की गई है। इस समय बी आई एफ आर संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति के आधार पर निर्णीत एन टी सी के 8 सहायक निगमों के लिए पुनरुद्धार योजनाओं की जांच कर रहा है। सरकार भी वैसी कार्यबल के सुव्यवस्थीकरण के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना क्रियान्वित कर रही है। जैसे ही बी आई एफ और पुनर्वासन पैकेज का अनुमोदन कर देगा तथा सरकार उसको क्रियान्वित करेगी, जैसे ही एन टी सी के लाभप्रद सिद्ध होने की संभावना हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 तथा उसके बाद मिल-वार वर्षवार निवल लाभ,हानि

(करोड़ रुपये में)

	नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
	पंजाब			
1.	क्यालबाग मिल्स	-3.21	-2.78	-2.61
2.	सूरल टैक्सटाइल	-1.96	-0.83	-1.01
3.	सरड़ टैक्सटाइल .	-1.67	-0.30	-1.29
4.	पानीपत मिल्स	-3.46	-3.96	-1.18

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
5.	विजय मिल्स	-2.89	-1.95	-1.52
6.	उदयपुर मिल्स	-1.49	-0.64	-1.55
7.	महालक्ष्मी मिल्स	-3.72	-4.20	-3.83
8.	एडवर्ड मिल्स	-4.98	-4.40	-2.83
	दिल्ली			
9.	अजुध्या मिल्स	-8.92	-11.27	-4.69
	मध्य प्रदेश			
10.	हीरा मिल्स	-11.20	-11.72	-5.21
11.	स्वदेशी मिल्स	-9.68	-9.29	-4.39
12.	न्यू भोपाल मिल	-8.29	-9.29	-4.39
13.	बुरहानपुर मिल्स	-4.40	-3.70	-4.42
14.	बंगाल नागपुर	-9.12	-9.77	-7.98
15.	इन्दौर माल्वा	-15.25	-14.93	-7.55
16.	कल्यांणमल मिल्स	-10.30	-12.06	-7.35
	उत्तर प्रदेश			
17.	श्री विक्रम मिल	-4.07	-5.37	-1.78
18.	बिजली मिल्स	-3.09	-5.74	-0.99
19.	स्वदेशी मिल	-0.91	-1.68	-1.08
20.	रायबरेली मिल्स	-2.44	-2.64	-0.79
21.	स्वदेशी मिल्स	-7.05	-7.30	-6.51
22.	मयूर मिल्स	-1[illegible].21	-17.54	-7.86
23.	न्यू विक्टोरिया	-17.81	-21.36	-7.81
24.	कृष्णा मिल्स	-9.30	-10.04	-4.41
25.	स्वदेशी मिल्स	-18.86	-21.48	-8.99
26.	लक्ष्मीरतन	-20.29	-14.06	-7.40

1	2	3	4	5
27.	अर्थटन मिल्स	-15.55	-20.36	-4.91
	महाराष्ट्र			
28.	बर्शी मिल्स	-0.18	-0.01	-0.45
29.	अपोलो मिल्स	-7.66	-6.03	-4.12
30.	भारत टैक्सटाइल	-6.11	-6.29	-5.92
31.	दिग्विजय मिल्स	-6.43	-7.34	-9.01
32.	जुपीटर मिल्स	-13.34	-13.72	-6.00
33.	न्यू हिन्द मिल्स	-11.52	-13.48	-8.68
34.	मुम्बई मिल्स	-12.37	-12.42	-7.17
35.	औरंगाबाद	-1.67	-0.94	-1.16
36.	चालीसगांव	-1.88	-0.21	-1.19
37.	धुले टैक्सटाइल	-4.01	-3.67	-3.71
38.	नान्देद टैक्सटाइल	-3.58	-3.15	-3.51
39.	एल्फिस्टोन	-5.74	-11.81	-6.82
40.	फिन्ले	-6.30	-15.01	-7.44
41.	गोल्ड मुहर	-6.59	-10.12	-5.04
42.	जाम मैन्यु.	-11.69	-15.51	-5.96
43.	कोहिनूर 1,2,3,	-11.47	-66.00	-8.04
46.	श्री मधुसूदन	-10.79	-24.46	-4.80
47.	न्यू सिटी	-4.12	-2.04	-4.62
48.	पोद्दार	-3.72	-2.93	-5.31
49.	पोद्दार प्रोसेसर	-1.91	-2.99	-3.79
50.	श्री सीताराम	-7.17	-23.33	-3.77
51.	टाटा	-7.22	-12.79	-5.07
52.	इन्दु नं. 1	-11.16	-14.29	-9.89

1	2	3	4	5
53.	इन्दू नं. 2	-8.56	-12.12	-5.91
54.और 55.	इन्दू नं. 3 व 4	-12.66	-15.71	-9.91
56.	इन्दू नं. 5	-5.91	-6.66	-5.24
57.	इन्दू डाईज वर्क्स	-2.94	-4.98	-3.73
58.	माडल मिल्स	-9.07	-12.39	-8.35
59.	आर एस आर जी मिल्स	-3.82	-4.71	-2.98
60.	आर बी बी ए मिल्स	-1.82	-3.05	-3.62
61.	सवत्रम मिल्स	-3.37	-3.65	-1.82
62.	विक्र्म मिल्स	-3.53	-5.07	-2.95
	गुजरात			
63.	राजकोट मिल्स	-2.98	-3.75	-1.86
64.	महालक्ष्मी मिल्स	-8.45	-8.26	-5.10
65.	पेटलैड मिल्स	-4.76	-5.33	-2.44
66.	अहमदाबाद न्यू	-10.69	-9.92	-5.89
67.	अहमदाबाद जुपीटर	-13.37	-13.51	-6.11
68.	जहांगीर मिल्स	-9.38	-10.51	-8.49
69. और 70.	राजनगर 1 व 2	-13.59	-12.53	-6.84
71.	वीरमगांव टैक्स	-6.06	-6.66	-3.95
72.	न्यू मानक चौक	-5.65	-6.59	-5.35
73.	हिमाद्री मिल्स	-3.94	-4.99	-4.67
	आन्ध्र प्रदेश			
74.	नैथा	-0.79	-1.27	-0.95
75.	नटराज मिल्स	-1.95	-2.31	-1.42
76.	आनन्दपुर मिल्स	-2.10	-3.03	-0.39
77.	तिरुपति मिल्स	-1.79	-0.99	-0.95
78.	अदोनी मिल्स	-1.02	-0.51	-0.34

1	2	3	4	5
79.	आज़मजाही मिल्स	-6.70	-6.24	-2.08
	कर्नाटक			
80.	श्री यलम्मा	-2.53	-1.52	-1.03
81.	मैसूर मिल्स	-9.71	-7.75	-3.89
82.	मिनर्वा मिल्स	-9.32	-10.85	-2.93
83.	एम एस के मिल्स	-6.95	-7.39	-3.55
	केरल			
84.	कन्नानूर, कन्नानूर	-0.73	-0.56	+0.07
85.	केरल लक्ष्मी	-0.33	+0.73	-0.51
86.	विजय मोहिनी	-0.72	-0.14	-0.53
87.	अळगप्पा मिल्स	-0.69	+0.72	-0.37
88.	पार्वती मिल्स	-4.75	-3.18	-1.49
	पाण्डिचेरी			
89.	कन्नानूर माहे	-0.35	+0.88	+0.32
90.	भारती मिल	-2.53	-2.54	-1.17
91.	स्वदेशी काटन	-3.36	-3.29	-3.56
	तमिलनाडु			
92.	ओमप्रकाश			
93.	ओम पराशक्ति	-0.56	+1.26	-0.38
93.	कम्बोडिया मिल्स	-0.53	+1.29	+0.03
94.	कृष्णावाणी मिल	-0.42	+0.28	-0.72
95.	श्री रंगविलास पकंज	-1.15	+0.94	-0.41
96.	पकंज	-0.06	+1.61	+0.81
97.	पायनीयर मिल्स	-0.31	-1.00	-0.08
98.	बलरामवर्मा	-0.10	+10.48	-0.50

1	2	3	4	5
99.	काळेश्वर बी	+0.10	+0.76	-1.05
100.	कोयम्ब. मुरगन	+0.04	-3.04	-3.91
101.	सोमासुन्दरम मिल	-1.24	-0.39	-1.23
102.	काळेश्वर ए	-2.53	-3.17	-3.56
103.	कोयम्ब. एस एण्ड डब्ल्यू	-3.31	+0.27	-2.77
104.	श्री शारदा मिल्स	-0.78	-0.31	-0.83
105.	एसोसिएटिड	-1.94	-2.20	-2.31
	बिहार			
106.	बिहार को आ.	-1.82	-1.52	-1.90
107.	गया काटन	-2.84	-2.53	-2.72
	उड़ीसा			
108.	उड़ीसा काटन	-1.35	-1.74	-2.31
	प० बंगाल			
109.	बंगाल टैक्सटाइल	-3.04	-2.66	-2.71
110.	लक्ष्मी नारायण	-3.19	-2.21	-3.16
111.	आरती काटन	-2.08	-2.10	-1.78
112.	बंगाल फाइन-II	-0.69	-1.25	-1.17
113.	सावेपुर	-1.28	-1.22	-1.15
114.	सेन्ट्ल काटन	-4.66	-3.88	-4.14
115.	बंगाल फाइन I	-3.63	-2.38	-3.32
116.	बंगाल लक्ष्मी	-4.76	-3.36	-3.17
117.	श्री महालक्ष्मी	-3.94	-3.65	-3.66
118.	रामपुरिया	-5.21	-4.17	-4.54
119.	बंगश्री	-2.04	-1.78	-1.88
120.	ज्योति वी० फेक्ट्री	-1.41	-1.33	-1.37

[अनुवाद]

निर्यात से अर्जित आय

*133. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में हाल ही में आई गिरावट के कारण निर्यातकों द्वारा निर्यात से अर्जित आय को विदेशों में ही रोके रखने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात से अर्जित रोकी गई ऐसी आय को स्वदेश लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रवृति को रोकने के लिए किए गए उपाय पर्याप्त हैं और इनका कोई सकारात्मक परिणाम निकाला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी प्रवृतियों को रोकने के लिए क्या कठोर उपाय किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में हाल ही में आई गिरावट के कारण निर्यात से अर्जित आय को विदेश में रोके रखने का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है। तथापि, निर्यात से अर्जित आय को स्वदेश लौटाने में विलम्ब करने के मामले नोटिस में आए है।

(ग) से (ङ). विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत अन्तर्ग्रस्त राशि से पांच गुना अधिक राशि तक का अर्थदण्ड लगान का प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। चूककर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए भी कनून में व्यवस्था है।

[हिन्दी]

राज्यों में अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं

*134. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की संभावनाओं का आकलन के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में निकट भविष्य में कुछ अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा ससंदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं अठता।

(ग) से (ङ). मौजूदा पांच अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के लिए/से अन्तरराष्ट्रीय यातायात के वर्तमान परिमाण से निपटने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। राष्ट्रीय वाहकों को अन्य हवाई अड्डों से सीमा-शुल्क और आव्रजन सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त के आधार पर सीमित संख्या में अन्तरराष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति भी दी जाती है। इस प्रकार की अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं का प्रचालन इस समय अहमदाबाद, बंगलौर, कालीकट, हैदराबाद, वाराणसी, गोवा और अमृतसर से किया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

*135. श्री अमर पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के संबंध में दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई सी बी) में संबधित मार्गदर्शी सिद्धातों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

(1) 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के विदेशी वाणिज्यिक उधारों के मामले में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों की औसत आवश्यक अवधि सात वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करना;

(2) 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि के उधारों के लिए भारतीय वित्तीय संस्थाओं को विदेशी वाणिज्यिक उधार 7 वर्ष की बजाए 5 वर्ष की औसत अवधि पर लेने और परिपक्वता की भिन्न-भिन्न अवधियों पर परियोजना से संबद्ध व्यय हेतु आगे ऋण देने की अनुमति देना;

(3) एक मिलियन अमरीकी डालर स्कीम सभी कंपनियों और संस्थाओं पर लागू करना; और

(4) विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर कर न देने की छूट को पुन: लागू करना।

विदेशी वाणिज्यिक उधारों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सांवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और कई कारकों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की बदलती हुई परिस्थितियां बदलती हुई क्षेत्रीय जरूरतें तथा विदेशी ऋण को उपयुक्त सीमाओं के अंतर्गत बनाए रखना, आदि को ध्यान में रखते हुए इसमें आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जापान के साथ व्यापार

*136. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जापान को किए जाने वाल निर्यात में वृद्धि हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जापान के साथ किया गया व्यापार कुल वर्तमान भारतीय व्यापार का कितना-कितना प्रतिशत्त रहा; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत व्यापार किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. पी. चिदम्बरम्): (क) और (ख). वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए जापान को थ्रस्ट देशों में से एक देश के रूप में अभिनिर्धारित किया है। जापान भारत का एक महत्वपूर्ण गन्तव्य देश है। भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सारे कदम जापान पर भी लागू होते हैं, इनमें अन्य कदमों के अलावा ये भी शामिल हैं :-

- व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना।

- प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी तथा उनका आयोजन करना।

- संगोष्ठियों तथा सेमिनारों का आयोजन करना।

- व्यापार सूचना का प्रसार।

- सरकारी-स्तर पर विचार-विमर्श तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं का आयोजन (ग्यारहवीं वार्षिक द्विपक्षीय वार्ताएं अक्टूबर 1995 में नई दिल्ली में आयोजित की गई) ।

- जापान और भारत के चोटी के व्यापारिक संगठनों के बीच संस्थागत संपर्क को सुदृढ़ करना, इत्यादि।

इस वर्ष मई में टोकियो में एक भारतीय प्रदर्शनी का आयोजना होगा तथा नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले (फरवरी, 1997) में "भागीदारी देश" के रूप में जापान की भागीदारी होगी जो जापान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के सकल विश्व व्यापार में भारत का जापान के साथ व्यापार का प्रतिशत इस प्रकार है :-

1992-93	1993-94	1994-95
7.03प्रतिशत	7.16 प्रतिशत	7.40 प्रतिशत

भारत सरकार द्वारा लागू किए जा रहे आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण को देखते हुए जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होते रहने की संभावना है क्योंकि भारत में जापान की रुचि में लगातार वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

यूरोपीय देशों को चाय के निर्यात में कमी

*137. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान इंग्लैण्ड, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों तथा अमरीका को चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इन देशों को देशवार चाय का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ग) क्या निर्यात में हुई कमी से निर्यातकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन देशों को चाय के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हाँ। अप्रैल-दिसम्बर, 1994-95 की अवधि की तुलना में वर्ष 1995-96 की उसी अवधि में यू. के. जर्मनी और अमेरीका को हमारा चाय का निर्यात कम हुआ है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

मात्रा मिलियन किग्रा.
मूल्य करोड़ रु. में

वर्ष	यू . के.		जर्मनी		अमरीका	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1995-96 (अप्रैल-दिसम्बर)	18.64	111.85	3.44	57.52	2.67	20.71
1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर)	26.23	148.09	4.95	52.93	4.82	34.74

स्रोत : डी. जी. सी.आई. एंड. एस.

वर्ष 1995-96 के दौरान यू. के. और अमरीका को भारतीय चाय के निर्यात में आई गिरावट का मुख्य कारण इन दोनों देशों द्वारा चाय की कम खरीद करना है। जर्मनी के सम्बध में यद्यपि चाय के निर्यात की मात्रा कम हुई है, तथापि 1995-96 के लिए यूनिट कीमत की वसूली में पर्याप्त सुधार आया है।

(ग) यद्यपि, कुछ यूरोपीय देशों को होने वाल चाय के निर्यात में कुछ गिरावट आई है, तथापि चालू वर्ष के दौरान भारतीय चाय के समग्र निर्यात में पर्याप्त सुधार नजर आया हैं। जिसमें निर्यातकों को लाभ पहुंचा है। वर्ष 1994 में 701.38 करोड़ रुपये मूल्य की 112.16 मिलियन कि.ग्रा. भारतीय चाय का निर्यात किया गया था जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1995 की अवधि में 909.13 करोड़ रुपये मूल्य का 124.00 मिलियन कि.ग्रा. निर्यात का अनुमान लगाया है।

(घ) हमारे निर्यातों को बढ़ावा देने और यूरोप और अमरीका सहित विभिन्न देशों में अपने मार्किट शेयर को बढ़ाने के व्यापार मेलों , प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के अलावा चाय बोर्ड ने संवर्धनात्मक अभियान चलाए हैं। रूस में एक नया मीडिया अभियान शुरु किया गया है और इंग्लैंड में एक लोगों अभियान पहले से चल रहा है।

जापान से सरकारी विकास सहायता

*138. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान जापान सरकार ने भारत-सरकार को कितनी सरकारी विकास सहायता राशि देना स्वीकार किया है;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान दी गई सहायता की तुलना में यह राशि कितनी अधिक है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर सहायता राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जापान सरकार 1995-96 के दौरान भारत सरकार को 128.774 बिलियन येन की राशि की राजकीय विकास सहायता देने पर सहमत हो गई है।

(ख) 1994-95 के दौरान दी गई सहायता की तुलना में, येन के अर्थों में हुई वृद्धि 4.5 प्रतिशत है।

(ग) उपर्युक्त ऋण सहायता का उपयोग निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

(1) आट्टापाडी बंजरभूमि व्यापक पर्यावरण संरक्षण परियोजना।

(2) गुजरात वनरोपण और विकास परियोजना।

(3) बंगलौर जल-आपूर्ति और मल-व्यवस्था परियोजना।

(4) कुरनूल-कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना।

(5) पिपावव पोर्ट शिप-ब्रेकिंग्र परियोजना।

(6) अन्पारा विद्युत पारेषण प्रणाली परियोजना (II)

(7) धौलीगंगा पनबिजली विद्युत संयंत्र निर्माण परियोजना।

(8) लघु उद्योग विकास कार्यक्रम (V)।

(9) शहरी जल-आपूर्ति और स्वच्छता सुधार कार्यक्रम ।

संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात

*139. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरीका को निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ड़) संयुक्त राज्य अमेरीका को भारत से किए जा रहे निर्यात की प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(छ) सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरीका को निर्यात संवर्द्धन के संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) डी.जी.सी.आई.एण्ड.एस, कलकत्ता के अनुसार चालू वित्त वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों (अर्थात् अप्रैल-दिसम्बर 95) के दौरान पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में यूएस ए को होने वाले निर्यात में रुपए के रूप में 16.66 प्रतिशत और अमरीकी डालर के रूप में 11.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) तथा (घ). सरकार ने कोई निश्चित अध्ययन रिर्पोट तैयार नहीं की है। तथापि, भारत-अमरीकी द्विपक्षीय व्यापार की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

(ड़) यूएस.ए. को किए जाने वाले प्रमुख भारतीय निर्यात की मदों में शामिल हैं- रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं सिले-सिलाए परिधान, कालीन एवं हस्तशिल्प ; काजू; मध्यवर्ती उत्पाद, रबड़ से बने उत्पाद प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पाद; धातु विनिर्मितियां मशीनें और औजार; परिवहन उपकरण; इलेक्ट्रानिक सामान और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(च) अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	करोड़ रु० में	अमरीकी मिलियन डालर में
1992-93	10184.28	3516.01
1993-94	12543.88	3999.26
1994-95	15747.82	5015.45
अप्रैल-दिस.''94	11315.92	3606.64
अप्रैल-दिस.''95	13201.43	4032.99

(स्रोत : डी.जी.सी.आई.एण्ड.एस, कलकत्ता)

(छ) सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में द्विपक्षीय कार्य-कलापों में वृद्धि हुई है। इनमें शामिल हैं-मई, 94 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूएस.ए. का दौरा; जनवरी, 95 में अमरीकी वाणिज्यक सचिव द्वारा भारत का दौरा; जून, 1995 में भारतीय वाणिज्यि मंत्री द्वारा यूएस.ए. का दौरा; भारत -अमरीकी संयुक्त व्यापार परिषद् की अक्तूबर '' 94 में वाशिंगटन और दिसम्बर, 95 में नई दिल्ली में बैठकें। जनवरी, 95 में भारत-अमरीकी वाणिज्यिक गठबंधन किया गया जो व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के निजी उद्यमियों के बीच अधिक सम्पर्क करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। सरकार भी व्यापार शिष्टमण्डलों की बैठकें करने, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने, भारत और विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लेने इत्यादि के लिए वाणिज्यिक मण्डलों, निर्यात संवर्धन परिषदों वस्तु बोर्डों और निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

*140. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय कुल कितने मूल्य का व्यापार किया जाता है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार में अगले दो-तीन वर्षों के दौरान काफी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या इस द्विपक्षीय व्यापार में और अधिक मूल्य वर्द्धित उत्पादों को सम्मिलित करने के प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) अप्रैल से दिसंबर, 1995 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किए गए द्विपक्षीय व्यापार की कुल राशि 3,308 करोड़ रु. थी। इनमें निर्यात 909 करोड़ रु. तथा आयात लगभग 2,399 करोड़ रु. के थे।

(ख) जी, हां। अगले 2 या 3 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है।

(ग) और (घ). आस्ट्रेलिया को हमारे निर्यातों को बढ़ाने तथा उन्हें विविधिकृत करने तथा साथ ही साथ और अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों का व्यापार करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में सॉफ्वेयर कम्प्यूटर तथा कार्यालय मशीनें, वस्त्र तथा परिधान, इंजीनियरी उत्पाद विशेष रूप से आंटोमोटिव संघटक, विद्युतीय मशीनें, चमड़े की वस्तुएं ,रत्न तथा आभूषण और पशुओं के लिए चारे को हमारे निर्यातों के लिए अच्छी सम्भवनाओं वाले के रूप में निर्धारित किया गया है। व्यापार संवर्धन प्रयासों में दोनों देशों के व्यापारियों के दौरे, मेलों तथा प्रदर्शनियों, आदि में सहभागिता शामिल हैं।

एन टी सी द्वारा निर्मित कपड़े की बिक्री

976. **श्री छेदी पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा निर्मित कपड़े को घटाये गये मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्रममंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राज्य सरकारों को ऋण

977. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा केन्द्र से लिए गए ऋणों का दिसम्बर, 1995 तक राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा वित्त मंत्रालय से लिए गए ऋण की देनदारियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने 636 करोड़ रुपए के एक अतिरिक्त योजना-गत सहायता/अग्रिम योजनागत सहायता हेतु अनुरोध किया, जिस में से 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा शेष 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में है। राज्य सरकार के अनुरोध को माना नहीं गया है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण सहायता हेतु भी अनुरोध किया है ताकि राज्य सरकार इस राशि को सिंगरैनी कोलरीज कम्पनी लि. (एस.सी.सी.एल.) के इक्विटी (शेयर) में निवेश कर सके। राज्य सरकार के इस अनुरोध को भी केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया जा सका है। राज्य सरकार के अतिरिक्त राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु 39.70 करोड़; रुपए के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए है। राज्य सरकार का यह अनुरोध विचाराधीन है।

विवरण

दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा वित्त मंत्रालय से लिए गए ऋण राशि की देनदारियों के राज्यवार आंकड़े शामिल है :-

	राज्य	राशि (करोड़ रुपए में)
	1.	2.
1.	आंध्र प्रदेश	9222.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	184.54
3.	असम	3475.74
4.	बिहार	8368.02
5.	गोवा	752.96
6.	गुजरात	8368.86
7.	हरियाणा	3117.98
8.	हिमाचल प्रदेश	1350.82
9.	जम्मू और कश्मीर	2534.95
10.	कर्नाटक	5849.10
11.	केरल	4078.64
12.	मध्य प्रदेश	5550.26
13.	महाराष्ट्र	13191.06
14.	मणिपुर	175.92
15.	मेघालय	214.98
16.	मिजोरम	118.23
17.	नागालैण्ड	223.12
18.	उड़ीसा	4021.99
19.	पंजाब	9853.68
20.	राजस्थान	5923.50
21.	सिक्किम	114.55
22.	तमिलनाडु	7352.24
23.	त्रिपुरा	311.83
24.	उत्तर प्रदेश	18202.42
25.	पश्चिम बंगाल	10647.98
	कुल	123205.95

क्षेत्रीय रबड़ बोर्ड कार्यालय

***978. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में केरल के कोट्टारकारा में कोई क्षेत्रीय रबड़ बोर्ड कार्यालय कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय के प्रमुख कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यालय द्वारा रबड़ किसानों को दिए जा रहे लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) मई, 1994 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से स्थापित परियोजनाओं के तहत स्थापित कोट्टारकारा में स्थित रबड़ बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कोट्टारकारा तालुक में 27 गांव और कोल्लाम तालुक में 11 गांव में विकासात्मक क्रियाकलाप करता हैं। यह कार्यालय इस क्षेत्र में रबड़ फसल के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू करता हैं।

(ग) इस कार्यालय द्वारा लागू की गई एक प्रमुख योजना रबड़ रोपण विकास योजना हैं इस योजना के तहत वर्ष 1994-95 के दौरान 6.936 जोतधारियों को रोपण अनुदान प्राप्त करने के लिए परमिट जारी किए गए और 28.26 लाख रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई । अन्य योजनाएं जैसे हाथ से चलाने वाले रोलरों के लिए अनुदान सहायता, धूमगृहों का निर्माण तथा संगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए श्रमिक कल्याण योजना भी लागू की जा रही हैं इस कार्यालय ने उपजकर्ताओं के लाभार्थ वर्ष 1994-95 के दौरान 353 सेमिनार आयोजित किए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

***979. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अपना अंशदान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रवृति को रोकने के लिए इसे संज्ञेय अपराध बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए/उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों के अंश के संबंध में भी अंशदानों की अदायगी का दायित्व नियोजक का है। कुछ ऐसे नियोजक हैं जिन्होंने क.रा.बी. अंशदानों में चूक की है। हाल ही मे श्रम मंत्रालय संबंधी संसदीय परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने क.रा.बी. अंशदानों को अदायगी न करने को एक संज्ञेय अपराध बनाए जाने की सिफारिश की है। इस सिफारिश में अधिनियम में संशोधन किया जाना शामिल है और इसलिए इसे टिप्पणियों हेतु अन्य मंत्रालय को संदर्भित किया गया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में नागर विमानन

***980. श्री कुन्जी लाल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में नागर विमानन के विकास के लिए लागू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा आज की तारीख तक योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में इस क्षेत्र में आरम्भ किए गए/किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राजस्थान में नागर विमानन के विकास के लिए लगभग 36.44 करोड़ रुपए की लागत से निम्नलिखित योजनाएं हाथ में ली हैं :-

- जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर हवाई अड्डों की विस्तार और आधुनिकीकरण।

- जयपुर और कोटा हवाई अड्डों पर तकनीकी ब्लाक व कन्ट्रोल टावर और चारदीवारी का निर्माण।

- जयपुर और उदयपुर पर धावनपथ का विस्तार।

- उदयपुर हवाई अड्डे पर धावनपथ के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण।

- जयपुर और उदयपुर हवाई अड्डों पर कम शक्ति वाले दूरी मापक उपस्कर; जयपुर में मल्टी चाइस लागिंग रिकार्डर; उदयपुर में उपस्कर अवतरण प्रणाली की स्थापना।

केन्द्रीय सरकार द्वारा इन कार्यों के लिए 8वीं योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोई विशेष राशि का आवंटन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विकास

*981. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में नागर विमानन के विकास के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों पर निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं :-

- भोपाल, इन्दौर, खुजराहों और सतना पर धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना।

- भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, रायपुर और सिहोरा में अदिशिक बांकन का प्रतिस्थापन, भोपाल और जबलपुर में उच्च आवृत्ति सिंगल साइड बैंड ट्रांस रिसीवर (एचएफ एसएसबी टीएक्स/आरएक्स) का प्रतिस्थापन; इन्दौर में अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास (डीवीओआर); भोपाल में उपकरण अवतरण प्रणाली; खुजराहो में डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास (डीवीओआर) ग्वालियर में टर्मिनल भवन, रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण; ग्वालियर और खजुराहो में एप्रन व टैक्सीपथ का निर्माण।

[अनुवाद]

"नाबार्ड" द्वारा पुनः वित्तपोषण

*982. डा. वसंत पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नाबार्ड" द्वारा देश में सहकारी संगठनों के पुनः वित्तपोषण के लिए वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान पृथक-पथक तथा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सहकारी संगठनों पर अलग-अलग मूलधन तथा ब्याज के रूप में पृथक-पृथक, "नाबार्ड" की कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रमिकों का पुनर्वास

*983. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा जनवरी, 1996 तक प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में उद्योगों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, उद्योगवार और उपक्रम-वार कितने श्रमिक बेरोजगार हुए; और

(ख) उन श्रमिकों का/जिनका अब तक पुनर्वास किया गया है उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है?

श्रममंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रबड़ बोर्ड को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सुविधा

984. श्री पी. सी. थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़ बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में मृदा परीक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान कराने की योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड द्वारा केरल के कंजीरापल्ली और कोट्टायम में कोई इकाई स्थापित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). काजीरापल्ली क्षेत्र में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं केन्द्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पहले से ही कोट्टायम में स्थित है। इसके अतिरिक्त, वहां से एक चल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी परिचलित हो रही है।

बैंकों की गैर-लाभकारी परिसम्पत्तियां

985. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों और

भारतीय स्टेट बैंक की गैर-लाभदायी परिसम्पतियों के आंकडे क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक बैंक को कितनी बजटीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ग) ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये गय ऋण की वसूली का प्रतिशत कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) :

(क) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक की अनिष्पादित आस्तियों की राशि संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को उपलब्ध बजटीय सहयोग की प्रमात्रा संलग्न विवरण -11 दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-1

31 मार्च, 1993 ,94 और 95 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैकों और भारतीय स्टेट बैंक की अनिष्पादित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण

मार्च (रु. करोड़; में)

	बैंक का नाम	31 मार्च, 93 राशि	31 मार्च, 94 राशि	31 मार्च,95 राशि
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	1207.00	1025.03	1235.11
2.	आन्ध्रा बैंक	398.00	520.78	377.65
3.	बैंक आफ बड़ौदा	2409.27	2630.15	2689.68
4.	बैंक आफ इंडिया	4262.00	3772.00	2961.00
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	753.99	847.57	734.59
6.	केनरा बैंक	1947.09	1653.00	1523.00
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2173.00	2443.00	2154.78
8.	कारपोरेशन बैंक	176.00	259.01	260.01
9.	देना बैंक	620.00	564.00	557.00
10.	इंडियन बैंक	1881.00	2040.51	2102.41
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2272.00	2175.18	2001.41
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	293.00	210.95	221.94
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	648.50	637.28	619.32
14.	पंजाब नेशनल बैंक	1634.47	2179.03	2033.00
15.	सिंडिकेट बैंक	1558.00	1409.60	1452.97

1	2	3	4	5
16.	यूको बैंक	1625.00	1961.81	1745.60
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	949.00	1509.00	1309.68
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	780.00	693.49	695.95
19.	विजया बैंक	451.00	532.88	439.40
20.	भारतीय स्टेट बैंक	11171.38	11604.80	10926.15

विवरण-II

भारत सरकार द्वारा दी गई पूंजी

(करोड़ रु. में)

		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
	बैंक का नाम	पूंजी का आबंटन	पूंजी का आबंटन	पूंजी का आबंटन
1.	इलाहाबाद बैंक	65.00	90.00	457.81
2.	आन्ध्रा बैंक	30.00	150.00	184.32
3.	बैंक आफ बड़ौदा	50.00	400.00	0.00
4.	बैंक आफ इंडिया	0.00	635.00	1196.60
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	35.00	150.00	334.19
6.	केनरा बैंक	75.00	365.00	0.00
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	0.00	490.00	632.46
8.	कारपोरेशन बैंक	30.00	45.00	0.00
9.	देना बैंक	50.00	130.00	78.39
10.	इंडियन बैंक	35.00	220.00	411.90
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.007	05.00	391.34
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	30.00	50.00	0.00
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	85.00	160.00	116.03
14.	पंजाब नेशनल बैंक	75.00	415.00	0.00
15.	सिंडिकेट बैंक	0.00	680.00	367.38
16.	यूको बैंक	0.00	535.00	515.52
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	0.00	215.00	538.87
18.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	30.00	200.00	0.00
19.	विजया बैंक	50.00	65.00	62.31
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	60.00	-(X)	-(X)

(*) 4.9.1993 पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है।

[हिन्दी]

स्वापक पदार्थों की तस्करी

986. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच स्वापक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों में कहां-कहां तस्करी की जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) स्वापक औषधों की तस्करी एक गुप्त प्रक्रिया है अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि स्वापक औषधों की तस्करी भारत तथा नेपाल के बीच बढ़ रही है अथवा नहीं। तथापि, निकटता के कारण इंडो-नेपाल सीमा से लगे स्वापक औषधों की तस्करी के लिए संवेदनशील हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में लखीमपुर तथा सिद्धार्थ नगर तथा बिहार में रक्सौल एवं पूर्व तथा पश्चिम चम्पारण, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो तस्करी के लिए संवेदनशील पाए गए हैं।

(ग) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कडें प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कतों बरतें। अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा संचार उपस्कर प्रदान करा दिये गए हैं। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल जिसे भूमि पर लगाया गया है, की सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई है ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

987. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत वस्त्रों के निर्यात हेतु कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रममंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी): (क) से (ग). वस्त्र तथा क्लोदिंग के निर्यात के लिए कोटा पद्धति को विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से समाप्त नहीं किया गया है। तथापि, उरूग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम में शामिल वस्त्रों तथा क्लोदिंग पर करार (ए टी सी) में 10 वर्ष की संक्रमण अवधि की समाप्ति पर गाट 1 डब्ल्यू टी ओ के बहुपक्षीय ढांचे में वस्त्र क्षेत्र के पूर्ण एकीकरण पर विचार किया गया है, जिसके पश्चात वस्त्र तथा क्लोदिंग पर सभी कोटा पद्धतियां समाप्त हो जाएंगी।

वस्त्रो के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार अनेक कदम उठती रही है जिसमें निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए अपरिष्कृत सामग्रियों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रावधान, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के

988. श्री प्रेमचन्द राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1,2,5 और 10 पैसे के सिक्के बनाए जा रहे हैं और नामोदिष्ट बैंकों द्वारा उनका चलन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं तो इनका बनाया जाना और चलन कब बन्द हुआ और उपभोक्ताओं द्वारा पैसों में भुगतान करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान नामोदिष्ट बैंकों द्वारा बनाए गए चलन में रखे गए और सिक्कों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). पांच पैसे और दस पैसे के सिक्के नामोदिष्ट बैंकों द्वारा ढाले और परिचालित किए जा रहे हैं। एक पैसे और दो पैसे के सिक्के अब नहीं ढाले जा रहे क्योंकि सभी लेन-देन कम से कम पांच पैसों के गुणकों में ही होते हैं। एक पैसे , दो पैसे और तीन पैसे के सिक्कों की ढलाई को बंद करने के भारत सरकार के निर्णय की घोषणा दिनांक 20.3.81 को लोक सभा में की गई थी।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी टकसाल द्वारा ढाले गए और आपूर्ति किए गए 5 और 10 पैसे के सिक्कों का विवरण नीचे दिया गया है :-

1993-94 1994-95 (मिलियन अदद् में)

मूल्य वर्ग	ढाले गए	आपूर्ति किए गए	ढाले गए	अपूर्ति किए गए
5 पैसे	59	71	30	31
10 पैसे	82	88	11	13

* आपूर्ति में पिछले वर्ष ढाले गए सिक्कों के भंडार में से की गई आपूर्तियां भी शामिल हैं।

बैंक ऋण के चूककर्त्ता

989. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय बैंक अधिकारी संघ एक लम्बे समय से बैंक ऋण के चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित करने की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बैंकिंग प्रणाली को सुस्पष्ट बनाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). "बैंक अधिकारी यूनियन द्वारा चूककर्ताओं की सूची के प्रकाशन की मांग" (बैंक आफिसर्स यूनियन डिमांड्स पब्लिकेशन आफ डिफाल्टर्स लिस्ट) शीर्षक के अन्तर्गत 4 सितम्बर, 1995 के 'दी इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेख की ओर सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का ध्यान आकृष्ट किया गया था। तथापि, भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसे अखिल भारत बैक अधिकारी परिसंध, कलकत्ता से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ जिसमें चूककर्ता उधारकताओं आदि से संबधित सूचना प्रकट करने के लिए कहा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने संगठन को सलाह दी थी कि चूंकि इसके द्वारा मांगी गई सूचना गोपनीय प्रकृति की थी, इसलिए परिसंघ के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

भारतीय रिर्जव बैंक ने कुल 1 करोड रु. और उससे अधिक के (निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध दोनों सुविधाओं जिनमे खाते "संदिग्ध" या "हानि" के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और ऐसे उधारकर्ताओं जिनके विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए हैं, के बारे में सूचना एकत्र करने और प्रसारित करने और प्रसारित करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस प्रकार , जुटायी गई सूचना को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में उनके उपयोग के लिए परिचालित किया जाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में उनके उपयोग के लिए परिचालित किया जाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालित चूककर्ताओं की सूची विभिन्न कानूनों में दिए गए अनुसार , ग्राहकों के खातों की गोपनीयता से संबंधित वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित नहीं की जा सकती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुकदमा दायर खातों की सूची पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में नियुक्ति

990. **श्री गोपी नाथ गजपतिः** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में विभिन्न पदों के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

हंगरी के साथ व्यापार

991. **श्रीमती वसुन्धरा राजेः** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हंगरी के साथ व्यापार संबंधी पुनः बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो हंगरी के साथ व्यापार संबंध पुनः बनाने के लिए इनका विस्तार करने हेतु पहचाने गये नए क्षेत्रों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) हंगरी के साथ व्यापार संबंधों के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए जिन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार है:-

मौजुदा व्यापार मदों के अतिरिक्त भारत से हंगरी को जिन मदों का निर्यात करने की पेशकश की गयी है, वे है: कम्प्यूटर साफ्टवेयर लौह अयस्क, भारतीय ब्हिस्की, कालीन , मूल्यवान पत्थर जेवरात, परम्परागत नक्काशी के भारतीय लकड़ी के फर्नीचर, गलीचे और दीवार दरियां, मशीन के औजार ट्रेक्टर के पुर्जे, प्रसंस्कृत खाद्य तथा खाद्य प्रसंस्करण मशीनें, जमीन पर चलने वाली मशीने ढली और गढ़ी वस्तुएं, परियोजना और परामर्शी निर्यात गैर परम्परागत उर्जा स्रोतो में सहयोग दूसरी वस्तुओं के साथ साथ हंगरी पक्ष की तरफ से भारत को जिन वस्तुओं का निर्यात करने की पेशकश की गयी है, वे है: मटर और अन्य कृषि उत्पाद, रसायन औषधियों, औषधियों के लिए मूल पदार्थ , धातुकर्मीय उत्पाद, मशीनें , इलेक्ट्रानिक और केबल्स।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनमें शामिल है प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान एक दूसरे के देशों में व्यापार मेलों में भाग लेना और उच्च स्तर के संबंधो आंकड़ों और टैंडर दस्तावेजों का आदान-प्रदान, माल-गोदामों और प्रेषित निर्यातों की संभावनाओं का पता लगाना, तीसरे देशों को निर्यात की सम्भावना, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, हंगरी में उद्योगो के निजीकरण में भाग लेना, क्रमशः द्विपक्षीय निवेश करार और दोहरे कर से बचने संबंधी करार जैसे द्विपक्षी समझौतों का सम्पादन और सुधार, व्यापार हस्तियों की क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और संयुक्त आयोग की बैठकों का आयोजन इत्यादि।

पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा

992. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान किसी न किसी कारण से भारत को सर्वाधिक अनुकुल राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने के मामले में टाल-मटोल कर रहा है और पाकिस्तान इस मामले पर विवादास्पद मुद्दे उठा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ड) पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने के मामले में पाकिस्तान को सहमत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(च) क्या सरकार का कोई विचार पाकिस्तान को प्रदत्त सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा वापस लिये जाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) और (ख). भारत टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) का एक सदस्य है और अन्य सदस्य देशों को इस समझौते के अनुच्छेद । के अन्तर्गत परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करने के अपने दायित्व का निर्वाह करता है। भारत पाकिस्तान को परममित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करता रहा है। केवल 1965 और 1974 की अवधि को छोड़कर जब युद्ध की स्थिति के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार भंग हो गया था।

(ग) से (छ). वर्ष 1978 में पाकिस्तान ने एकपक्षीय रूप से अपने निजी क्षेत्र को भारत के साथ व्यापार करने से रोक दिया। जिसके फलस्वरूप भारत को गेट से मिलने वाले लाभ कम हो गए। फिर भी, 1982 से पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ निजि क्षेत्र में व्यापार चयनात्मक रूप से चरणों में फिर से आरम्भ किया गया। इस समय, पाकिस्तान ने 571 अनुज्ञेय मदों की एक सूची के जरिए भारत की मदों को प्रतिबंधित कर रहा है

पाकिस्तान द्वारा भारत को परममित्र राष्ट्र अधिकार नहीं दिये जाने का मामला भारत द्वारा पहले द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए एम एफ अधिकार वापस लेने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बैंक आफ इंडिया में स्थानान्तरण के लिए अनुरोध

993. श्री मृत्युंजय नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 1987 तथा 1989 से बैंक आफ इंडिया, नरीमन प्वाइंट, बम्बई के पास गुड़गांव/दिल्ली के लिए क्लर्कों के स्थानान्तरण संबंधी अनुरोधों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 1989 से अब तक मंजूर किए गए आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष सभी अनुरोधों को तेजी से निबटाने हेतु क्या कार्यवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है, मई,1987/मई, 1989 की स्थिति के अनुसार गुड़गांव /दिल्ली को स्थानांतरण के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

		मई,1987	मई,1989
1)	गुड़गांव	12	15
2)	दिल्ली	53	68

(ख) 6

(ग) स्थानांतरणों के लिए अनुरोधों पर प्रतीक्षा सूची में क्रम के अनुसार ऐच्छिक स्थानों में जब कभी रिक्तियां होती है, बैंक द्वारा विचार किया जाता है।

जैव आहार तथा फाइबर्स का निर्यात

994. श्री नवल किशोर राय : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजार में जैव आहार तथा फाइबर्स की खपत की कोई संभावना है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और इन पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). जैव आहार का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं :-

(1) प्रत्यायन, निरीक्षण तथा प्रमाणन एजेन्सियों के लिए नीतियां तथा क्रियाविधिया तैयार करने के लिए स्थाई-सह-प्रत्यायन समिति उठित करना;

(2) एक भारतीय राष्ट्रीय जैव प्रमाणन स्कीम विकसित करने तथा यूरोपीय आर्थिक आयोग एवं जैव कृषि कार्यव्यापार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय परिसंघ के साथ इसक प्रत्यायन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की नियुक्ति करना।

(3) अन्तराष्टीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(4) जैव आहार का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए जैव किसानों/निर्यात्कों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

995. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान कुल कितनी मात्रा में समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया और इसके देश-वार और मदवार, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1995-96 (अप्रैल-जनवरी) की अवधि के दौरान भारत ने 2506.64 करोड़ रु. मूल्य के 216681 मी.टन समुद्री उतपादों का निर्यात किया (स्रोत -डी जी सी आई ऐंड एस) । देशवार ब्योरे वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित फारेन स्टैटिष्क्टक्स ऑफ इंडिया (वार्षिक/मासिक अंक) में उपलब्ध हैं जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं;

(1) समुद्री साप उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, कल्चर फिशरीज. के उत्पादन को बढ़ाना और श्रिम्प हैचरियों की स्थापना करना, गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी उपकरण अलग-अलग व्यक्तियों के लिए क्विक फ्रीजिंग मशीनरी की तथा जेनेरेटर सैट प्राप्त करना और मशीनीकृत पोतों का सुधार करना;

(2) कल्चर तथा कैप्चर मत्स्य पालन के क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं को इक्विटी अंशदान करना;

(3) अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास को प्रोत्साहन देना;

(4) समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए नए बाजार अभिज्ञात करना;

(5) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना , क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना तथा व्यापार शिष्टमंडलों को प्रायोजित करना।

मोडवेंट योजना

996. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन प्रावधानों, जिनमें डालरों को ऋण दावे करने के लिए बीजक जारी करने की अनुमति दी गई है, के दुरुपयोग के कतिपय मामलों का पता चलने पर मोडवेट योजना की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) झूठे दावों और इनमें अन्तर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार मॉडवेट योजना के कार्यकरण का लगातार अध्ययन कर रही है तथा इस पर बराबर निगरानी रख रही है और योजना का दुरुपयोग न होने देने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

(ग) इस संबंध में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और संकलन के पश्चात् सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) मांडवेट योजना का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्यवाई की जाती है। कारण बताओं नोटिस जारी किए जाते हैं और मांगों को पुष्ट करने के पश्चात् मामलों पर न्यायनिर्णय किया जाता है। जब कभी भी उपयुक्त समझा जाता है दाण्डिक कार्यवाई भी की जाती है इस योजना के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर यदि इस संबंध में कोई कमी ध्यान में आती है, तो उसे दूर कर दिया जाएगा।

न्यू टोबेको कम्पनी पर उत्पाद शुल्क की बकाया धनराशि

997. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू टोबैको कम्पनी पर उत्पाद शुल्क की कितनी धनराशि अब तक बकाया है;

(ख) अलग-अलग अवधि की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आज की स्थिति के अनुसार मैसर्स न्यू टोबेको कंपनी लिमिटेड की और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि 59.49 करोड़ रुपए (पुष्ट मांगें) है जिसमें अर्थदण्ड की राशि शामिल नहीं है।

(ख) वर्ष 1987 से लेकर आज तक विभिन्न अवधियों में कंपनी के खिलाफ बहुत से दावे किए गए हैं।

(ग) बकाया राशियों की वसूली के लिए संगत कानूनों/अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य उपाय लगातार किए जाते रहते हैं।

वस्त्र तथा कपड़ा व्यापार का उदारीकरण

998. श्री के. प्रधानी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उरुग्वे राउंड की वार्ताओं में विश्व वस्त्र तथा कपड़ा है व्यापार के उदारीकरण किये जाने संबंधी समझौता हो जाने के बावजूद विकासशील देशों के वस्त्र निर्यातकों के लिये विकसित देशों में बाजार को खोलने के संबंध में लगभग कुछ भी नहीं किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनेवा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र तथा कपड़ा ब्यूरो (आई टी यू बी) इस बात से भी सहमत हो गई है कि प्रमुख आयातकों द्वारा किसी भी विकसित देश पर से कोई भी महत्वपूर्ण एम एफ ए प्रतिबंध को शायद ही उदारीकृत किया गया; और

(घ) यदि हां ,तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रममंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). उरुग्वे दौर के अन्तिम अधिनियम में शामिल वस्त्र और मल्लटिंग संबंधी करार (ए टी सी) में 10 वर्ष की संक्रमण अवधि की समाप्ति पर वस्त्र क्षेत्र के गाट डब्ल्यू टी ओ के बहुपक्षीय ढांचे में सम्पूर्ण एकीकरण की परिकल्पना की गई है। दस वर्ष की संक्रमण अवधि को क्रमशः 3 वर्ष, 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के 3 चरणों में विभाजित किया गया है। इन 3 चरणों के प्रत्येक चरण के शुरु होने पर क्रमशः 16 प्रतिशत, 17 प्रतिशत, 18 प्रतिशत उत्पादन को गाट में एकीकृत किया जाएगा। उत्पादों की मौजूदा वृद्धि दर को कोटा प्रतिबंधों के अध्याधीन क्रमश : पहले, दूसरे तथा तीसरे चरण के आरंभ से क्रमशः 16 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

ए. टी. सी. के अनुसार आयातक देश किसी भी उत्पाद को वस्त्र क्षेत्र (जैसा कि ए. टी. सी. में निर्दिष्ट किया गया है) के तीन चरणों में एकीकृत करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, एकीकृत किए जाने वाले उत्पादों में चारों समूहों के प्रत्येक समूह नामतः टाप्स और यार्न, फैब्रिक्स , मेड-अप्स, वस्त्र आयातक देशों द्वारा पहले चरण में घोषित उत्पादों के एकीकरण से हालांकि वास्तविक रुप से कोई विशेष प्रवेश नहीं मिल पाएगा फिर भी यह ए. टी. सी. के कुपबंधों के अनुरूप हैं।

ओ. डी. एस. चरण परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

999. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माट्रियल प्रोटोकॉल के अन्तर्गत ओ.डी.एस. (ओजोन डिप्लेटिंग सब्स्टान्स) चरण परियोजना पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि पर ब्याज की भारी राशि देय हो गई है और इस धनराशि को अब तक भी स्वीकृत एककों में वितरित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैंक द्वारा धन के वितरण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गत एक वर्ष से इस बैंक में पड़ी ओ. टी . एफ. अनुदान राशि पर संचित ब्याज का लाभ स्वीकृत को देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, ओजोन डिप्लेटिंग सब्स्टान्स (ओडीएस) चरणबद्ध परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से समय-समय पर प्रेषित निधियों पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयार्क में रखे गये " विशेष खाते" में संकेत रूप में कोई ब्याज राशि उपार्जित हुई है। आईडीबीआई ने

सूचित किया है कि लाभग्राही उद्यमियों ने अपने स्वयं के कारणों से ओडीएस चरणबद्ध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब किया है और उन्होंने संवितरण के लिए आई.डी.बी.आई से सम्पर्क नहीं किया है। आई.डी.बी.आई ने कुछ मामलों में शर्तों को पूरा करने के लिए गुणावगुण के आधार पर उद्यमियो से वचन लेकर निधियों का संवितरण किया है।

(ग) और (घ). आई.डी.बी.आई ने सूचित किया है कि चूंकि आईडीबीआई को उपार्जित ब्याज राशि अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई है, अतः संचयी ब्याज में से अनुमोदित इकाइयों को लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता।

बेनामी लेन-देन

1000. श्री आनन्दरत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेनामी लेन-देन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 अपनी संवैधानिक वैधता के कारण भी लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने अब उस अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कानून को संक्रियात्मक बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। अधिनियम के कार्यान्वयन में निहित अनेक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बेनामी लेन-देन (प्रतिषेध अधिनियम , 1988 को लागू नहीं किया जा सका।

(ख) से (घ). अधिनियम को प्रभावकारी रूप से कार्यान्वित करने के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यद्यपि, विशिष्ट समय सीमा को नहीं बताया जा सकता परन्तु इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

1001. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग निदेशालय योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के कुछ मामले लम्बित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदकों को वित्तीय सहायता दिलवाने के लिये दोनों एजेन्सियों के कार्यकलाप को त्वरित बनाने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान उद्योग निदेशालय, दिल्ली के बैकों द्वारा कारण बताते हुये वापस लौटाये गये आवेदनों की बैंकवार संख्या कितनी है; और

(ड़) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण के लिये आवेदन गलत कारणों से निरस्त न किये जाये, क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). उद्योग आयुक्त का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार, उनके पास प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऐसे कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं हैं उद्योग-आयुक्त के कार्यालय को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जितने भी आवेदन पत्र मिले हैं, उन सभी की जांच करके उपयुक्त आवेदन पत्रों को ऋण स्वीकृति/संवितरण के लिए बैंकों को भेज दिया गया है। तथापि, बैंकों को भेजने गए कुछ आवेदन पत्र दूसरे बैंकों को भेजने के लिए या कुछ स्पष्टीकरण के लिए समय-समय पर वापस भेजे जाते रहे हैं ऐसे आवेदन पत्र बैंकों के पुन :आवंटन के बाद और जहां अपेक्षित हो वहां स्पष्टीकरण देने के बाद वापस भेजे जाते हैं । यह एक सतत प्रक्रिया हैं।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे सितम्बर के अंत तक अपने लक्ष्य के बराबर तथा दिसम्बर, 95 तक अपने लक्ष्य के दुगुने के बराबर सभी उपयुक्त आवेदन पत्र बैंकों को भेजें। मामलों में निहित धनराशि के आधार पर उनके निपटान हेतु जिस समयावधि का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों में किया गया है वह जारी है।

(घ) और (ड़). उद्योग-आयुक्त का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बैंकों ने वर्ष 1995-96 के दौरान दिनांक 31-1-96 तक 3,303 आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए हैं वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है। उस कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, का ऋण-प्राप्त करने न आना, आवेदक का पात्र न होना और परियोजना का अर्थक्षम /बैंक योग्य न होना आदि।

ताज महल का संरक्षण

1002. श्री तारा सिंह :

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य एशियाई बैंक का ताज महल और देश के अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए 500 मिलियन डालर की विदेशी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). एशियाई विकास बैंक ने आगरा, मथुरा, और फिरोजाबाद जिलों में मौजूदा पर्यावरणात्मक स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने, सुधार के लिए उपयुक्त जरूरी उपायों की सिफारिश करने और पर्यावरणात्मक संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के विशेष संदर्भ में आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जिलों के निरन्तर विकास हेतु एक परियोजना बनाने के लिए तकनीकी सहायता अनुमोदित की है।

एशियाई विकास बैंक से संबंधित सहायता के संबंध में आगे की कार्यवाई उपर्युक्त तकनीकी सहायता से प्राप्त रिर्पोट पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन सुविधा

1003. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ग विशेष के सरकारी कर्मचारियों को उनके आवास पर टेलिफोन सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवर सचिव ग्रेड के अधिकारियों को यह सुविधा नहीं दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड़) क्या ऐसे अधिकारी निजी टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ). अधिकारियों को उनके काम-काज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवासीय टेलीफोन सुविधा दी जाती है। वर्तमान में प्रचलित आदेशों के अनुसार आवासीय टेलीफोन आमतौर पर उप-सचिव एवं इनसे ऊपर के अधिकारियों को ही दिए जाते हैं। उप-सचिव श्रेणी से नीचे के ग्रुप "ए" के अधिकारियों में से 25 प्रतिशत तक अधिकारियों को ही आवासीय टेलीफोन की सुविधा दी जा सकती है। इस प्रकार अवर सचिव स्तर के अधिकारी उप स्थिति तक आवासीय टेलीफोन सुविधा के गैर-हकदार श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं जब तक उन्हें उनकी कार्यगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त 25 प्रतिशत कोटे के तहत आवासीय टेलीफोन की अनुमति न दी जाए।

[अनुवाद]

हथियारों की तस्करी

1004. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी मात्रा में अत्याधिक हथियारों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा 1995 और 1996 के दौरान हथियारों की तस्करी के मामलों के बारे में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तस्करों से बरामद किए गए हथियारों, इसमें धन लगाने वाले व्यक्तियों और उनके प्राप्तिकर्ताओं सहित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से धनराशि

1005. श्री हरिन पाठक :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम की मिलों के पुनर्गठन के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से कोई सहायता प्रदान की गयी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ड़) वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ड़) उद्योग मंत्रालय के अनुसार गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम के पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से 96.83 करोड़ रु. की सहायता

का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उद्योग मंत्रालय इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता स्वीकृत करने के प्रचालन संबंधी रूपात्मकताओं को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद उठाएगा।

[हिन्दी]

एयर इंडिया में पत्रकारों के लिए पास

1006. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने पत्रकारों को प्रतिवर्ष 250 निःशुल्क टिकट जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पत्रकारों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक पत्रकार को कितने निःशुल्क टिकट जारी किए जाने संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जन सम्पर्क के उद्देश्य से पास जारी करना एक सामान्य उद्योग रीति है। एअर इंडिया वाणिज्यिक और व्यवसायिक रुचि को ध्यान में रखकर पिछले 30 वर्षों या उससे अधिक समय से इस तरह के पास जारी करता आ रहा है तथा हाल ही में कोई नई प्रणाली नहीं बनाई गई है।

प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर एअर इंडिया का कुछ लाभ समझते हुए पास जारी किए जाते हैं तथा इस पर कम्पनी की कोई लागत नहीं आती क्योंकि सामान्यतः राजस्व अदा करने वाले यात्रियों को स्थान देने के बाद ही पासधारकों को विमान में स्थान दिया जाता है।

[अनुवाद]

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी

1007. श्रीमती चन्द्रमा अर्स : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी के केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता प्रदान किए जाने का विचार है;

(ग) क्या राज्य सरकार इस इन्स्टीट्यूट के लिए भूमि और अन्य ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके पूरा होने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है?

श्रम मंत्री वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) नेशनल फैशन टेक्नालोजी संस्थान का एक केन्द्र बंगलौर में स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सरकार को कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) योजना आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत पैटर्न के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि 260 लाख रुपए है जो 490 लाख रुपये के कुल खर्च का अनावर्ती हिस्सा है।

(ग) और (घ). कर्नाटक सरकार, परियोजना रिपोर्ट के अनुसार संस्थान के लिए जमीन तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं देने के लिए सहमत हो गयी है।

(ङ) मंत्रालय कलकत्ता, गांधीनगर, हैदराबाद, मद्रास तथा मुम्बई में नेशनल फैशन टेक्नोलाजी संस्थान की पांच शाखाएं खोलने में व्यस्त है। योजना आयोग तथा वस्त्र मंत्रालय का विचार है कि जब तक ये पांच संस्थान पूर्ण रूप से कार्य करना आरम्भ नहीं कर देते हैं तथा सर्वश्रेष्ठ केन्द्रों के रूप में मान्यतों प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी और केन्द्र को खोलने तथा संसाधनों को यंत्र फैलाना वांछनीय नहीं होगा। इसलिए, इस समय कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है तथा समय सूची की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

आयकर रिटर्न

1008. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री बलराज पासी :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैनिक दलों को अपनी ''प्राप्तियां और व्यय'' संबंधी विवरणी आयकर प्राधिकारियों को भेजनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राजनैतिक दलों ने अपनी आय कर विवरणी नियमित रूप से नहीं भेजी है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सलग्न विवरण-I के अनुसार ।

(ग) सलग्न विवरण-II के अनुसार ।

(घ) जिन राजनैतिक पार्टियों ने अपनी कर विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की हैं उनसे संबंधित आंशिक सूचना एकत्र की जा रही है। राजनैतिक पार्टियों द्वारा सांविधिक दायित्वों को पूरा किया जाए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार सभी कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे।

विवरण-I

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4ख) के अनुसार प्रत्येक राजनैतिक पार्टी के चीफ एग्जीक्यूटिव को, यदि कर लगाने योग्य राजनैतिक पार्टी के संबंध में कुल आय (इस प्रयोजन के लिए कुछ कुल आय की संगणना आयकर अधिनियम की धारा 13-क के उपबंधों को लागू न करते हुए की जा रही है) आयकर न लगाने योग्य अधिकतम धनराशि से अधिक हो, पिछले वर्ष की ऐसी आय विवरणी प्रस्तुत करनी होती है।

आयकर अधिनियम की धारा-13-क के उपबंधों में "भवन सम्पत्ति से आय" या "दूसरे स्त्रोतों से आय" या "स्वैच्छिक चन्दे के रूप में प्राप्त आय" शीर्ष के अधीन कर-निर्धारण योग्य आय की छूट के लिए प्रावधान है बशर्ते राजनैतिक पार्टी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो :

(क) ऐसी राजनैतिक पार्टी ऐसे खातों और दूसरे दस्तावेजों को रखती और अनुरक्षित करती हो जिससे कर-निर्धारण अधिकारी इसकी आय का उचित रूप से निर्धारण कर सके।

(ख) दस हजार रुपये से अधिक के प्रत्येक ऐसे स्वैच्छिक चन्दे के संबंध में ऐसी राजनैतिक पार्टी ऐसे चन्दे और ऐसा चन्दा देने वाले व्यक्ति के नाम और पते का रिकार्ड रखती हो; और

(ग) ऐसी राजनैतिक पार्टी के खातों की लेखा-परीक्षा धारा -288 की उप-धारा (2) के नीचे गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा की जाती हो।

विवरण-II

कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से समंत 1995 को समाप्त पिछले वर्ष के संबंध में निम्नलिखित पार्टियों ने अपनी आयकर विवरिणियां प्रसतुत की हैं :

	राजनैतिक पार्टी का नाम	विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख
1.	आल इंडिया कांग्रेस कमेटी (समाजवादी)	5-2-96
2.	आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक	43-2-96
3.	भारतीय जनता पार्टी	28-2-96
4.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	18-9-95
5.	भारतीय कयुनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	5-12-95
6.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	14-2-96
7.	जनता दल	19-2-96
8.	जनता पार्टी (जे0पी0)	19-2-96
9.	रेवोलूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	27-12-95
10.	हिल पिपुल यूनियन	30-1-96
11.	हिल स्टेट पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	7-2-96
12.	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	9-11-95

उपयुक्त सूचना 20-2-96 की स्थिति के अनुसार है। शेष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आयकर वसूली

1009. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान आज तक आयकर की कुल कितनी वसूली की गई;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कर-अपवंचन के आरोप में आज तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार द्वारा कर-अपवंचन को रोकने के लिए कोई नई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क)

	निगम कर	आयकर
		(रुपये करोड़ों में)
1995-96 (15.2.96 तक)	12099.75	11322.70
1994-95 (15.2.95 तक)	9840.87	8315.79
1994-95	13821	12030
1993-94	10060	9122

(ख) आयकर प्राधिकारियों को कर-अपवंचन करने के लिए गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। परन्तु, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXII के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए अभियोजन चलाए जा सकते है। वर्ष 1995-96 (31 जनवरी, 1996 तक) के दौरान आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 20 व्यक्तियों को वास्तविक अपराधों के लिए न्यायालयों द्वारा कारावास की सजा दी गई थी।

(ग) और (घ). कर अपवंचन की रोकथाम करना एक हमेशा चलने वाला कार्य है। सरकार समय-समय पर कर अपवंचन रोकने के लिए आवश्यक कानूनी वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही हैं हाल के वर्षों में कराधान की दरें उत्तरोत्तर उपाय करती आ रही हैं हाल के वर्षो मे कराधान की दरें उत्तरोत्तर युक्ति-संगत बनाई गई हैं। आयकर अधिनियम में कर अपवंचन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनेक उपलब्ध निहित हैं। इसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ धारा-44 क और 44 क ख के अन्तर्गत उचित मामलों में लेखों को अनिवार्य रूप से रखना और उनकी लेखा-परीक्षा, धारा 40-क (3) 299 ध ध और 2659-न के अन्तर्गत नकद लेन देनों पर प्रतिबंध, अध्याय XX-ग के अन्तर्गत सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद, धारा 115-ट के अन्तर्गत छोटे/खुदरा व्यापार के लिए अनुमानित कर स्कीम और कर का भुगतान न करने वालों को सजा देने के लिए, दण्ड और अभियोजन से संबंधित उपबंध शामिल हैं। इस अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों और तलाशियों आदि से संबंधित उपबंध भी निहित हैं। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता हैं प्रतिवर्ष बढ़ता हुआ कर राजस्व इन उपायों की सफलता का संकेत देता है। तलाशी निर्धारणों को शीर्ष पूरा करने के लिए हाल ही में एक नया अध्याय XIV-ख शुरु किया गया है।

[अनुवाद]

पर्यटन का समवर्द्धन

1010. श्री बलराज पासी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के लिए पर्यटकों के आगमन संबंधी निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल कितने पर्यटक भारत आए और उत्तरी राज्यों के संदर्भ में तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित/क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/विधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने का अनुमान है;

(घ) क्या योजनाओं के कार्यान्व्यन की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस हेतु राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1995 के दौरान 21,23,683 विदेशी पर्यटक आए थे। वर्ष 1995 के दौरान हुई वृद्धि,लगभग 9 से 10 प्रतिशत के प्रक्षिप्त लक्ष्य की तुलना में 12.6 प्रतिशत थी। वर्ष 1995 के दौरान जो पर्यटक दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे उनकी संख्या 7,17,120 थी।

(ख) पर्यटन का विकास व संवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे, निजी निवेश के सुगमीकरण द्वारा तथा आधारिक संरचना के विकास हेतु राज्य/संघराज्य क्षेत्रों की सरकारों को वित्तीय सहायता देकर, पाने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1995 के दौरान पर्यटन से लगभग 8640.02 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय होने का अनुमान है।

(घ) से (च). यह मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने राज्यों में पर्यटन का विकास करें। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों पर, उनकी पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं वर्ष 1994-95 के पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न राज्य-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 16.86 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। वर्ष 1995-96 हेतु पर्यटन विभाग के लिए योजना परिव्यय उसी प्रकार से है।

स्वर्णाभूषणों के निर्यातकों के विरुद्ध शिकायत

1011. **श्री मोहन रावले** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्णाभूषणों का निर्यात करने और भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड से स्वर्ण प्राप्त करने वाली कंपनियों के विरुद्ध विमान भाड़ा बिलों में हेर-फेर करने, विदेशों में धनराशि सीधे एकत्रित करने तथा सरकार को धनराशि का भुगतान न करने की धोखाधड़ी दिये जाने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ऐसी प्रत्येक कम्पनी पर 31 दिसंबर, 1995 तक खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड की कितनी धनराशि बकाया थी;

(ग) क्या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार लिमिटेड ने ऐसी किसी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का विचार धोखाधड़ी के इन मामलों को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम "फेरा" के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के पास भेजने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। तथापि, एयरवे बिलों को रद्दोबदल तथा एम.एम. टी.सी को आयों को दिए बगैर विदेशी परेषतियों से निर्यातकों द्वारा पार्सलों को एकत्र करने आदि के जरिए स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में लगी कुछेक फर्मों द्वारा बरती गई अनियमितताएं एम.एम.टी.सी. के ध्यान में लाई गई है, जिसने बाद में सरकार को सूचित कर दिया है।

(ख) 5 फर्मों ने कथित रूप से एयरवे बिलों में रद्दोबदल किया है। उन फर्मों के नाम तथा इन फर्मों पर 31.12.95 को बकाया राशि निम्नानुसार हैं।

		(मूल्य यू. एस. डालर में)
1.	कोरकोरडे ओवरसीज़ प्रा. लिमि.	1,95,672
2.	ग्लिट्टर ओवरसीज़	4,62,584
3.	प्रेट्टी वूमैन	2,60,571
4.	हिमांशु ज्वैलर्स	27,879
5.	महाराजा डैन	1,67,664

दो फर्मों ने विदेशी परेषितियों से अपने पार्सलों की डिलीवरी ली है और एम. एम. टी. सी. को आयों का प्रेषण नहीं किया है। 31.12.95 की स्थिति के अनुसार उनके नाम तथा बकाया राशि नीचे दिए गए हैं:

		(मूल्य अमरीकी डालर में)
1.	स्पिक एन स्पान एक्सपोर्ट प्रा. लि.	89,460
2.	डैल्को प्रेसिटोन ज्वेलर्स प्रा. लि.	5,12,463

(ग) जी, हां।

(घ) से (छ). एम.एम.टी.सी ने उपयुक्त अभिकरणों जैसे प्रवर्तन निदेशालय (डी.ओ.ई.), सी.बी.आई. राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई.) तथा सीमा शुल्क को इनके मामले भेज कर उपर्युक्त फर्मों के खिलाफ कार्यवाई कर दी है। एम.एम.टी.सी. ने देयताओं की वसूली के लिए भी कानूनी कार्यवाई शुरू कर दी है।

स्वर्ण छड़ें

1012. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक निजी स्वर्ण शोधनशालायें प्राथमिक स्तरीय स्वर्ण (छड़ों) का निर्माण कर रही हैं, जो कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की परिधि में आता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राथमिक स्तरीय स्वर्ण छड़ें उत्पाद और शुल्क अन्य करों से मुक्त रहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चूंकि स्वर्ण (नियंत्रण) निरसन अधिनियम , 1990 (1990 का सं. 18) द्वारा स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 जून 1990 में निरस्त कर दिया गया था। सरकार इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखती।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब

1013. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार चल रहे फ्लाइंग/लाइडिंग क्लबों का ब्यौरा क्या है और ये कब कब स्थापित किए गए हैं, इनके पास

कितने विमान हैं तथा उनका अब तक का अन्य ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार क्लबवार कितनी राशि की राज सहायता/सहायना उपलब्ध की गई है; और

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इनमें से प्रत्येक क्लब को क्या दर्जे दिये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा रेटिंग की कोई प्रणाली नहीं है।

विवरण

संबधित राज्यों के फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों के नाम तथा स्थापना की तिथि	एअरक्राफ्ट ग्लाइडरों की संख्या			डी.जी.सी.ए. द्वारा दी गई अनुदान की राशि (लाख रुपयों में) लगभग
		1993-94	1994-95	1995-96 (अब तक)
1	2	3	4	5
फलाइंग क्लब				
राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग सेन्टर,				
लखनऊ, यू.पी. 1.8.1980	6	11.80	8.17	5.34
3 ब्रांच सहित कानपुर,				
फैज़ाबाद और वाराणसी में				
बम्बई फलाइंग क्लब जुहू एअरपोर्ट,	8	4.58	4.27	1.18
बम्बई (महाराष्ट्र) 9.5.1928	7	8.02	6.48	3.88
मद्रास फलाइंग क्लब (तमिलनाडु)				
4.3.1930				
राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थान, बेहाला				
कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) 7.08.1963	3	1.17	8.25	शून्य
दिल्ली फलाइंग क्लब (दिल्ली) 28.5.1928	9	11.40	9.26	शून्य
राजस्थान स्टेट फलाइंग स्कूल,				
जयपुर, (राजस्थान) 1954	3	5.98	6.44	3.40
मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इन्दौर				

1	2	3	4	5
एक ब्रांच भोपाल सहित	9	12.96	19.90	18.43
(मध्य प्रदेश) 1951				
राजकीय फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल,				
बंगलौर, (कर्नाटक),1948	6	10.06	शून्य	शून्य
ए.पी. फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद (ए.पी.)	7	11.21	5.79	7.49
8.9.1958				
केरल एविएशन ट्रेनिंग सेन्टर				
त्रिवेन्द्रम (केरल) 14.07.1959	3	3.45	3.32	1.06
गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ोदा,				
गुजरात 20.12.1958	7	11.80	11.37	14.02
कोयम्बतूर फ्लाइंग क्लब लि.	3	0.20	शून्य	शून्य
(तमिलनाडु) 1960				
पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला	5	8.89	7.35	शून्य
पंजाब अक्टूबर, 1962				
अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर	4	4.13	4.92	3.54
पंजाब 1962				
पिंजोर एविएशन पिंजोर	2	4.17	1.50	1.24
हरियाणा 1.4.91				
जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब लि.	3	2.73	1.09	3.65
जमशेदपुर, (बिहार) 1966				
हिसार एविएशन क्लब, हिसार	5	5.05	5.17	3.53
हरियाणा 1965				
करनाल एविएशन क्लब, करनाल	5	6.13	3.37	5.33
हरियाणा मार्च 3, 1967				
लुधियाना एविएशन क्लब	5	11.29	12.35	6.44

1	2	3	4	5
पंजाब 1.1.96				
बिहार फ्लाइंग संस्थान, पटना (बिहार) 1940	6	शून्य	शून्य	शून्य
राजकीय एविएशन ट्रेनिंग संस्थान,				
भुवनेशवर (उड़िसा)	4	शून्य	शून्य	शून्य
अंडमान और निकाबार फ्लाइंग ट्रेनिंग				
संस्थान, पोर्ट ब्लेयर अक्टूबर, 1988	1	शून्य	शून्य	शून्य
वेनम्थली विद्यापीठ फ्लाइंग क्लब,				
राजस्थान 11.8.1961				
नागपुर फ्लाइंग क्लब (महाराष्ट्र) 1948	5	शून्य	शून्य	शून्य
नार्दन इण्डिया फलाइंग क्लब,				
जालंधर कैन्ट, (पंजाब)	4	शून्य	शून्य	शून्य
असाम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी	3	शून्य	शून्य	शून्य
असाम मई , 1958				
उड़ान रिसर्च एण्ड फलाइंग	4	शून्य	शून्य	शून्य
संस्थान इन्दौर (मध्य प्रदेश) (1.10.1990)				
बंगलोर एरोनाटिक्स एण्ड तकनीकी				
सेवाएं (कर्नाटक) (12.1.94)	3	शून्य	शून्य	शून्य
अहमदाबाद एविएशन अकादमी, गुजरात	3	शून्य	शून्य	शून्य
1.5.1994				
ओरिएण्ट फ्लाइट स्कूल, मद्रास	6	शून्य	शून्य	शून्य
26.12.1994				
ग्लाइडिंग क्लब				
अहमदबाद ग्लाइडिंग एण्ड फलाइंग क्लब	3	0.93	0.85	1.08
गुजरात 19.12.1961				
बिडला ग्लाइडिंग क्लब, पिलानी	3	1.02	1.03	0.33
राजस्थान				
दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब, दिल्ली	शून्य	2.99	3.06	2.66
ग्लाइडिंग एण्ड सारिंग सेन्टर, आई.आई.टी.	4	1.27	1.06	0.51

1	2	3	4	5
कानपुर, यूपी. (27.11.1968)				
दिओलांली ग्लाइडिंग क्लब, नासिक (महाराष्ट्र) (10.08.1962)	5	2.78	3.12	3.22
पिंजौर एविएशन क्लब (हरियाणा)	4	6.63	6.10	3.46
जमशेदपुर ग्लाइडिंग क्लब (बिहार) 1988	3	0.74	1.88	1.70
बिहार फ्लाइंग संस्थान, ग्लाइडिंग विंग रांची 1996	3	शून्य	शून्य	शून्य
राजकीय ग्लाइडिंग सेंटर पुणे महाराष्ट्र	13	शून्य	शून्य	शून्य
लुधियाना एविएशन क्लब ग्लाइडिंग विंग पंजाब 1.3.1977	2	2.15	1.04	1.34

ऋणों को बट्टे खाते डालना

1014. चन्द्रशेखर मूर्ति क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से उन्हें दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

भारतीय युनिट ट्रस्ट का निरीक्षण

1015. **श्री राम नाईक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने भारतीय युनिट ट्रस्ट के कार्यों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हरिभक्ति एण्ड कम्पनी द्वारा सरकार को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां। सेबी के अनुरोध पर एक चार्टर्ड लेखाकार फर्म मैसर्स हरीभक्ति एंड कम्पनी द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की छः स्कीमों का निरीक्षण किया गया था।

(ख) 1 जुलाई, 1994 से भारतीय युनिट ट्रस्ट को सेबी की विनियामक सीमा के अन्तर्गत लाया गया है। सेबी द्वारा इस निरीक्षण का आदेश विनियामक उपबंध के अन्तर्गत दिया गया था जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्कीमों का सेबी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ग) मैसर्स हरीभक्ति एंड कम्पनी की निरीक्षण रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत कर दी गई है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ इस निरीक्षण रिपोर्ट में परिसम्पत्ति प्रबन्धन कार्यों और न्यास कार्यों के बीच समुचित पृथक्करण की कमी, म्यूचुअल फंडों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाण पत्रों तथा लाभांश वारंटों के प्रेषण में देरी के बारे में बताया गया है।

(ङ) रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सेबी और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।

म्यूचुअल फंड द्वारा जुटायी गई धनराशि

1016. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 में उदारीकरण को शुरु करने के बाद पूंजी बाजार में विभिन्न म्यूचुअल फंडों द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) प्रत्येक म्यूचुअल फंड द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की गयी और प्रत्येक मामले में कुल कितने निवेशकर्ता हैं;

(ग) क्या इन मयुचूअल फंडों में निवेश की गई धनराशि में 10 से 55 प्रतिशत के बीच हुई कमी के कारण लघु निवेशकर्ताओं को भारी घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड़) 31 दिसम्बर, 1995 को प्रत्येक म्यूचुअल फंड का निवल परिसम्पत्ति मूल्य (एस ए वी) कितना-कितना था; और

(च) सरकार द्वारा म्यूचुअल फंड़ों के निवेशकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) सेबी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से लेकर आज तक विभिन्न म्यूचुअल फंडों (यूटीआई सहित) द्वारा उगाही गई राशि लगभग 55,960 करोड रुपए है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). नियत कालिक निधियों को स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाता है और प्रायः इन स्कीमों को उनके निवल परिसंपत्ति मूल्यों के बट्टे पर उद्धृत किया जाता है। सेबी के अनुसार 48 सूचीबद्ध स्कीमों का औसत बट्टा, 20-25 प्रतिशत के बीच रहता है। अन्य कारकों के साथ ये बट्टे स्टाक बाजार में अपूर्णताः निवेशक की प्रत्याशाओं और निवेशक की नकदी की आवश्यकताओं के कारण किए जाते हैं।

(ड़) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) म्यूचुअल फण्ड द्वारा सेबी (म्युचुअल) विनियम 1993 के अंतर्गत विनियमित किए जाते हैं। सेबी आवधिक रूप से म्यूचुअल फण्डों का निरीक्षण करती रही है और उल्लधनों, यदि कोई हों के लिए उपचारात्मक कार्यवाई करती रही है। यह सुनिश्चित किए जाने के विचार में कि म्यूचुअल फण्ड स्वस्थ लीकों पर विकसित हों तथा अपनी पूरी संभाव्यता का उपयोग कर सकें, सेबी ने विद्यमान विनियमों का व्यापक पुनरीक्षण भी शुरु किया है।

विदेशी ऋण

1017. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 को देश पर कितने डालर और रुपये का विदेशी ऋण था और 31 मार्च, 1996 को यह अनुमानतः कितना होगा;

(ख) 1995-96 के दौरान विदेशी ऋण पर मूलधन सहित सेवा शुल्क के रूप में अनुमानतः कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) 1995-96 के राजस्व बजट अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद, अप्रत्यक्ष प्राप्तियों सहित इस वर्ष निर्यात से होने वाली शुद्ध आय तथा विदेशी ऋण के रूप में प्राप्त अनुमानित समग्र विदेशी मुद्रा के अनुपात में यह कितना था;

(घ) क्या कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों और अग्रणी अर्थशास्त्रियों ने भारत को ऋण चक्र में फंसने के विरूद्ध चेतावनी दी है; और

(ड़) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) दिनांक 31.3.95 को बकाया विदेशी ऋण 311792 करोड़ रुपए था अमरीकी डालर के रूप में यह 99.04 बिलियन था। नवीनतम अनुमान के अनुसार, दिनांक 30.9.95 को विदेशी ऋण 318319 करोड़ रुपए था। अमरीकी डालर के रूप में, यह 93.84 बिलियन था।

(ख) से (ड़). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निजी क्षेत्र के बैंकों की जमा धनराशि में वृद्धि

1018. श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक गत दो वर्षों के दौरान जमाओं में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज करने में सफल रहे हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक उक्त अवधि के दौरान जमाओं में अपेक्षित स्तर तक वृद्धि दर्ज करने में सफल नहीं रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों में 1993-94 के दौरान 13 प्रतिशत और 1994-95 के दौरान 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) कुल मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों में हुई वृद्धि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों में हुई वृद्धि में काफी अधिक है। भौगोलिक विस्तार, परिचालन आधार, सामाजिक बाध्यताओं आदि जैसे विभिन्न कारणों से , सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की तुलना गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ पूर्णरूपेण नहीं की जा सकती है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की भारतीय रिर्जव बैंक/भारत सरकार द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है और वार्षिक कार्यनिष्पादन की बाध्यताओं के संबंध में समझौता ज्ञापनों सहित विभिन्न उपाय पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान के कृत्य

1019. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान का जैव प्रौद्योगिकी डिवीजन कब से अस्तित्व में आया;

(ख) आज की तारीख तक इस डिवीजन के लिए कुल कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या यह डिवीजन रबर उत्पादकों को विशिष्ट रोपण सामग्री उत्पादित तथा वितरित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त डिवीजन द्वारा प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) किसानों को अब तक वितरित की गई रोपण सामग्री की राज्य-वार संख्या क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए प्रथम प्रयोगशाला सन् 1985 में स्थापित की गयी थी।

(ख) जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी इन प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए आज तक जो कुल खर्च आया हैं, वह है 176.24 लाख रुपए जिसमें प्रयोगशाला भवन के निर्माण का खर्चा भी शामिल है।

(ग) से (ङ). इस प्रभाग ने शूट-टिप कल्चर से पौधे तैयार करने के लिए एक संलेख तैयार किया है और टीशु कल्चर से उगाए गए पौधों के क्षेत्रीय परीक्षण शुरु कर दिए गए हैं। चूंकि टीशू कल्चर से उगाए गए पौधों का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए इस किस्म की पौध-सामग्री कृषकों में वितरित नहीं कि गयी है।

उड़ीसा में वस्त्र मिलें

1020. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कार्यरत वस्त्र कताई मिलों की क्या संख्या है;

(ख) इनमें से कितनी वस्त्र कताई मिलें केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से स्थापित की गई हैं;

(ग) राज्य में कितनी रुग्ण वस्त्र मिले कार्यरत हैं; और

(घ) इन मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) 31-1-96 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 14 सूती/मानव निर्माताफाइबर वस्त्र मिलें (13 कताई मिलें, 1 मिश्रित मिल) थी। इनमे से केवल एक कताई मिल ही 31-12-1995 की स्थिति के अनुसार बन्द बताई गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार वस्त्र कताई मिलों की स्थापना करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, उद्यमी वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं।

(ग) 30-6-95 की स्थिति के अनुसार आई एफ आर के पास 4 मिले पंजीकृत थी।

(घ) सरकार ने रुग्ण ओद्यौगिक कम्पनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके पुनरुद्धार के लिए यथा उपयुक्त योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हे स्वीकार करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) की स्थापना की है।

पुरानी/नई विदेशी प्रमोटर पूंजी

1021. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पुरानी विदेशी प्रमोटर पूंजी और नई विदेशी संवर्धक पूंजी के बीच अंतर निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अंतरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी प्रमोटर पूंजी के परिप्रेक्ष्य में नये अंतर को लागू किये जाने के लिए किस वर्ष को अंतिम वर्ष माना गया है; और

(घ) इस नयी नीति का प्रचार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्यटन

1022. श्री एन. डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान के लिए पर्यटन उद्योग को विकसित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई हैं; और

(ग) 1996-97 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों के भारत आने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) : देश में पर्यटन का विकास करने के लिए उठाए गए कदमों में पर्यटक सुविधाओं में निजी निवेश को सुगम बनाना और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहायता शामिल है। तथापि, यह मुख्यतया राज्य/संघ राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि अपने संबंधित राज्यों के भीतर पर्यटन उद्योग का विकास करें। जम्मू और कश्मीर सरकार अधिक पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों में होटलों और अतिथि गृहों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन मुहैया करती हैं। स्थानीय युवाओं को भी रोमांचक खेल क्रियाकलापों यथा स्कीइंग, पेराग्लाइडिंग, जल क्रीड़ाओं आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना रोजगार उत्पन्न कर सके। इसके अतिरिक्त लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों का पर्यटक गन्तव्य स्थलों के रूप में संवर्धन किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में , त्रिपुरा, मेघालय और असम से क्षेत्रों की ओर पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की शासन प्रणाली हटा ली गई है। राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

(ग) वर्ष 1996-97 में विदेशी पर्यटकों के आगमन की वृद्धि का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है। तथापि इस संबंध में किसी क्षेत्र/राज्य विशेष के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है।

प्रोमोटर द्वारा स्टाक इन्वेस्ट का दुरूपयोग

1023. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंको ने मूल स्टाक इन्वेस्ट के स्थान पर प्रोमोटरों से स्टाक इन्वेस्ट की फोटों कापियां स्वीकार की हैं और क्या स्टॉक इन्वेस्ट के विनपोषकों ने भी समान संख्या वाले स्टाक इन्वेस्ट की फोटो कापियां एक दूसरे प्रोमोटरों को दी हैं;

(ख) यदि हां, तो किन बैंकों ने स्टाक इन्वेस्ट की फोटो कापियां स्वीकार की तथा वित्तपोषक जिन्होंने उसी स्टाक इन्वेस्ट की समान कापियां एक से अधिक प्रोमोटरों को भेजी उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक कितने इक्विटी पब्लिक इश्यू जारी किए गए और उनमें से कितने इश्युओं की पूरी बिक्री हुई तथा पिछले-तीन वर्षों के दौरान जारी शेयरों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात को एशियाई विकास बैंक ऋण

1024. श्री दिलीपभाई संघाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने गुजरात बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के लिए ऋण प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह ऋण कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). एशियाई विकास बैंक सैद्धांतिक रूप में गुजरात सरकार को राज्य के विद्युत क्षेत्र की पुनः सरचंना से संबंधित अध्ययन करने हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए सहमत हो गया हैं।

एशियाई विकास बैंक से संबंधित ऋण सहायता के संबंध में आगे की कार्यवाई उपर्युक्त तकनीकी सहायता देने से प्राप्त रिर्पोट पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में विलंब

1025. **श्री राम कृपाल यादव :**

श्री के.एम. मैथ्यू :

श्री राम नाईक :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी, 1996 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में हुए विलंब का ब्यौरा क्या है और क्या कारण हैं; और

(ख) उड़ानों में विलंब से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जनवरी , 1996 के दौरान कुल 6390 उड़ानों में से 2693 उड़ानें खराब मौसम हवाई अड्डा प्रतिबंधों, तकनीकी खराबियों इत्यादि के कारण, विलम्बित हुई अथवा रद्द करनी पड़ी थी। फरवरी, 1996 माह के लिए आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

(ख) विलम्बित उड़ानों के सभी मामलों की जांच की जाती है और आवश्यक होने पर उपचारी कार्यवाई की जाती है।

श्रम शक्ति की हानि

1026. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में श्रमिकों एवं सभी नागरिकों के लिए प्रतिदिन एवं वार्षिक आधार पर श्रम दिवस उपलब्ध कराये जाने और साथ ही रोजगार के अवसरों से वंचित श्रमिकों एवं नागरिकों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और इस संबंध में आंकड़े जुटाये गये हैं;

(ख) क्या बेरोजगारी के कारण श्रम दिवसों की प्रतिदिन एवं वार्षिक हानियों के संबंध में कोई आंकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). रोजगार एवं बेरोजगारी पर व्यापाक सर्वेक्षण, संकल्पनाओं जिनका नाम है (1) सामान्य प्रमुख स्थिति (2) तात्कालिक स्थिति और (3) तात्कालिक प्रतिदिन स्थिति का प्रयोग करते हुए पांच वर्ष में एक बार आयोजित किये जाते हैं। एक व्यक्ति तब सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगार माना जाता है जबकि वह एक वर्ष की संदर्भ अवधि के दौरान काफी समय के लिए काम न कर रहा/रही हो लेकिन काम तलाश रहा/रही हो या काम के लिए उपलब्ध हो । संदर्भ अवधि के रूप में एक सप्ताह के आधार पर एक व्यक्ति तात्कालिक साप्ताहिक स्थिति द्वारा तब बेरोजगार माना जाता है जबकि उसने एक सप्ताह के दौरान एक घंटे भी काम न किया हो लेकिन काम तलाश रहा/रही हो या काम के लिए उपलब्ध हो। बेरोजगारी के कुल श्रम दिवसों अर्थात सप्ताह के दौरान श्रम शक्ति में सभी व्यक्तियों के सभी बेरोजगार दिवसों के योग के अनुसार तात्कालिक प्रतिदिन स्थिति बेरोजगारों का एक आंकलन है।

सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर को संदर्भगत वर्ष के दौरान दीर्घकालिक बेरोजगारी के मापन के रूप में माना जा सकता हैं तात्कालिक प्रतिदिन स्थिति बेरोजगारी का व्यापक मापना है जिसमें दीर्घकालिक बेरोजगारी और प्रतिदिन आधार पर अल्प बेरोजगारी दोनों शामिल हैं।

1987-88 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित अद्यतन व्यापक सर्वेक्षण (43 वें चक्र) जिनके परिणाम उपलब्ध हैं के आधार पर आंकलित बेरोजगारी दरें सामान्य मुख्य स्थिति के अनुसार 3.77 प्रतिशत तात्कालिक प्रतिदिन के अनुसार 6.09 प्रतिशत हैं।

[अनुवाद]

परिधानों का निर्यात

1027. **श्री रवि राय :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 में भारत से परिधानों के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन, बंगलादेश, वियतनाम एवं श्रीलंका जैसे देश भारत के बल पर मूल्यों की दृष्टि से सफल साबित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1994 के निर्यात की तुलना में वर्ष 1995 के दौरान परिधानों के निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों के रूप में अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लंबित मामले

1028. डा. परशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सीमा शुल्क और आयकर संबंधी न्यायाधिकारणों में 1 जनवरी, 1996 तक लम्बित मामलों की संख्या कितनी थी;

(ख) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 1 जनवरी , 1996 की स्थिति के अनुसार इन अधिकरणों में बकाया मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

(1) सीमा शुल्क एंव उत्पाद शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण (सीगैट) के पास बकाया मामले___ 50,256.

(2) आयकर अपील अधिकरण के पास बकाया मामले (आ0अ0अ0)___ 2,94,543.

(ख) मामलों के निपटान में विलम्ब के मुख्य कारण मामलों की अधिकता और सदस्यों के पदों की रिक्तियां हैं।

(ग) सीगैट में न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं।

जहां तक आयकर अपील अधिकरण का सम्बन्ध है, अधिकरण में रिक्त पदों को भरने के लिए किए गए उपायों के अतिरिक्त सदस्यों को ऐसे स्थानों पर दौरे के लिए भेज जाता है जहां ज्यादा मामले बकाया हैं अथवा जहां नियमित पीठ कार्य नहीं कर रही है। शीघ्र निपटान हेतु समान मुद्दों वाली अपीलों की सुनवाई के लिए समूहबद्ध करना, पहले दिए गए फैसलों के अन्तर्गत आने वाले की छंटनी करना और बकाया मामलों के शीघ्र निपटान के लिए किए गए कुछ अन्य उपायों में विभिन्न स्थानों पर कोर्ट कैम्प लगाना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जमा प्रणाली

1029. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा शेयर जारी करके एकत्र की गई धनराशि के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रक्रिया बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह योजना सहज रूप से कार्य कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ड़) क्या सरकार केंद्रीय जमा प्रणाली लागू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं; और

(च) यदि हां तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). जब कम्पनियां पब्लिक/राइटस इश्यू लेकर बाजार मे आती है तब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) उनसे प्रकटीकरण की अपेक्षा करता हैं। प्रकटीकरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धातों में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि जिस परियोजना के लिए धनराशि जुटाई जा रही है। उनका उल्लेख प्रस्ताव प्रलेख में किया जाना चाहिए। यदि 500 करोड़ रुपए धनराशि का ऋण प्राप्त किया जा रहा है तो निर्गमकर्ता को एक ऐसी वित्तीय संस्था का नाम बताना पड़ता है जो अधिप्राप्तियों के उपयोग का अनुवीक्षण करेगी।

सेबी की सलाह पर स्टाक बाजारों ने अपने सूचीकरण करारों में एक नयी धारा 43 जोड़ी है जिसके अनुसार कम्पनियां वार्षिक आधार पर धनराशियों के परिलक्षित उपयोग और/अथवा उनके द्वारा अपने विवरण-पत्र अथवा प्रस्ताव पत्र में दिए गए परिलक्षित लाभप्रदता विवरण तथा धनराशि के वास्तविक उपयोग और/अथवा वास्तविक लाभप्रदता के बीच अन्तर को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करेगी। सेबी की सलाह पर, स्टाक बाजार से भी अपने सूचीकरण करारों में संशोधन किया है जिसके अनुसार कम्पनियां अपनी वार्षिक रिपोटों में नकद प्रवाह विवरणियां देंगी जिसमें जनता से प्राप्त की गई धनराशि के उपयोग का उल्लेख किया जाएगा।

(ग) और (घ). वर्तमान प्रणाली सहज रूप से कार्य कर रही है और वह सेबी के अवलोकनाधीन है। मार्गदर्शी सिद्धातों में संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है और आवश्यकता पड़ने पर सेबी उपयुक्त कार्यवाई कर सकती है।

(ड़) और (च). सरकार ने निक्षेपागारों की स्थापना के लिए एक विधि सम्मत ढांचा प्रदान करने के लिए निक्षेपगार अध्यादेश लागू किया है ताकि वही प्रविष्टि के माध्यम से प्रतिभूतियों और उनके स्वामित्व के अन्तरण का रिकार्ड रखा जा सके। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करते हुए निक्षेपागार विधेयक, 1995 लोक सभा द्वारा संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था। इस समय निक्षेपागार विधेयक राज्य सभा के विचारार्थ लम्बित है।

अर्थव्यवस्था में मंदी

1030. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री के. एम. मैथ्यू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात में अवगत है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी मंदी के कारणों का पता लगाकर अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु निवारात्मक उपाय किये गये है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी ऋण

1031. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या **वित्त मंत्री** 26 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 721 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और इनके अंतर्गत सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सभी विदेशी एजेंसियों और अन्य देशों से कुल कितना विदेशी ऋण लिया गया; और

(ख) 31 मार्च, 1995 तक केन्द्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के पास उनसे से कितना विदेशी ऋण उपयुक्त पड़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा सरकारी खाते के अधीन सभी विदेशी ऋण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऋण आयात सहायता के लिए भी दिए जाते हैं। दिनांक 31.3.95 के अनुसार सरकारी खाते पर ली गई कुल धनराशि 135188 करोड़ रुपए थी। इसमें सरकारी खाते से बाहर के सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं दिनांक 31.3.95 को सरकारी खाने में अवतरित शेष राशि 50086 करोड़ रुपए थी।

घटिया वस्तुओं का निर्यात

1032. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष कुछ निर्यातकों को घटिया माल का निर्यात करते हुये पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात से पूर्व उनके माल को जांच किस प्रकार की जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने घटिया माल का निर्यात करने वाले निर्यातकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्)

(क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) निर्यात से पूर्व माल की जांच सीमा शुल्क अधिनियम तथा निर्यात (गुणवत्ता नियन्त्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाती चूंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी निर्यात खेप होती हैं, जिन्हें बिना किसी रोक के क्लीयर करना होता है, इसलिए माल की वास्तविक जांच केवल चुनिंदा आधार पर ही व्यवहार्य है।

(घ) और (ङ) उप-मानक वस्तुओं के निर्यातकों के खिलाफ कार्यवाई एक सतत् प्रक्रिया है। जहां यह सिद्ध हो जाता है कि उप-मानक स्तर के माल का निर्यात किया गया है, उन मामलों में कठोर दण्ड दिया जाएगा।

विवरण

वह वर्ष जब रिपोर्ट मिली	वे मामले जिनमें प्रर्वतन कार्यवाई प्राधिकृत पाई गई	कालम 1 में उल्लिखित मामलों के बारे कृत कार्यवाई का स्वरूप

(1)		(2)			
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
		निर्यात करने/ निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया	वित्तीय दंड लगाया गया	आई. एण्ड ई. कोड नं0. के बारे में कार्यवाई	छोड़ दिया गया
1992-93	11	6	-	-	3
1993-94	16	4	3	1	5
1994-95		2	3	4	2
1995-96		-	1	1	1
(फरवरी, 96 तक)					

चीनी का निर्यात

1033. **श्री पृथ्वीराज डा. चव्हाण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हाल ही मे घोषित "प्रोडक्ट्स 15 डेस्टीनेशन इनीशिएटिव" योजना में गन्ने को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वाणिज्य मंत्रालय ने मौजूदा 15 अग्रणी उत्पादों/समूहों और पन्द्रह देशों के तथा 109 उभरने बाजारों और उत्पादों को अभिज्ञात किया है, और मध्यमावधि की निर्यात कार्य योजना के लिए उन पर विशेष निर्यात प्रयास केन्द्रित करने का निर्णय लिया है।

(घ) सरकार की यह नीति है कि वह आम उपयोग की किसी भी मद को घरेलू जरूरतों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही निर्यात की अनुमति देती है । तथापि चीनी को निर्यात संवर्धन के लिए 34 अत्यधिक महत्वपूर्ण मदों में से एक मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है। सरकार ने चालू चीनी वर्ष (1995-96 अक्टू-सितम्बर) के दौरान , 30-9-1995 को समाप्त चीनी वर्ष 19094-95 के दौरान प्राधिकृत समरूप मात्रा के अतिरिक्त, 5 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

महिलाओं का औद्योगिक प्रशिक्षण

1034. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान अब तक दी गई सहायता का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). श्रम मंत्रालय द्वारा एक विश्व बैंक सहायता परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमे गुजरात सहित 28 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भाग ले रहे हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाने के लिए देश में दो स्कीमें, जिनका नाम है "नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/महिला विंग की स्थापना" और "विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंग में नये व्यवसायों का प्रारम्भ" क्रियान्वित की जा रही हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुजरात को दी गई सहायता का संस्थान वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

"महिलाओं के लिए नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों की स्थापना" स्कीम 15 राज्यों में 100 नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए बनाई गई है, जिसमे से 89 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने अब तक काम करना शुरु कर दिया है।"विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरु किये जाने का प्रस्ताव है और अब तक 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्कीम का परिचालन हो चुका हैं राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण -2 में दशाई गई है।

विवरण-I

नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/महिला औद्योगिक संस्थानों में नए व्यवसायों हेतु गुजरात को प्रदान की गई सहायता

(क) योजना का नाम : नए महिला औ. प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों की स्थापना

(रु० लाख में)

	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
	उत्तरसंद (जिला खेड़ा)	4.732	0.353	1.700
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
	भावनगर (जिला भावनगर)	3.095	3.002	1.800
3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
	भिल्लीमोरा (जिला वलसाड़)	5.045	0.540	2.050
4.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
	विसनगर (जिला मेहसाना)	2.414	0.770	1.390
	कुल	15.286	4.665	6.949
	(ख) योजना का नामः विद्यमान महिला औ. प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों को आरंभ करना			
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
	राजकोट (जिला राजकोट)	3.076	0.386	0.320
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
	गांधीनगर (जिला गांधीनगर)	3.258	0.517	0.310
	कुल	6.334	0.903	0.630

विवरण–II

नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना संबंधी स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नए महिला औ. प्र. संस्थान		महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय	
		लक्ष्य	आरम्भ किए गए	लक्ष्य	आरम्भ किए गए
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	13	8	8
2.	असम	3	2	2	2
3.	बिहार	8	4	2	2
4.	गुजरात	4	4	2	2
5	हरियाणा	5	2	8	6
6.	हिमाचल प्रदेश	-	-	4	3
7.	कर्नाटक	10	10	4	4
8.	केरल	5	5	3	3
9.	मध्य प्रदेश	10	10	5	5
10.	महाराष्ट्र	9	9	6	6
11.	उड़ीसा	6	3	2	2
12.	पंजाब	5	5	5	5
13.	राजस्थान	4	4	1	1
14.	तमिलनाडु	5	5	-	-
15.	त्रिपुरा	-	-	1	1
16.	उत्तर प्रदेश	9	9	8	7
17.	पश्चिम बंगाल	4	4	2	2
18.	दिल्ली	-	-	1	1
	कुल :	100	89	64	60

काशीनाथ सेठ बैंक की स्थिति

1035. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या काशीनाथ सेठ बैंक लिमिटेड, शाहजहांपुर अब कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) इस बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ). भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि काशीनाथ सेठ बैंक लि. को अब दिनांक 1.1.96 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया है। तथापि, ऋणाकर्ताओं और जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए प्रभावी तारीख 1.2.96 थी। भारतीय रिर्जव बैंक ने सूचित किया है कि यह मामला सी आई डी को सौंप दिया गया है।

(ग) सी आई डी की रिर्पोट प्रतिक्षित है।

[अनुवाद]

वित्तीय कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी

1036. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कम्पनियां उनके पास सावधि जमा रखने पर बैंक से अधिक ब्याज दर देने का विज्ञापन देते हैं और अनेक व्यक्ति अपनी पसीने की कमाई का उनके पास निवेश करते हैं;

(ख) क्या कुछ कम्पनियां निवेशकों को ब्याज की राशि और पूंजी वापस करने में असफल रही हैं और

(ग) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मूलधन और जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान न किए जाने के संबंध में गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) और अवशिष्ट गैर बैंककारी कम्पनियों (आरबीसी) के खिलाफ जमाकर्ताओं /निवेशकों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि वर्तमान नियामक ढाचें के अनुसार, केवल एनबीएफसी, एमएनबीसी और आरएनबीसी की जमाराशियां स्वीकार करने की गतिविधियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तीन सेटों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इन निर्देशों में जमाराशियों की अधिकतम सीमा, जमाराशियों की ब्याज दर, चल परिसंपत्तियों के रखरखाव आदि का निर्धारण किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दोषी कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाई करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत संबंधित कम्पनियों को और आगे जमाराशियाँ स्वीकार करने से मना किया जाता हैं। तथापि, इससे जमाराशियों की वापसी अदायगी और उसके ब्याज के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जमाकर्ता के पास यही उपचार रह जाता है कि वह संविदा को न्यायालय के जरिए प्रवर्तित कराए क्योंकि जमाराशियों की स्वीकृति एक सिविल संविदा है।

[हिन्दी]

चांदी के मूल्य

1037. श्री दत्ता मेघे :

डा. परशुराम गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चांदी के मूल्य में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) सरकार द्वारा देश में चांदी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई दी गई सूचना के अनुसार बम्बई में चांदी के मासिक और मूल्य में वर्ष 1995 के दौरान जब जनवरी, 1995 में यह 6361.04 रुपए प्रति कि. ग्रा. से दिसम्बर, 1995 में 7205.25 रुपए प्रति कि. ग्रा. हो गया था, तब 13.3 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड हुई। जनवरी, 1996 में चांदी का मूल्य दुबारा बढ़ गया। घरेलू बाजार में चांदी के मूल्य का बढ़ता हुआ क्रम फरवरी, 1996 तक जारी रहा तब यह 8486 रुपए प्रति कि. ग्रा. तक पंहुचा यह अपने समय में सबसे अधिक मूल्य था। इसके बाद चांदी का मूल्य शेष महीनों में लगभग लगातार घटा है।

(ख) बाजार स्रोतों के अनुसार न्यूयार्क और लन्दन दोनों बाज़ारों में चांदी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के अवमूल्यन के कारण भी भारत में चांदी के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ग) चांदी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में उदार आयात योजना के अन्तर्गत 100 कि.ग्रा. तक चांदी आयात करने और विशेष आयात लाइसेंस के अन्तर्गत चांदी आयात करने की अनुमति भी शामिल है।

[हिन्दी]

चल (मोबाइल) फोनों की तस्करी

1038. श्रीमती गिरिजा देवी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा देश में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर जब्त किये गये माल से चल फोनों की तस्करी में वृद्धि का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मोबाइल फोन सेवाओं को हाल में आरम्भ करने के बाद ही मोबाइल फोन आने शुरू हुए हैं। अतः अभिग्रहण संबंधी आंकड़ों से तस्करी में वृद्धि होने की प्रवृत्ति का पता नहीं चल सकता है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान 31.1.96 तक अभिग्रहण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(ग) तस्करी-रोधी एजेंसियां मोबाइल फोनों की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने एवं उसे रोकने के लिए सतर्क हैं। इस संबंध में विशेष आसूचना जुटाने के अलावा असबाब एक्सरे मशीनों और धातु खोजियों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का प्रयोग किया जा रहा है।

अभिगृहीत टेलीफोनों की सं.	मामलों की सं. सं	अभिगृहीत मोबाइल टेलीफोनों का मूल्य (लाख रुपयों में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.
1418	45	293.36	13

हिन्दी का प्रयोग

1039. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत किन-किन उपक्रमों से हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अद्यतन तिमाही रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा किन-किन उपक्रमों से यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) वार्षिक कार्यक्रमों का पूरी तरह पालन करने वाले , आंशिक रूप से पालन करने वाले उपक्रमों के अलग-अलग नाम क्या हैं तथा किन-किन उपक्रमों में इनका पालन अब तक प्रारम्भिक चरण में है; और

(ग) वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार इन सभी उपक्रमों में हिन्दी संवर्ग और यांत्रिकी उपकरणों की उपलब्धता, धारा 3 (3) का अनुपालन, धारा 10 (4) तथा 8 (4) के अधीन अधिसूचनाओं को जारी करना का क्रय; पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तक, समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के क्रय की पृथक-पृथक स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) (1) वस्त्र मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम नीचे दिए गए है जिनसे वस्त्र मंत्रालय को 31.12.1995 को समाप्त तिमाही की हिन्दी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं :-

(1) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि.

(2) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

(3) काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लि.

(4) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.

(5) हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन

(6) सेन्ट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन

(7) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम

(8) नेशनल हैंडलूम डेवलेपमेंट कारपोरेशन

(2) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम ने वस्त्र मंत्रालय को यह रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(ख) उपयुक्त भाग (क) में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के सभी नो उपक्रमों में वार्षिक कार्यक्रम को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) वस्त्र मंत्रालय के अधीन समस्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को आंशिक रुप से पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1040. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अथवा भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्ट की जानकारी रखता है;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1996 तक किए गए ओवरड्राफ्ट का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों को अपने स्त्रोतों से संसाधन जुटाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां श्रीमान्।

(ख) किसी राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच लेन-देन उनके पारस्परिक समझौते के अनुसार किया जाता है। चूंकि यह बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार) के पारस्परिक संबंधों का मामला है। अतः ऐसी सूचनाओं को भारत सरकार के द्वारा उजागर नहीं किया जाता है।

हर राज्य के रोकड़ शेष और अधिनिकासी की स्थिति, यदि कोई हो, तो वह दिन पर दिन बदलती रही है अर्थात् असमान रहती है। राज्यों की अधिनिकासी विनियमन योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से तैयार की गई है। जब किसी राज्य की अधिनिकासी में कोई कमी रह जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक तथा यह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक में उसका लेखा सही करने और अधिनिकासी को क्लीयर (बेहाली) करने की मांग करते हैं । वित्तीय रूप से राज्य स्वायत हैं। राज्यों के वित्तीय प्रबन्धन की जिम्मेदारी स्वंय राज्य सरकारों की होती है जिसके लिए वे अपने-अपने विधान मण्डलों के प्रति जवाबदेह होते हैं। राज्यों द्वारा अधिनिकासी संबंधित समस्याओं की स्थिति में अपनी वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए उन्हें अपने संसाधन स्वंय जुटाने होते हैं।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फेशनटेक्नोलोजी

1041. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दन इंडिया इंस्टीटूयूट आफ फैशन टेक्नोलोजी (निफ्ट) मोहाली, पंजाब द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलोजी (निफ्ट), नई दिल्ली के प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह संस्था निफ्ट, दिल्ली से सम्बद्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निफ्ट, मोहाली के कार्यकरण और प्रवेश संबंधी नीति की जांच हेतु एक समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उन अधिकरियों के विरुद्ध, जिनके सहयोग से मोहली स्थित फैशन टेक्नेनलोजी इंस्टीट्यूट, निफ्ट के प्रतीक चिह्न का उपयोग कर रहा है, क्या कार्यवाही करने का है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) नार्दन इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नॉलाजी द्वारा प्रयोग किया जा रहा प्रतीक चिह्न नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालॉजी नई दिल्ली के जैसा नहीं है अपितु यह भिन्न है।

(ख) और (ग). यह इंस्टटीयूट, निफ्ट, नई दिल्ली के सहयोग से इस शर्त पर चलाया जा रहा है कि अति नियमनिष्ठ गुणावगुणों के आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी मामलों सहित शैक्षणिक मामलों में अन्तिम प्राधिकरण होना।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैकयार्न का उत्पादन करने वाली राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

1042. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी एनटीसी मिलों में हैकयार्न का उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से हैंक यार्न के उत्पादन के लिए कुछ एनटीसी मिलों का चयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एन. टी. सी. की 23 मिलें हैंक यार्न का उत्पादन कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात पर आयकर

1043. **श्री अन्ना जोशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्तुओं के निर्यात से होने वाली आय और "टर्न-की प्रोजैक्टस्" के निर्यात से होने वाली आय पर लिये जाने वाले आयकर में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। माल का निर्यात करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जज के उपबंधों के अनुसार कटौती की अनुमति दी गई है जबकि भारत से बाहर स्थित परियोजना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जजख के अंतर्गत कटौती करने की अनुमति दी गई है।

(ख) सामग्री निर्यात के मामले में, निर्यात लाभ के 100 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी गई है। परन्तु, परियोजना निर्यात से प्राप्त किये गये लाभों के मामले में केवल 50 प्रतिशत की कटौती करने की अनुमति हैं। परियोजना निर्यातों से मिलने वाले अधिक लाभों की तुलना में सामग्री निर्यातों में कम लाभ के कारण कटौती के भिन्न प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

सरकारी उपक्रमों के शेयरों का अनिवासी भारतीय को विनिवेश

1044. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी उपक्रमों के कुल कितनी राशि के शेयरों का विनिवेश किये जाने की योजना है तथा अब तक कितना विनिवेश किया जा चुका है;

(ख) क्या सरकार का सरकारी उपक्रमों के विनिवेश को अनिवासी भारतीयों के लिए खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) 1995-96 के बजट में सरकारी के उपक्रमों में सरकारी शेयरों के विनिवेश के जरिए 7,000 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। लेकिन, बाजार में मंदी की स्थिति के कारण, चालू वर्ष में अब तक विनिवेश के जरिए केवल 356 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि ही जुटाई जा सकी है।

(ख) और (ग). अनिवासी भारतीयों को अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुए, सरकारी धारिताओं से पेशकश किए हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को खरीदने की अनुमति है :

(1) अनिवासी भारतीय अथवा समुद्रपारीय कार्पोरेट निकाय के पास शेयरों की धारिता कभी भी सरकारी क्षेत्र के संबंधित उद्यम की प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(2) खरीद का प्रतिफल/बोली से प्राप्त धन विदेशों से भेजे गए धन के रूप में प्राप्त होता है जो सामान्य बैंकिंग माध्यम अथवा भारत में विदेशी मुद्रा का लेन-दने करने के लिए प्राधिकृत बैंकों में या भारत में प्राधिकृत सहकारी/वाणिज्यिक बैंकों में निवेशक के एन आर ई/एफसीएनआर खातों में धनराशि के अंतरण के जरिए होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

1045. **श्री के. मुरलीधरन** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि रबड निगरानी मानीटरी ग्रुप समूह ने 40,000 टन प्राकृतिक रबड़ के आयात की सिद्धान्त रूप में अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से रबड़ का आयात किए जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा रबड़ उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (छ). रबड़ मानीटरिंग ग्रुप (आर एम जी) ने, 31-1-96

को हुई अपनी बैठक में, 1996-97 में रबड़ बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों तथा केरल सरकार सहित जिसने पहले रबड के आयात के विरुद्ध संघ सरकार को अभ्यावेदन दिया था और घरेलू बाजार में 40,000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर का मूल्यांकन किया था यह भी निर्णय लिया गया कि मार्च , 1996 के अंत तक इस मूल्यांकन की समीक्षा की जाएगी। वर्ष 1996-97 के दौरान अपेक्षित आयात की कुल मात्रा के संबंध में रबड़ मानीटरिंग ग्रुप (आर. एम. जी) द्वारा अंतिम सिफारिश समीक्षा करने के बाद मार्च, 1996 में की जाएगी।

चालू वर्ष के दौरान घरेलू आपूर्ति की तुलना में सूचित की गई अधिक मांग को देखते हुए , उपयुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए सरकार ने 31.8.95 तक 38.450 मी. टन प्राकृतिक रबड़ के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी। 1995-96 में और कोई परमिट जारी नहीं किए गए हैं। सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ के आयात के संबंध में निर्णय मांग-आपूर्ति के अंतर, घरेलू उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतें तथा उपजकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के बाद लिए जाते हैं।

बंधुआ बाल श्रमिक

1046. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर गुजरात में, 14 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन बंधुआ बाल श्रमिकों को मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, मुक्त कराये गये तथा पुनर्वास किये गये बंधुआ बाल मजदूरों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खाड़ी देशों में भारतीय औषधियों के विक्रय पर रोक लगाना

1047. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां खाड़ी देशों में भारत मे निर्मित औषधियों के विक्रय पर रोक लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

ए. पी. ई. डी. ए. का कार्यकरण

1048. डा. वसंत पवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कृषि एवं संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) के कार्यकरण की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ए.पी.ई.डी.ए. द्वारा गत दो वर्षों में कुल कितने मूल्य का प्रतिवर्ष निर्यात किया गया;

(घ) क्या चालू वर्ष में किसी नए उत्पाद को विकसित एवं उसका निर्यात किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिजय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). ए पी ई डी के कार्य की प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है। इस मंत्रालय के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक ने इसके कार्यभार का भी आकलन किया है।

(ग) एपीडा एक संवर्धनात्मक निकाय है जिसे इसकी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्धन का कार्य सौंपा गया है। यह किसी भी उत्पाद के सीधे विपणन का कार्य नहीं करता है एपीडा अधिनियम , 1985 की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यातों का कुल मूल्य वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान क्रमशः 1753 करोड़ रु. तथा 2037 रु. था।

(घ) और (ङ). कट फ्लावर, लीची, स्ट्राबेरी , खीरा, तथा बंगनपल्ली, तोतापुरी, चौसा और अन्य प्रकार के गैर-अलफोंसो आम ऐसे कुछ उत्पाद है जिनका चालू वर्ष के दौरान निर्यात के लिए विकास किया जा रहा है।

विमानों की बिक्री

1049. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया को कुछ बोईंग विमानों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो संभावित क्रेताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के दो बी 737-200 विमानों के विक्रय का अनुमोदन कर दिया है। विश्वव्यापी निविदाओं के तहत प्राप्त बोलियों के आधार पर, इंडियन एयरलाइंस ने दो विमानों को मेसर्स ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड को बेच दिया है। दो अन्य विमानों की बिक्री को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिनके लिए नवंबर, 1995 में विश्वव्यापी निविदा जारी की है, जिसमें दो और विमानों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की गयी है और जिसकी अंतिम तिथि 7 मार्च, 1996 हैं।

निदेशक मंडल के अनुमोदन से , एयर इंडिया ने दो बी 747-200 विमानों को बेचने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की हैं। अभी तक दो बोलियां ही प्राप्त हुई हैं।

छोटे करेंसी नोट

1050. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक रुपए एवं पांच रुपए के गंदे करेंसी नोट प्रचलन में हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे सभी करेंसी नोटों को वापस लेने और उसके बदले गए सीरीज के करेंसी नोट जारी करने का है;

(ग) क्या वाणिज्यिक बैंक छोटे करेंसी नोट उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करने का निर्देश देते हैं;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि शहरों में 50 पैसे, एक रुपए एवं दो रुपए के सिक्कों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को छोटे करेंसी नोट एवं सिक्कों को मांग पर उपलब्ध कराना राष्ट्रीयकृत बैंको के लिए अनिवार्य करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). एक रुपए के नोट की औसत अवधि छः महीने होती है । इसकी तुलना में सिक्कों की जीवन अवधि लगभग 15-20 वर्ष होती है उक्त मूल्य वर्गों का सिक्काकरण किया गया है और इस प्रकार निर्मुक्त क्षमता को उच्च मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए , जो नोट पहले से प्रचालन में हैं, उनकी गुणवत्ता खराब हो गई हो सकती है। एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए के नोटों को, इन नोटों के गंदे हो जाने की स्थिति के अतिरिक्त, वापिस लिए जाने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट वापिसी नियम, 1975 के अंतर्गत, मुद्रा तिजोरी रखने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को आम जनता से खराब और कटे-फटे नोट बदलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) और (ङ). पचास पैसे और एक रूपए के सिक्कों के उत्पादन में अस्थायी तौर पर कमी आई हैं किंतु दो रुपए और पांच रुपए के सिक्के इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। मुद्रा की अपूर्ति का काम भ. रि. बैंक द्वारा आने 17 निर्गम कार्यालयों , एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की 4108 मुद्रा तिजोरी वाली शाखाओं के नेटवर्क और 3313 लघु सिक्का डिपो जो अपने ग्राहकों को नोट व सिक्कों की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा बाध्य भी हैं के जरिए किया जाता है।

औषधियों पर सीमा शुल्क

1051. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क के विभिन्न दरों के अन्तर्गत विभिन्न औषधियों और मध्यस्तरीय औषधियों (इन्टरमीडीयट ड्रग्स) के वर्गीकरण हेतु क्या दिशा निर्देश हैं;

(ख) क्या सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्गीकृत औषधियों के थोक में निर्माण करने हेतु प्रयुक्त होने वाले सभी "इन्टरमीडीयट ड्रग्स" को कोई छूट प्रदान की गयी है; और

(ग) इस संबंध में उत्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्वतंत्र "इन्टरमीडियट ड्रग्स" पर लगने वाले सीमा शुल्क में विसंगति का क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). औषधियों और औषध मध्यवर्तियों के संबंध में सीमा शुल्क ढांचे और दरों (रियायती दरों सहित) को सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है जिनमें उनकी अत्यावश्यकता, घरेलू उपलब्धता, मूल्य और घरेलू उद्योग का हित आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपयोग के लिए बल्क औषधियों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सभी औषध मध्यवर्तियों के लिए अलग से सीमा शुल्क की रियायती दरें निर्धारित नहीं की गई हैं।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

1052. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

संगमरमर और ग्रेनाइट की खानों में कार्यरत श्रमिकों को रोजगार

1053. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगमरमर और ग्रेनाइट खानों के बंद होने के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन श्रमिकों को अन्यत्र वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार , कर्नाटक स्थित ग्रेनाइट खानों की बन्दी के कारण 2500 श्रमिक प्रभावित हुए थे और राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थिति संगमरमर खानों को बन्दी से 220 श्रमिक प्रभावित हुये थे।

(ख) दोनों मामले उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। राजस्थान की संगमरमर खानों के मामले में, नियोजकों ने राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टी रद्द किए जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय लोगों को बैंक ऋण

1054. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीकृत बैंक आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय लोगों को ऋण देने के मामले में उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीकृत बैंकों को जनजातीय लोगों का पर्याप्त वित्तपोषण करने हेतु जारी किये गये नवीनतम दिशानिर्देश क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) आंध्र प्रदेश के संयोजक बैंक, आंध्रा बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 30305 हिताधिकारियों को कुल 2063 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए है :-

(1) ऋण आयोजना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋण आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्र विचार किया जाना चाहिए।

(3) गहन ऋण के लिये गांवों को अपनाते समय अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय की अधिक जनसंख्या वाले गांवों को विशेष रूप से चुना जाना चाहिए। विकल्पतः उन सम्बद्ध गांवों में विशेष स्थानों को अपनाने पर भी विचार किया जाए। जहां इन समुदायों की संख्या अधिक है;

(4) इन समुदाओं के लिये उपयुक्त बैंकों द्वारा स्वीकार्य योजनाएं तैयार करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिए ;

(5) अ.जा./अ.ज.जा. के उत्थान के लिये राज्य की एजेंसियों द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों में बैकों को भाग लेना चाहिए;

(6) बैंक कर्मचारियों को चाहिए कि वे गरीब उधारकर्ताओं की फार्म भरने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करें ताकि वे बिना किसी देरी के ऋण सुविधा प्राप्त कर सकें।

(7) बैंक कर्मचारियों को अशिक्षित उधारकताओं से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और उन्हें इन योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं और इससे होने वाले लाभों के बारे में बताना चाहिए;

(8) अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्य प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों का हिस्सा है। बैकों को प्राथमिकता क्षेत्र के अपने अग्रिमों के अनुपात को 40 प्रतिशत तक बढ़ाना है और कमजोर

वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिम कुल बैंक ऋणों का 10 प्रतिशत स्तर तक पंहुचना चाहिए।

(9) विभेदी ब्याज दर अग्रिमों का 40 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. को दिया जाना चाहिए।

(10) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवारों में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिशत कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

(11) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

(12) विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को गृह निर्माण के लिए बैंक द्वारा 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 5000/-रु. तक ऋण दिये जाते हैं बशर्ते कि वे डी आर आई योजना के आय-मानदंडों को पूरा करते हों।

(13) बैंकों से कहा गया है कि वे विभिन्न योजनाओं के लिए सरकारी अभिकरण से सहायता सहित न केवल मात्रात्मक पहलू बल्कि गुणात्मक पहलू को भी ध्यान में रखकर प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यवाई करे।

(14) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के ऋण प्रस्ताव बिना वैध कारणों के अस्वीकृत न किए जाएं, बैंकों को सलाह दी गई है कि ऐसे प्रस्तावों के मामले में अस्वीकृति शाखा प्रबंधक के स्तर से न दी जाए बल्कि उच्च स्तर पर दी जानी चाहिए।

(15) अ.जा./अ.ज.जा. को दिये गये ऋण की बैंको के मुख्यालयों द्वारा शाखाओं से प्राप्त विवरणियों और अन्य आंकड़ों के आधार पर आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(16) बैंक, प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम राशि संबंधी तिमाही रिपोर्ट देते हैं, जिससे अ.जा./अ.ज.जा. के ऋणकताओं को दी गई अग्रिम राशियों से संबंधित अलग-अलग आंकडों का भी पता चलता है।

(17) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अ.जा./अ.ज.जा. के लाभग्राहियों को ऋण-प्रवाह की निगरानी के लिये मुख्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करें।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का पुनरोद्धार

1055. **श्री छेदी पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का मामला बीआईएफआर की अंतिम सिफरिश के लिये अभी भी इसके विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्पोरेशन के पुनरोद्धार योजना में तेजी लाने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि. (एचईसी) का मामला उन्हें 30.06.1992 को भेजा गया था और बाइफर ने उसे दिनांक 21.10.1992 को रुग्ण घोषित कर दिया था। मामले की अन्तिम सुनवाई 2.2.1996 को हुई थी, जब बाइफर ने एचईसी और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो परिचालन एजेंसी है, को निर्देश दिया था कि सुनवाई के दौरान हुई चर्चाओं के आलोक में एक पुनर्वास योजना तैयार करें और बाइफर को अपनी रिपोर्ट दें ताकि बाइफर उसके प्रकाशन के लिए उस पर विचार कर सके।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मंजूर की गई ऋण की राशि में कटौती

1056. **श्री मंजय लाल :**

श्री सुकदेव पासवान :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण को बांटे जाने हेतु बैंकों को जारी किये गये दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना को सुचारू रूप से लागू करने को सुनिश्चित करने तथा इसकी देखरेख के लिये कोई तंत्र विकसित किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंक अधिकारियों द्वारा मंजूर की गई राशि में से कटौती करने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मंजूर की गई पूरी राशि देने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) लगभग 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को माइक्रो उद्यमों में दीर्घकालीन रोजागर प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने 2 अक्तूबर, 1993 से शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) शुरू की है। इन उद्यमों में उत्पादन, सेवा और व्यापार संबंधी कार्य शामिल होंगे। पीएमआरवाई योजना का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(1) उन परिवारों के 18 और 35 वर्ष के बीच के वे सभी शिक्षित बेरोजगार युवक, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय

कुल 24000/-रु. से कम हो, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(2) इन सभी शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को माइक्रो उद्यम आरंभ करने के लिए प्रत्येक को 7500/रु. की सीमा के अध्यधीन 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

(3) उन्हें मार्जिन राशि के रूप में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रस्तुत करना होगा।

(4) प्रत्येक उद्यमी एक लाख रुपए की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा और इस ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) जिन उद्यमियों को इस योजना के अंतर्गत चुना जाएगा उन्हें ऋण संवितरित किए जाने से पहले प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(6) मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, आईटीआई उत्तीर्ण युवक और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने कम से कम छः महीने तक सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठयक्रम में भाग लिया है, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन में ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी शामिल किया जाएगा।

(8) इस योजना में अनूसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(9) हिताधिकारी शहरी क्षेत्र का तीन वर्ष तक का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(10) बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 6 से 18 महीने तक के प्रारम्भिक ऋण-स्थगन के पश्चात वापसी-अदायगी का कार्यक्रम 3 से 7 वर्षो का होगा।

(ख) और (ग). जी, हां। योजना की निगरानी करने और इसके सुचारू कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर समितियां गठित की गई है। जिला स्तर पर एक जिला पीएमआरवाई समिति है राज्य स्तर पर पी एम आर वाई समिति है और केन्द्रीय स्तर पर सचिव (एसएसआई और एआरआई) की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है।

पीएमआरवाई के कार्यान्वयन की निरंतर आधार पर प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी कक्ष का गठन किया गया है। अपनी आवधिक बैठकों में यह कक्ष योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं/बाधाओं पर विचार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन संबंधी आवधिक अध्ययन करवाता है, जिसके निष्कर्ष विचार-विमर्श के लिए कक्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे प्रत्येक महीने प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रगति की पुनरीक्षा एवं निगरानी करें तथा अपने निदेशक बोर्डो को प्रस्तुत पुनरीक्षा टिप्पणी की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को भेजें।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में पुनरीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंधित महाप्रबंधक तथा विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

(घ) से (च). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्वीकृत धनराशि से बैंक कर्मचारियों द्वारा कटौती करने के ऐसे मामले से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंकों से आशा की जाती है कि वे ऋणकर्ताओं को स्वीकृत धनराशि का संवितरण करें तथापि, जब भी विशिष्ट प्रकृति की कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें उपयुक्त उपचारात्मक उपाय हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी आर्थिक सहायता का उपयोग

1057. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने के कारण विदेशी आर्थिक सहायता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण प्रभावित हुई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं से संबंधित मंत्रालयों के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं नें, पृथक-पृथक, आर्थिक सहायता की कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(घ) प्रत्येक परियोजना में आवंटित आर्थिक सहायता की कितनी-कितनी धनराशि उपयुक्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जाएगी और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

1058. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूर अधिनियम, 1948 के समुचित कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब हुआ था;

(ग) सरकार द्वारा इस पर आज की तिथि तक कितना खर्च किया गया है;

(घ) इस तंत्र द्वारा कितने मामलों की जांच की गई तथा कितने मामलों में अनियमितताएं पाई गयी है; और

(ङ) ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान, श्रम निरीक्षणों, उन उद्योगों/नियोजनों जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है,. में न्यूनतम मजदूरी सहित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र स्थापित किया गया है। यह देश में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन से संबंधित कुछ कार्यकलाप भी करता है।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक संबंधी तंत्र अप्रैल , 1995 में स्थापित किया गया था।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के कार्यकरण पर 1994-95 के दौरान 6.77 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए, सितम्बर, 1995 तक, 4.21 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(घ) और (ङ). कार्यात्मक दृष्टि से केन्द्रीय औद्योगिक संबंधी तंत्र को 18 प्रदेशों में बांटा गया है। वर्ष 1994 के दौरान किये गये निरीक्षणों, पाई गई अनियमितताओं आदि की संख्या के संबंध में प्रदेश वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	प्रदेश	निरीक्षण	पाई गई अनियमितताएं	सुधारी गई अनियमितताएं	दायर किए गये अभियोजन	सिद्धदोष पाये गये	दोष मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद	265	2247	787	270	32	-
2.	अजमेर	662	8159	15466	556	1582	-
3.	आसनसोल	328	3236	2940	237	204	-
4.	बंगलौर	1213	13592	17780	259	413	7
5.	भुवनेश्वर	657	9085	7194	97	20	-
6.	बम्बई	664	8877	3707	102	36	-
7.	कलकत्ता	417	4853	4202	161	191	-
8.	चंडीगढ़	473	1508	1108	454	220	-
9.	कोचीन	391	4339	2777	164	134	-
10.	दिल्ली	214	2935	1882	303	151	-
11.	धनबाद	937	6873	5891	526	599	-
12.	गुवाहटी	270	3520	3562	82	32	-
13.	हैदराबाद	1127	11784	12174	2973	917	12

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	जबलपुर	945	11875	11575	546	507	-
15.	कानपुर	578	10384	10951	104	80	-
16.	मद्रास	847	9812	7911	259	160	-
17.	नागपुर	552	6955	6345	186	93	-
18.	पटना	306	2985	2521	184	178	-
	कुल	10846	122992	118773	7463	5549	19

[अनुवाद]

सीमा शुल्क की विदेशी मुद्रा विनिमय दर

1059. **श्री जीवन शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारी आयात से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिये अपनी विनिमय दर को विदेशी मुद्रा बाजार में प्रतिदिन होने वाले उतर-चढ़ाव से नहीं जोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). निर्धार्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, किसी महीने के अंत में विदेशी मुद्रा बजार में प्रचलित दरों के आधार पर विनिमय दरों को अधिसूचित किया जाता है। जहां तक विदेशी मुद्रा बाजार में होने वाली घट-बढ़ का संबंध है, उन पर रोजमर्रा के आधार पर निगरानी रखी जाती है और यदि कोई ऐसा भारी परिवर्तन होता है जो लगातार सात कार्य दिवसों से अधिक समय तक बना रहता है, तो दरों को तद्नुसार समायोजित कर दिया जाता है।

विदेशी मुद्रा की दरों में होने वाले परिवर्तनों को रोजमर्रा के आधार पर अधिसूचित करना व्यवहार्य नहीं है। मौजूदा पद्धति को संतोषजनक और उपयोगी समझा गया है।

[हिन्दी]

हथकरघा विकास केन्द्र

1060. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है और इससे कितने बुनकर लाभान्वित हुए?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) कार्यात्मक हथकरघा विकास केन्द्र हथकरघा बुनकरों के लिए समेकित व सम्पूर्ण पैकेज सहायता दे रहे हैं जो आवश्यक निवेश की आपूर्ति जैसे धागा, रंजक व रसायन, विपणन सहायता और खुदरा विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता के रूप में है।

(ग) इस योजना के आरम्भ से अब तक विभिन्न राज्यों को 66.16 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। पूर्ण कार्यात्मक होने पर प्रत्येक केन्द्र कम से कम 250 करघे और लगभग 1000 बुनकरों को शामिल करेगा।

[अनुवाद]

हवाई सुरक्षा संबंधी समिति

1061. **श्री श्रीकांत जेना :**

श्री तारा सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरुलिया में हथियार और गोला बारूद गिराने के लिये

ए. एन. 26 विमान द्वारा भारतीय आकाश में हाल के अतिक्रमण की घटना गंभीरता को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने वर्तमान आकाश क्षेत्र सुरक्षा हेतु इस प्रणाली का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य से किसी समिति का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो समिति का ब्यौरा और स्वरूप क्या है और समिति किन दिशा निर्देशों पर काम करेगे; और

(घ) सरकार का विचार भारतीय आकाश क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के लिए अन्य कदम उठाने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). चार्टर्ड उड़ानों के परमिटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतु सरकार ने गृह मंत्रालय के विशेष सचिव श्री वी. के . जैन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है। समिति की सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सिफारिशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सिफारिशों के अनुसरण में विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थपित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता मे एक अन्तर मंत्रालयीय ऐपेक्स समिति का गठन किया गया है। विमानपत्तनों के स्तर पर भी इसी तरह की समितियों का गठन किया गया है।

वस्त्र मशीनरी का आयात

1062. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** :

श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों के उत्पादन में स्वदेशी वस्त्र मशीनों का कितना योगदान है;

(ख) क्या पिछले अनेक वर्षो से पुरानी वस्त्र मशीनों का बड़े पैमाने पर आयात किया गया है और इसके लिए समय-समय पर अनेक रियायतों की घोषणा की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान कुल कितने मूल्य की वस्त्र मशीनों का आयात किया गया और उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर इसके लिए कितनी रियायतों की घोषणा की गई;

(घ) क्या सरकार का विकसित देशों से पुरानी वस्त्र मशीनों के आयात संबंधी वर्तमान नीति की संवीक्षा का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान स्वदेशी वस्त्र मशीनों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु० में)
1992-93	1014.00
1993-94	1142.55
1994-95	1285.57

(ख) और (ग). पुरानी मशीनों के आयात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि ''हारमोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम के अंतर्गत ''पुरानी मशीनों'' को पृथक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है जिसके आधार पर भारत के विदेश व्यापार संबंधी आंकड़े संकलित किए जाते हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सौराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा

1063. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गुजरात सरकार से कोई व्यापक योजना प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और इसके कार्यान्वयन के लिये वित्तीय सहायता भी मंजूर की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

1064. **श्री मोहन रावले** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यपूंजी, कच्चे माल (कपास) और कुल पुर्जों की

अनुपलब्धता और श्रमिकों को बैठा कर मजदूरी दिये जाने के कारण महाराष्ट्र में विशेषतः मुम्बई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के अनेक विभाग बंद कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ व्यापारी और उद्योगपति राष्ट्रीयकृत और अधिगृहीत मिलों को अपने कपास की आपूर्ति करते हैं और उत्पादित धागे और कपड़े पाकर मुनाफा कमाते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मिलों को कार्य पूंजी न देकर अपने वस्त्र का उत्पादन न कराने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). समग्र एन टी सी ने कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण अपनी कुछ मिलों में आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से क्रिया कलाप बंद कर दिये हैं। यह मुम्बई सहित महाराष्ट्र में स्थित मिलों के बारे में समान रूप से सही है। वर्ष 1994-95 तथा वर्ष 1995-96 के दौरान मुंबई स्थित एन टी सी मिलों में कार्य के बिना दी गई मजदूरियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। एन टी सी कुछ सीमा तक मजदूरियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए योगदान देने की दृष्टि से जांच कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ). सरकार ने एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए एक संशोधित सर्वागींण सुधार योजना बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत की है। जब तक बी आई एफ आर द्वारा संशोधित सर्वागींण सुधार योजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तब तक सरकार एनटी सी के कामगारों को मजदूरियों , वेतन तथा बोनस का भुगतान कर रही है। जैसे ही बी आई एफ आर द्वारा सर्वागीणं सुधार योजना का अनुमोदन कर दिया जाएगा तथा उसे क्रियान्वित किया जाएगा वैसे ही एन टी सी मिलों के पास अपने प्रचालन कार्य के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी प्राप्त होने की संभावना होगी। ऐसी आशा है कि आधुनिकीकरण योजना का वित्त पोषण एन टी सी मिलों की बेशी भूमि तथा परिसंपदाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय से किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1994-95 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1995 के दौरान मुम्बई स्थित एन टी सी मिलों के कामगारों को बिना काम के अदा की गई मजदूरियों के मिल-वार ब्यौरों को दशाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं.	मिल का नाम	1994-95	(लाख रु० में) अप्रैल-दिसम्बर,95
1	2	3	4
1.	अपोलो मिल्स	474.46	374.78
2.	भारत मिल्स	472.75	374.16
3.	दिग्विजय मिल्स	641.06	513.40
4.	जुपीटर मिल्स	432.59	343.02
5.	मुम्बई मिल्स	453.28	358.13
6.	न्यू हिन्द मिल्स	515.74	411.95
7.	एल्फिस्टोन मिल्स	477.21	357.68
8.	फिन्ले मिल्स्	869.31	648.01
9.	गोल्ड मुहर मिल्स	602.58	457.56
10.	जाम मैन्युफैक्चरिंग मिल्स	402.97	323.52

1	2	3	4
11,12&13.	कोहिनूर मिल्स 1,2,3	491.83	348.81
14.	मधुसूदन मिल्स	367.31	292.19
15.	न्यू सिटी मिल्स	711.25	576.19
16.	पोद्दार मिल्स	560.53	460.69
17.	सीताराम मिल्स	266.53	603.18
18.	टाटा मिल्स	798.85	644.74
19.	पोद्दार प्रोसेसर	312.63	254.05
20.	इंडिया युनाइटिड मिल्स नं. 1	834.08	687.70
21.	इंडिया युनाइटिड मिल्स नं. 2	492.37	363.60
22.& 23.	इंडिया युनाइटिड मिल्स नं. 3 व 4	717.57	653.76
24.	इंडिया युनाइटिड मिल्स नं. 5	436.46	349.06
25.	इंडिया युनाइटिड मिल्स नं. (डाई वर्क्स)	326.38	263.09

करघों में लगे बाल श्रमिक

1065. **श्री हरिन पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रमिकों को अनधिकृत रूप से रोजगार में लगाने के लिये करघा मालिकों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) कालीन क्षेत्र में बाल श्रमिकों को नौकरी पर लगाने के लिये कालीन के निर्यातकों के विरुद्ध कितने छापे परे गये; और

(ग) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बैंक बोर्डों में गैर–सरकारी निदेशक

1066. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की बैंकवार सख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उक्त बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बोर्डों के कितने गैर-सरकारी निदेशक अपना सेवाकाल पूरा करने के पश्चात भी पदों पर बने हुए हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नई नियुक्तियां करके उपरोक्त निदेशकों की रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में नियुक्त किए गए गैर-सरकारी निदेशकों और उनमें रिक्त पदों की संख्या नीचे दी गई है :

बैंक का नाम	वर्तमान में गैर-सरकारी निदेशकों की सं.	रिक्तियों की सं.
भारतीय रिजर्व बैंक (केन्द्रीय बोर्ड)	10	-
भारतीय स्टेट बैंक (केन्द्रीय बोर्ड)	5	-
इलाहाबाद बैंक	7	-
आन्ध्रा बैंक	7	-
बैंक आफ इंडिया	7	-
बैंक आफ महाराष्ट्र	7	-
बैंक आफ बड़ौदा	7	-
केनरा बैंक	7	-
कारपोरेशन बैंक	7	-
देना बैंक	7	-
इंडियन बैंक	7	-
इंडियन ओवरसीज बैंक	7	-
ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	7	-
पंजाब नैशनल बैंक	7	-
पंजाब एंड सिंध बैंक	7	-
सिंडिकेट बैंक	7	-
यूनियन बैंक आफ इंडिया	7	-
युनाइटेड बैक आफ इंडिया	7	-
यूको बैंक	7	-
विजया बैंक	7	-
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	6	-

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अनुषंगी बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति, भारतीय स्टेट बैक द्वारा की जाती है।

(ग) कोई नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत करघा केन्द्र

1067. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान केरल में विद्युत करघों की स्थापना के लिए सरकार ने स्थान का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का केरल में केन्द्रों की कब तक स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का स्थान राज्य सरकार के निवेदन् पर तथा विद्युतकरघा के केन्द्रीकरण के क्षेत्रों के आधार पर तय किया जाता है। राज्य सरकार ने विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु केरल में दो स्थानों कन्नूर तथा तिरुअनंतपुरम को अभिज्ञात कर लिया है। निर्णय लेने के पहले राज्य सरकार को कुछेक सपष्टीकरणों का जबाव देना है।

गुजरात में जल सैरगाह

1068. श्री एन.जे. राठवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जल सैरगाह की सुविधा विकसित करने की कोई योजना अब तक प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी गई है.?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। तथापि भारत सरकार, पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार को जलक्रीड़ा उपकरणों और नौकाओं की खरीद के लिए निधि स्वीकृत की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सिले-सिलाए कपड़ों का आयात

1069. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा किन-किन देशों से सिले-सिलाए कपड़ों का आयात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयात किये गये सिले-सिलाए कपड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान इस पर विदेशी मुद्रा की कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) भारत अनेक देशों से सिले-सिलाए परिधानों का आयात कर रहा है। भारत को सिले-सिलाए परिधानों के प्रमुख निर्यातक देश जर्मनी, हांगकांग, फिलिपाइंस, सिंगापुर तथा ताइवान है।।

(ख) और (ग) पिछले वर्षों के दौरान आयातित सिले-सिलाए परिधानों की कुल मात्रा तथा उस पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नानुसार थे :

	मात्रा (हजार अदद)	मूल्य (करोड़ रु0)
1992-93	651.22	6.22
1993-94	1217.20	5.31
1994-95	1608.31	5.35

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

निजी एयरलाइंस की उड़ानों को रद्द करना उनका मार्ग बदलना

1070. श्री सत्य देव सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री रामपाल सिंह :

श्री तारा सिंह :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ निजी एयरलाइनों द्वारा किसी न किसी कारण से अपनी उड़ानों को अंतिम समय पर रद्द करने/उनके मार्गों में परिवर्तन करने की शिकायतें प्राप्त हुई है जिससे यात्रियों को अत्यन्त असुविधा हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में, ऐसी शिकायतें न होने देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही/उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/किये जाने का प्रस्ताव हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा इसलिए हाल ही में निदेश जारी किए गए हैं कि प्रचालक उड़ानों को रद्द करने की सूचना उनके कारणों सहित नागर विमानन महानिदेशक को देगें। जिन मामलों में सत्यापन के बाद यह पता लगता है कि उड़ान रद्द करने के लिए बताया गया कारण वास्तविक/सही नहीं है तथा बाद में विमान को किसी अन्य सैक्टर पर भेज दिया गया था, उन मामलों में वायुयान नियम और विनिमय के अनुसार कठोर कार्यवाई की जाती है जिसमें विमानकंपनी को ग्राउण्ड कर देना भी शामिल है।

राजकोषीय घाटा

1071. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक की इन टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि भारी राजकोषीय घाटे का टैरिफ सुधारों पद प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ख). राजकोषीय घाटा कर और व्यय दोनों से संबंधित नीतियों का फल है। राजकोषीय घाटे टैरिफ सुधारों के बीच एक दूसरे के प्रति कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशता के रूप में बाजार मूल्यों पर वर्ष 1990-91 में 8.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1995-96 में 5.9 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) हो गया है। इसी अवधि में 300 प्रतिशत से अधिक के शिखर पर पहुंची टैरिफ दरें कम होकर 50 प्रतिशत हो गई हैं।

बजट घाटा

1072. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 और इसके बाद के वित्तीय वर्षो के दौरान कुल राजस्व बजट घाटे के वर्षवार सही-सही आंकड़े क्या हैं और कुल राजस्व बजट की तुलना में यह घाटा वर्षवार कितने प्रतिशत रहा है;

(ख) 1995-96 को ये अनुमानित संगत आंकड़े क्या हैं;

(ग) 1991 से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को कुल कितना धन चलन में था;

(घ) 31 दिसम्बर, 1995 को कितना धन प्रचलन मे था और 31 मार्च 1996 में इसके कितने होने का अनुमान है; और

(ड) चालू वर्ष के दौरान राजस्व बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ख). ब्यौरा इस प्रकार है

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	(2) की तलुना में (3) का प्रतिशत
1	2	3	4
1991-92	82292	16261	19.8
1992-93	92702	18574	20.0
1993-94	108169	32716	30.2
1994-95	122112	31029	25.4
1995-96	143522	33331	23.2
संशोधित अनुमान			

(ग) और (घ) चलन में मुद्रा के स्तर संबंधी आंकड़े जैसा कि मार्च के अंत में (मार्च 31) स्थूल मुद्रा (एम 3) मे प्रतिबिम्बित है, निम्नानुसार है :

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	बकाया स्थूल मुद्रा (एम-3) (करोड़ रुपए में)
1990-91	2,65,828
1991-92	3,17,049
1992-93	3,66,825
1993-94	4,34,407
1994-95*	5,30,802
दिसम्बर 1995* के अंत तक	5,64,778
(22.12.1995)* अनन्तिम	

विनीय वर्ष 1995-96 के लिए परिकल्पित मौद्रिक एवं ऋण नीति में 1995-96 के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए स्थूल मुद्रा आपूर्ति में 15.5 प्रनिशन की वृद्धि दर अनुमानित है।

(ड) सरकार चालू वर्ष में राजस्व घाटे को संशोधित अनुमान 1995-96 में यथा परिकल्पित 33331 करोड़ रुपए के स्तर पर सीमित करने का प्रयास करेगी।

होटल में ठहरने की व्यवस्था

1073. श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली के होटलों में ठहरने की व्यवस्था की कमी के कारण आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हो रही है;

(ख) क्या अधिकांश विदेशी पर्यटक राजस्थान जाने और वहां के ऐतिहासिक स्थल देखने की इच्छा रखते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई दिल्ली, राजस्थान के अन्य स्थानों और मद्रास, मुंबई, कलकत्ता आदि अन्य शहरों में होटलों में ठहरने की व्यवस्था में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). जी, हां। होटलों का निर्माण करना मुख्यतया निजी सेक्टर का क्रियाकलाप है। विभाग की एक स्कीम है जिससे होटल परियोजनाएं/कार्यरत होटल एक से पांच सितारा डीलक्स श्रेणी मे अनुमोदित किए जाते है। नई दिल्ली, राजस्थान और महानगरों मे आवास की बढ़ाने/कमी को पूरा करने के लिए पेइंग गेस्ट स्कीम और हैरिटेज होटल स्कीमें में शुरू की गई है तथा वित्तीय लाभ भी मुहैया किए गए है।

भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान परीक्षण

1074. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रबड अनुसंधान में कार्यरत वैज्ञानिकों से परम्परागत रूप से भारतीय घरों में घर-आंगन को स्वच्छ रखने एवं घरेलू बर्तनों को "पिक" रोज जो रबड़ के पौधों का अत्यंत खतरनाक रोग है इस क्षेत्र में जैव फफूंदीनाशक (बायोफंगीसाइड) के रूप में गोबर का परीक्षण करने की अनुमति देने के संबंध में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन वैज्ञानिकों को अनुमति दी है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड) जैव फफूंदीनाशक जो प्रमाणित एवं प्रभावी जैव उर्वरक हैं, के विकास की अनुमति देने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ख). जी, हां। रबड़ बोर्ड के अधीन भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान को आर. आर.आई.आई के विकृति विज्ञान प्रभाग में कार्यरत वैज्ञानिक श्रीमती एल. थंकम्मा से पिंक बीमारी के नियंत्रण के एक उपचार के रूप में गाय के गोबर को शामिल करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ड). श्रीमती एल. थंकम्मा ने अपने प्रस्ताव में रबड़ में पिंक बीमारी उत्पन्न करने वाले पेथोजेन का रोकने वाले गाय के गोबर की क्षमता का आंकलन नहीं किया है इसलिए उनसे खेत में प्रयोग शुरू करने से पहले मानक विधियों के प्रयोग से प्रयोगशाला में गाय के गोबर के कवकनाशी प्रमाट की पुष्टि करने के लिए कहा गया। तथापि, गाय कवकनाशी के रूप में गाय के गोबर की जैव क्षमता संबंधी प्रारम्भिक प्रयोगशाला जांच करने की अनुमति उन्हें दे दी गई है।

रबर की खेती

1075 श्री पी. सी. थामस :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य प्रमुख रबर उत्पादक देशों की तुलना में हमारे देश में प्राकृतिक रबर का उत्पादन तथा इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार रबर के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो नत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां रबर की खेती की जाती है तथा इन राज्यों में इसका कितना-कितना उत्पादन होना है तथा रबर की खेती इस समय कुल कितने क्षेत्र में की जानी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रबर के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में, पृथक-पृथक कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1994 की स्थिति के अनुसार विश्व में प्राकृतिक रबर के कुल उत्पादन में भारत का हिस्सा 8.17% है। उत्पादकता के हिसाब से भारत का स्थान विश्व के प्रमुख प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों के उत्पादन एवं उत्पादकता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	उत्पादन (000टन)	पैदावार/हेक्टेयर (कि. ग्रा.)
भारत	472.0	1265
मलेशिया	1100.6	1220*
थाईलैंड	1722.4	1080
श्रीलंका	105.3	862
इंडोनेशिया	1360.6	746

(* 1991 के संदर्भ में)

(ख और (ग). जी, हां। सरकार का निम्नलिखित के जरिए प्राकृतिक रबर के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है :

1) नव रोपण करके रबर की खेती के क्षेत्रफल का विस्तार करना।

2) उच्च पैदावार वाले क्लोनों से पुराने और अलाभकारी बागानों मे पुनर्रोपण।

3) रबर बागानों की उत्पादकता बढ़ाना।

(घ) राज्यवार क्षेत्रफल और उत्पादन का ब्यौरा (1994-95) नीचे दिया जा रहा है :

	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (टन में)
केरल	443,300(85.98)*	442,830(93.86)**
तमिलनाडु	17,430 (3.38)	15,065 (3.19)
कर्नाटक	14,955 (2.90)	9,700 (2.06)
त्रिपुरा	19,252 (4.08)	2,966 (0.60)
असम	10,122 (1.96)	315
मेघालय	4,550 (0.88)	167
नागालैंड	1,450 (0.28)	11
मिजोरम	979	57
मणीपुर	1,253 (0.24)	96
अण्डमान और निकोबार		
महाद्वीप	960	462
गोवा	936	120
महाराष्ट्र	91	11
उड़ीसा	219	शून्य
अरूणाचल प्रदेश	75	15
कुल	515,572	471,815

* कोष्ठक में कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत।

** कोष्ठक में कुल उत्पादन का प्रतिशत।

(ङ) और (च). जी, हां। किसानों को दिए गए प्रोत्साहनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

1. रबर रोपण विकास योजना के अंतर्गत उन्नत किस्मों सहित नये रोपण और पुनर्रोपण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करना।

2. उच्च पैदावार वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और रबर उत्पादकों में उसका वितरण।

3. परामर्शी, विस्तार और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।

(छ) पारम्परिक और गैर-पारम्परिक दोनों क्षेत्रों मे उत्पादन बढ़ाने और रबर की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए अब 1993-94 से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक रबर परियोजना लागू है। गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लिए रबर बोर्ड द्वारा निम्नांकित विशेष योजनाएं चलाई जा रही है :

1. जनजातियों के आर्थिक व्यवस्थापन के लिए विशेष योजना।

2. त्रिपुरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जनजातियों के लिए ब्लॉक रोपण परियोजना।

3. न्यूक्लियस रबर एस्टेट्स एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एन. आर. ई. टी. सी) जिला विकास केन्द्र, टैपर्स प्रशिक्षण केन्द्र तथा क्षेत्रीय नर्सरियों की स्थापना की योजना।

केरल के जनजातीय क्षेत्र में रबड़ की खेती

1076 **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने केरल के जनजातीय क्षेत्रों में रबड़ की खेती के विकास हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इस योजना के अंतर्गत अब तक कितना क्षेत्र शामिल किया गया है और कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस योजना से जनजातीय समुदाय को कितना वास्तविक लाभ होगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए है?

वाणिजय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्): (क) और (ख). जी, हां। रबर बोर्ड ने 1988 से करेल में जनजातीय लाभग्राहियों के लिए एक पृथक आर्थिक निपटान परियोजना को कार्यान्वित करना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत शामिल कुल क्षेत्र तिरूवंतपुरम, कोल्लाम तथा इडुक्की जिलों में 703.30 हेक्टे. है। कुल खर्च की गई राशि 1.1 करोड़ रूपये है।

(ग) जनजातियों के लिए रबड बागान परियोजनाएं जनजातीय क्षेत्रों की सैटलमैंट कालोनियों में शुरू की जा रही हैं तथा ये योजनाएं जनजातियों की लगभग पूरे जीवन काल के लिए अर्थपूर्ण आर्थिक सैटलमैंट देने में अत्यधिक सफल सिद्ध हुई है। चूंकि रबड़ लम्बी आर्थिक अवधि वाली फसल है, इसलिए इस के आधार पर स्थायी आर्थिक पुनर्स्थापना की व्यवस्था संभव है। बोर्ड जनजातीय उप-योजना/विशेष संघटक योजना के अंतर्गत अपने निधियों के स्रोत का उपयोग करने के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से वित्त के विभिन्न स्रोतों का प्राप्त करने की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) केरल के जनजातीय क्षेत्र में रबड़ बागान विकास के लिए पांच वर्षों में 1200 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए अन्य योजना तैयार की गयी है। 9.42 करोड़ रु. के कुल परिव्यय वाली यह योजना करेल सरकार के सहयोग से रबड़ बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना 1995 में शुरू हुई थी।

उड़ीसा स्थित आई. टी. सी. होटल

1077. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के कितने होटल है;

(ख) उनमें लाभ अर्जित करने वाले होटल कौन-कौन से है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के पर्यटक स्थलों पर आई टी डी सी के और होटलों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ख). फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम के पास उड़ीसा मे. 2 होटल हैं। भुवनेश्वर में होटल कलिंगा अशोक पूरी तरह से भारत पर्यटन विकास निगम का है और पुरी में होटल नीलाचल अशोक भारत पर्यटन विकास निगम और उत्कल अशोक होटल निगम का सामूहिक उद्यम है। ये होटल फिलहाल कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं।

(ग) और (घ). वर्ष 1996-97 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना में कोई नया होटल स्थपित करने की कोई योजना और प्रारूप नहीं है।

विमानपत्तनों का निजी क्षेत्र द्वारा संचालन

1078. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र को विमानपत्तनों पर कार्मिक तैनात

करने और उसका संचालन करने के लिये अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

1079. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक और केन्द्रीय वित्तीय संस्थान अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षो के दौरान उनमें से भरी गई रिक्तियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण नीतियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू होती हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ८.9.93 से (अर्थात जबसे बैंकों मे भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण लागू हुआ) 30.11.95 तक की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती की स्थिति निम्नलिखित रही है :

अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी (सफाई कर्मचारियों सहित)
213	556	625

(आंकड़े अनन्तिम)

[हिन्दी]

रत्न के परीक्षण संबंधी कार्यालय/केन्द्र

1080. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के रत्न के परीक्षण के अनेक कार्यालय/केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या रत्न के परीक्षण के लिये इन केन्द्रों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) इन केन्द्रों में अब तक कितनी उपलब्धि हुई हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार देश में 10 रत्न परीक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वे निम्नानुसार हैं:

1. इण्डियन जेमोलोजिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली।
2. जेम टैस्टिंग लेबोरेट्री, जयपुर, राजस्थान
3. जेमोलोजिकल इंस्टीटयूट ऑफ इंडिया, मुम्बई, महाराष्ट्र।
4. जेम टैस्टिंग लेबोरेट्री, मुम्बई, महाराष्ट्र।
5. पांजेम इन्टरप्राइजेज, पुणे, महाराष्ट्र।
6. जेम टैस्टिंग लेबोरेट्री, सी. पी. एल., जी. एस. आई.,

   कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
7. जेम टैस्टिंग लेबोरेट्री, मद्रास तमिलनाडु।
8. श्री रामकृष्ण जेम टेस्टिंग लेबोरेट्री, सालेम, तमिलनाडु।
9. जेम टैस्टिंग लेबोरेट्री, त्रिवेन्द्रम, केरल।
10. जेम टैस्टिंग लेबोरेट्री, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

(ग) और (घ) जी, हां। इनमे से कुछ केन्द्र रत्नों के परीक्षण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम निम्नानुसार है :

1. इण्डियन जेमोलोजिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली।
2. जेम टैस्टिंग लेबोरेट्री, ऑफ इंडिया, मुम्बई, महाराष्ट्र।
4. इण्डियन डायमंड इंस्टीट्यूट, सूरत, गुजरात।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा सेन्ट जैवियर्स कॉलेज, मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ड) रत्न परीक्षण केन्द्रो के रत्न एवं आभूषण व्यापार तथा उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव शक्ति देने में सहायता की है। रत्न परीक्षण तथा प्रमाणन कार्य की तकनीकी सेवाएं व्यापारियों तथा विदेशी क्रेताओं को प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल द्विपक्षीय व्यापार समझौता

1081. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल कि प्रधानमंत्री ने हाल ही मे अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान भारत-नेपाल द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिये भारत के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को फिर से चालू करना

1082. श्री के. प्रधानी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. आई. एफ. आर. ने सरकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने हेतु पैकेज तैयार करने के लिये आई. एफ सी. आई को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आई एफ सी आई द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या आई एफ सी आई ने सरकारी उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने हेतु अब तक पैकेज तैयार नहीं किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटकों का आना

1083. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान जम्मू-कश्मीर मे आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है जबकि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों तथा हिमाचल प्रदेश जैसे देश के अन्य भागों मे आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनका प्रतिशत क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन राज्यों में जहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, बेहतर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनसुार, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में, पिछले वर्षो की तुलना में, पर्यटक आगमन में क्रमश: 1994 में 9.4% और 38.5% और 1995 में 9.3% और 15.0% की वृद्धि हुई। हिमाचल प्रदेश के मामले में, 1993 की तुलना में 1994 से 20.8% की वृद्धि हुई और 1994 की तुलना में 1995 में लगभग 9.9% की कमी हुई है।

(ग) किसी राज्य में पर्यटक सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया संबंधित सज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है और केन्द्रीय पर्यटन विभाग उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया करता हैं पिछले तीन वर्षो के दौरान इन राज्यों को स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्न प्रकार की थी :

वर्ष	स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रूपये में)		
	जम्मू-कश्मीर	उत्तर प्रदेश	हिमाचल प्रदेश
1992-93	152.75	97.34	111.94
1993-94	236.19	166.04	369.25
1994-95	217.91	223.80	368.85

जब्त की गयी वस्तुएं

1084. श्री दत्ता मेघे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान अब तक सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितनी मात्रा से और कितने मूल्य का सोना और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31-1-1995 की स्थिति के अनुसार स्थिति निम्नानुसार है :

पकड़े गये माल का विवरण	मूल्य (लाख रूपयों में)
सोना (879 किलोग्राम)	4189.00
चांदी (476 किलोग्राम)	32.00
अन्य माल	53218.00

(जैसे इलेक्ट्रानिक माल, कम्प्यूटर और कम्प्यूटर के पुर्जे, घड़ियां और घड़ियों के पुर्जे, नशीले पदार्थ, भारतीय तथा विदेशी मुद्राएं सिन्थेटिक फैब्रिक्स और अन्य विविध माल)

(ख) 1.4.95 से 31.1.96 के बीच की अवधि के दौरान कुल 809 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध सीमाशुल्क/विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम/स्वापक औषध द्रव्य और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियमों के तहत अभियोजना संबंधी कार्रवाई और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबंदी के संबंध में भी विचार किया जाता है। इसके साथ-साथ इन अधिनियमों के तहत न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाही भी आरंभ की जाती है।

यूरोपीय संघ के साथ व्यापार

1085. श्री तारा सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्थान और अट्रेच्ट यूनिवर्सिटी नीदरलैण्ड्स के अर्थशास्त्रियों के संयुक्त दल द्वारा 'इंडिया मीटिंग द चैलेंजिज ऑफ दि यूरोपियन यूनियन'' शीर्षक विषय पर एक अध्ययन कराया गया है;

(ख) क्या इस अध्ययन में यह बताया गया है कि यूरोपीय देशों में स्थित भारतीय दूतावास व्यापार में अवरोध पैदा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

व्यापार समझौते

1086. श्री के. एम. मैथ्यू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों मे भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रति अपनी रूचि दिखाने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान भारत का इन देशों के साथ कोई व्यापार समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो देशवार किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) यूरोप मे यू. के. जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्विटजरलैण्ड, आयरलैण्ड, नार्वे, फिनलैण्ड. इटली, हंगरी, क्रोशिया पोलेण्ड, रोमानिया, यूगोस्लाविया, संघीय गणराज्य सार्क देशों में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बहरीन, वियतनाम, थाईलैण्ड इत्यादि समेत असंख्य देशों ने पिछले छः महीनों के दौरान भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में रूचि दिखाई है। दिसम्बर, 1995 में सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्ता) के प्रचालन ने हमारे निकटतम दक्षिण-अफ्रीकी पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। नवम्बर, 1995 मे बुर्किनाया, फांसो और नामिबिया के साथ भी औपचारिक व्यापार कराने पर हस्ताक्षर किये गए।

(ग) और (घ). सरकार प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्पर्क प्रदान करने और उन्हें विकसित करने के साथ-साथ अपने विभिन्न संस्थागत तंत्रों जैसे-संयुक्त आयोग संयुक्त व्यापार समितियों, इत्यादि के जरिए व्यापार बढ़ाने और व्यापार में आने वाली अड़चनों को खत्म करने के लिए एक संवर्धक, सुविधा प्रदानकर्ता और समन्वयकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। व्यापार संवर्धन एक सतत् प्रयास है और देश-विदेश संबंधी उपायों के जरिए निर्यात को बढ़ाने और इसके विविधिकरण के उपाय किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, भारत के निर्यात में अप्रैल, 95-जनवरी, 96 के दौरान पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में डालर के रूप में 22% की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

हिमाचल क्षेत्र में विमान किराया अधिक होना

1087. प्रो. प्रेम धूमल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली कांगड़ा (गागल और नई दिल्ली) कुल्लू (भुंटर भुंतर) क्षेत्रों के विमान किराए भारत में इतनी ही दूरियों के किरायों की तुलना में अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में पर्यटन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए गए है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). हवाई और परिवहन प्रचालक अपने बेहतर वाणिज्यिक विवेक के आधार पर कोई भी किराया लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल श्रम

1088. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रम के संबंध में अपनाये गये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने कन्वेशनों को अभी तक हमारे देश मे अपनाया नहीं गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और कब तक इन कन्वेशनों को अपनाये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) भारत ने बालकों और युवाओं के रोजगार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के छह-अभिसमयों का अनुसमर्थित किया है। ये अभिसमय है, अभिसमय से. 5- न्यूनतम आयु (उद्योग) से संबंधित, अभिसमय सं 6- युवाओं (उद्योग) की रात्रि सेवा से संबंधि त, अभिसमय सं 15- न्यूनतम आयु (टिम्र्स और स्टोकर्स) से संबंधि त, अभिसमय सं 16 युवाओं (समुद्र) को चिकित्सा जांच से संबंधित, अभिसमय सं 90- युवाओं (उद्योग) की रात्रि सेवा से संबंधित (संशोधित) और अभिसमय सं 123 न्यूनतम आयु (भूमिगत कार्य) से संबंधित।

(ख) और (ग). भारत को अभी रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित अभिसमय सं. 10, 33, 59, 60 और 138 का अनुसमर्थन करना है। भारतीय श्रम कानूनों में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण करने से संबंधित बहुप्रयोजी उपबंध नहीं है। इस स्थिति में देश की विद्यमान सामाजिक आर्थिक दशाऐं ऐसे प्रावधान के अधिनियमन और कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य नहीं हैं।

दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त उद्यम

1089. श्री गापी नाथ गजपति : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों द्वारा स्थापना हेतु प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों के संबंध में कब तक निर्णय लें लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). विदेश में संयुक्त उद्यम/पूर्ण निजी स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने संबंधी सभी आवेदन-पत्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिये जाने हैं और उन पर कार्रवाई आर. बी. आई. द्वारा ही की जाएगी। आर. बी. आई को सूचना के मुताबिक उसे दक्षिण अफ्रीका में एक मौजूदा बीयर निर्माता कम्पनी में 30% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए 52.50 दक्षिण अफ्रीकी मिलियन रैंड (लगभग 14.58 मिलियन अमरीकी डालर) निवेश करने के लिए मैसर्स यूनाईटेड ब्रीवरीज लि० से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रस्ताव जटिल है इसलिए आर. बी. आई ने इस मामले पर और आगे विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है, क्योंकि इसमें 11.11 मिलियन अमरीकी डालर के भविष्य दायित्व के अलावा 15.58 मिलियन अमरीकी डालर की विशाल निधि की मांग की गयी है। अतः इसके बारे में कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

एक जैसे आकार के सिक्के

1090. श्री अन्ना जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मूल्यों के एक जैसे आकार के सिक्के बाजार मे प्रचलित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सिक्कों के प्रचलन को रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) सरकार को इससे कितनी हानि होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) एक रूपए और दो रूपए मुद्रा के 26 मिलीमीटर व्यास के आकार में चलन में हैं। एक रूपय का सिक्का गोलाकार है जबकि दो रूपए के सिक्के में ग्यारह कटाव हैं।

(ख) इस समय इन सिक्कों का चलन रोकने का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

पांचवे वेतन आयोग के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी

1091. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पांचवे वेतन आयोग के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पांचवे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं तो इनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या व्यवस्था है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). पांचवें वेतन आयोग को केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिलब्धि ढांचे और अन्य सेवा शर्तो के प्रश्न की जांच करने के लिए गठित किया गया है। अतः, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गठित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, के कर्मचारी पांचवें वेतन आयोग की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 5 घ(7)(क) के अंतर्गत, क.भ.नि कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तो को केन्द्रीय बोर्ड द्वारा तदनुरूप वेतनमान आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है। जहां कहीं आवश्यक हो, केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ इन प्रशासनिक मामलों के संबंध में सामान्य से अलग निर्णय लेने के लिए भी सक्षम है।

मुख्यमंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे

1092. कुमारी ममता बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में विदेशी दौरे पर गए मुख्यमंत्रियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) इन दौरों में से प्रत्येक पर कितना खर्च किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कार की सी.के.डी. का आयात तथा उस पर लगाने वाला आयात शुल्क

1093. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच सी के डी किट को कार का एक हिस्सा मानने तथा इसके अनुसार कार उत्पादकों द्वारा सी के डी के आयात पर किए जाने वाले शुल्क भुगतान के संबंध में काफी विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले को नहीं निपटाए जाने के कारण सरकार तथा देश के कार उत्पादकों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में रुकावटें आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस कारण वर्तमान में लंबित पड़े समझौता ज्ञापन के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार संबद्ध मंत्रालयों/विभागों से मामले को निपटाने का तथा इस संबंध में निर्णायक समझौते करने का है जो इस मामले में एक स्पष्ट नीति देने में सहायक हो; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में किए गए उपायों का क्या ब्यौरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च). कार निर्माताओं द्वारा आयातित सी के डी किटों पर आयात शुल्क को निर्धारित करने के मामले पर व्याख्या संबंधी नियमों तथा संगत अध्याय टिप्पणियों सहित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में सरकार के भीतर कोई विवाद नहीं है।

तथापि, ऐसी किटों के आयात के प्रयोजन के लिए, कार निर्माताओं को इस संबंध में नीति के अनुसार महानिदेशक, विदेश व्यापार के साथ समझौता ज्ञापन करना अपेक्षित है। यह सूचित किया गया है कि अभी तक कार निर्माताओं के साथ पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और महा निदेशक, विदेश व्यापार के पास कोई मामला लम्बित नहीं पड़ा।

राष्ट्रीय बचत पत्र

1094. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान विकास पत्र और इन्दिरा विकास पत्र में जमा राशि साढ़े पांच वर्ष में दोगुनी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा राशि के दो गुना न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (I/III-निर्गम) में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 88 और 80-B के अंतर्गत कर राहत के लिए पात्र है। इन्दिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र में निदेश के लिए कोई कर रियायत उपलब्ध नहीं है। इसलिए ब्याज प्राप्ति में अंतर होता है।

(ग) चूंकि ये स्कीमें एक समान नहीं हैं इसलिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज की दर को किसान पत्र/इन्दिरा विकास पत्र पर देय दर के समान मानने का प्रश्न ही नहीं है।

पटसन नीति

1095 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों के गत दिसम्बर में हुए त्रिपक्षीय समझौते के कथित उल्लंघन के विरूद्ध आंदोलन करने की योजना बनाई है;

(ख) क्या नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के पटसन मिलों के प्राधिकारियों को उक्त त्रिपक्षीय समझौते के लागू करने हेतु अभी तक केन्द्र सरकार से स्वीकृति मिलना बाकी है;

(ग) क्या आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन एवं वर्कर्स यूनियन के केन्द्र सरकार से देश में एक समन्वित पटसन नीति अपनाने का आग्रह दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) इस संबंध में सरकार की क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।

(ख) एन जे एम सी भी समस्त उद्योग के समझौते का एक पत्रकार है। यह मामला वस्त्र मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) से (ड). सरकार समय-समय भर नीति के मामलों पर निर्णय लेंगे समय सभी प्रसंगिक घटकों पर ध्यान देती है।

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

1096. **डा. बसंत पवार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति के भुगतान संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) छात्रवृत्ति को योजनाओं का अब तक किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) सरकार का विचार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) बीड़ी कर्मकारों को बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना सभी बीड़ी उत्पादक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यन्वित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. बीड़ी/लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान/चूना पत्थर और डोलोमाइट खान/सिने कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना

छात्रवृत्ति, प्रतिवर्ष प्रति छात्र निम्नलिखित दर पर दी जाती है :

वर्ग I कक्षा V व VI	रु0 250/-प्र.व.
वर्ग II कक्षा VII, VIII IX और X	रु0 450/-प्र.व.
वर्ग III कक्षा XI, XIII, आई. ए. आई एस. सी	रु0 700/-प्र.व.

(सभी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम जहां दाखिला उन छात्रों के लिए खुला होता है जिन्होंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है)।

वर्ग IV स्नातक और स्नातकोत्तर, कला, विज्ञान और वाणिज्य में डिग्री पाठ्यक्रम और निम्न तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे बी. एंड, बी. टी., एम. एड, एल. टी., एल. एल बी. रु. 1000/- प्र.व.

वर्ग V एम. बी. बी. एस., बी. ई., बी. एससी (कृषि) रु 3000/- प्र. व. और अन्य डिग्री स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रम अनुसंधान और डाक्टरेट अध्ययन

(II) पात्रता

(क) छात्रों के माता-पिता में से एक कम से कम छः महीने तक बीड़ी कर्मकार अथवा लौह/अयस्क/मैगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खानों, चूना पत्थर और डोलोमाइट अथवा अभ्रक खानों में एक खान कर्मकार अथवा एक सिने कर्मकार होना चाहिए। इसमें ठेका श्रमिक भी शामिल होंगे।

(ख) छात्रों के माता-पिता दोनों को सभी स्रोतों से सभी भत्तों सहित कुल आय 3500/-रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) आवेदक ने पिछली अर्हक परीक्षा कम से कम कुल 45% अंक अर्जित कर उत्तीर्ण की हो। तथापि, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के छात्रों के मामले में, अर्जित किए जाने वाले अंक 35% होंगे।

(III) आरक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों के लिए संबंधित जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रतिशतता के आधार पर आरक्षण होगा जो इस शर्त के अधीन होगा कि यह अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% से कम नहीं होगा। छात्राओं के लिए व्याप्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और छात्राओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उन सभी छात्रों, जिन्होंने पिछली अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, को शामिल करने के लिए 50% कुल व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

2. बीड़ी कर्मकारों, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खानों, लौह-अयस्क/मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खानों तथा अभ्रक खानों के कर्मकारों के बालकों के लिए एक वर्दी, स्लेटों, पाठ्य-पुस्तकों की खरीद हेतु योजना।

खान/बीड़ी कर्मकारों के कक्षा-I से IV तक अध्ययन करने वाले स्कूल जाने वाले प्रत्येक बालक के लिए 125/- रु० की राशि अदा की जाती है। संबंधित जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षण जो इस शर्त के अधीन होगा कि यह अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% से कम नहीं होगा। छात्राओं के लिए कुल 50% आरक्षण स्वीकार किया गया है।

3. बीड़ी/खान/सिने कर्मकारों के बालकों को कक्षा X से आगे बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की प्रतिशतता के आधार पर प्रोत्साहन देने हेतु योजना जो 01-04-1995 से कार्यान्वित है।

दसवीं और दसवीं कक्षा से आगे के लिए मंजूर की गई प्रोत्साहन राशि की दर

	प्रथम श्रेणी 60% से अधिक	द्वितीय श्रेणी 50% से अधिक	तृतीय श्रेणी 50% से कम
(क) हाई स्कूल	500/-	350/-	250/-
(ख) जमा 2/औद्योगिक व्यवसाय प्रमाण पत्र (आई टी आई)	750/-	500/-	350/-
(ग) स्नातक/तीन वर्षीय व्यावसायिक डिप्लोमा	1000/-	750/-	500/-
(घ) व्यावसायिक डिग्री	2000/-	1500/-	1000/-

(बी ई/एम बी बी एस/बी आर्क आदि)

4. लौह अयस्क/मैगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क/चूनापत्थर और डोलोमाइट खान/बीड़ी/सिने कर्मकारों की पुत्रियों (जिनमें ठेका श्रमिकों के बच्चे भी शामिल हैं) को शिक्षा के किसी क्षेत्र में पांचवी कक्षा से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूलों/कालेजों में उपस्थिति के आधार पर लौह अयस्क/मैगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, चूनापत्थर और डोलोमाइट खान, श्रम कल्याण निधि, बीड़ी कल्याण, श्रमिक कल्याण निधि और सिने कर्मकार कल्याण निधि से प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना-वित्त वर्ष 1995-96 से लागू।

(क) इस योजना में सरकार की मान्यता. प्राप्त स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली ऐसी छात्राओं को शामिल किया गया है तो लौह अयस्क/मैगनीज अयस्क क्रोम अयस्क/चूना पत्थर और डोलोमाइट/खान/सिने/बीड़ी कर्मकारों की पुत्रियां हैं (इनमें ठेका श्रमिकों के बच्चे भी शामिल हैं)

(ख) छात्रा के माता-पिता में से कोई एक कम से कम छह माह से लौह अयस्क/मैगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क/चूना पत्थर और डालोमाइट खान/सिने/बीड़ी कर्मकार होना चाहिए।

(ग) छात्रा के परिवार को सभी साधनों से औसत आय 3500/- रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार आय में पिता, माता, अविवाहित भाई/बहन की सभी साधनों से प्राप्त होने वाली आय शामिल है।

(घ) योजना के अधीन प्रोत्साहन राशि छात्रों को किसी एक विशिष्ट कक्षा में केवल एक बार ही प्राप्त होगी, उदाहरण के लिए यदि कोई, छात्रा किसी एक कक्षा में पास नहीं हो पाती, तो वह उसी कक्षा में फिर से पढ़ने के लिए सहायता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।

(ड) ऐसी छात्राएं जो राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों की किसी सदृश योजना के अधीन किसी अन्य साधन से प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं, उन्हें अन्य प्रोत्साहन योजना और इस कल्याण निधि के प्रोत्साहन के मध्य अधिशेष राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(च) उपरोक्त प्रोत्साहन राशि श्रम मंत्रालय/राज्य सरकार/किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रशासित विभिन्न कल्याण निधियों के अधीन दी जा रही चालू वृत्तिकाओं के अतिरिक्त होगी।

प्रोत्साहन की राशि :

इस योजना के अधीन शामिल छात्राएं किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय मे उपस्थिति के लिए 1/- रु० प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान प्राप्त करने की हकदार होगी, जो कि 220/- रु० प्रति वर्ष प्रति बच्चा की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए होगी।

आयकर वसूली

1097. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष विशेषकर गत छः माह के दौरान कुछ राज्यों में आयकर की अत्यधिक वसूली हुई है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष की तुलना में अवरोही क्रम में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष इसकी अत्यधिक वसूली के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसके लिए सर्किल-वार कोई लक्ष्य निधारित किया है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार का अत्यधिक आयकर वसूली के लिए सर्किल उप सर्किल-वार संबंधित आयकर कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन/पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। निगम कर के मामले में एक प्रभार को छोड़कर पिछले छः महीनों के दौरान सभी मुख्य आयुक्तों के प्रभारों में निगम कर और आयकर दोनों में वृद्धि होती रही है।

(ख) चूंकि वसूलियों के ब्यौरे राज्य-वार नहीं बल्कि प्रभार-वार उपलब्ध हैं अतः 15 फरवरी, 1996 तक उपलब्ध वसूलियों के आंकड़े अवरोही क्रम में संलग्न I और II अनुबंधों में दिये गये हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान के आंकड़ों और वार्षिक प्रतिशतता वृद्धि को भी दिखाया गया है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ सामान्यतया अर्थव्यवस्था में उछाल और विशेष रूप से उन्नत औद्योगिक उत्पादन, प्रभावकारी कर प्रशासन और बेहतर कर अनुपालन वसूली में वृद्धि के कारण हो सकते हैं।

(घ) जी, हां। सरकार ने प्रत्येक मुख्य आयुक्त के प्रभार के लिए लक्ष्य निर्धारित किये थे।

(ड.) लक्ष्यों के ब्यौरे अनुबंध में दिये गये हैं। यह लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं ओर 15-2-1995 तक की वसूली के रूख को देखते हुये यह आशा की जाती है कि वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जयेगा।

(च) जी, हां। सरकार ने आयकर विभाग के कर्मचारियों के लिए सर्वाधिक वसूली और वसूली कार्य हेतु एक पुरस्कार योजना तैयार की है।

(छ) इस योजना में क्षेत्रीय और अखिल भारतीय दो स्तरों पर

पुरस्कार देना निहित है। क्षेत्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार है (1) सबसे अच्छी वसूली करने वाले अधिकारी के यूनिट के लिए, (2) सबसे अच्छे कर निर्धारण अधिकारी के यूनिट के लिए; और (3) आयकर उपायुक्त/अपर आयकर आयुक्त के सबसे अच्छे रेंज के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए निगम कर और आयकर की सम्मिलित वसूली में सर्वाधिक प्रतिशता वृद्धि के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मुख्य आयकर आयुक्त के सबसे अच्छे क्षेत्र को एक रनिंग शील्ड दिया जाता है, मुख्य आयकर आयुक्तों को तीन सिल्वर साल्वर्स (रजत थालियां) और आयकर आयुक्तों को तीन रजत थालियां दी जाती है पूर्वानुमानित कर स्कीम के अन्तर्गत सबसे अधिक व्यक्तियों की सूचना देने वाले आयकर आयुक्तों को तीन रजत थालियां भी दी जाती हैं।

विवरण-1

निगम कर

मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वसूली 1995-96 (15 फरवरी तक)	वसूली 1994-95	प्रतिशता
1	2	3	4	5
बम्बई	8080.00	5038.27	4557.97	10.54
दिल्ली	2400.00	1839.54	1255.52	46.52
पश्चिम बंगाल	1530.00	795.26	885.83	-10.22
अहमदाबाद	410.00	577.43	193.99	197.66
मद्रास	720.00	493.04	356.65	38.24
पुणे	415.00	290.88	231.13	25.85
कानपुर	300.00	214.07	199.78	7.15
बंगलौर	480.00	207.99	196.88	5.64
पटना	240.00	202.20	107.20	88.62
हैदराबाद	350.00	193.24	143.92	34.27
चंडीगढ़	300.00	164.70	147.31	11.81
कोचीन	120.00	102.88	65.60	56.83
जयपुर	70.00	85.46	17.94	376.37
भोपाल	75.00	50.62	34.63	46.17
लखनऊ	5.00	38.63	-13.17	393.32
केन्द्रीय स्रोत पर करों की कटौती	2200.00	1805.05	1459.69	23.69
योग	17695.00	12099.75	9840.87	22.95

विवरण-II

आयकर

मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वसूली 1995-96 (15 फरवरी तक)	वसूली 1994-95	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
बम्बई	3655.00	2920.63	2206.48	32.37
दिल्ली	1900.00	1553.52	1126.62	37.89
मद्रास	1275.00	928.95	722.79	28.52
अहमदाबाद	1200.00	9.4.36	641.31	41.02
पुणे	950.00	770.36	641.31	41.02
बंगलौर	790.00	678.71	446.16	52.12
कलकत्ता	805.00	587.68	453.10	29.70
चंडीगढ़	710.00	474.91	343.98	38.06
पटना	520.00	471.08	327.16	43.99
हैदराबाद	600.00	406.67	337.82	20.38
भोपाल	385.00	311.08	216.31	43.81
लखनऊ	390.00	253.19	182.38	38.83
कानपुर	345.00	245.02	192.38	27.36
कोचीन	360.00	243.95	190.05	28.36
जयपुर	280.00	212.49	153.42	38.50
केन्द्रीय स्रोत पर कर की कटौती	340.00	360.10	222.75	61.66
योग :	14505.00	11322.70	8315.79	36.16

[हिन्दी]

वस्त्र डिजाइन संबंधी प्रदर्शनी

1098. श्री महेश कनोडिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में वस्त्र डिजाइन पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्राप्त निर्यात आदेशों का ब्योरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) अप्रैल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा 27 से 29 फरवरी, 96 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में शरद/शीतकालीन वस्त्र संग्रह के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला आयोजित किया गया था।

(ख) लगभग 62 देशों तथा, यू. के., यू. एस. ए., कनाडा, जर्मनी, स्पेन, आस्ट्रेलिया, इटली आदि से कुल 693 क्रेता एवं 251 क्रेता एजेन्टों ने इस मेले का देखा।

(ग) इस मेले में लगभग 2.5 करोड़ रुपए के कुल निर्यात आर्डर बुक किए गए।

[अनुवाद]

मैसर्स रिलायंस उद्योग

1099. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने मंत्रालय को प्रस्तुत रिपोर्ट में रिलायंस शेयर "स्विच तथा "डुप्लीकेशन" संबंधी विवाद में मुख्य भूमिका अदा करने वालों द्वारा कई मामलों की भूल-चूक दिखलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). डुप्लीकेट शेयर जारी करने के मुद्दे पर रिलाएंस कन्सलटैन्सी सर्विसेज लिमिटेड (आर सी एस) रिलाएंस इन्डस्ट्रीज लि. (आर आई एल) के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के निरीक्षण तथा अभिरक्षकों के पास आर आई एल के शेयरों की "अदला-बदली" के संबंध में स्टाक होल्डिंग कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, सिटी बैंक एन. ए. और अन्य अभिरक्षकों के निरीक्षण से संबंधित सेबी द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरिम रिपोर्टों से अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय भूलों और अनियमितताओं का पता चला है। अंतरिम रिपोर्ट में यथानिहित कुछ प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ने अंतरिम रिपोर्ट में यथानिहित भूलों और अनियमितताओं से निपटने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी अधिनियम, 1992 के उपबंधों और सेबी अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों के अंतर्गत उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है। निरीक्षण अभी भी जारी है और तदनुसार अंतिम अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

(1) अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चला है कि कुछ डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए गए थे जबकि मूल शेयर प्रमाणपत्र मौजूद थे। यह एक ऐसा तथ्य था जो आर सी एस को बखूबी मालूम था।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 113 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया होगा।

(3) अंतरिम निरीक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कम्पनी ने प्रविष्टियों का प्रतिवर्तन किया था जिससे सदस्यों के रजिस्टर का समंजन किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 111 (4) (क) के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।

(4) अभिरक्षकों द्वारा दी गई सूचना से यह देखा जा सकता है कि आर आई एल के 67.30 लाख शेयरों की अदला-बदली की गई। उपर्युक्त शेयरों से संबंध में यह देखा गया कि जब अभिरक्षकों ने अपने ग्राहकों की ओर से आर सी एस को अंतरण हेतु शेयर प्रस्तुत किए तो अंतरण के बाद आर सी एस से प्राप्त किए गए शेयर भिन्न थे और उनका डिस्टिंक्टिव नंबर (डी एन आर) और/अथवा अंतरणकर्ता के नाम भी भिन्न थे। तथापि आर सी एस की सूचना के अनुसार, अदला-बदली किए गए शेयरों की कुल संख्या 70.30 लाख थी।

(5) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मैसर्स एल. के. पाण्डेय के जरिए 2 दिसम्बर, 1991 को आर आई एल के 24 लाख शेयर खरीदे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने पुनः उसके जरिए 22 मई, 1992 को आर आई एल के 30 लाख और शेयर खरीदे। 24 लाख शेयरों की पहली खरीद में से 16.90 लाख शेयरों की अदला-बदली की गई जहां तक 30 लाख शेयरों की दूसरी खरीद का संबंध है, सभी शेयरों की अदला-बदली कर दी गई।

(6) एच एच सी आई द्वारा अंतरण हेतु प्रस्तुत किए गए 22 लाख शेयरों के मामले में एस एच सी आई एल द्वारा इन शेयरों

पर कार्रवाई करने के हर चरण पर ब्रोकर से इन शेयरों को प्राप्त करने की तारीख से आर सी एल को उनकी प्रस्तुति और आर सी एल से प्राप्ति के बाद उन पर कार्रवाई करने तक अत्यधिक देरी हुई।

(7) आर सी एस द्वारा अंतरण में भी अत्यधिक विलंब हुआ। आर आई एल शेयरों के आर सी एस द्वारा किए गए अंतरण की कथित तारीख और आर सी एस द्वारा एस एच सी आई एल को अंतरित शेयरों को प्रेषित करने की तारीख के बीच भी काफी विलंब हुआ।

[हिन्दी]

म्यान्मार से प्रत्यावर्तित भारतीयों को रोजगार

1100. **श्री मंजय लाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने म्यान्मार (बर्मा) से प्रत्यावर्तित भारतीयों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रुप 'सी आर डी' में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या रोजगार कार्यालयों को इस आशय के कोई निर्देश दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त सुविधा अभी भी दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). बर्मा से स्वदेश वापस आए हुए व्यक्ति जो 1.6.1963 को या उसके पश्चात भारत में बस गए हैं, उन्हें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार के प्रयोजन हेतु अपने गृह राज्य में वरीयता-।।। में एवं अन्य अन्य राज्यों में वरीयता-।।। में वरीयता का अतिक्रमण करने अनुमति है। रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम-पुस्तिका में इस आशय के आवश्यक निदेशों को शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाना

1101. **श्री मोहन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में एन. टी. सी. द्वारा चालित मिलों के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनकी अंतिम देय राशि (ग्रेच्युटी) का भुगतान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण हैं;

(ग) इन श्रमिकों की ग्रेच्युटी की कितनी राशि बकाया है;

(घ) क्या इन श्रमिकों ने इस संबंध में केन्द्रीय श्रम मंत्री को भी अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) इन श्रमिकों को उनकी वैध देय राशि (ग्रेच्युटी) का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). एनटीसी(एमएन) तथा एनटीसी (एसएम) के अंतर्गत मुंबई में स्थित 14 मिलों में सेवानिवृत 20 कर्मचारियों को अंतिम बकाया (ग्रेच्युटी) राशि का भुगतान करने के लिए 60.29 लाख रु. की राशि देय है। एन टी सी कार्यशील पूंजी की जटिल कमी के कारण बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ है।

(घ) और (ङ). एन टी सी के कर्मचारियों को अंतिम बकाया राशि (ग्रेच्युटी) का भुगतान न किए जाने का मामला अनेक संसद सदस्यों द्वारा तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। निधियों की व्यवस्था करने के लिए इस मामले को संबंधित मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(च) एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों, एन डी सी (एमएन) तथा एन टी सी (एस एम) सहित के मामले निवल पूंजी में कमी होने के कारण बी आई एफ आर को भेजे गए हैं। बी आई एफ आर ने उन्हें रूग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया है। सरकार ने एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए संशोधित सर्वागींण सुधार योजना को अंतिम रूप दे दिया है तथा उसे बी आई एफ आर के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। जैसे ही बी आर एफ आर पैकेज का अनुमोदन कर देगा तथा उसे क्रियान्वित कर दिया जाएगा वैसे की एन टी सी आधुनिकीकरण योजना का क्रियान्वियन करने तथा साथ ही अपने कामगारों/कर्मचारियों को देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निधियाँ जुटाने में सक्षम हो जाएगा।

[हिन्दी]

दुर्घटना प्रवण खानें

1102. **श्री छेदी पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने दुर्घटना प्रवण खानों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कोयला खानों के बारे में, जहां पिछले तीन वर्षो के दौरान भयंकर दुर्घटना हुई की कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड) दुर्घटना के कारणों को जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित जांच अभिकरण द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). जी, हां। दुर्घटना प्रवण खानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ड) पिछले तीन वर्षो (1993-95) के दौरान, मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को न्यू केन्डा कोलियरी और मै. भारत कोकिंग कोल लि0 को गजलोटांड कोलियरों प्रत्येक में एक-एक घातक दुर्घटना क्रमश: 25-1-94 और 26-9-95 को घटित हुई। दोनों मामलों में, सरकार ने, खान अधिनियम, 1952 की धारा 24(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दुर्घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों को पड़ताल करने के लिए दो अलग-अलग जांच न्यायलयों का गठन किया है। जांच न्यायलयों की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

विवरण

भारत कुकिंग कोल लि.

1. लेकडीह दीप
2. बलिहारी
3. कुर्डगढ़
4. भीवड़ा साऊथ
5. दोबारी
6. बांसदेवपुर
7. साऊथ तिसरा
8. ब्लॉक 11 ओ सी पी
9. रामकनाली

ईस्टर्न कोलफील्ड्स

1. न्यू केन्डा
2. मेथानी
3. बेजडीह
4. छिनाकुरी नं. 11
5. छिनाकुरी 1/2 पिट.
6. झांजरा एम. आई. सी
7. प्योर सीरसोल
8. तीरथ
9. केन्द्रा

सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स

1. सयाल डी नं. 7
2. पिपरवार प्रोजेक्ट
3. भुरकुन्डा - ए ओ/सी
4. टर्मी
5. रोहिणी

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

1. कोटमा वेस्ट
2. झुरछा वेस्ट
3. सुरकाछार नं. 5 और 6
4. राजगमार 6 और 7
5. सुरकाछार नं. 3 और 4
6. राजेन्द्रा
7. धनपुरी यू/जी
8. भादरा

वेस्टर्न कोलफील्ड्स

1. दगुआ
2. मोहन
3. सुकरी
4. हिन्दुस्तान लालपेठ
5. विश्नुपुरी ओपनकास्ट
6. काम्पटी ओपनकास्ट
7. बल्लारपुर
8. राजपुर

[अनुवाद]

एयर इंडिया के किराए में वृद्धि

1103 डा. के. वी. आर चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 से एयर इंडिया के विमान किरायों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या विमान किरायों में इन वृद्धियों के परिणामस्वरूप एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हुई है; और

(ग) एयर इंडिया की उड़ानों द्वारा यातायात में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पारगमन गंतव्य स्थलों के लिए एयर इंडिया के निर्धारित किराए में 1.1.93 से 8.5%, 16.1.93 से 15% और 1.4.94 में 6% की वृद्धि की गई है। 1.4.94 से 6% की वृद्धि नॉर्थ/सेन्ट्रल पेसिफिक, जहां वृद्धि 20% थी, होकर एरिया टी सी 31 को छोड़कर, सभी किरायां पर लागू है।

(ख) एयर इंडिया से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या मे कमी नहीं आई है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में एयर इंडिया की प्रतिशत भागीदारी में, इसके अनुपात में अन्य वाहकों द्वारा ज्यादा क्षमता रखने के कारण कमी आई है।

(ग) एयर इंडिया द्वारा अपनी मार्केट हिस्सेदारी में सुधार के लिए फ्रीकवेंट फ्लायर कार्यक्रम का आरंभ, महाराज और एग्जीक्यूटिव क्लब, यू. एस./यू के सेक्टर पर आधुनिकतम विमान 747-400 को शामिल करना, विमान के भीतर सेवा मे सुधार, अधिक क्षमता के लिए विमान कर्मीदल सहित पट्टे पर लेना, नए गंतव्यों स्थलों जैसे एम्सटरडम, एन्टेबे, मैनचेस्टर और तेल अबीब को जोड़ना, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में सुधार आदि जैसे उपाय किए गए हैं।

शुल्क-मुक्त दुकानें

1104. श्री सत्यदेव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कुल कितनी अधिसूचित शुल्क-मुक्त दुकाने हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य में कुछ अनधिकृत शुल्क-मुक्त दुकाने चलाई जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी दुकानों को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश में कहीं अधिसूचित सीमा शुल्क मुक्त दुकान नहीं है।

(ख) सरकार को उत्तर प्रदेश में ऐसी अनधिकृत दुकानों के चलाए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

छात्रों को विदेशी मुद्रा

1105. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत नौ माह के दौरान रूपये के भारी अवमूल्यन के कारण अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों में अध्यनरत भारतीय छात्रों को हो रही आर्थिक कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे छात्रों को उचित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने की सम्भायत पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ). हमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अन्य दूसरे देशों में अध्ययन कर रहे किसी भी विद्यार्थी से उनके द्वारा महसूस की गयी किसी भी प्रकार की कठिनाई के बारे में अब तक कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उच्च अध्ययन के लिए जोन वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए व्यवहार्य विमान विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और विदेशी मुद्रा प्रचलित बाजार दर पर जारी करना अपेक्षित होता है।

त्रिवेन्द्रम में भारतीय स्टेट बैंक का स्थानीय मुख्यालय खोला जाना

1106. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय मुख्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) ने सूचित किया है कि उसने बैंक की संगठनात्मक संरचना के विस्तृत अध्ययन के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए थे। उनके द्वारा दिए गये सुझाव के अनुसार बम्बई और मद्रास, सर्किल (केरल राज्य में स्थित शाखाएं मद्रास सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं) में नवम्बर 1995 में सर्किल की पुनर्संरचना शुरू की गई है। इसमें नए स्थानीय मुख्यालयों के सृजन का प्रावधान नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा उड़ीसा और गुजरात के उद्यमियों को सहायता

1107. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** :

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गुजरात तथा उड़ीसा के उद्यमियों से राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इनमें राज्य-वार कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दी गयी वित्तीय सहायता का एकक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाभोल विद्युत कंपनी को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

1108. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बहुराष्ट्रीय डाभोल विद्युत कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसे कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ग) अभी तक कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) क्या देश में विद्युत परियोजनाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कोई सुस्पष्ट नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि उसने डाभोल विद्युत कंपनी को 150 करोड़ रूपए का रूपया-ऋण तथा 540 करोड़ रूपए की गारंटी सहायता स्वीकृत की है।

(ग) आई डी बी आई ने डाभोल विद्युत कंपनी को अब तक कोई निधि जारी नहीं की है।

(घ) और (ङ) आई डी बी आई ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा जारी मार्गनिदेशों और साथ ही अन्य परियोजनाओं के लिए आई डी बी आई ने अपने स्वयं के मानदंडों को ध्यान में रखकर विद्युत परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। जहां तक बहु-राष्ट्रीय कंपनियों का संबंध है, आई डी बी आई के कोई विशिष्ट मार्गनिदेश नहीं है और आई डी बी आई द्वारा परियोजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

नेपाल के साथ व्यापार में असंतुलन

1109. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल व्यापार मे भारी असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस व्यापार के असंतुलन को कम करने हेतु दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1992-93 तथा उससे आगे निम्नवत है :

(मूल्य करोड़ रूपये में)

						अप्रैल-दिसम्बर			
1992-93		1993-94		1994-95		1994-95		1995-96	
आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
210.48	71.75	304.87	85.68	308.59	97.79	271.09	71.09	401.80	120.30

स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस

दोनो सरकारों द्वारा किए गए अधिमानी प्रबंधों की वजह से नेपाल से भारत को निर्यात तथा भारत से नेपाल को निर्यात दोनों बढ़ रहे हैं। भारत नेपाल को किफायती कीमत पर कच्चे माल की आपूर्ति करता है जिसका प्रयोग वे तृतीय देशों को निर्यात के लिए उत्पादों को विनिर्माण करने के लिए करते हैं। नेपाल के लिए अपनी आवश्यक जरूरतों को भारत से न्यूनतम फ्रेट लागत पर प्राप्त करना किफायती भी हैं। भारत मे नेपाल के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं में शामिल है बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंधों तथा लाइसेसिंग औपचारिकताओं के नेपाली उत्पाद की भारत के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच।

जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन हेतु भूमि

1110. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थन सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जयपुर स्थित वर्तमान विमानपत्तन को अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित करने हेतु 248 बीघा भूमि उपलब्ध करायी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय ने भूमि अर्जन कार्यवाईयों पर रोक लगा दी है।

रबड़ का उत्पादन

1111. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **वणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धि रही है;

(ग) वर्ष 1996-97 तक रबड़ के कितने उत्पादन का अनुमान है; और

(घ) सरकार द्वारा रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). 8 वीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मात्रा टनों में)

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	4,05,000	393,490
1993-94	4,40,000	435,160
1994-95	4,75,000	471,815
1995-96	5,11,000	507,000*
1996-97	5,46,000 (अनुमानित)	

*अनंतिम अनुमान

(घ) रबड़ बोर्ड के उत्पादन एवं इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। जिसमें शामिल हैं :

(1) उन्नत नवरोपण और पुनरोपण किस्मों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना;

(2) उच्च पैदावार वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और रबड़ उपजकर्ताओं को उसका विवरण;

(3) परामर्शी विस्तारण और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना;

(4) लधु उपजकर्ताओं के बीच सामूहिक प्रसंस्करण और विपणन को प्रोत्साहन देना;

(5) रबड़ की खेती, उत्पादन और प्रसंस्करण पर अनुसंधान करना;

(6) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती करने का प्रचार करने की विशेष योजनाएं; और

(7) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 1993-94 से विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना लागू की गयी है।

कपास का उत्पादन

1112. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान महाराष्ट्र में कपास का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय कपास निगम की प्रस्तावित नई योजना लागू कर दी है;

(ग) यदि हां, तो गत वर्षो की तुलना में बढ़े हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले दो वर्षों में कपास के उत्पादन में और कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में उत्पादित कपास की कुल मात्रा निम्नानुसार थी :

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि. ग्रा.)

वर्ष	मात्रा
1992-93	20.50
1993-94	14.00
1994-95	16.00

(ख) और (ग) अपने विस्तार क्रियाकलापों के अंतर्गत भारतीय कपास निगम का लक्ष्य पिछले कुल वर्षों से कपास की उत्पादकता में सुधार लाना रहा है। कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कपास निगम की परियोजनाओं के अंशदान का पृथक रूप से मूल्याकंन नहीं किया गया है। कपास सलाहकार बोर्ड के अनुगान के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कपास का उत्पादन निम्नानुसार था।

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठ में)
1990-91	117.00
1991-92	119.00
1992-93	138.00
1993-94	121.50
1994-95	138.50

(घ) कपास का उत्पादन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें बुआई का क्षेत्र, जलवायु की परिस्थितियां आदि शामिल हैं।

लीड जिला अधिकारियों की फिर से नियुक्ति

1113. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 में लीड बैंक योजना शुरू किए जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक द्वारा नियुक्त एल. डी. ओ (लीड जिला अधिकारियों) को वापस बुला लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक गत कुछ समय से एल. डी. ओ. की उपयोगिता की समीक्षा कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक से एल. डी. ओ का फिर से नियुक्त करने का अनुरोध किया है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1991 में यह निर्णय लिया गया था कि जिन जिलों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपने जिला स्तरीय कार्यालय खोल दिए हैं, वहां से भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी जिला अधिकारियों को वापस ले लिया जाए।

(ग) से (च). जुलाई 1993 से भारतीय रिजर्व बैंक अग्रणी जिला अधिकारियों की पुनः तैनाती के प्रश्न पर विचार करता रहा है। इस मामले की पुनः जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकरों, सरकारी कर्मचारियों गैर-सरकारी संगठनों आदि की राय मांगी हैं बैंकरों और सरकारी कर्मचारियों की राय अग्रणी जिला अधिकारी संस्थान को पुनर्जीवित करने के पक्ष में थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब निर्णय लिया है कि जिन जिलों से अग्रणी जिला अधिकारियों को हटा दिया गया है, उनमें उन्हें पुनः तैनात कर दिया जाए।

[हिन्दी]

गुजरात में विमान सेवाएं

1114. **श्री महेश कनोडिया** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी विमान कम्पनियों को गुजरात के उन क्षेत्रों मे विमान सेवाएं शुरू करने का निमंत्रण देने का है जहां राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की सेवाएं नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). निजी एयरलाइनों द्वारा यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर मार्गो/सैक्टरों पर हवाई सेवाएं प्रदान की जाती है। सरकार निजी एयरलाइनों को अपने नेटवर्क में गुजरात के कई स्थानों सहित और अधिक स्टेशनों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस समय मैसर्स गुजरात एयरवेज और एन.ई.पी.सी. एयरलाइनें केशोद, पोरबन्दर और कांडला के लिए प्रचालन कर रही हैं। मैसर्स गुजरात एयरवेज सूरत और भुज के लिए भी प्रचालन कर रही हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र मिलों का राष्ट्रीकरण

1115. **श्री मोहन रावले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वस्त्र मिलों के राष्ट्रीकरण का क्या उद्देश्य हैं;

(ख) उक्त उद्देश्य को कहां तक प्राप्त किया गया है;

(ग) मुम्बई (महाराष्ट्र) में कितनी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण एवं अधिग्रहण किया गया है;

(घ) मुम्बई (महाराष्ट्र) में प्रत्येक राष्ट्रीकृत मिल के कितने श्रमिकों को उनके बकाया पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है; और

(ड.) इन राष्ट्रीकृत वस्त्र मिलों के कितने श्रमिकों को अब भी उनके बकाया पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है; और

(घ) इन श्रमिकों के बकाया पारिश्रमिक का कब तक भुगतान किया जाएगा?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). एन टी सी को अप्रेल, 1986 में निगमित किया गया था जिसका उद्देश्य कार्य-समय पर अधिगृहीत की गयी रूग्ण वस्त्र मिलों को चलाना, उनकी पुनर्स्थापना ताकि आधुनिकीकरण करना आदि है। एन ओ सी के अधीन मिलों का आधुनिकीकरण, विस्तार आदि करने के लिए 510 करोड़ रू0 का निवेश किया गया। जबकि मार्किट यार्न का उत्पादन, औसत बिक्री वसूली तथा निर्यात में वृद्धि हुई है फिर भी एन टी सी को अप्रचलित मशीनों, अर्प्याप्त आधुनिकीकरण, कार्यशील पूंजी की कमी, अत्यधिक जनशक्ति कम क्षमता उपयोग होने आदि के कारण घाटे हो रहे हैं।

(ग) मुंबई में 25 राष्ट्रीयकृत मिलें हैं। जिनमें ऐसी 13 मिलें भी शामिल हैं जिनके प्रावधन का अधिग्रहण दिया गया है तथा जिनका राष्ट्रीकरण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 द्वारा किया गया था।

(घ) एन टी सी ने अधिग्रहीत मिलों (उनके राष्ट्रीकृत होने से) के जिन 217 कामगारों को पिछली बकाया मजदूरियों का भुगतान दिया है उनके ब्यौरे निम्नानुसार है:

मिल का नाम	कामगारों की संख्या
कोहिनूर मिल्स	184
फिनले मिल्स	23
टाआ मिल्स	2
मधुसूदन मिल्स	8
	217

(ड) और (च). खपाए न गए कामगारों को बहाल करने तथा पिछली बकाया मजदूरियों का भुगतान करने के बारे में उच्चतम न्यायलय के निर्णय के अनुसरण में श्रम न्यायालय कामगारों को अभिज्ञात कर रहा है। जब कभी भी कामगारों को अभिज्ञात किया जाता है एन टी सी द्वारा उनको बहाल तथा पिछले बकाया मजदूरियों का भुगतान किया जाता है।

पर्यटन को प्रोत्साहन

1116. **डा. के. वी. आर चौधरी :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को वर्ष 1996 के दौरान नये पर्यटक केन्द्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जी, हां। पर्यटन का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को उनकी उपयुक्तता और हर लिहाज मे पूर्ण होने के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु मान लिया है। पर्यटन का संवर्धन करने के लिए मेलों और त्यौहारों को मनाने और प्रचार सामग्री का मुद्रण करने, फिल्मों का निर्माण आदि करने के लिए राज्यों को निधियाँ रिलीज की जाती हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान, प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक भिन्न-भिन्न राज्यों को निम्नलिखित निधियां स्वीकृत की गई है :

राज्य	मेले और त्यौहार	प्रचार सामग्री का मुद्रण
1	2	3
हिमाचल प्रदेश	18,92,000	5,00,000
दिल्ली	4,77,475	

1	2	3
गोवा	17,20,540	2,52,000
राजस्थान	4,80,000	
तमिलनाडु	19,29,300	
असम	10,00,000	
महाराष्ट्र	7,49,000	
माणिपुर	1,28,642	
आन्ध्र प्रदेश	9,46,000	
सिक्किम	5,00,000	5,72,000
चण्डीगढ़	9,50,000	
पांडिचेरी	2,00,000	
पश्चिम बंगाल	5,00,000	
हरियाणा	12,07,000	
जोड	1,56,79,957	13,24,000

कम्पनियों द्वारा धन का दुरूपयोग

1117. **डा. वसंत पवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त धन के दुरूपयोग की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार कम्पनियों द्वारा धन का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है;

(ग) दोषी कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अदा न करने वाले व्यक्ति

1118. **मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चन्द्र खण्डूरी**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक आयकर का भुगतान न करने वाले प्रथम पचास व्यक्तियों/कम्पनियों आदि के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में आयकर की कुल बकाया धनराशि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बकायों की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग की धनराशि को कर का भुगतान न करने वाले प्रत्येक चूककर्ता के नाम के सामने संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

संलग्न सूची मे क्र. स. 1 से 4,6,7,9,10,16,21,27,29,32,37 और 42 में उल्लिखित मामले अधिसूचित व्यक्तियों के हैं। ये मामले विशेष न्यायलय मे लम्बित हैं। श्रीमती आर. एस. मेहता (क्र. सं. 47) का मामला भी विशेष न्यायलय के सामने लम्बित है।

हर्षद मेहता ग्रुप (श्री हर्षद मेहता, श्रीमती ज्योति एच. मेहता, अश्विन एस. महेता, ग्रोमोर रिसर्च एण्ड एस्सेट्स मैनेजमेन्ट लि.) के मामलों में अभिरक्षक ने यह उल्लेख करते हुए उच्चतम न्यायलय के सामने याचिका दायर की है कि विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 11 की व्याख्या के अनुसार आयकर विभाग, विशेष न्यायलय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना की तारीख तक जारी मांगों के सन्दर्भ में अपनी बकाया धनराशियों का हकदार है।

कुछ कर-निर्धारण अपीलीय स्तर अर्थात् आयकर आयुक्त (अपील) न्यायधिकरण के पास भी लम्बित हैं। कुछ मामलों में मांग देय नहीं हुई थी, मांग को स्थगित कर दिया गया था और सचिवों की समिति के समक्ष विवाद लम्बित था।

(ग) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा-उपबंधित विभिन्न उपाय किए जा रहे है जैसे अभियोजना चलाना, विशेष न्यायालय के सामने वसूली याचिका दायर करना। कुछ मामलों में भुगतान की गई धनराशि की सत्यापन किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के मामले में सम्पूर्ण मांग की अब वसूली कर ली गयी है।

विवरण

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार आयकर का भुगतान न करने वाले प्रथम 50 चूककर्ताओं की सूची

क्रम सं0	कर निर्धारिती का नाम	बकाया मांग (करोड़; रु. में)

1	2	3
1	श्री हर्षद एस. मेहता	3647.93
2.	श्री हितैन पी. दलाल	1271.33
3.	श्री भूपेन्द्र सी. दलाल	729.71
4.	श्री अश्विन एस. मेहता	608.17
5.	मै. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	604.56
6.	श्रीमती ज्योति एस० मेहता	525.14
7.	श्री ए. डी. नरोत्तम	485.39
8.	मै. पीयरलैस जनरल फाइनेन्स एंड इन्वैस्टमेन्ट क. लि.	439.42
9.	मै. ग्रोमोर रिसर्व एंड एस्सेट्स मैनेजमेन्ट लिमिटेड	290.89
10.	मै. धनराज मिल्स (प्रा.) लिमिटेड	267.46
11.	मै. बी. एच. ई. एल.	250.31
12	मै. बैंक ऑफ इण्डिया	203.06
13.	मै. सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड	196.91
14.	मै. बैकक नेशनल डी पैरिस	166.71
15.	मै. जी. टी. सी. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	158.77
16	मै. कासकेड होल्डिंग्स (प्रा.) लिमिटेड	155.00
17	मै. रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	145.62
18.	मै. सिटी बैंक एन. ए.	139.61
19.	मै. यूनाइटिड बैंक ऑफ इण्डिया	138.61
20.	मै. बी. एस. गांधी	125.81
21.	मै. ग्रोमोर लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट (प्रा.) लिमिटेड	120.75
22.	मै. अमेरीकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड	111.08
23.	मै. सेन्ट्रल बैंक	110.91
24.	मै. आर. सी. एफ. लिमिटेड	109.38
25.	श्री निरंजन जे. शाह	99.06
26.	मै. पंजाब नेशनल बैंक	94.19
27.	श्री जे. पी. गांधी	83.14
28.	श्री एस. एम. खंधार	83.00
29.	श्री सुधीर एस. मेहता	81.53
30.	श्री एस. एस. अग्रवाल	78.44
31.	श्री के. एन. शेखर	73.79
32.	श्री पी. एस. शेठ	72.73
33.	मै. आई डी. बी. आई.	67.83
34.	मै. न्यू इण्डिया एश्योरेन्स	59.91
35.	मै. विश्वेशराया इण्डस्ट्रियल आर. एण्ड. डी. सेन्टर	58.77
36.	मै. आई. सी. आई. सी. आई. लिमिटेड	58.76
37.	श्रीमती प्रतीमा एच. मेहता	59.96
38.	मै. पंजाब स्टेट को ऑफ मार्किटिंग फेडरेशन लि.	56.03
39.	श्री डब्ल्यू एन. चड्डा	53.18
40.	मै. केनबैंक फाइनेन्शियल सर्विसिस लि.	53.04
41.	मै. लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड	50.99
42	श्रीमती दीपिका ए. मेहता	47.50
43.	मै. इण्डियन बैंक	44.07
44.	मै. बैंक ऑफ बड़ोदा	44.00
45.	मै. तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल कार्पो. लि.	43.81
46.	मै. ओमान इन्टरनेशन बैंक सायोग	43.02
47.	श्रीमती रसीला एस. मेहता	39.38
48.	मै. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	38.46
49.	मै. हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड	38.32
50.	मै. पार्ले बेवरेजिस लिमिटेड	37.32

खान श्रमिक

1119. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय खान-श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य-वार और खान-वार कितने खान श्रमिक क्षयरोग और अन्य प्राणलेवा बीमारियों से ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान के श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई कार्यवाही योजना बनाई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या गत तीन वर्षों में खान श्रमिकों के स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान प्रणलेवा बीमारियों में मरने वाले खान श्रमिकों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण माफी योजना

1120. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण माफी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं की राज्यों के राजकोषों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण वसूली प्रकोष्ठ

1121. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अपने प्रधान कार्यालयों में ऋण वसूली प्रकोष्ठों का गठन कर लिया है और ऋण की वसूली के लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं और 30 जून, 1995 तक इसके परिणामस्वरूप ऋण वसूली के कार्य में किस सीमा तक सुधारा हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी राष्ट्रीकृत बैंकों ने अपने मुख्यालयों में ऋण कक्ष स्थापित किए हैं। निर्धारित लक्ष्य और 31 मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार बकाया अनुप्योज्य आस्तियां (एन पी ए) नीचे दी गई है :

31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए एन पी ए की वसूली

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम		31.3.95 के लिए निर्धारित लक्ष्य	31.3.95 की स्थिति के अनुसार बकाया एन पी ए का स्तर
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	845.00	1335.11
2.	आन्ध्रा बैंक	357.00	3377.65
3.	बैंक आफ बड़ोदा	1800.00	2689.68
4.	बैंक आफ इंडिया	2350.00	2961.00
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	725.00	734.59
6.	केनरा बैंक	1518.00	1523.00
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2153.00	2154.78
8.	कारपोरेशन बैंक	94.00	260.01
9.	देना बैंक	505.00	557.00
10.	इण्डियन बैंक	1498.00	2102.41
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	788.00	2000.41
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	185.00	221.94
13.	पंजाब नेशनल बैंक	1450.00	2033.00
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	577.28	619.32

1	2	3	4
15.	सिण्डिकेट बैंक	1108.00	1452.97
16.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	488.00	695.95
17.	युनाइटेड बैंक आफ इडिया	977.00	1309.68
18.	यूको बैंक	1145.00	1745.60
19.	विजया बैंक	330.00	439.40

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

1122. **श्री मोहन रावले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित कपड़ा मिलों के श्रमिकों की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन मिलों की मशीनों के लिए घटिया किस्म के नकली कलपुर्जे उपलबध कराए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि इन मिलों द्वारा प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता वाले माल को दूसरी श्रेणी की गुणवत्ता वाले माल के रूप मे चिन्हित करके उसे अपेक्षाकृत सस्ते दर पर बेचा जा रहा है ताकि श्रमिकों के वेतन का भुगतान किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन शिकायतों की जांच कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

विमान सेवाओं द्वारा अवैध प्रवेश

1123. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेनामी अनिवासी भारतीय इक्विटी के नाम से कुछ विमान सेवाएं भारतीय वायुक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर रही हैं/ प्रवेश कर चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश की सुरक्षा को देखते हुए विदेशी विमान सेवा की ऐसी इक्विटी भागीदारी सहित निजी विमान सेवाओं के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस तरह की कोई घटना सरकार के ध्यान में नही आई है।

(ख) और (ग). मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार, निजी एयरलाइन कम्पनियों को सरकार के अनुमोदन पर मामला-दर-मामला आधार पर 40% विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी की अनुमति दी जा सकती है।

स्वर्ण आभूषण

1124. **श्री वी. श्रीनिवासन** :

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजार में बेचे जाने वाले स्वर्ण आभूषण शुद्ध स्वर्ण मानक की तुलना में कम कैरट के होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत में बेचे जाने वाले स्वर्ण और इसके आरक्षण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सरकार के ध्यान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी

1125. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** :

श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में सिविलियन कर्मचारियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 में और मार्च 1995 के अन्त तक अलग-अलग इन कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इनकी संख्या में लगातार कमी के बावजूद इनके लिये वेतन, भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य अनुषंगी व्ययों की वार्षिक धनराशि में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, उक्त शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त वर्षों के दौरान इन व्ययों को कम करने के लिए भी उपाय किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति): (क) से (घ). यद्यपि संघ राज्यों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी (सिविलियन) कर्मचारियों की प्राक्कलित संख्या (1 मार्च की स्थिति के अनुसार) वर्ष 1991 में 40.82 लाख से घटकर वर्ष 1995 में 38.48 लाख हो गयी है, फिर भी महगाई भत्ते, अन्तरिम राहत और मूल वेतन में वार्षिक वृद्धि आदि में बढ़ोत्तरी के कारण उनके वेतन, भत्तों, यात्रा भत्तों आदि पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार एव सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचनाओं का रख-रखाव इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(ङ) और (च). सरकारी व्यय को नियंत्रित करना एक अनवरत प्रकार्य है तथा व्यय में कमी लाने के उपायों जैसे मदों की कटौती, पैट्रोल की खपत/व्यय में कटौती, समयोपरित भत्ते, मनोरजन, सजावट एवं प्रकाश व्यवस्था में कमी तथा वाहनों की खरीददारी पर प्रतिबन्ध आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं।

सेंट किट्स प्रकरण

1126. **श्री बलराज पासी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989 के सेंट किट्स प्रकरण के संबंध में सरकार अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच शीघ्र पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति): (क) जी, नहीं।

(ख) मामला अभी भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास जांचाधीन है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार सेंट किट्स अधिकारियों को अनुरोध पत्र भेजकर अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी को वहां जाने के बावजूद भी कुछ मूल रिकार्ड्स को प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाया है।

इंडियन एयरलाइन्स में पुनर्नियोजन और पदोन्नति

1127. **श्री राम विलास पासवान :**

डा. एस. पी. यादव :

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने सतर्कता समिति द्वारा जिन वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाए उनको पदोन्नति दिए जाने के अलावा सेवा निवृत निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों और यहां तक कि जिन्होने स्वैच्छिक सेवा-निवृति ली थी पुनर्नियोजित किया है,

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियां एयरलाइन्स की निर्धारित नीतियों के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पिछले दो वर्षों में, इंडियन एयरलाइन्स ने निदेशक स्तर के एक विमानचालक और वरिष्ठ प्रबन्धक स्तर के चार विमानचालकों की नियुक्ति उनके सेवा निवृत्त हो जाने पर ठेके के आधार पर की है। दुर्व्यवहार के कारण दोषी पाए गए किसी भी अधिकारी की पदोन्नति नहीं की गई है।

(ग) जी, हा।

(घ) यह प्रश्न नही उठता।

विमान कम्पनियों द्वारा सरकारी क्षेत्र को रियायतें

1128. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने सरकारी क्षेत्र को कोई रियायतें देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबध में अब तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). कुछ एयरलाइनों ने कारोबार की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित किए जाने की शर्त के अधीन तथा एक स्थल से दूसरे स्थल तक टिकटों पर प्रथम/क्लब श्रेणी के टिकटों के मामले में 10 प्र.श. से 20 प्र.श. तक के बीच तथा इकोनॉमी श्रेणी के टिकटों पर 15 प्र.श. छूट की पेशकश की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

प्राईवेट एयरलाइनों की बकाया कर राशि

1129. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि प्राइवेट एयरलाइन्स संचालक यात्रियों से लिए गए कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या इस कारण से हाल ही में इन एयरलाइनों की कतिपय उड़ानों को रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्राइवेट एयरलाइनों द्वारा व्यक्तियों से लिए गए कर की समय पर वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). कुछ निजी एयरलाइन प्रचालकों ने अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के भुगतान में चूक की है। इन एयरलाइनों के कुछ विमानों को हाल ही में रोक दिया गया था।

(ग) अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर नियम, 1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत दंड लगाने, विमान को रोक लेने आदि जैसी कड़ी कार्यवाही की जाती है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का दर्जा बढ़ाना

1130. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से दिल्ली स्थित आई टी डी सी होटलों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :(क) से (ग). 1996-97 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने, नई दिल्ली के सात होटलों को सम्मिलित करते हुए अपने 27 होटलों के ग्रेड बढ़ाने/नवीकरण के लिए, 17.74 करोड़ रुपयों की लागत पर, एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है।

विदेशी निवेश

1131. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विमानन कम्पानियों में 40% विदेशी इक्विटी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में निगमित विमानन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी प्रत्येक कम्पनी की इक्विटी कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, निजी एयरलाइन कम्पनियों को सरकार के अनुमोदन पर मामला-दर-मामला आधार पर 40 प्र.श. विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है।

(ख) विवरण निम्नानुसार हैं :-

(1) **मैसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड** (अनुसूचित निजी प्रचालक) 40 प्र. श. विदेशी विदेशी इक्विटी (**मैसर्स गल्फ** एयर का 20 प्र. श. और मैसर्स कुवैत एयरवेज का 20 प्र. श.)

(2) **मैसर्स बेंगाल एयर सर्विसेज लिमिटेड** (अनुसूचित सेवा प्रचालन) के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक (**मैसर्स नेकॉन** एयर लि0), नेपाल का 5 प्र. श.।

विषमता दूर करने संबंधी समिति

1132. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच विषमता की जांच करने के लिए विषमता दूर करने संबंधी समिति को नियुक्ति की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड़) सरकार द्वारा प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(च) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रूस को चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

1133. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमाशुल्क अधिकारियों ने कई निर्यातकों द्वारा अधिक निर्यात शुल्क की वापसी के दावों के आधार पर मिलने वाले प्रोत्साहन राशि में तथ्यों में हेराफेरी करके सरकारी कोष के साथ धोखाधड़ी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) रूस को चमड़े की बनी वस्तुओं के कितने फर्जी निर्यात किए गए एवं कितने निर्यातकों का पता लगाया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी खेप पकड़ी गई हैं;

(घ) उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी; और

(ड़) भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली सीमा शुल्क ने ऐसे 66 मामलों का पता लगाया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात माल की गलत घोषणा करना, उनका अधिक बीजक बनाना अथवा उनका गलत वर्गीकरण करना अथवा निषिद्ध मदों का निर्यात करना अथवा घटिया माल का नियार्त करना शामिल है ताकि 1993, 1994, 1995 तथा 1996 (फरवरी, 1996 तक) की अवधि के दौरान प्रतिअदायगी की बड़ी राशियों का दावा किया जा सके।

(ग) रूस को चमड़े के माल का निर्यात करने वाली दो फर्मों को निर्यात किए जाने वाले माल की गलत घोषणा करने तथा इसका अधिक बीजक बनाने में लिप्त पाया गया है। प्रेषणों में से एक प्रेषण का अधिहरण कर लिया गया था और तीस लाख रूपए का उद्धारक जुर्माना अदा करने पर इसे मुक्त कर दिए जाने की अनुमति दे दी गयी थी । अन्य मामलें में, प्रतिअदायगी के प्रयोजनार्थ माल के मूल्य में कमी कर दी गयी है और उनकी प्रतिअदायगी के दावे को भी आनुपातिक रूप से मना कर दिया गया है।

(घ) सीमा शुल्क अधिनियम के तहत न्याय-निर्णयन; जहां-कहीं आवश्यक है किया जा रहा है।

(ड़) क्षेत्रीय कार्यालयों को गलत घोषणा के प्रयासों तथा घटिया माल के निर्यातों के प्रति उपयुक्त रूप सावधान रहने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन

1134. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क का भुगतान किये बगैर सामानों को छुड़ाते समय नयाचार प्रणाली के दुरूपयोग तथा सीमा शुल्क न दिये जाने के मामले, जिससे करोड़ों रूपये के राजस्व की हानि होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आये तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) नयाचार प्रणाली दुरूपयोग पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). कुछेक मामले, जिनमें नयाचार पद्धति के दुरुपयोग का संदेह है, सरकार के ध्यान में आए हैं। जिन मामलों में नयाचार सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ सीमा शुल्क की अदायगी करना पड़ी एवं कोई अन्य दांडिक कार्यवाही करना पड़ी है, उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) नयाचार का आशय सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का अनुपालक करने और जहां कहीं आवश्यक हो, सीमा शुल्क की अदायगी के बाद सामान की शीघ्र निकासी करने के लिए शिष्टाचार प्रदान करने से है। इस प्रयोजन के लिए नयाचार एककों में अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक हवाई अड्डे पर आसूचना इकाइयों की स्थापना की गई है और इन एककों में तैनात किए गए अधिकारीगण देश में आने वाले और बाहर जाने वाले यात्रियों और उनके सामान की सीमा शुल्क जांच के प्रयोजन के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। इस प्रयोजन के लिए यात्री पार्श्वचित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, सभी प्रमुख हवाई-अड्डों में एक्स-रे मशीने लगाई गई हैं जिनका उपयोग आसूचना तथा यादृच्छिक चयन के आधार पर यात्रियों के सामान की जांच-पड़ताल करने के लिए किया जाता है। आसूचना इकाइयों के अधिकारी यात्रियों और आगुन्तुकों पर सामान्य रूप से निगरानी भी रखते हैं।

विवरण

दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को छोड़कर अन्य किसी भी हवाई अड्डे में गत तीन वर्षों के दौरान नयाचार सुविधाओं के किसी प्रकार के दुरुपयोग होने की सूचना नहीं मिली है। उन मामलों का ब्यौरा जिनमें नयाचार सुविधाएं प्रदान करते हुए भी उचित जांच पड़ताल के बाद यात्री सामान पर सीमा शुल्क लगाया गया था और दाण्डिक कार्यवाई की गई थी, नीचे दिया गया है :-

(1) दिनांक 18.10.94 को डा. आर. श्रीधरन, संसद सदस्य ने श्री एम. एम. हमीम और श्री एम. रविचन्द्रन नामक दो यात्रियों की अगुवाई करने के लिए अनुरोध किया। तथापि हांगकांग से उनके आगमन पर उन्हे रोक लिया गया था क्योंकि उनके पास 44.81 लाख रूपए मूल्य के 552 कम्प्यूटर हार्ड-डिस्क थे। इसके अलावा उनके पास 1.07 लाख रूपए मूल्य के 363 ग्राम सोने के आभूषण थे। पूछताछ के दौरान, यात्रियों ने बताया कि डा. आर. श्रीधरन, संसद सदस्य को उनके द्वारा माल की तस्करी किए जाने के प्रयास की जानकारी थी और उनके आगमन पर उन्होंने उनकी अगुवाई की और निकासी सुनिश्चित की। आगे और पूछताछ करने पर, यह पता चला कि डा. श्रीधरन तस्करी की गतिविधियों में सहायता देने और उसे बढ़ावा देने के कार्य में लिप्त थे। न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अलावा, डा. श्रीधरन और दो यात्रियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद कर दिया गया।

(ii) दिनांक 7.11.95 को पूर्व कपड़ा मंत्री, श्री कमल नाथ विदेश से वापस आए। उनके निजी सचिव जो सामान प्राप्त करने के लिए मौजूद थे, ने शुल्क की अदायगी के लिए सामान को शुल्क्य चैनल (रैड चैनल) में प्रस्तुत किया और क्राकरी और तराशे हुए शीशों के रूप में सामान की घोषणा की। सामान की जांच-पड़ताल की गई थी और 1,11,217/-रूपए का शुल्क प्राप्त किया गया था। इसके अलावा उक्त सामान पर 25,000/- रूपए का छुडाई जुर्माना और 10,000/-रूपए अर्थदण्ड भी लगाया गया था।

रेशम का निर्यात

1135. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेशम की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा रेशम के निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95 तक) के दौरान निर्यातित रेशम सामान की मात्रा निम्नानुसार थी :-

मात्रा	वर्ष (लाख वर्ग मी. में)
1992-93	*
1993-94	466.32
1994-95	610.33

* केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनिवार्य लदान पूर्व निरीक्षण को समाप्त कर किया गया तथा इसलिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) रेशम उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय वर्ष 1992-93 में 734.22 करोड़ रूपए, 1993-94 में 789.10 करोड़ रूपए तथा 1994-95 में 937.54 करोड़ रूपए थी।

(ग) रेशम उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद को विभिन्न निर्यात संवर्धन शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

सहकारी बैंकों द्वारा ऋण

1136. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने सहकारी बैंक काम कर रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर राजस्थान में इन बैंकों द्वारा कितना ऋण वितरित किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) देश में कार्यरत सहकारी बैंकों की संख्या का ब्यौरा (राज्य-वार) सलंग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान सहित प्रत्येक राज्य में जिला के केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण (II) और (III) में दिया गया है। जहां तक शहरी सहकारी बैंकों का संबंध है, उन्होने वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान क्रमशः 10132/-, 12172/- और 14795/- करोड़ रूपए संवितरित किए हैं जिनमें से राजस्थान में शहरी बैंकों ने क्रमशः 50/-, 64/- और 106/- करोड़ रूपए संवितरित किए हैं।

विवरण -।

देश में शहरी राज्य सहकारी जिला केन्द्रीय सहकारी और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों (राज्य-वार) की संख्या

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या (यू.सी.बी.)	राज्य सहकारी बैंको की संख्या (एस.सी.बी)	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या (डी.सी.सी.बी.)	राज्य भूमि विकास बैंकों की संख्या	प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	63	1	22	*	-
2.	असम	8	1	1	1	21
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	1	-	-	-
4.	अण्डमान और निकोबार	-	1	-	-	-
5.	बिहार	5	1	35	1	-
6.	चण्डीगढ़	-	1	-	-	-
7.	दादर और नगर हवेली	-	-	-	-	-
8.	दमन और दीव	-	-	-	-	-
9.	राष्ट्रीय राजधानी, संघ क्षेत्र दिल्ली	15	1	-	-	-
10.	गोवा	6	1	-	-	-
11.	गुजरात	291	1	18	1	-
12.	हरियाणा	8	1	16	1	79
13.	हिमाचल प्रदेश	4	1	2	1	1
14.	जम्मू और कश्मीर	3	1	3	1	-
15.	कर्नाटक	214	1	19	1	177
16.	केरल	57	1	14	1	44
17.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
18.	मध्य प्रदेश	51	1	45	1	45
19.	महाराष्ट्र	414	1	30	1	-
20.	मणिपुर	5	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7
21.	मेघालय	2	1	-	-	-
22.	मिजोरम	1	1	-	-	-
23.	नागालैंड	1	1	-	-	-
24.	उड़ीसा	14	1	17	1	57
25.	पाण्डिचेरी	1	1	-	1	-
26.	पंजाब	6	1	17	1	72
27.	राजस्थान	28	1	26	1	34
28.	सिक्किम	-	-	-	-	-
29.	तमिलनाडु	133	1	22	1	181
30	त्रिपुरा	1	1	-	1	-
31.	उत्तर प्रदेश	49	1	60	1	-
32	पश्चिम बंगाल	47	1	17	1	24
	योग	1427	28	364	19	135

* राज्य सहकारी बैंक मे समामेलित।

विवरण-II

1992-93, 1993-94, और 1994-95 के दौरान जिला केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋणें और अग्रिमों की राज्य-वार स्थिति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	102254	98609	121229
2,	असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	बिहार	8164	6059	2684
4.	गुजरात	136518	142931	179996
5.	हरियाणा	105087	112016	137237

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	21831	31115	41883
7.	जम्मू व कश्मीर	9305	9794	9814
8.	कर्नाटक	71874	101368	132063
9.	केरल	73717	122732	167331
10.	मध्य प्रदेश	123049	132842	140306
11.	महाराष्ट्र	145872	290160	537367
12.	उड़ीसा	16039	20522	32888
13.	पंजाब	116895	125421	150191
14.	राजस्थान	52518	65627	77577
15.	तमिलनाडु	335271	370512	493789
16.	उत्तर प्रदेश	149574	160950	160950*
17.	पश्चिम बंगाल	28399	24933	32331
	योग	1496367	1815591	2417636

*1993-94 से संबंधित है

विवरण (III)

1992–93, 1993–94 और 1994–95 (अनन्तिम) के वर्षों के दौरान जिला भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए राज्य–वार ऋणों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1992–93	1993–94	1994–95 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	224.57	222.57	196.57
2.	असम	0.84	1.15	0.67

1	2	3	4	5
3.	बिहार	7.76	8.42	8.06
4.	गुजरात	80.41	95.59	93.27
5.	हरियाणा	73.24	111.11	136.16
6.	हिमाचल प्रदेश	4.13	5.10	9.73
7.	जम्मू व कश्मीर	उपलब्ध नहीं	4.62	4.26
8.	मणिपुर	-	0.23	-
9.	मध्य प्रदेश	52.87	49.74	65.96
10.	महाराष्ट्र	129.12	143.41	135.19
11.	उड़ीसा	15.70	18.58	14.25
12.	पंजाब	78.39	101.82	172.91
13.	पाण्डिचेरी	0.82	1.05	0.77
14.	राजस्थान	31.93	77.63	103.63
15.	कर्नाटक	119.37	135.54	104.29
16.	केरल	69.47	83.30	86.99
17.	तमिलनाडु	39.37	112.85	150.02
18.	उत्तर प्रदेश	198.95	211.53	257.06
19.	पश्चिम बंगाल	102.88	22.75	30.27
20.	त्रिपुरा	0.85	0.70	1.54
	योग	1230.68	1407.33	1571.60

*दिनांक 1991-92 से संबंधित है।

*दिनांक 1990-91 से संबंधित है।

उद्योगों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता

1137. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बड़े और संयुक्त औद्योगिक घरानों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम्पनी-वार दी गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कम्पनियों की विभिन्न नवीन परियोजनाओ हेतु राशि का वितरण असमान रूप से किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण हैं; और

(ड़) भारतीय औद्यागिक विकास बैंक द्वारा इस संबंध मे क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ड़). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में संकल्प

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, आज हम महिलाओं के मुद्दे उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, बंगलौर में क्रिकेट मैच हो रहा है और इस मैच में पाकिस्तान की टीम आ रही है .... (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आप इंटरनेशनल वूमैन्स ईअर के बारे में पहले बोलने दो, क्या करते हो?

श्री मोहन रावले : आज हिन्दुस्तान में बम एक्सप्लोजन से हजारों लोग मारे जा रहे हैं ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप इस पर बाद में बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, जो कुछ कह रहे हो, हम उसका पूर्णतया खण्डन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे कार्य का विनियमन करने दो। ठीक है, कृपया अपने स्थानो पर बैठ जाईए। कल, सभा की महिला सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण दिन पर कतिपय बातें कहने के लिए समय मांगा था। मेरे विचार से सभा को उनकी बात सुनने में रुचि होगी। उसके पश्चात, मेरे विचार से, सदस्य माननीय प्रधानमंत्री की बात सुनना चाहते है, और फिर हम कार्य को जारी रखेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, महिला सदस्यों को कुछ पुरुष सदस्यों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उनको सभी सदस्यों का पूर्ण समर्थन है।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील (अमरावती) : महोदय, आज, 8 मार्च एक ऐतिहासिक दिन है जिसे विश्व भर में 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर, हमारे संविधान की भावना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के रूप में महिलाओं की स्थिति तथा उनके कल्याण में और वृद्धि करने के लिए, इस सम्मानीय सभा में हम निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करते हैं। 'बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन' दिये जायें ताकि उन्हे समाज में अपने सम्मान अधिकारों के प्रयोग एवं अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार किया जा सके। बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति समानता आदर तथा दायित्व को समुचित शैली विकसित करने के लिए प्राथमिक स्तर से ही समुचित तथा व्यापक शिक्षा प्रदान की जाए। प्रचार माध्यमों से भी कहा जाए कि वे महिलाओं को किसी भी प्रकार अपमानजनक अश्लील तथा अभद्र रूप मे प्रदर्शित न करें। राज्य विधान मण्डलो तथा संसद मे महिलाओ के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए स्थानो के पर्याप्त आरक्षण हेतु संवैधानिक रूप मे प्रावधान किया जाये।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हू क्योंकि आपके कारण और आपकी सहायता से हम यह सुझाव प्रस्तुत कर सकी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा को यह नही बताना चाहिए कि मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा था।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : महोदय, मै कुछ नहीं बता रही हू, मैं केवल आपको धन्यवाद दे रही हू।

माफ कीजिए, महोदय, मैने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों का भी यही मत है।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : हां, मैं उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करती हूं।

'उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति तथा इस कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बनी नीतियों तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु संसद की दोनो सभाओं की एक स्थायी समिति गठित की जाए।'

यह मेरा संकल्प है। 'क्या मैं कुछ कर सकती हूं?'

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कह सकती हैं क्योंकि एक या दो अन्य सदस्य अपनी बात कह सकते है और हम इसी मद को लेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटील : आज का दिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में दुनियाभर में मनाया जा रहा है। वैदिक और पौराणिक काल से आज तक हमने देश में महिलाओं का गौरव बढ़ाया हैं। आज़ादी का आन्दोलन जब महात्मा जी की प्रेरणा से छेड़ा गया तो महिलाओं ने भी लोहे के चने चबाए और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में शरीक हुई। महिलाएं जेल गई, लाठी प्रहार सहे, ब्रिटिश पुलिस के जूते उन्हें दबा रहे थे, फिर भी वे नहीं डरी। तेरह वर्ष की एक लडकी तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ी तो उस पर गोलियां चलाई गयी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वह खुद गिर गई लेकिन तिरंगे झंडे को उसने नीचे नहीं गिरने दिया। ऐसा हमारा आजादी का इतिहास रहा है।

जब देश को महिलाओ ने पुरूषो के साथ कधे से कधा मिलाकर आजादी दिलवाई, हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद आज अगर कोई ऐसा कहे कि महिलाओ की कुर्बानी से सींचे गए आजाद हिन्दुस्तान के चमन मे जब बहार आयी है तो उन्हे आगे बढ़ने का अधिकार नही है, तो यह उनके प्रति अन्याय होगा। इसलिये हम चाहते है कि जिस प्रकार हर घर में पुरुष और महिलाए मिलकर घर की गाडी चलाते है, जिस तरह रथ के दो पहिए होते हैं, उसी तरह हमारे समाज मे 50 प्र.श. महिलाए है, यदि हमें देश के रथ को आगे बढाना है, उसमे यदि हम एक पहिए को कमजोर रखें, अनपढ रखें, गंवार रखे, नाकाबिल रखे तो हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकेगी और हम ऐसा नही कह सकेंगे कि हम पूरी तरह विकसित हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि कुछ दिन पहले यू.के. की पार्लियामेंट के दो सम्माननीय सदस्य हमारे देश मे आये थे, पार्लियामेंट एनैक्सी में उनकी मीटिंग थी, उन्होने बहुत अच्छा भाषण दिया, बाद में हमने उनसे कई सवाल पूछे। हमने यह भी पूछा था कि जैसे हमारे देश में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 30 प्र.श. रिजर्वेशन दिया गया है, क्या आप भी अपने देश में इसे अपनाना चाहेंगे तो हमे उत्तर मिला कि उनके देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। तब हमें यह आभास हुआ कि हमारे देश की यह महिमा है और पुरूषों के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम सबसे आगे हैं। आज तक महात्मा गांधी से लेकर जितने भी समाज-सुधारक हुए हैं, उन सबने समाज सुधार करने के लिए सबसे पहला काम अगर कोई किया तो महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। लेकिन आज हमें यह देखकर दुख होता है कि जितनी पिक्चर्स और फिल्में देश में बन रही हैं, उनमें महिलाओं को जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, मै समझती हूं कि वह उनके सम्मान के अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है। यह कहा जा सकता है कि एक आर्ट है...

अध्यक्ष महोदय : आपका रिजील्यूशन बहुत अच्छा हैं, उसमें सब कुछ है।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत सी बातें कहनी थी मगर समय की कमी को देखते हूए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ऐसी पिक्चर्स और गाने जिनका समाज पर बुरा असर पड़ता है, ऐसी फिल्में बनाने वालों पर तो किसी तरह का असर नहीं होता, उनकी तो थैलियां भर जाती हैं, मगर समाज पर उनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि ऐसी पिक्चर्स को सभी युवक-युवतियां देखती है, पूरा समाज उन फिल्मों को देखता है जिन्हें देखकर उन पर बुरा असर पडता है, समाज पर उनका अच्छा असर नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के मैम्बर्स को शामिल करके एक कमेटी बनाई जाए। हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान लोकसभा की मुद्दत अब खत्म होने जा रही है, ऐसे समय दोनों हाउस के सदस्यों को शामिल करके कोई कमेटी कैसी बनाई जा सकती है, लेकिन हमारे देश की गरिमा, महिलाओं के सम्मान और राष्ट्र के विकास से जुड़ा यह प्रश्न है, इसलिये हमे अपनी रोजमर्रा की पोलिटिकल जिन्दगी से ऊठकर ऐसे प्रश्न पर विचार करना चाहिये। जब ग्यारहवीं लोकसभा आयेगी, वह भी इस पर विचार करेगी। अगली लोकसभा में हममे से बहुत से माननीय सदस्य वापस आयेंगे और शायद कुछ वापस न भी आ सकें लेकिन हम रहें या न रहें, यह पार्लियामेंट रहेगी, देश की गरिमा रहेगी, हमारे आदर्श रहेंगे और वे कायम रहें, यही हम चाहते है। दसवीं लोकसभा इसका श्रेय ले कि आज के ऐतिहासिक दिन हम यहां एक ऐतिहासिक निर्णय करने जा रहे हैं।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। प्रतिभा ताई ने सारी बातें सदन के सामने रखी हैं। मुझे तो आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए सदस्यों से एक आग्रह करना है। यहां पर सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्य बैठे हैं, कानून में परिवर्तन करना और समाज में परिवर्तन करना, ये दोनों जिम्मेदारियां और अधिकार संसद सदस्यों के पास होते हैं। आज आजादी के 49 साल के बाद भी सब प्रकार के परिवर्तन की व्यवस्था करने का प्रयास करने के बाद भी हमारे देश में महिलाओं को जिस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। खाली 'इक्वल राइट' की बात नहीं बल्कि 'इक्वल रैस्पैक्ट' की बात और लड़ाई समाज में होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को शिक्षा के अवसर मिलें और शिक्षा से भी ज्यादा आर्थिक आत्मनिर्भर होने के अवसर मिलें। हमने देखा है कि बहुत संख्या में महिलाओं को शिक्षित होते हुए भी यदि आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं होती हैं, तो उनको कदम-कदम पर अपमान झेलना पड़ता है। इसीलिए हम कोई ऐसा प्रावधान बनाएं जिससे कि महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो सकें ताकि वे 'इक्वल रैस्पैक्ट' पा सकें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा आग्रह आपके माध्यम से यह है कि हम कोई ऐसा संशोधन करें जिसमें कि एक महिला जिसके साथ कि दुराचार की घटना घटती है, तो कई बार बलात्कारी, थोड़ा बहुत दंड पाने के बाद भी, समाज में सम्मान की जिंदगी जीने लग जाता है, लेकिन जिस महिला के साथ ऐसी घटना घटी होती है, वह महिला जीवित होते हुए भी एक लाश हो जाती है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी मांग है कि हमें इस प्रकार का कोई प्रावधान लाना चाहिए कि किसी विशेष परिस्थिति में बलात्कारी को सीधा मृत्युदंड दिया जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं न घटें।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में तन्दूर कांड जैसी घटनाएं घट रही हैं। जहां एक तरफ हमारे देश में " यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता " अर्थात् जिस देश में नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है यह विश्वास किया जाता है वहीं दूसरी ओर इस देश में महिलाओं के अंग काटकर और उन अंगों को तन्दुर के अन्दर भूनकर रख दिया जाता है। इससे हमारे देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर अच्छी नहीं बनती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे देश में दहेज की मांग करना और फिर दहेज को लेकर बहुओं को जलाने की घटनाएं होती हैं। इसके कारण हमारे देश में भी महिलाएं सहमती हैं और पुरी दुनियां के अन्दर भी हमारे देश की छवि अच्छी नहीं बनती। इसलिए दहेज को रोकना, बलात्कारी को कठोरतम दंड देने का प्रावधान होना चाहिए और जैसा कि प्रतिभा ताई ने कहा कि महिलाओं की छवि को फिल्मों में विकृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसी प्रकार टेलीविज़न पर भी महिलाओं की छवि को अच्छे ढंग से प्रस्तुत नही किया जा रहा है। चाहे सिगरेट का मामला हो, तो महिला, कम्बल का मामला हो तो महिला और जूते का मामला हो, तो महिला को दिखाया जाता है। एक तरफ तो हम महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम महिलाओं का इस तरह उपयोग करते हैं। इसलिए न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टेलीविज़न पर विज्ञापनों में भी महिलाओं के प्रति इस प्रकार का अपमानजनक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यहां उपस्थित सदस्यों से मेरा आग्रह है कि महिलाओं को अधिक तौर पर आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको शिक्षित करने 'इक्वल रैस्पैक्ट' पाने और बलात्कारी को मृत्युदंड का प्रावधान करने के बारे में संसद में विचार होना चाहिए।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बहन प्रतिभा ताई और उमा जी की वेदनाओं और संवेदनाओं के साथ अपने को संयुक्त करती हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, बीजिंग से लौटने के बाद, आज यह पहली बार है जब हमें लग रहा है कि हम इस समाज के ऐसे अंग हैं जिसको नकार के आप नहीं चल सकते और हमने वहां जो-जो निर्णय लिए हैं, आप द्वारा भेजे जाने पर, उन सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने में आपके सहारे की आवश्यकता है और वह आवश्यकता सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बस एक उपाय है, महिलाओं के अधिकार को यह मानकर चलें कि महिलाओं का अधिकार भी मानव अधिकारों की तरह है, हम भी यहां जन्म लेते हैं उन सारी परिस्थितयों में जब कि एक बाल शिशु चाहे वह बालक के रूप में जन्म लेता है या बालिका के रूप में जन्म लेता है, लेकिन यहां से यह ज्ञान, सम्पदा, सौष्ठव, शान्ति और सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी के देश में महिला प्रताड़ित है। इसका कारण एक ही है। हमारे समाज में, हमारे बारे में जो सोच है, वह एक व्यक्ति के बारे मे नहीं है, बल्कि भोगपरक सोच है। हमें जब भी देखा जाता है, तो किसी की बेटी, किसी की बहू और किसी की मां के रूप में ही देखा जाता है। हम 50 प्र.श. हैं और यदि 50 प्र.श. का हमारा अधिकार धन में हो और शिक्षा में हो तथा यदि वह एक बार भी हमें दे दें, तो मुझे लगता है कि हम अपनी समस्याओं से तुरंत उबर लेंगे। हमारे लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन कानूनों के बाद भी देश में महिलाओं पर अत्याचारों में वृद्धि हो रही है। 1991 से लेकर 1993 के बीच का जो आंकड़ा है वह चार गुणा बढ़ गया है यानी डॉवरी डैथ्स के 1991 में 837 मामले दर्ज किये गये हैं। वहीं सन 1993 में 5,817 हो गया। यह दर्शाता है कि चार गुणा नहीं बल्कि साढ़े पांच गुणा की वृद्धि, यह हमारे इन कानूनों में भेदभाव होने का कारण है। महोदय, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। सम्पत्ति और शिक्षा के अधिकार के पहले हमारी 50 प्र.श. आबादी है। आज हमें भीख नहीं चाहिए। हमें भीख नहीं भागेदारी दो और सत्ता में हमारी साझेदारी दे दो। 33 प्र.श. की भीख नहीं चाहिए। वह उनको देना जो हमारी प्रताड़ित महिलाएं हैं लेकिन सामान्य महिलाओं को 50 प्र.श. की भागीदारी दे दो। वह 30 प्र.श., जो हमारे यहां संतप्त हैं, प्रताड़ित हैं, उन महिलाओं के लिए रख दें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने का आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं उन सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हू जो दुनियाभर में अपने देशों में अपनी समानता, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैं अपने उन पुरुष सहयोगियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं जो शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों से भी, अपनी चुनाव उम्मीदवारी से यह दर्शायेंगे कि वे 30 प्र.श. आरक्षण का कहां तक समर्थन करते हैं।

अन्त में, क्योंकि समय बहुत कम है मैं एक बात कहना चाहती हूं। संसद के बाहर तथा अन्दर बड़ी लड़ाई के कारण, हमारे पास कई अच्छे कानून हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्रियान्वयन तन्त्र अभी भी बहुत कमजोर है। इसी वजह से श्रीमती प्रतिभा ताई के संकल्प का तथा कुछ अन्य दावों का समर्थन करते हुए, जो किए गये हैं, मैं यह मांग करती हू कि क्रियान्वयन तंत्र को सुदृढ़ किया

जाए, महिला आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं तथा निचले स्तर पर भी महिला आयोगों का गठन किया जाए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : धन्यवाद महोदय, प्रतिभा ताई के संकल्प का पूर्ण समर्थन करते हूए, मैं इसमें एक या दो शब्द जोड़ना चाहती हूं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए की 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1857 में अमरीका एक कपडा मिल की महिला मजदूरों ने अच्छे वेतन तथा कार्यावधि के लिए संघर्ष शुरू किया था। अतः इस दिन हमें हमारे देश तथा अन्य देशों में उन महिलाओं को याद करना चाहिए जो कारखानों में असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में, विभिन्न तरह से कार्य कर रहीं है, और जिनका वहां की प्रणाली द्वारा शोषण किया जा रहा है।

महोदय, इस संबंध में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि जब तक हम निचले स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को सुदृढ़ नहीं करते और उस हानिकारक प्रभाव को नहीं बदलते जो ढांचागत समायोजन कार्यक्रम का महिलाओं के जीवन पर है, समान अधिकारों के साथ भूमि सुधारों के बिना महिलाओं के लिए भूमि के बिना, स्वयं में आरक्षण उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता जो हम पूरा करने का प्रयास कर रहें हैं। अतः हमें यह कहना चाहिए कि इसे निचले स्तर से राजनैतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर महिलाओं की बराबर की भागीदारी को बढ़ावा देकर महिलाओं को और अधिकार देकर पूरा किया जाना चाहिए।

मैं अंतिम बात यह कहना चाहती हू कि एक ऐसे देश में जहां हम पाते हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा में वृद्धि हो रही है, वहां मेरे विचार से महिलाओं को हिंसा से, चाहे वह घर में हो अथवा बाहर, पूरी तरह से बचाया नहीं जा सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि कानून के क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि उन अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जा सके जो महिलाओं पर अत्याचार करें और विशेषकर बच्चों, विशेषकर बच्चियों के विरूद्ध अपराधों के संबंध में कानूनों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बहुत संक्षिप्त रूप से कहिये।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनंद (वैशाली) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारी बडी बहन के समान प्रतिभा पाटिल ने सारी बातें बोल दी हैं, अन्य सारी महिला संसद भी बोलीं हैं। हमें भी चार शब्द बोलने का मौका मिला है, इसलिए हमें खुशी हो रही है।

हम चाहेंगे कि इस देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं, बल्कि उनको अपना हक चाहिए। देश को सजाने-सवांरने में जितना हाथ पुरूषों का रहा है, उससे कहीं बढ़ चढ़कर इस देश में महिलाओं ने अपनी कुर्बानी दी हैं, वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी दी हैं, बल्कि जरूरत पड़ी है तो घर चलाने से लेकर देश को बचाने में तलवार से भी उन्होंने जवाब देने का काम किया है और यह क्षमता महिलाओं में ही है कि वह घर भी संभाल सके और जरूरत पड़े तो वह देश को भी संभाल सके। इसलिए उसे आरक्षण नहीं चाहिए, वह आरक्षण और भीख का कटोरा लेकर नहीं आई है, बल्कि उसे इस देश में हक चाहिए और 50 प्र.श. उसे हक मिलना चाहिए।

मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब लड़कियां पैदा होती है तो अपने घर में वह गुलाम रहती हैं, चाहे वह पिता के अंदर हो या भाई के अंदर हो, वह गुलाम बनकर रहती हैं। फिर शादी के बाद अपने पति के घर में उसे पूर्ण अधिकार तब तक नहीं मिलता है, जब तक कि वह विडो नहीं हो जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसके पति के रहते हूए ही, विडो होने से पहले ही, उसे अपनी ससुराल में पूर्ण अधिकार मिलें।

यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूं... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) अध्यक्ष जी, हमने भी तो नोटिस दिया है, हमें भी दो-दो शब्द कहने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है यदि आप सभी पेश किए गए संकल्प से सहमत है और इसका समर्थन करते है, तो यह ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : इनसे भी तो महिलाओं के बारे में कुछ कहलवाईये। इस पर अटल जी को भी बुलवाईये। पुरूषों को भी तो महिलाओं के बारे में कुछ बोलना चाहिए।

[अनूवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव) : महोदय, सरकार की ओर से मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम संकल्प में निहित भावना के साथ पूरी तरह सहमत है। वर्षो से उपाय किए जाते रहे हैं। महिलाओ को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हे तथा संपत्ति के मामले में प्रत्येक वर्ष उनके लिए नए-नए कदम उठाए जाते रहे हैं। अब, उन्हें पंचायतों तथा अन्य निकायों में

आरक्षण प्रदान करके हमने उनके अधिकारों को राजनीतिक रूप से स्वीकार कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में उन्हें अन्य संस्थाओं में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि यह अभी इसी समय हो जाएगा, किन्तु ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस संकल्प से पूरी तरह सहमत हैं। महिला सदस्य तथा अन्य सदस्य इस विषय पर वर्षों से गहनतापूर्वक जो सोचते आ रहे हैं तथा जो सुझाव देते हैं, उन सुझावों पर सरकार तत्परता से विचार करती है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज के दिन देवदासी प्रथा पर विचार नहीं किया गया तो यह बड़े शर्म की बात होगी। उड़ीसा में सितम्बर के महीने में देवदासियों की भर्ती के लिए आह्वान किया गया और उड़ीसा के ... **(व्यवधान)***

देवदासी प्रथा का अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो वह आंसुओं से भरा हुआ इतिहास है। ... **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : और देवदासी प्रथा के साक्षात्कार के लिए महिलाओं को बुलाया जाना समाज के लिए कलंक की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे मांग करना चाहूंगी कि देवदासी प्रथा को आपको जड़ से समाप्त करना होगा, और इसके लिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला आयोग को आप और मजबूत करिए। महिला आयोग का मतलब यह होना चाहिए कि वह अत्याचारी पुरुषों के लिए वह खौफ बनकर छा जाए और महिलाओं के लिए वह एक सहयोगी संस्था बनकर चले, तभी आपका महिला आयोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा, वर्ना महिला आयोगा बना देने से और और बंद कमरे मे मीटिंग कर लेने से आपका कोई भी काम सफल नहीं होने वाला है और यह जो 30 प्र.श. आरक्षण की माग की गई है, उसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आज आप इसकी घोषणा करें, जिससे आनेवाले दिनों में 30 प्र.श. महिलायें आपको यहां बैठी दिखाई दें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सभी महिला सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने भाषणों में इस संकल्प के प्रति समर्थन व्यक्त किया है तथा इसकी भावना को प्रतिपादित किया है, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि वे सभी इस संकल्प की भावना एवं सिद्धांतों से सहमत हैं। केवल यही नहीं, बल्कि सभा के समक्ष जो नहीं प्रकट किया जाना चाहिए था, उसे नहीं प्रकट किया गया है। सभी दलों के सभी नेताओं ने सिद्धांतः मुझे स्पष्ट किया है कि वे संकल्प में निहित सिद्धांतों से सहमत हैं। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। मेरा विश्वास है कि यह सभा सर्वसम्मति से, मेजें थपथपाकर, इस संकल्प मे उल्लिखित बातों को सिद्धांततः स्वीकार करने के लिए सहमत होगी।

संकल्प ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जगह-जगह बम विस्फोट हो रहे हैं... **(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम-से-कम एक दिन तो हमें सभा का कार्य सही ढंग से चलाने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इसे रिकार्ड नहीं किया जाए। ... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) महोदय, हम इसका विरोध करते है। इसे रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसे विष भरे आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तात मे शामिल नही किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं इसका विरोध करते हुए वॉक आउट करता हूं।

12.27 म.प.

तत्पश्चात श्री मोहन रावले सभा भवन से बाहर चले गए।

12.28 म.प.

[अनुवाद]

'हवाला मामले' से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर कानूनी रूप से धन दिए जाने संबंधी अभिकथनों का उत्तर देने में सरकार की असफलता असंतोष के संबंध में प्रस्ताव–जारी

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दो शब्द कहें।

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंहराव) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सहयोगी, श्रीमती आल्वा इस संबंध में एक विस्तृत एवं संक्षिप्त तथ्यों पर आधारित उत्तर देंगी। इस बीच, मैं अति संक्षिप्त रूप में यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने कभी भी जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है। माननीय उच्चतम न्यायालय इस जांच के विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखता आया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो केवल उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही काम करता रहा है।

एक माननीय सदस्य : कब से?

(श्री पी.वी. नरसिंहराव) : प्रारंभ से ही उच्चतम न्यायालय ने अपने 1.3.1996 के आदेश में जो टिप्पणी की है उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं, " किसी पक्षपात की धारणा को समाप्त करने के लिए तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच की विश्वसनीयता की समाप्ति तथा इस जांच में निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता के न होने के संबंध में किसी युक्तिसंगत धारणा से बचने के लिए, निर्देश दिया जाता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखनेवाले अथवा किसी आरोप में जांच के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले किसी प्राधिकारी से कोई अनुदेश नहीं लेगा अथवा उसे कोई रिपोर्ट नहीं देगा अथवा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराएगा"... **(व्यवधान)**

महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। मेरी बात सुनने के लिए यहां इतना अधिक जोर डाला गया है कि मैं चाहूंगा कि मेरी बात सुनी चाहिए। यह निर्देश उस किसी भी प्राधिकारी पर बिना किसी भेदभाव के लागू होता है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह, इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से निर्देश के बारे में विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा है कि न तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक और न ही उनका कोई अधिकारी किसी प्राधिकारी को इस जांच के संबंध में कोई ब्यौरा दे रहा है।

महोदय, पिछला वाक्य महाधिवक्ता का ही है। दूसरा पैरा पुनः न्यायालय में उपस्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की सलाह पर ही महाधिवक्ता ने कहा है।

इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किस प्रकार कार्य करना चाहिए इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को ही उच्चतम न्यायालय के आदेश में प्रतिपादित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहा है, जो उसने अभी तक नहीं किया है तथा जो नहीं करना चाहता है। देश के कानून को अपने हिसाब से काम करने दिया जाए; किसी भी स्थिति में इसका परित्याग न किया जाए।

चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, अतः इस समय कुछ भी अधिक कहना उचित नहीं होगा।...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रधानमंत्री के विरूद्ध निंदास्वरूप है। ...**(व्यवधान)** प्रधानमंत्री को इस संबंध में कुछ कहना चाहिए ...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): महोदय, ऐसा कहे बिना वे कह सकते है कि उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार का आदेश क्यों देना पड़ा ...**(व्यवधान)** उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं, उसका कोई कारण तो होना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, इसे मात्र एक सामान्य मामले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सरकार के मुखिया के मुख से सुनने पर जोर दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री उस विभाग के प्रभारी हैं जो इस मामले पर विचार कर रहा है तथा जिसका केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है। पहली मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्देश दिए जाने का क्या कारण है? यदि माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के आकलन की स्थिति जैसा कि महाधिवक्ता ने व्यक्त किया है, को स्वीकार कर लिया होता तो उच्चतम न्यायालय को कभी-भी इस प्रकार का सख्त आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक मुद्दा है।

दूसरा पहलू अति महत्वपूर्ण है। हम यह जानना चाह रहे हैं कि इस आदेश का प्रभाव क्या होगा। जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का संबंध है, आज यह एक विशेष प्रकार की संस्था बन गई है, सरकार का कोई भी व्यक्ति इसका नियंत्रण नहीं कर रहा। इसके ऊपर कोई राजनीतिक प्राधिकारी नहीं है। संपूर्ण हवाला कारोबार के संबंध में, पहली मार्च से जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी मंत्री जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अतः, हम यह जानना

चाहते हैं कि पहली मार्च से केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकाल के बारे में, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जो कुछ घटा है, उसके बारे में भी, क्या प्रधानमंत्री समझते है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर राजनीतिक प्राधिकार अथवा प्रशासनिक प्राधिकार उनके पास है और क्या यह आदेश प्रधानमंत्री द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण को प्रतिबिम्बित नहीं करता?... **(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की जांच करने के बारे में बिना किसी अपवाद के प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को मना किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन्हें जानकारी तक नहीं देगा। यह तो स्थिति है ...**(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री, सरकार के मुखिया के रूप में तथा सदन के नेता के रूप में, विचलित महसूस करते हैं अथवा इस संबंध में विचलित नहीं महसूस करते हैं? क्या भारत की संसद आज जांच के मामले में प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी के प्रश्न पर विचार कर सकती है? महोदय, इसलिए, आज संसद के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि हम किसी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते ...**(व्यवधान)** इन मामलों को सदैव पक्षपात पूर्ण ढंग से न देखें। इसमें एक संवैधानिक प्रश्न निहित है; संविधान का औचित्य निहित है। प्रश्न यह है कि क्या भारत की संसद को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि जहां यह सरकार के कुछ कार्यों के प्रति उसे उत्तरदायी नहीं ठहरा सकती। क्या हमारे देश के संविधान का ही सिद्धांत है अथवा क्या यही भारत की संसद के प्रति मंत्रियों का उत्तरदायित्व है? ये मूल प्रश्न है। प्रधानमंत्री इनका उत्तर देना नहीं चाहते। उन्होने जो कुछ कहा है, हमने भी वही कहा है। यह पर्याप्त नहीं है। अत: इस पर नैभित्तिक रूप से विचार न करें। इस पर साधारण ढंग से विचार किया जा रहा है आपका प्राधिकार आप से ले लिया गया है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहें, लेकिन एक संसद सदस्य के रूप में मेरा प्राधिकार मुझसे छीना जा रहा है, इसका मुझे ध्यान है।

इस देश में ऐसा नहीं हो सकता। ...**(व्यवधान)** महोदय इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि वे सरकार के अभिरक्षक हैं ...**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंहराव : क्या मैं इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं?

सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए कई मामले सौंपें गए हैं। इन मामलों में कोयला एजेन्सियों की कथित असफलता मानव अधिकारों का उलंधन, व्यक्तियों का गायब होना, हत्या, हिरासत, में मौतें, महिलाओं के प्रति अत्याचार आदि तरह-तरह के विभिन्न मामलें सम्मिलित हैं। उनमें से कुछ मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, मुजफ़फरनगर की घटनाओं, श्री जे.एस. कालरा, पीलीभीत, भारतीयों पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों द्वारा हिसार के कुछ व्यक्तियों को गैरकानूनी रूप से नजरबन्द रखने, धोखाधड़ी और भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को झूठा शपथ-पत्र (एफीडेविट) प्रस्तुत करने, गूरदासपुर के निकट कुछ व्यक्तियों के गायब हो जाने आदि से संबंधित हैं। इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और सम्बंधित उच्च न्यायालयों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। तदनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे सम्बन्धित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, मेरा मुद्दा यह नहीं है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले उनका बात सुनने दो......**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इन मामलों में सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। केवल जब मुकद्दमा चलाने की आवश्यकता होती है, या संसद को कोई जानकारी देनी होती है तभी उक्त प्रयोजन विशेष के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सीधे सम्बन्धित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देता है तो इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। सरकार ने न तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो से ये रिपोर्ट मांगी है और न ही इन मामलों में कोई हस्तक्षेप किया है। इन मामलों में पूरी कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप चल रही है। ... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह सभा पिछले सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री महोदय का उत्तर प्राप्त करने हेतु बड़ी व्याग्रता से इन्तजार कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के पहली मार्च के अभूतपूर्व आदेश के प्रति उनकी प्रतिक्रिया सुनने का इन्तजार कर रही है।

महोदय, चाहे मैं ऐसा करने में सही हूं या गलत, मैं हवाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों न्यायमूर्ति वर्मा, भरूच और सेन तथा जन हित याचिका के चार याचिकादाताओं श्री विनीत नारायण, श्री राजिन्द्र पुरी और दो अन्य के द्वारा अदा की जा रही भूमिका के प्रति सभा में हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूं। लेकिन उनकी सतर्कता के लिए, उनके बने रहने के लिए ये मामले कभी प्रकाश में नहीं आए। इन्हें दबा दिया गया होता, इन्हें कौन दबाता, महोदय, कोई अनुमान लगा सकता है।

तथाकथित जैन डायरी से जो नामों की सूची उद्घाटित हुई है वे नाम पिछले चार साल से चले आ रहे हैं। इनके बारे में चार साल पहले पता चल गया था। लेकिन इस बारें में कुछ नहीं हो रहा था। इन रिपोर्टो मे इन लोगों के बारे में तथा इस राशि के बारे में, इस धन के स्त्रोत के बारे में यह धन कहां से आ रहा है-इस प्रश्न से इतर कि यह धनराशि कौन प्राप्त कर रहा है-यह धनराशि देश में किस प्रयोजनार्थ खर्च की जा रही थी, इस

तथ्य के बावजूद इसमें विध्वंश की स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है, विदेशी विध्वंशकारी ताकतों का सम्पर्क प्रतीत होता है जिससे हमारे देश की व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। इस राशि के कुछ उग्रवादियों कम से कम जो कश्मीर में सक्रिय हैं, संपर्क होने के अलावा जो लोग अब बड़े जोर-शोर से नैतिकता की बात कर रहें हैं, इस मामले में अपना दामन साफ होने की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस राशि का प्रयोग उन उग्रवादी गुटों का वित्त पोषण करने के लिए भी किया जा रहा है, जो इस देश की अखण्डता के विरूद्ध खुलेआम सक्रिय हैं। महोदय जैसा कि मैंने पहले प्रश्न काल में भी उल्लेख किया था कि बड़े पैमाने पर अस्थिरता के लिए, मै तो कहूंगा कि हमारी समूची अर्थव्यवस्था की अस्थिरता के लिए हवाला राशि पूरी तरह जिम्मेवार है। इस देश को हो रही क्षति जोकि लाखों डॉलर में है, जो इस देश में विभिन्न लोगों द्वारा किए जा रहे कदाचार और अवैध प्रथा का परिणाम है, चाहे वह कर-अपवंचन के माध्यम से हो या गैरकानूनी रूप से विदेशी बैंकों में धनराशि जमा करने से हो या कम मूल्य अथवा अधिक मूल्य के बीजक बनाने के माध्यम से है, यह सब हवाला राशि के भारी पैमाने पर संचालन से जुड़ा हुआ है। इस सब के बावजूद क्या हम यह माने के जब बहूचर्चित डायरी के माध्यम से ये नाम प्रकट हुए थे तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी क्या उन्हें इसके बारे में कुछ मालुम नहीं था? क्या हम यह समझें, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, कि इनमें से कोई भी रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध नहीं कराई गई? सरकार को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। यदि ऐसा है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी अपने काम में असफल रहा। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हवाला कांड के खतरनाक परिणामों से सरकार को अवगत नहीं कराया तो निश्चित रूप से यह जांच एजेन्सी, जिसकी एक समय इस देश में सर्वोच्च स्तर पर शायद एकमात्र निष्पक्ष जांच एजेन्सी होने की अपनी प्रतिष्ठा थी, अपने कर्तव्य में असफल रही है।

यह मान, नैतिकता और अनैतिकता का सवाल नहीं है। मैं यहां केवल यह चर्चा नहीं करना चाहता कि किसका दामन साफ और किसका दागदार है। निसन्देह मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं। मुझे इसमें कोई भय नहीं है। लेकिन प्रश्न केवल यही नहीं है जिसकी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। यह तो कतिपय विदेशी ताकतों द्वारा संचालित एक आपरेशन था मैं तो यह कहूंगा - वे विभिन्न माध्यमों से इस देश मे इन लोगों को धन पहुंचा रहे थे ताकि समूची व्यवस्था को अस्थिर किया जा सके।

महोदय, हम संसदीय लोकतंत्र में रह रहे हैं। चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें। कुछ लोग इसे पसन्द नहीं करते। यदाकदा वे मिलिटरी शासन की बात करते हैं, उसके प्रति अपना रूझान व्यक्त करते हैं और इसी प्रकार की अन्य बातें करते हैं। महोदय, मेरा कहना यह है कि संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली में जब तक आप इसे बदलने का निर्णय नहीं लेते, कार्यपालिका संसद के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी है।

गत तीन-चार वर्षो से ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जिसे यह पता चलता है कि उत्तरदायिता किस प्रकार पूर्ण रूप से समाप्त होती जा रही है। हजारों करोडों रूपए के सार्वजनिक धन की हेराफरी और धोखाधाड़ी के प्रमुख घोटालों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता हैं। अब हम इसी व्यवस्था के अन्तर्गत काम कर रहे है, जैसाकि मैने पिछली बार कहा था कि यदि उत्तरदायिता को ही दफन कर दिया जाए तो आप इस संसदीय लोकतंत्र को अलविदा कह सकते हैं।

उत्तरदायिता के जिस सिद्धांत पर लोकतंत्र टिका है, उसके बिना इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।

प्रधानमंत्री जी ने अभी जो कहा है, जहां तक मैं उनकी बात को समझ पाया हूं, वह यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो कुछ पता लगा रही है अथवा जो जांच कर रही है अथवा उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही उसके लिए सरकार कभी भी जिम्मेदार नहीं रही है। महोदय, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है जिसे मैं समझ नहीं पाया हूं। यदि ये सब कुछ हो रहा है और सरकार या मंत्रीमंडल इसके लिए जवाबदेह नहीं है, तो संसद की क्या भूमिका है? कुछ भी नहीं। जहां तक हवाला घोटाले का संबध है, मैं अब उसकी जांच में हुई प्रगति के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता क्योंकि कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता; सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश के अनुसार किसी को इसका उत्तर देने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि इससे संबंधित दस्तावेजों को भी रिजर्व बैंक के तहखाने में ताले में बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। यह अभूतपूर्व बात है।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के विचार से सर्वोच्च न्यायलय के माननीय न्यायाधीशों ने किस आवेश में आकर इस तरह का आदेश जारी किया। यदि इसकी जरूरत नहीं थी और इससे पहले यदि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यदि आज तक उन्होंने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था तो सर्वोच्च न्यायालय की इस पीठ के लिए इस विचार के बारे में अपनी आशंका व्यक्त करना जरूरी क्यों हो गया था कि यह जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की जा रही है और इसमें पक्षपात किया जा सकता है? उन्होंने पक्षपात नहीं किया गया था, तो इन न्यायाधीशों ने लीक से हटकर इस तरह का आदेश क्यों जारी किया? इसकी कोई अर्थ नही है। इसका कोई मतलब नहीं है कि इन न्यायाधीशों ने क्यों अचानक.....* बिना आवेश मे आये, अकारण, बिना किसी प्रमाण के, यह आदेश जारी किया और वास्तव में इस पूरे विभाग, इस एजेंसी पर से सरकार का प्रधान मंत्री का और अन्य मंत्रियों का नियंत्रण समाप्त कर दिया? उन्होंने ऐसा क्यों किया?

स्पष्टतया, माननीय न्यायाधीशों के समक्ष इसके कुछ प्रथम दृष्टया प्रमाण थे कि किसी तरह का हस्तक्षेप किया जा रहा

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है।

है, केन्द्रीय जांच ब्यूरों को निदेश देकर उसकी कार्य करने की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाई जा रही थी और महोदय, निश्चय ही उन्हें भी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। हाल ही में समाचार पत्रों और इधर उधर जिस एक पहलू के बारे में कई आशंकाएं व्यक्त की गई है। वह यह कि चुनिन्दा रूप से आरोप पत्र प्रस्तुत किए जा रहे है। इस बात का निर्णय कौन कर रहा है कि कुछ लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी और कुछ के नहीं, कुछ लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए जायेंगे और कुछ के विरूद्ध नहीं।

चुनिंदा रूप से कार्य करने का यह मामला स्पष्ट है। क्या चुनिंदा रूप से आरोप पत्र दाखिल करने का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरों अपनी मर्जी से कर रहा है या इसके लिए उन्हें ऊपर कुछ निर्देश या आदेश दिए जा रहे हैं? लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए क्योंकि माननीय न्यायधीशों के मन में किसी तरह का संदेह उत्पन्न होने के कारण ही उन्होंने इस तरह की टिप्पणियाँ की और ऐसा आदेश दिया जिसमें कहा गया है कि आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। यदि उन्हें कुछ नहीं करना था तो उन्होंने अलग से हटकर ऐसा आदेश क्यों दिया कि आप इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस पर से पूरी तरह से अपना अधिकार, अपना नियंत्रण हटा ले? अतः महोदय, जिस भी व्यक्ति में थोड़ी समझ हैं, जो तथ्य छिपाना नहीं चाहता है, यह पूर्णत स्पष्ट है कि इस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा था यह बात एकदम स्पष्ट है। अतः यदि हमें केवल इस आदेश के पीछे छिपे निहितार्थों पर चर्चा करनी है ___ (व्यवधान)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : मुझे हस्तक्षेप करने दीजिए ___ **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हम सभा में चर्चा कर रहे हैं या सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के राजनीतिक और अन्य निहितार्थों पर टिप्पणियाँ कर रहे है..

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : संभवतः आप एक ही मुद्दे पर जोर दे रहे हैं। लेकिन यदि आप अपनी बात विस्तारपूर्वक कहना चाहते हैं और अन्य विषयों पर भी बोलना चाहते हैं तो मेरे विचार से बेहतर होगा कि आप एक ही बार में सब कुछ कह दें।

....**(व्यवधान)**...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मुझे 'बाद में बोलने' के लिए नहीं कहेंगे। इस 'बाद में' के कारण मुझे ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय की कमी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता। मैं केवल कुछ मिनट ही बोलूंगा। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय हाँ, निश्चय ही।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : वह प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। उप नेता कुछ कहना चाहते हैं ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अनुमति दी जायेगी। निश्चय ही, वाजपेयी जी को बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) अध्यक्ष महोदय, अगर चर्चा हो रही है तो चर्चा का तो मुझ उत्तर देना है। प्रधान मंत्री जी ने अभी हस्तक्षेप किया है और हस्तक्षेप में केवल सी बी आई वाले मुद्दे को लिया है। चर्चा में और भी मुद्दे उठे थे। क्या प्रधान मंत्री ने उन सारे मुद्दों का उत्तर श्रीमती मारग्रेट आल्वा के जिम्मे छोड़ दिया है? अध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका उत्तर केवल प्रधान मंत्री दे सकते है, और कोई नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने लिखित रूप में मेरे पास दे दिया है। .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको मालूम है जब मैंने प्रस्ताव पेश किया तो मैने दो मुद्दे रखे थे। एक हवाला काण्ड था और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के समय इस सदन के कुछ सदस्यों को खरीदने की जो घटना हुई थी, उसका उल्लेख किया था। अब प्रधान मंत्री जी ने दूसरे मुद्दे के बारे में कुछ नहीं कहा है। जिन माननीय सदस्यों ने इस बात का खण्डन किया कि उन्होंने धन नही लिया है, उन्होंने भी इस बात को माना था कि उन्हें प्रधान मंत्री के पास ले जाया गया। ...**(व्यवधान)** श्री मण्डल का बयान सदन की कार्यवाही में मौजूद है जिसमें यह कहा गया है कि बूटा सिंह जी उनको प्रधान मंत्री के पास लेकर गए। अब गए या नही गए? अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर कौन देगा? वहां जाने के बाद क्या हुआ? और जहां तक सी. बी आई. वाला सवाल है, मेरे मित्रों ने कुछ मुद्दे हैं और यह सदन जानना चाहेगा, देश जानना चाहेगा कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वह इस तरह का निर्देश जारी करता? ऐसा निर्देश कोई हवा में से जारी नही हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया है कि वह पूरी तरह से इस मामले में कोई "बायस" से काम न ले, इसका पूरी तरह से निर्मूलन करना चाहते है। क्या इसमें से यह ध्वनि नही निकलती कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को संदेह था कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी साल्वे) : यह बात गलत है अटल जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इन बातों का उत्तर देने का भी मौका दीजिए ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे अपनी बात समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कृपया मुझे मेरी बात समाप्त करने की अनुमति दीजिए। ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री गुप्ता जी की बात को कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित किया जाएगा अन्य कुछ नहीं

(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी तक मैं सर्वोच्च न्यायलय के 1 मार्च को हवाला मामले की जांच के बारे में दिए गए आदेश के निहितार्थ के बारे में ही बता रहा था। मेरा दूसरा मुद्दा, जिस बारे में श्री वाजपेयी जी ने मुझे अभी पुनः याद दिलाया है, वह है कि कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी। मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन विपक्ष के नेता, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, द्वारा खुले आम बुहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं ...... (**व्यवधान**) मैं जानता हूं आप उन्हें बहुत जिम्मेदार व्यक्ति मानते थे, लेकिन अब नहीं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : सरकार ने उस आरोप को स्वीकार किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, नहीं। इसे सरकार ने नहीं माना है। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाये है। 18 जनवरी को श्री एस. के जैन ने पुलिस को दिए एक वक्तव्य में बताया था कि 11 मार्च, 1995 को प्रधान मंत्री को ढाई-तीन करोड़ रुपये दिये गये थे।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं। यह झूठ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह संसदीय विशेषाधिकार और संसदीय परंपरा का प्रश्न है। न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी बताया है कि कोई भी आरोप चाहे झूठा हो या सच्चा उस की जांच आप द्वारा की जानी चाहिये, चाहे उसमें ऊंचे लोग अथवा उच्च पदों पर आसीन लोग ही शामिल हो।

अध्यक्ष महोदय : हमें एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिये। प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दी गई है। लेकिन जिस समय हमने इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दी थी सभी माननीय सदस्यगण इस तथ्य से अवगत थे कि यह मामला न्यायालय में लंबित है और इस तथ्य के बावजूद भी हमने इस पर चर्चा की अनुमति दी। सभी को यह बात समझनी चाहिये कि इस पर चर्चा इस प्रकारं से की जाये कि न्याय-निर्णयाधीन के सिद्धान्त का उल्लंघन न हो और जब हम सभा में कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे न्यायालय का निर्णय पर प्रभावित हो सकता है तो न्याय-निर्णयाधीन के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है। इस नियम को ध्यान रखना होगा। मैं यह बात सदस्यों पर छोड़ता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं और जिस प्रकार से न्याय निर्णयाधीन के सिद्धान्त का सम्मान किया जाता है, मेरा तर्क यह है कि जवाबदेही के सिद्धांत का भी उसी प्रकार सम्मान किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हमने इस चर्चा की अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, बिल्कुल ठीक है। अब, यदि सरकार यह कहती है अथवा कोई सदस्य सरकार की ओर से यह कहता है है कि विपक्ष के नेता के कथनानुसार ये आरोप श्री एस. के. जैन द्वारा पुलिस को दिए गए अपने एक वक्तव्य में पूछताछ के दौरान लगाये गये थे, यह नहीं है। उनकी जांच-पड़ताल नहीं की गई थी। अगर वे स्पष्ट रूप से वक्तव्य देते तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों से जहां तक मैं समझता हूं इस विशेष विषय को सर्वोच्च न्यायालय के जांच-पड़ताल के क्षेत्र से अलग नहीं किया गया है। उन्होंने ये सब बातें कही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री एस. के. जैन इस हवाला मामले में मुख्य व्यक्ति है। वह कौन है? वह इस हवाला मामले में शामिल मुख्य व्यक्ति है। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक जांच-पड़ताल चल रही है या इन आरोपों के विरूद्ध, जो प्रधान मंत्री पर श्री एस. के. जैन से पैसा लेने के लिए लगाये गये हैं, जांच-पड़ताल चल रही है- मैं नहीं जानता कि किस उद्देश्य के लिए यह पैसा लिया गया है; इसे कुछ माननीय सदस्यों के मत किसी न किसी तरीके से अपने पक्ष में देने के प्रश्न के साथ संबद्ध किया जा सकता है और नहीं भी- क्या यह उचित है, क्या यह संसदीय विशेषाधिकार के अनुरूप है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, विशेष तौर पर उस समय जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो उसके नियंत्रणाधीन हो, अपने पद पर बने रहना चाहिये, उन्हें अपने पद पर क्यों बने रहना चाहिये? मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिये। मैं यह कह रहा हूं कि जब तक इस मामले की जांच-पड़ताल न्यायालय में लंबित है, उन्हें यह पद छोड़ देना चाहिये ताकि इस प्रकार की धारणा उत्पन्न न होने पाये कि उनके पद पर बने रहने से जांच-पड़ताल किसी प्रकार से प्रभावित होगी।

1.00 म.प.

अगर इसकी निष्पक्षता पर इसी प्रकार आशंका अभिव्यक्त की जाती रही और विश्वसनीयता का अभाव रहा तो क्या वे इस इस मामले से ऊपर उठ सकते हैं?...(**व्यवधान**)... मैं आपसे दवाव म नहीं कह रहा हूं....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते हैं, वह कहने का आपको अवसर मिलेगा।

....(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(**व्यवधान**)....

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे विचार से जब तक इस अति गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति ने लगाया है विपक्ष जोकि विपक्ष के नेता की जांच-पड़ताल चल रही है तथा जहां तक औचित्य की मांग है कि जांच वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप स्वतंत्र रूप से दे सके इसके लिए अभियुक्त को स्वेच्छापूर्वक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये और जांच-पड़ताल को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के चलने देना चाहिये...(व्यवधान) वह ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ कह भी नहीं रहे हैं....(व्यवधान)

इस सारे हवाला मामले के बहुत से पहलू हैं, जिन्हें निपटाने में काफी समय लगेगा कुछ अन्य माननीय सदस्य पहले ही सुरक्षा तथा आर्थिक पहलू पर काफी बोल चुके हैं। इस सारे प्रकरण में ये सभी पहलू अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह किसी के नैतिक अथवा अनैतिक होने का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का संबंध इस बात से है कि सम्पूर्ण व्यवस्था अस्थिरता के खतरे का सामना कर रही है और हमें उन ताकतों का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये जो केवल देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी इसी उद्देश्य से काम कर रही हैं कि भारत का एक शक्तिमान देश अथवा एक देश के रूप में कोई अस्तित्व न हो।

मेरे विचार में आपको भली प्रकार मालूम है कि वे ताकतें कौन सी हैं। वे पानी की तरह पैसा बहा सकती है। उनके पास इस देश के कुछ लोगों की छवि खराब हाने के लिए तथा अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। अतः, सुरक्षा तथा आर्थिक पहलू इस प्रश्न के अहम् भाग हैं। नीति-संबंधी विषयों पर आप जितना देर तक चाहें चर्चा कर सकते हैं। हमें इसके लिए कुछ मानदंड, कुछ आचार-संहितायें तैयार करनी पडेंगी। वह एक अलग मामला है। मैं इसका अत्यधिक इच्छुक हूं। निःसंदेह वामपंथी पार्टियों एक ऊंचा सुदृढ़ दृष्टिकोण अपना सकती थी क्योंकि हममें से किसी का भी नाम सूचियों में नही था...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसी बहुत सी डायरियां हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह है कि किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। वह केवल पश्चिम बंगाल में कुछेक मंत्रियों की छवि खराब करने की इच्छुक हैं। .....(व्यवधान) लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ओर गंभीर मामला यह है कि संपूर्ण व्यवस्था अस्थिरता का सामना कर रही है और यहां पर कुछ लोग जान-बूझकर अथवा अनजाने में इस जाल में फंस गये हैं। उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है और यह धनराशि लेकर उन्होंने अस्थिरता फैलाने वालों की चाल को सफल कर दिया है। उन्हें इसके बारे में सावधान होना चाहिये था उन्हें मैं यही सलाह दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : ....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वह बंगाली भाषा में अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से भाषा के प्रयोग में भी सदन की मर्यादा बनाये रखने की आशा करता हूं।......(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः में, महोदय, मैं यह कहा रहा हूं कि किसी के लिए भी यह कहना बहुत आसान है, "जी हां, मैंने पैसा लिया है, यह पैसा किसी राजनीतिक कार्य अथवा मेरी पार्टी कार्य के लिए दिया गया था, उसी पर मैंने इसे खर्च कर दिया है और इसे किसी अन्य काम के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है।" कोई भी इस प्रकार का दावा कर सकता है।

हालाकि उसमें ऐसे कुछ लोग हैं, जिन्होंने वास्तव में मुझे परेशान कर दिया है और यह लोग जिनके पास अपना बहुत अधिक पैसा है-जो भी हो यह कोई अपराध नहीं है, उनके पास निजी संपत्ति हो सकती है, करोड़ों रूपये की पारिवारिक संपत्ति हो सकती है, मैं नहीं जानता कि इन लोगों को 30 या 40 लाख रूपया लेने का लालच किस प्रकार आ सकता है। चाहे जो भी हो, प्रश्न यह है कि अगर ये मात्र किसी द्वारा लगाये गये आरोप ही हैं तो ऐसे आरोपों में सच्चाई नहीं होती।......(व्यवधान)

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कूरियन) : आपका मानना है कि उनकी बात सही है। ये सिर्फ आरोप हैं। जब तक वे साबित नहीं हो जाते तब तक आप ऐसा नहीं कह सकते। ...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त कुरियन जी, मात्र आरोप लगाना अपराधी होने का प्रमाण नहीं है; इसी प्रकार केवल इंकार करने से निर्दोषता सिद्ध हो जाती। प्रश्न सही है।

आप यह कह सकते है, "मैंने यह धन नहीं लिया है। ये सब झूठ है। मैंने कभी कोई धनराशि नहीं ली।" यह प्रमाणित करना केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य संस्था का काम है कि उन्होंने धनराशि ली है अथवा नहीं। अगर मैं यह कहूं, "मैंने अपने पार्टी कार्यों के लिए चंदा के रूप में यह धनराशि ली थी।" तो फिर मुझे इसका कुछ लेखा-जोखा दिखाने में भी समर्थ होना चाहिए। मेरे पास इसका कहीं-न-कहीं कोई रिकार्ड भी होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आयकर विभाग के लोग मुझे गिरफ्त में ले लेंगे। मुझे यह दिखाना ही होगा कि इसका लेखा-जोखा मेरे पास मौजूद है कि इस धनराशि को किस प्रकार खर्च किया गया है या किया जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : महोदय, वे केवल दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति चाहते है .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय मैंने उन्हें इस प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी है और आप कृपया हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, वे बाद में बोल सकते हैं।

मुद्दा है कि जो अपने आपको कानून के सामने बेगुनाह साबित नहीं कर सकते तो मुझे उम्मीद है उन्हें अपने गुनाहों को कल भुगतना पड़ेगा। यही कानून का उद्देश्य है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि कानून अपनी कार्यवाही करेगा। लेकिन पिछले चार वर्षो में कानून ने कोई कार्यवाही नहीं की, कानून सो रहा था सरकार ने उसे सोने दिया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो कुछ भी करने से डरता था।

इसलिए महोदय, मैं यह कहते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा कि यह पूरा मामला झूठा है जिससे मेरे विचार में हमारी महत्ता अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र समुदाय में बढ़ी नहीं है बल्कि विदेशी लिख रहे हैं, बातें कर रहे है और कह रहे हैं कि 'ओह भारत भारत विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है। हम इस प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं चाहते। इसलिए, मैं कहूंगा कि जो लोग अपराधी हैं, अपने आपको कानून के सामने बेगुनाह साबित नहीं कर सकते उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, उन्हें उसकी कीमत चुकानी चाहिए। यही काफी नहीं है कि एक बार अपने पद से इस्तीफा दे दो और फिर दुबारा पदासीन हो जाये।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि केवल आरोपों की बौछार कर देने से ही कुछ साबित नहीं हो जाता और किसी बात से इंकार कर देने से भी किसी का भोलापन साबित नहीं हो जाता। यदि उन्होंने पैसा लिया है तो उन्हें उसका हिसाब देना चाहिए। क्या इस देश की बड़ी-बड़ी पार्टियां तथा मुख्य पार्टियां अपने पास कोई रजिस्टर रखती है जिसमें उनके द्वारा लिए गए चन्दों का हिसाब-किताब हो? चन्दा लेने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपने दल के कार्य के लिए राजनीतिक चंदे लिए होंगे लेकिन उन्हें कहीं और दर्ज किया होगा, उसका कही लेखा होना चाहिए, वह हवा में नहीं उड़ सकता। फिर लोग कह देते है कि "जी हाँ, मैने इस काम के लिए लिया था लेकिन मैंने इसका कोई खात नहीं रखा। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री इससे सहमत है। अन्यथा, काफी पैसा एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और कहीं दिखाई नहीं देगा।

इसलिए, महोदय मैं अन्ततः कहूँगा कि इस सरकार की प्रधान प्रशासन का भी प्रधान है। मैं नही जानता कि क्या कोई प्रशासन विद्यमान हैं अनेक मंत्रियों के इस्तीफे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कारण प्रशासन में अव्यवस्था है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अब अनेक विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। वे सभी विभाग एक ही हाथ में हैं। लेकिन फिर भी हम सभा के इस ओर बैठे लोग, जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए और इस देश की प्रतिष्ठा तथा ईमानदारी की रक्षा करने के विचार से यह महसूस करते हैं कि जिस स्तर पर पहुचने के लिए हमने इतने वर्षो तक कार्य किया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को स्वैच्छिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बिना किसी रूकावट के जांच के आदेश देने चाहिए।

श्री एन. के. पी. साल्वे : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री साल्वे, मैं आपको श्री चन्द्र शेखर जी के बाद बोलने का अवसर दूँगा। .... **(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल बंगाली में कहा है कि 'ना तूझे बोलना' इसका अर्थ है 'बिना कुछ जाने बोलना नहीं चाहिए'। यह बिल्कुल भी असंसदीय नहीं है। यह गन्दी भाषा नही है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा नहीं है, तो आप जिम्मेवार नहीं है। यदि ऐसा है तो आप जिम्मेवार है। अब मैं श्री चन्द्रशेखर जी को बोलने के लिए कहूँगा।

(हिन्दी)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो सवाल उठाया, मेरी नजर में वही सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस संसद की मर्यादा, इस संसद का अधिकार और इस संसद का यह कर्तव्य जो जनता के प्रति है, उसका निर्वाह करने में हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं या नहीं, हमारी वह मर्यादा रही या नहीं, उच्चतम न्यायलय के आदेश के बाद यही बुनियादी सवाल है। अगर उस बुनियादी सवाल का जवाब हम नहीं दे पाते तो एक-दूसरे पर आरोप लगाकर और नैतिकता की बड़ी बातें करके हम न इस संसद की मर्यादा बढ़ायेंगे, न देश की मर्यादा बढ़ाएंगे।

मैं अपने मित्र इंद्रजीत गुप्त की बहुत बातों से सहमत हूं लेकिन जिस पर आरोप लगा दिया हो कि वह भ्रष्ट हो या, यह बात में स्वीकार करने को तैयार नही हूं।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैने यह नहीं कहा ...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : यह नहीं कहा जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास पैतृक सम्पति है, आश्चर्य है कि उन्होंने पैसा कैसे ले लिया। इसका मतलब यही है कि वे मानते है कि उनहोंने पैसा ले ही लिया। इसलिए रजिस्टर कौन लोग रखते है, कहां-कहां से रजिस्टरों में किसके नाम लिखे जाते है, अगर हम रजिस्टरों पर जाएंगे तो हम में से बहुत लोग मर्यादा की बातें नही कर पाएंगे। इसलिए मैं उस पहलू पर कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे दुख केवल इस बात का है कि मुझे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ। उच्चतम न्यालय के आदेश के बाद मैं ऐसा समझता था कि प्रधानमंत्री जी उच्चतम नयालय से कहेंगे कि उनको इस तरह के निर्देश की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन आज उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उससे ऐसा लगता है कि उनके सौलसिटर जनरल ने भी उस बात को स्वीकार किया और मैं नहीं जानता कि उनको इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। जब तक कि सौलीसिटर जनरल महोदय से उच्चतम न्यायलय ने यह नही कहा होगा कि आप इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं या करने का संदेह है, तब तक इस तरह का वक्तव्य देने की उनको जरूरत नहीं थी। अगर सौलीसिटर जनरल ने बिना किसी कारण के यह बात कही तो वह सौलीसिटर जनरल रहने के लायक नहीं हैं क्योंकि सी. बी आई. को कोई निर्देश, कोई आदेश, कोई सुपरवीजन प्रधानमंत्री नही करेंगे, अगर

यह आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को किसी सौलीसिटर जनरल ने दिया है तो न वह अपने कर्तव्य को जानता है, न न्याय की प्रणाली को जानता है, न संसदीय प्रणाली के बारे में उसको ज्ञान है। जैसा माननीय सोमनाथ चटर्जी ने कहा, अगर हम यह बात मानते है कि सी. बी आई. को इस मामले में निर्देश देने का यह हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है लेकिन जब यह कहा जाता है कि जांच में किसी पर भी कोई आरोप लग जाएगा यह शुबहा है इसलिए आप उनसे कोई निर्देश न लीजिए, आप उनको कोई सूचना न दीजिए, प्रधानमंत्री जी यह एक भयावह दिशा में संकेत है। आपको अपनी मर्यादा का ध्यान नही है लेकिन संसदीय जनतंत्र में आप संसद के नेता है। आपकी मर्यादा पर अगर किसी तरह से भी, अपरोक्ष रूप से भी संकेत होता है तो संसद की मर्यादा के ऊपर आघात है।

मैं किसी को त्यागपत्र देने की बात नही कहता, ऊंचे पदों पर से त्यागपत्र देना बहुत आसान नहीं होता। मुझे मालूम है उसके लिए बहुत मन की शक्ति चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी आप इस मर्यादा के पद पर है। मैंने कभी नही कहा कि उच्चतम न्यायलय ने कोई गलत काम किया या सही काम किया। वह उनका अधिकार क्षेत्र है। न्याय के लिये वह जो कुछ भी करें, वह सब सही है। लेकिन संसदीय जनतंत्र में प्रधान मंत्री जी को जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। अगर प्रधान मंत्री उस अधिकार को...**(व्यवधान)**

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : महोदय, मेरा प्रश्न व्यवस्था का है ....**(व्यवधान)**.... आप सर्वोच्च न्यायलय को कैसे चुनौती दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न क्या है?

श्री गुमानमल लोढा : भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए कानूनों सभी पर लागू है ....**(व्यवधान)**.... संसद सहित सभी इसके लिए बाध्य है। यह भारती के मामले में भी बनाए गए यहाँ तक कि संसद को भी संविधान की मूल संरचना को संशोधित करने का अधिकार नहीं है जिसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता शामिल है।

इसलिए माननीय सदस्य को सर्वोच्च-न्यायालय के अधिकार को चुनौती देने का हक नहीं है कि वे प्रधानमंत्री अथवा कार्यकारी प्राधिकरण अथवा सभी सम्बन्धित प्राधिकरणों को निदेश दें। महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है वह केवल एक पंक्ति में है-

"केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के दौरान किसी प्रकार के पक्षपात को संभावना को समाप्त करने के लिए और उसकी विश्वसनीयता कम न हो तथा उस जांच की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता में किसी तरह को कमी न आए, इस उद्देश्य से यह निदेश लिया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो न तो किसी से आदेश लेगी न किसी ऐसे अधिकारी को रिपोर्ट देगी अथवा उस जांच के बारे में ब्यौरा देगी जिसकी इस जांच के बारे में निजी रूप से दिलचस्पी है अथवा वह इस जांच के परिणामों से प्रभावित हो रहा हो''

महोदय, मैं इस व्यवस्था के प्रश्न द्वारा जो कहना चाहता हूं वह यह है कि माननीय सदस्य संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को चुनौती देने के अतिरिक्त संसद में कुछ भी कहने का अधिकार रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दी जाती है तो आप हमारे संरक्षक है और इसलिए आपको उन्हें सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देने से रोकना चाहिए और प्रधानमंत्री और उसके सामने आना चाहिए।......**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे भ्रम में मत डालिए। जो कुछ आपने कहा है उसे मैंने सावधानीपूर्वक सुना है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी आपने कहा है उसे सभी सदस्यों ने सावधानीपूर्वक सुना है। अनुच्छेद 141 इस प्रकार है:

"सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्य होगा।''

उच्च न्यायालयों तथा निम्न न्यायालयों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का सम्मान किया जाएगा। यह अनुच्छेद यही कहता है इससे अधिक कुछ नहीं कहता और मैं नहीं समझता हूँ कि आपका व्यवस्था का प्रश्न संगत है।

....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह नहीं। कृपया परेशान नहीं कीजिए। कृपया समझने दीजिए कि श्री लोढा ने क्या कहा है।

...**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इस तरह से नहीं।

....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह से बहस जारीं रखेंगे तो चर्चा अधूरी रह जाएगी।

....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : अब आप चुप क्यों नहीं होते।

श्री लोढा जी ने जो कहा है उसमें कुछ वास्तविकता है लेकिन मेरा विचार है कि अनुच्छेद 141 के बारे में उन्होंने गलती से उद्धारित किया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया, उसके बाद मुझे कुछ नही कहना है लेकिन में नहीं जानता कि मेरे किस वाक्य से हमारे माननीय सदस्य को लगा कि मैं उच्चतम न्यायालय के अधिकार के ऊपर कोई आरोप कर रहा हूं। हमने यह कहा कि न्याय के मामले में उनका पूरा अधिकार है। मैं किसी न्यायालय का न्यायाधीश तो नहीं रहा, लेकिन संविधान का विधार्थी जरूर रहा हूं।

हमारे संविधान मे विभिन्न राज्य के, विभिन्न अंगों के अधिकार अलग-अलग सीमित है और सब अपने-अपने मामले में स्वतंत्र है। कुछ स्वतंत्रता इस संसद को भी दी गई है और कुछ स्वतंत्रता, जो कार्यपालिका है, जिसके मालिक या जिसके हाकिम या जिसके अधिकारी माननीय प्रधान मंत्री जी है, उनको भी है। में केवल यही कह रहा था कि अगर न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय के शिखर से किसी तरह ऐसा संकेत मिले कभी कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी के बारे में भी संदेह है तो इससे संविधान को चलाना मुश्किल हो जायेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि सरकार को उसी दिन उच्चतम न्यायलय को कहना चाहिए था कि इसका कारण क्या हुआ, क्यों ऐसी टिप्पणी देने की जरूरत पड़ी, जैसा सोमनाथ चटर्जी जी ने भी कहा।

आज मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि प्रधान मंत्री ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि कि जो न्यायालय ने कहा उसकी सहमति इनके सालिसिटर जनरल की थी। अगर इनके सालिसिटर जनरल और इनकी सरकार की सहमति न्यायालय की एक टिप्पणी से है तो स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। उस स्थिति में इस संसद में इस बहस का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि संसद में संसद के नेता के ऊपर कोई संकेत हो उच्चतम न्यायालय से और उस संकेत पर कोई आपत्ति भी संसद के नेता न करें तो मैं नहीं जानता कि नेताविहीन संसद किस मामले में बहस कैसे करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं किसी का त्याग-पत्र नहीं मांगता, नैतिकता की दुहाई नहीं देता। लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनका याद रखना चाहिए कि बाहर की ताकतें देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, आज हम पर कल आप, दसूरे पर आरोप लगाकर भी अस्थिरता पैदा की जा सकती है इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। भारत भ्रष्ट देश नहीं है। 100 फीसदी लोग कड़ी मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हैं और अपनी रोटी कमाने के लिए खून-पसीना एक करते है। बाकी 20 फीसदी लोग जो सरकारी नौकर हैं, फौज के जवान है उनकी जिन्दगी भी इज्जत और ईमानदारी की जिन्दगी है। आपने जो भारत के बारे में कहा, कृपा करकें हम अपने भाषणों से यह न करें। मैं आपके जरिये प्रधान मंत्री से कहना चाहूंगा कि उनके अधिकारी को वक्तव्य लिखकर देते हैं, उसको न पढते तो ज्यादा खिदमत इस देश की और इस संसद की करते।

श्री एन. के. पी साल्वे : महोदय, मुझे पूरी चर्चा सुनने का अवसर नहीं मिला। इसलिए बहुत सम्मानपूर्वक में आपकी कृपादृष्टि तथा माननीय सदस्यों श्री वाजपेयी जी और चन्द्रशेखर जी की कृपादृष्टि भी चाहता हूं कि वे सीमित मुद्दे का उल्लेख करें।

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री में अविश्वास व्यक्त किया है। मैने सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता से पूछा इस तरह का वक्तव्य देने के अथवा इस तरह का आदेश देने वाला सर्वोच्च न्यायालय का वारंट कहाँ है कि प्रधानमंत्री मामले की आपराधिक जांच मे हस्तक्षेप नहीं कर सकता?

महोदय, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कर के मामलों में करदाता के मामले का मूल्यांकन करने में वित्त मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।__(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अर्धन्यायिक मामला है।

श्री एन. के. पी. साल्वे : जो कुछ मैं उन्हें कह रहा हूँ श्री सोमनाथ चटर्जी उसको समझेंगे आदेश क्यों दिए गए? मुझे बताया गया मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ नहीं था में सही नहीं हूँ तो मैं सही बात जानना चाहूँगा।__(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप न्यायाधीश नहीं है ..... (व्यवधान)

श्री एन. के. पी साल्वे : महोदय, मुझे आपकी कृपा दृष्टि चाहिए क्योंकि जो कुछ मैं कहता हू वह उस मुद्दे पर कुछ रोशनी डालता है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करता हूँ और सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे उनकी बात को समझे।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मुझे वरिष्ठ परामर्शदाता द्वारा बताया गया था कि निष्पक्ष परामर्शदाता ने खंड पीठ के सम्मुख एक वक्तव्य दिया है कि निरन्तर यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है कि प्रधानमंत्री इस मामले की जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं चूंकि वे स्वयं इसमें शामिल हैं। जब विपक्ष परामर्शदाता द्वारा यह बात कही गई तो उन्होंने कहा 'क्या वक्तव्य सामने आएगा? तत्पश्चात् उन्होंने कहा था कि इसका सरकार द्वारा खंडन नहीं किया गया है। मुझे बताया गया कि तब महा-न्यायवादी ने उठकर पीठ के समक्ष यह कहा कि प्रधानमंत्री को ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और वास्तव में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

उस पर इस प्रकार का आदेश दिया गया ....(व्यवधान).... जो बात उन्हे जंचती नहीं है वे उसे सुनना नहीं चाहते हैं .... (व्यवधान).... मैंने कहा है कि मुझसे यही बात कही गई है। इन परिस्थितियों में यह आदेश दिया गया है।

समाचार पत्रों में खबर छपी कि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा जब यह बात निष्पक्ष सलाहकार द्वारा न्यायालय की जानकारी में लाई गई तो न्यायालय ने यही कहा कि यह मामला सीधे उसे रिपोर्ट किया जाये। इसलिए मेरा सविनय निवदेन है कि यदि जो कुछ मैंने कहा वह वास्तव में सही है तो फिर कोई निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है कि उच्चतम न्यायालय अपने आदेश में प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर आक्षेप किया है ...(**व्यवधान**)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष महोदय जो कुछ भी साल्वे ने कहा है वह किसी तीसरे व्यक्ति से सुना जा रहा है। इस विषय में अधिकारिक तौर पर वक्तव्य क्यों नही दिया जा सकता है ...(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या एक आदेश की व्याख्या करने का यही तरीका है?...(**व्यवधान**)

आप आदेश की पृष्ठभूति बता रहे हैं, क्या किसी आदेश की व्याख्या उसकी पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। यदि आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं है तो सभा को गुमराह मत कीजिये।...(**व्यवधान**)

श्री एन के पी साल्वे : जैसा मैंने बताया है कि एक वरिष्ठ वकील ने मुझे ऐसा बताया है ...(**व्यवधान**) क्या आप न्यायालय में उपस्थित थे?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं जब तक आदेश में पृष्ठभूमि के आधार पर कोई अस्पष्टता न हो तब तक किसी आदेश की व्याख्या नहीं की जा सकती है ... (**व्यवधान**)

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, प्रस्ताव के पक्ष में विपक्षी नेताओं ने सब कुछ कह दिया है। किंतु कभी-कभी उनके मन में कुछ उलझने रहती हैं। सभा को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिये कि पहले भी ऐसे मामले सदन में उठाये गए है हर्षद मेहता ने कहा था कि उसने एक सूटकेस में एक करोड़ रूपये दिए हैं। जब जैन बंधुओं के फार्महाऊस पर छापा मारा गया और एक डायरी पायी गई तो हवाला मामला भी न्यायालय में लाया गया। यह स्पष्ट है कि उस डायरी में कुछ लोगों के नाम होंगे इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा हैं किंतु केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने मामले को स्पष्ट कर दिया है जब एस. के. जैन हिरासत में थे तो उस समय उन्होंने बताया कि उसने धन दिया•...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पात्र जी मैं आपको विस्तार से कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। यही बात श्री इन्द्रजीत को भी कहनी हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। विपक्षी सदस्य कह रहे है कि उच्चतम न्यायलय ने इस प्रकार की टिप्पणी क्यों की और यह शक्ति माननीय प्रधानमंत्री से वापस क्यों ली गई है प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी को कलकत्ता में संवाददाताओं से स्पष्टरुप कानून अपने हिसाब से कार्य करेगा। शायद उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि वे भी दोषी पाये जाते हैं तो कानून उनके विरूद्ध भी कार्यवाही करेगा। यह हमारे प्रधान मंत्री की बिलकुल साफ और स्पष्ट छवि है। इसलिए उच्चतम न्यायलय की टिप्पणी किसी भी प्रकार की जांच को प्रभावित नहीं करेगी। 23 जनरवी, 1996 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कहा था कि श्री एस. के. जैन के मौखिक बयान को प्रमाणित करने के लिए कोई पुख्ता सामग्री नहीं है ......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पात्र जी पहले मेरी बात सुनिये इस मामले में एक ओर आपको बोलने की स्वतन्त्रता है और दूसरी ओर आपको न्यायालय के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, इसलिए इस मामले में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेरे विचार से आपने अपनी बात कह दी है और अब यह पर्याप्त है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं यहां पर दो बाते कहूँगा विपक्ष के माननीय नेता इस उलझन में हैं कि श्री एस. के. जैन के आधार पर क्या प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, इस बात के लिए न्यायालय ने साफ तौर पर मना किया है, यदि न्यायालय इसे प्रथमदृष्टया मान्यता देता है तो तब उस पर विचार किया जा सकता है ....(**व्यवधान**)...., दूसरी बात वे लोग कह रहे हैं कि इस सर्वोच्च सदन का पतन हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने स्वेच्छा से कहा है कि कानून अपना कार्य करेगा तथा उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा और यदि कोई प्रथमदृष्टया मुद्दा है, तो उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, यदि कोई प्रथमदृष्टया मुद्दा नहीं है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें किसी प्रकार की संवैधानिक समस्या के बारे में नहीं डरना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय किसी प्रकार का संकेत दे रहा है ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, अब श्री अर्जुन सिंह बोलेंगे।

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको मुद्दे तक सीमित रखूंगा जिसे आज सुबह संबोधित किया जाना था तथा जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री को इस सभा में भाषण दिया और मेरे विचार से विपक्ष के सभी सदस्य यही चाहते थे, मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि किसी भी कारण से मैं भी एक दोषी व्यक्ति हूँ जिसने धन लिया है मैं वही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने बाहर कही है कि मैं कानून के सामने झुकता हूँ, देश के कानून गलत और सही का निर्णय करने के लिए काफी व्यापक और शक्तिशाली हैं, मैं इसके समक्ष झुकता हूँ और मुझे विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मेरी निर्दोषता सिद्ध हो जायेगी।

यह कहने के बाद मैं उस पक्ष पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा, महोदय, मैं अपने आपको पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य तक सीमित रखुंगा। यदि मुझे उनका वक्तव्य ठीक से याद है और मैं ठीक से बता रहा हूँ तो उसका सार यही है कि इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है, उससे प्रत्येक बात स्पष्ट हो जाती है, 1 मार्च, 1996 को उच्चतम

न्यायालय का दिया गया आदेश विगत दो वर्षो से जो कुछ हो रहा है उसका स्वाभविक निष्कर्ष है, इसलिए इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि जांच को प्रभावित करने के लिए कुछ किया गया है, मेरे हिसाब से उनके वक्तव्य का संक्षेप में यही मतलब है।

क्योंकि यह मुद्दा व्यक्तियों तक सीमित नहीं है यह मुद्दा अपनी बात ऊपर रखने के प्रयोजन से वाद विवाद का विषय नहीं है, मेरे विचार से यह संसद जो इस देश के लोगों की परम इच्छा की द्योतक है, इतिहास की परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है।

जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हम नहीं करते हैं वह अंततः इस गणतंत्र के संस्था की साख को प्रभावित करेगा तथा कभी-कभी यह समूचे गणतंत्रको को भी प्रभावित कर सकता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है तब तक हम न रहें किंतु एक न एक दिन हमें इतिहास के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा।

परंतु इतिहास के उस दौर में, इस पीढ़ी को जवाब देना होगा कि क्या उन सभी मूल्यों, विश्वासों और आदर्शों, जिनका हम पालन करते हैं- मैं किसी को इससे बाहर नहीं समझता, हम सभी ऐसा करते हैं- जब इन पर प्रहार होगा, तो हम उन आदर्शो, उन सिद्धातों, गणराज्य के चरित्र और इस गणराज्य के आधारभूत विशेषताओं की रक्षा करने हेतु कैसे सामना कर सकेंगे?

महोदय, इतना कहने के बाद, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे 4-5 मिनट का समय दिया जाए ताकि मैं कुछ बातों का वर्णन कर सकूं एवं बाद में माननीय प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकूं। समाचारों के अनुसार, जिन्हें नकारा नहीं गया है, जुलाई, 1991 में एक छापे के बाद तथा कतिपय दस्तावेजों के जब्त किए जाने के बाद सरकार के ध्यान में यह सारा मामला आया।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से पहला स्पष्टीकरण यह चाहता हूँ कि उन्हें इस सारे मामले के बारे मे व्यक्तिगत रूप से कब पता लगा? दूसरा मुद्दा यह है कि 1991 से 1993 तक एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी किया जा रहा था वह देश के कानून के अन्तर्गत ही किया गया होगा। हममें से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। परंतु जो तथ्य उभरा, वह यह है कि 1993 में उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित याचिका दाखिल की गई कि जो कुछ इस मामले में किए जाने की आवश्यकता है वह नहीं किया जा रहा है। अतः उच्चतम न्यायालय को इस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कुछ अपेक्षित है, जो कुछ देश के कानून के अनुसार आवश्यक है, जिससे सी बी आई स्वयं भी नियंत्रित है, वह किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय को मामले की गम्भीरता के बारे में बताया गया। दिन प्रतिदिन की प्रगति तथा दिए गए आदेशों से हम अवगत नहीं हैं। समाचार पत्रों से हमें ऐसा आभास हुआ कि आरंभ में उच्चतम न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो कुछ किए जाने की आवश्यकता थी, वह तत्परता से नहीं किया जा रहा था। अतः उससे सब कुछ करने के लिए कहा गया।

दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की है, वह है कि इस मामले में पूरी कार्यवाही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत की जा रही है। महोदय, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि शायद जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वास्तविकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में बहुत विलम्ब से कार्यवाही आरम्भ की गई, तथा जब उसने इसका संज्ञान किया तब भी सी बी आई को दिन प्रतिदिन की कार्यवाही के बारे में निर्देश नहीं दिए। वे जांच की निगरानी नहीं कर रहें हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि सी बी आई अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। समाचार पत्रों के अनुसार नवम्बर और दिसम्बर के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर, दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही पर निगरानी रख रहा था। परंतु जो भी हो, 30 जनवरी, 1996 के उच्चतम न्यायालय के आदेश से शायद पहली बार सारे मामले में राहत मिली है, तथा यह उचित परिप्रेक्ष्य में आया है तथा दरअसल यह आदेश जारी करते हुए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं कि इस फाईल के रिकार्ड मे हर चीज उचित परिप्रेक्ष्य में रखी जाए। महोदय, इस आदेश में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जिस किसी के खिलाफ आरोप लगे हैं।, उस सबकी जांच की जाए तथा यदि किसी समय सीबीआई इस निर्णय पर पहुंचे कि जांच के आधार पर किसी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है तो मामले को बंद करने पहले, ऐसा उच्चतम न्यायालय के संतुष्ट होने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 30 जनवरी, 1996 को यह आदेश दिया गया। 22 फरवरी को यह मामला पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया जिसमें, समाचार पत्रों के अनुसार, यह सूचित किया गया कि सीबीआई का सुझाव है कि दो लोगों के खिलाफ वे विशेष जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिससे वे यह निष्कर्ष निकाल सकें कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके।उन्होंने इन दोनों का नाम नहीं बताया। उसके बाद, मुझे नहीं मालूम कि उच्चतम न्यायालय ने इस विषय में "हां" या "नहीं" क्यों नहीं कहा तथा सीबीआई ने स्वयं ही कहा कि वे उस जांच को जारी रखेंगे, इसका यही मतलब है कि या तो वे अपने द्वारा पेश किए गए तथ्यों से माननीय उच्चतम न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाए अथवा उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा, कारण चाहे कुछ भी रहा हो।

महोदय, अब पहली मार्च को यह विशेष आदेश दिया गया, जो कि इस वाद-विवाद का विषय नहीं है। मैं उस आदेश के शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। माननीय वरिष्ठ सांसद चंद्रशेखर जी उसे ठीक-ठीक पहले ही बता चुके हैं। परंतु इस मामले पर गहराई से छान-बीन किए जाने की आवश्यकता है। आखिरकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आदेश बिना किसी वजह के नहीं दिया गया है। यदि ऐसा है अथवा सरकार की पहल पर ऐसा किया गया है कि 'सालिसीटर जनरल' ने न्यायालय से यह आदेश जारी करने हेतु कहा है तो हम इस विषय में जानना चाहेंगे। ....**(व्यवधान)**। यह अपुष्ट नहीं है।इस सदन में प्रधानमंत्री के वक्तव्य में ऐसा कहा गया है।

महोदय, मुद्दा यह है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहुत सी याचिकाएं हैं तथा उनमें से कुछ याचिकाओं में, निष्पक्ष परामर्शदाता श्री अनिल दीवान के माध्यम से, विशेष संकेत दिए गए हैं, विशेष

आरोप भी लगाए गए हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि आरोप-पत्र तदनुकूल तैयार की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : हर बात संयम बरत कर कही जानी चाहिए तथा ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे फैसला प्रभवित हो सके।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं।

श्री अर्जुन सिंह : मैं नहीं समझता कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उससे उच्चतम न्यायालय प्रभवित होगा। यदि ऐसा है, तो मेरे विचार से किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए। तब हमें वाद-विवाद बंद कर देना चाहिए। यदि जवाबदेही की कोई कीमत ही नहीं है__

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन सिंह जी, हमने इस पर चर्चा की अनुमति दी है। हमने आपको इस विषय में अपनी बात कहने की अनुमति दी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब हमने इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति देने से इंकार नहीं किया है, जिससे हमें नीति निर्माण अथवा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिल सकती है, जब हम कानून बनाने में सक्षम हैं, तो एक अन्य संस्था भी है जो कि कानून की व्याख्या करने में सक्षम हैं तथा एक तीसरी संस्था भी जो कानून लागू करने में सक्षम है। वक्तव्य देते समय हमें इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मै आपकी श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता के प्रति नतमस्तक हूँ तथा मेरा किसी सीमा का अतिक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है, मैं आपके द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही अपनी बात कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस सदन के अध्यक्ष की हैसियत से आप आवश्यक होने पर ही किसी सीमा का निर्धारण करेंगें। अत: मैं उस सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यत: मैं कोई सीमा निर्धारित नहीं करता।

श्री अर्जुन सिंह : मैं उस सीमा का उल्लंघन करने नहीं जा रहा हूँ। परन्तु अब भी बात वहीं की वहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को किस लिए यह आदेश देना पड़ा। मेरा कहना है कि यह स्वैच्छिक नहीं था क्योंकि मैंने भी इसकी कल्पना तक नहीं की थी, यह समाचार माध्यमों में आया है, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही भी समाचारों में आई है तथा सभी इसे जानते हैं और उसे यहां उद्धृत किया जा रहा है- कि शायद जांच ठीक प्रकार एवं उचित ढंग से नहीं हो रही थी। अत: मैं समझता हूँ - तथा जब तक मेरी इस धारणा का खंडन किया जाए क्योंकि मैं उन्हें मात्र एक व्यक्ति के रूप में नहीं लेता। इस सदन के नेता तथा देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से वह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। वह इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इस देश के सर्वोच्च कार्यकारी हैं, अत: उनकी ओर से बताया जाना चाहिए कि मेरी धारण गलत है अथवा नहीं।

अंत में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा क्योंकि वे ही इस को इस विषय में बता सकते हैं उसके बाद जो कुछ हुआ मैं उस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूँ कि वह स्वयं इस सदन को सूचित करें कि क्या प्रधानमंत्री के रूप में उनके खिलाफ जैन हवाला मामले में जांच चल रही है। अथवा नहीं। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। आज शुक्रवार है तथा शाम के 3.30 बज गए हैं। हम अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे तथा दलों के नेताओं की सहमति से यह निर्णय किया गया था कि यह चर्चा 3.30 म.प. तक जारी रहनी चाहिए। उसके बाद कल अर्थात् अगले कार्य दिवस सोमवार को हम कुछ जरूरी कार्य कर लेंगे ताकि उसे दूसरी सदन को भेजा जा सके तथा उसके बाद उत्तर दिया जाएगा। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक अथवा दो सदस्य के बोलने के पश्चात् यदि आप मध्याह्न भेजने के लिए अवकाश चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं और यदि आप बहस जारी रखना चाहते हैं, जाने की अनुमति दे दूंगा।

....(व्यवधान)...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य अर्थात सांय 6 बजे के पश्चात क्या चर्चा फिर जारी होगी?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आवश्यक हुआ तो हम वैसा करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग ...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं बोल रही थी।

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में बुलाया जाएगा।

....(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बोलिए। यह मामला कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जा रहा है और बाद में आपको तथा मंत्री जी को भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो हलचल शासक के दल में हो रही है . .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष जी, अभी आप लंच आवर कर दीजिए .....(**व्यवधान**)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, हमारे दल के सदस्यों का बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है जबकि अन्य सभी सदस्य बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। मैं श्री वाजपेयी जी को बोलने की अनुमति देता हूँ।

....(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अभी बोलना चाहते अथवा सांय 6 बजे।

....(**व्यवधान**)....

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, हम यह भी जानना चाहते हैं कि सभा में जो स्पष्टीकरण पूछे गये हैं क्या उनका उत्तर प्रधानमंत्री देंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उस संबंध में मेरा यही उत्तर है कि चर्चा अभी जारी है और श्री माग्रेट आल्वा उसका जवाब देंगी। अपने कहा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए।

....(**व्यवधान**)....

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, आपको स्मरण होगा कि यह मुद्दा पहले भी आपके समक्ष आया था कि क्या प्रधानमंत्री जी जांच के अधीन हैं अथवा नहीं। इस बारे में केवल प्रधानमंत्री ही जवाब दे सकते हैं। अत: हैदराबाद जाने से पहले वह सभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि उनकी क्या स्थिति है, क्या वह जांच के अंतर्गत आते हैं अथवा नहीं। यही हम सब जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : न तो मैं उनको वक्तव्य देने के लिए बाध्य कर सकता और न ही मैं आपको बोलने रोक सकता हूँ। यदि वह जवाब देना चाहे तो वह जवाब दे सकते हैं और न देना चाहें तो मैं उसके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

....(**व्यवधान**)....

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, मैं यही निवेदन कर रहा था कि जब इस सदन में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हलचल होती है और जब सदन छोड़कर चले जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ....

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सभा में उपस्थित होने की कठिनाई को समझ सकता हूँ। लेकिन महोदय मुद्दा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री ने अभी-अभी यही कहा है कि वह हमारे कहने पर ही सभा में आए हैं। महोदय, यह सभा की अवमानना है तथा इस सभा के शुभचिंतकों के लिए भी यह अन्याय की बात है। हमारे द्वारा उन्हे यहाँ आने तथा स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहना सभा द्वारा असुविधा उत्पन्न करने जैसी कोई बात नहीं है।

[हिन्दी]

हम लोगों ने यह अपेक्षा की थी कि जब सदन के नेता सदन में आयेगें तो देश के सामने आज जो परिस्थिति है, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे जिससे सरकारी पक्ष और हम लोगों को भी इस सदन के जरिये दिशा मिलेगी और इस मुल्क को भी दिशा मिलेगी।

अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खेद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहां बोलने लगे तो उन्होंने लिखित बयान पढा, जिसमें वह हवाला केस का नाम भी लेने से कतरा रहे थे, किसी का नाम नहीं लिया। यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जिस बात पर बयान दे रहे हैं, वह एस. के. जैन की डायरी से उपजा हुआ एक चार्ज है उस पर बयान दे रहे हैं?

[अनुवाद]

मैं यह बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी वास्तव में हवाला , जो संसद में वर्तमान में छाया हुआ है और जो वास्तव में एस. के. जैन द्वारा केन्दीय जांच ब्यूरों के समक्ष एक आधिकारिक साक्ष्य के रूप में दिये गये साक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, में लिप्त व्यक्तियों के नाम अथवा इस सम्पूर्ण मामले के तथ्यों को बताने में संकोच महसूस कर रहे हैं। महोदय, अब मैं एक अन्य मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूँ जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। उन्होने लगातार टोका टाकी के बाद एक अन्य लिखित वक्तव्य पढ़ा जो संभव्तया उन्हें उनके कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया था जिसमें यह कहा गया है कि देश के उच्च न्यायालय के अथवा उच्चतम न्यायालय के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है कि वह पुलिस अथवा जांच एजेसियों या केन्द्रीय जांच ब्यूरो समय-समय पर विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए कहे। उन्होंने इस संदर्भ में मुज़फ्फरनगर और यदि मुझे सही ढंग से याद है, तो हबवाली और ऐसी ही अन्य घटनाओं का उदाहरण दिया है। लेकिन महोदय मेरा मुद्दा फिर वही है। यदि देश के न्यायालय, चाहे वह उच्च न्यायालय हो अथवा उच्चतम न्यायालय, यदि यह आवश्यक समझे .... (**व्यवधान**)

महोदय, मैं कोई दोष नहीं ढूंढ रहा हूँ अपितु मैं आपसे इस व्याकुलता के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया सदस्य को बोलने दें।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से उठकर चले गये तो हमें यह बताया गया कि तेजी से समाप्त हो

रहे उनके एक मंत्रालय का कर्त्तव्यपरायण कनिष्ठ अधिकारी इस संबंध में नोट बनायेगा ताकि उत्तर देने के समय उनकी मदद की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सभी कुछ शामिल किया जा रहा है। वे कापी लेते हैं तथा बोले गये एक भी शब्द को नहीं निकाला जाता।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे यह जानकर दुःख हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभी जानते हैं कि यह सब लिखित में होता है यह श्रव्य और हृदय में शामिल होता है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं यहाँ टिप्पण ले रही हूँ। प्रधानमंत्री ने मुझे एक मिनट के लिए मिलने के लिए कहा था, अतः मुझे मिलने के लिए जाना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : आप पहली पंक्ति में क्यों नहीं बैठती हैं?

श्री जसवन्त सिंह : मुझे अपनी सौम्य शुभचिंतक श्रीमती मारग्रेट आल्वा की कर्मठता पर कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी कर्मठता, महोदय, –

अध्यक्ष महोदय : वे बिल्कुल सुरक्षाहीन हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, वह सौम्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : कम से कम उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री जसवन्त सिंह : दूसरा मामला जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने तैयार किये गये वक्तव्य से पढ़कर सुनाया था वह मुजफ्फरपुर अथवा डबवाल अथवा कालरा अथवा पीलीभीत इन सभी से संबंधित उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित इन मामलों के बारे में है। लेकिन वस्तुतः विवाद ग्रस्त बात को सच मान लेते हैं चूंकि इन उदाहरणों मे से प्रत्येक उदाहरण के मामले में जहाँ कहीं न्यायालय को यह विश्वास हो गया है कि इसमें प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार है तभी न्यायालय ने एक विशिष्ट ढंग से हस्तक्षेप किया है तथा जांच किये जाने का निर्देश दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इन मुद्दों पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : ठीक ऐसा ही है। मैं प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति पर विस्मित हूँ कि ये सभी मुद्दे जिनका उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है का हवाला देने तथा जो उन्होंने कहा है को बताने का अतः एस. के जैन की डायरी के मामले में अब उच्चतम न्यायालय के पास पर्याप्त आधार हैं। लेकिन कार्यपालिका के मुखिया, सभा के नेता, सरकार के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा की गई स्वीकारोक्ति उलझन में डालने वाली है चूँकि इन प्रत्येक मामले में (क) अपराध किया गया है, (ख) इनमें यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि अपराध की अच्छी प्रकार से जांच नहीं की जा रही थी तथा (ग) यह केवल वह अपराध ही नहीं था जिसकी जांच नहीं की जा रही थी, वस्तुतः कार्यपालिका कार्यवाही हेतु जांच का दुरुपयोग किया जा रहा था तथा यह कि आप कार्यपालिका को रिपोर्ट नहीं करेंगे और जो हम निर्देश देगें आप वैसा ही करेंगे निर्देश चाहे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय ने दिया हो। मैं इस बात से विस्मित हूँ कि प्रधानमंत्री ने यह कहकर उद्धृत करना उचित समझा है कि उच्चतम न्यायालय ने अब जो कहा है वह पूर्णरूपेण व्यवस्थित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को याद दिला दूँ कि यह व्यवस्थित नहीं है, यह साधारण रूप से भी व्यवस्थित नहीं है। उच्चतम न्यायालय का यह कथन इस सरकार में विश्वास के अभाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। जैसा कि बताया गया है कि अन्तोगत्वा उच्चतम न्यायालय एक मार्च को ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा था।उच्चतम न्यायालय आपसे आग्रह करता आ रहा है। उच्चतम न्यायालय शैनः शैनः आपसे यह दायित्व छीनने के लिए आगे आ रहा हैं क्योंकि जब भी आप उच्चतम न्यायालय गये हैं तो उच्चतम न्यायलय आपको आहिस्ता-आहिस्ता यह बताता रहा हैं कि आप चयनात्मकता के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं कि आप इस मसले के इतने समीप नहीं आ रहे हैं जितना की आपको आना चाहिये और प्रत्येक सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उसने एक-एक मौके पर सरकार को आग्रह किया है, इसने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आगाह किया है, इसने न्यायापीठ से "आप कुछ चुनींदा व्यक्तियों की जांच कर रहे हैं " जैसे से शब्द इस्तेमाल किये हैं। उच्चतम न्यायालय इससे संतुष्ट नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वह ठीक है और आखिरकार एक मार्च को उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी के तीन मुख्य अव्यव कौन-कौन से हैं?

मेरे विचार से पहला अव्यव यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यह बताया है कि प्रथम दृष्ट्या यह मामला बनता हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिये गये एस. के. जैन के कथन में प्रधानमंत्री की जांच हेतु आधार बनते हैं यदि उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता कि इसमें प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है और जांच करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा स्वंय केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने निष्कर्ष निकाला था। क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालय में कहा था, " दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जांच करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार नहीं हैं।" उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है इसमे पक्षपात पूर्ण जैसे शब्दों का इस्तेनाल किया है- को पढ़कर मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, महान्यायवादी को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यह मामला जांच करने को उचित नहीं ठहराता है, इसमे कहा था,"आप और कोई जांच नहीं करेंगे। हम जांच करेंगे क्योंकि पक्षपात के मामले सामने आये हैं" आखिरकार किसके विरुद्ध यह पक्षपात हो सकता है। क्या यह पक्षपात स्वंय केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पक्षपात जैसा हो सकता है? क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो जो जांच करेगा उसके बारे में पक्षपात की आशंका है?

2.00 म. प.

अथवा वह पक्षपात स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पक्षपात हो सकता है? महोदय, ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय अवश्य ही यह कहता : "हम आपसे, केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि आप बैगर पक्षपात के जांच कर रहे हैं। हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह जांच छोड़ने का निर्देश देते हैं तथा इसे करने का निर्देश हम किसी अन्य निकाय को देते हैं।" इसने कहा है कि पक्षपात खत्म करना चाहता है। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विरूद्ध पक्षपात की आशंका नहीं है तो क्या यह राजनैतिक कार्यपालिका के विरूद्ध पक्षपात है जिसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो रिपोर्ट देता है? महोदय, बिल्कुल स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कार्यपालिका के विरूद्ध राजनैतिक प्रभुसत्ता के बारे में आशंका जाहिर की है ..... (व्यवधान) मैं अभी नहीं बैठूँगा। क्योंकि केवल साधारण ढंग से अपना सिर हिलाकर माननीय संसदीय कार्यमंत्री तथा कार्मिक मंत्री इस बात को नकार नहीं सकते हैं। आप अवश्य ही इस बात पर नाराजगी जाहिर करेंगे। यह स्पष्ट है लेकिन मैं प्रधानमंत्री की इस दुर्भाग्यपूर्ण बात से विस्मित हूँ जब वह साधारण ढंग से अपना तैयार किया गया वक्तव्य पढ़कर सुनाते हैं और यह कहते हैं कि राज्यमंत्री श्रीमती मारग्रेट आल्वा जो संसदीय कार्य तथा कार्मिक मंत्रालय में राज्यमंत्री है और पूर्ण मंत्री बनने की तमन्ना लिये हुये हैं, वह वास्तविक बातों का उत्तर देंगी। संसदीय कार्य अथवा कार्मिक मंत्री इस मामले से ही प्रधानमंत्री के मंत्रिमण्डल के सहयोग के समूचे जनसंहार का कैसे जवाब दे सकती है। क्या श्रीमती मारग्रेट आल्वा उन सभी मंत्रियों की ओर से जवाब देंगी जो आज खाली हैं? क्या सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे श्रीमती मारग्रेट आल्वा को ही दिये हैं? उन इस्तीफों को राष्ट्रपति के पास अग्रेसित किया है? इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से मैं विस्मित हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उन्होंने वे मंत्रिपद संभाल लिये हैं?

श्री जंसवत सिंह : क्या उन्होंने वे सभी मंत्रिपद संभाल लिये हैं? .....(व्यवधान) मैं इससे विस्मित हूँ। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से मैं विस्मित हूँ। वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह मानता हूँ कि सत्ता पक्ष की सीटें.... भर गई हैं ....* यह बदतर स्थिति है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ होते हैं तो यहाँ उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री जसंवत सिंह : आप अवश्य इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन यह एक असंसदीय शब्द ... कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि वे शब्द जिन पर अन्य सदस्यों को आपत्ति हो सकती है वे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। उन्हें छोड़ दिया जायेगा। इसकी श्रेणियां इस प्रकार हैं शब्द जो असंसदीय हैं; शब्द जो आपत्तिजनक हैं।

श्री जसवंत सिंह : लेकिन यह शब्द आपत्तिजनक कैसे हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द इस संदर्भ में आपत्तिजनक है। अतः मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल रहा हूँ।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं इससे विस्मित हूँ ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : आज शासक दल, जन प्रधानमंत्री मौजूद हैं तो वह भी मौजूद हैं और अगर वह मौजूद नहीं है तो वे जो यहाँ से गैर हाजिर हैं। हम प्रधानमंत्री को डिसकस कर रहे हैं। उनकी नजर हाजिरी जो है, इस किस्म के नजर हाजिरियों को हम क्या कहेंगे?......(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सर, ऐसा काम करते हैं तो क्या बोलना नहीं चाहिए, जो सच्चाई है वह बोलनी चाहिये।

श्री जसवंत सिंह : मैं हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री प्रत्येक चीज को अन्तरित करने का चयन करते हैं। दल के नेता तथा सरकार के नेता के आचरण के बारे में माननीय मंत्री मुझे क्या वास्तविक जानकारी दे सकते हैं? ... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : क्या यह चर्चाधीन प्रस्ताव का अंग है। ....(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : यह प्रस्ताव का भाग है। मैंने प्रारम्भ में जो कहा था, मैं उसकों दोहराना चाहता हूँ।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सदस्यों को समझाये कि बीच में रोके नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सब मैम्बर ध्यान में रखें।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैने यह कहते हुए अपना भाषण प्रारम्भ किया था कि बैंच की एक मार्च की यह टिप्पणी इस बात की पुष्टि करती है कि न्यायालय का यह विश्वास है कि प्रथम दृष्ट्या प्रधान मंत्री के विरूद्ध आरोप की जांच करने का आधार उपलब्ध है। दूसरे, पक्षपात की संभावना के बारे में सीधा पक्षपात की संभावना के बारे में सीधा आरोप प्रधानमंत्री के विरूद्ध लगाया गया है और यह केन्द्रीय जांच ब्यूरों के विरूद्ध इतना नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी पूरी जिम्मेदारी के साथ की है और देश में हाल में हुई, न्यायिक सक्रियता के बारे में हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

परन्तु न्यायिक सक्रियता के बावजूद, मुझे उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा की गई टिप्पणी से अवश्य सहमत होना चाहिए यदि यह प्रधानमंत्री में अविश्वास की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं है, तो क्या यह सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री तथा सरकार का मुद्दा है कि उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने जो कुछ कहा है वह वास्तव में प्रधानमंत्री में विश्वास मत है?

एक माननीय सदस्य : वे यही समझते हैं।

श्री जसवंत सिंह : इस सब के बावजूद, सरकार केवल यह कह सकती है और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसका अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय के कथन के बावजूद यह अविश्वास मत नहीं है, यह वास्तव में प्रधानमंत्री में अविश्वास की अभिव्यक्ति नहीं है। फिर क्या हमें इसका यह अर्थ लगाना चाहिए है कि जो कुछ हो रहा है वह वास्तव में सरकार में विश्वास की अभिव्यक्ति हैं। सरकार ने यह कितना आश्चर्यजनक दृष्टिकोण अपनाया है कि इसे किसी न किसी तरह कुछ हफ्तों तक टाला जाए ताकि वो सत्ता में बने रहेंगे। इस सब का यही निष्कर्ष निकलता है कि इस तरह की प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट टिप्पणियों पर प्रधाानमंत्री को सरकार का मुखिया होने के नाते उत्तरदायित्व की गम्भीरता को समझना चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को देखते हुए अब उत्तरदायित्व कई गुणा अधिक हो जाता है, और तदनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह वाक्यांश प्रयोग किया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने नहीं किया है, नहीं कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं करेगा जो इसने पहले नहीं किया है, आदि इसीलिए हम संसद में प्रधानमंत्री से, आज हमारे समक्ष जो स्थिति है, उसकी गम्भीरता को समझने का अनुरोध करते है। तथापि, मुझे इसकी कोई आशा नहीं है कि सरकार या प्रधानमंत्री का उत्तर वास्तव में स्थिति की चुनौती के अनुरूप होगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपका उत्तर निराशाजनक होगा, कि आपका अत्तर स्पष्ट नहीं होगा, कि आप मुद्दों का सामना करने से बचेगें, आप तथ्यों का ही सामना नहीं करेगें। वास्तव में, आप केवल तथ्यों का ही सामना नहीं करेगें बल्कि आप संसद का सामना न करने के सभी अवसरों का लाभ उठायेगे और यदि ऐसा होता है तो इससे केवल मंत्रिमण्डल शिकार नही बनेंगे बल्कि लोक-नैतिकता का भी पतन होगा और विधानमण्डल के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के पक्ष को भी निश्चित रूप से हानि होगी। यह सब 16 जनवरी से हो रहा है। प्रधानमंत्री की सभी चुनौतियों पर की गई प्रतिक्रिया के बारे में यही कहूगां कि वे न्यूटरल गेयर के इर्द-गिर्द ही धूम रहे हैं। आप कार को न्यूटरल गेयर में करिये, यह न तो आगे जायेगी, न पीछे और न ही चलेगी। यदि इसे धक्के से चलाया जायेगा तो तब चलेगीं इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से नुकसान ही होगा इससे पहले भी हमे काफी नुकसान हो चुका है। इससे और अधिक हानि होगी। ... (व्यवधान) "न्यूटरल गेयर " में ब्रेकों की भी आवश्यकता नहीं होती है। आज के अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति यह उदासीनता, और शासन करने की इस न्यूटरल गेयर प्रणाली के कारण ही आज हम एक ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जिसमें विधानमण्डल निष्क्रिय है और कार्यपालिका भ्रष्ट है। इसका कारण देश के राजनैतिक तथा सार्वजनिक नेतृत्व का भ्रष्ट होना है और इसका एक कारण संवैधानिक असन्तुलन भी है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ, और यदि उन्होने समग्र उत्तरदायित्व को मंत्रिमण्डल में अपने कनिष्ठ सहयोगियों में अंतरीत्त कर दिया है, तो मैं उनसे या किसी और से इसकी आशा करता हूँ। हवाला तथा संसद सदस्यों को हवाला भुगतान से संबंधित आरोप लगाए गये हैं। इन मुद्दों में से एक यह है, जो हमारे समक्ष हैं और यदि हम यह आरोप लगाये कि इस पर सरकार का उत्तर पक्षपातपूर्ण है, तो इसके भी आधार हैं।

अब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि इतने अधिक मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है और उन पर अवैध धनप्राप्ति का आरोप लगाया गया है, तो क्या इस सरकार अथवा माननीय वित्तमंत्री को इस बात की कोई जानकारी है कि क्या आयकर विभाग ने इन में से किसी मंत्री को आयकर के नाटिस जारी किए हैं? और यदि आपने इन मंत्रियों को नोटिस जारी किए हैं, तो क्या उन संसद सदस्यों को भी नोटिस जारी किए गये है जिनके विरूद्ध आरोप हैं? यदि नोटिस केवल इन डायरी प्रविष्टियों और आरोपों के आधार पर ही जारी हिए गये है तो महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस प्राधिकार से और किस आधार पर उनके विरूद्ध नोटिस जारी नहीं किए गये हैं जिनका डायरी में नाम लिया गया है जैसे ....*

और कुछ अन्य मंत्रियों को जिनके विरूद्ध या तो भुगतान करने अथवा भुगनान किए जाने के आरोप है? उदाहरण के लिए ....* को नोटिस जारी क्यों नहीं किए गये है? मैने समाचार पत्रों में यह पढा है कि वित्त मंत्रालय ने स्वयं यह निर्णय लिया है कि आयकर नोटिस कुछ को जारी नहीं किए जायेगे, उदाहरण के लिए ....* इस संबंध में आरोप है कि ...* ने निधियाँ प्र्प्त की हैं। किस आधार पर और किस कानून से, किस कानून के अन्तर्गत ....

अध्यक्ष महोदय : क्या मुद्दे उठाने से पूर्व हमे मंत्री को इस बात की जानकारी नही देनी चाहिए कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं ....

श्री जसवन्त सिंह : यह सही क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जारी नहीं किए है। जब ऐसा होता है .... आपने भी , महोदय, साथ-साथ .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मान लो कुछ सदस्य खड़े होकर किसी सदस्य के विरूद्ध कुछ कहे ....

श्री जसवन्त सिंह : नहीं महोदय, ये रिपोर्टे हैं। यह ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियम में बताया गया है कि हमें ..... **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : क्या उनके पास उसके विरूद्ध कोई प्रामाणिक जानकारी हैं? जब तक किसी के विरूद्ध कुछ सिद्ध नहीं हो जाता, हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ....

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री जसवन्त सिंह : यह हवाला मामले का भाग है।

नगर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलामनबी आजाद) : महोदय, इन नामों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको पढ़ूंगा। .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमे प्रस्ताव तक सीमित रहना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : लेकिन यह प्रस्ताव हवाला के संबंध में है .....**(व्यवधान)** स्वयं संसद के संदर्भ अनुभाग द्वारा यह दिया गया है। इसमें नाम हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए श्री जसवंत सिंह जी को यह बताना आवश्यक नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते है। आपको इस पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : नहीं महोदय, प्रश्न यही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना चाहिए था।...... **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : लेकिन मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक नोटिस देकर सही ढंग से प्रश्न पूछना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, ये जो नाम इन्होंने बताए हैं, ये कोई पहले पहल नहीं बताए जा रहें हैं। अच्छा हैं, यदि मंत्री जी खंडन कर देगें अन्यथा इनको रोकने से और सन्देह बना रहेगा।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : बहस के बीच में भी यदि मैं .... उल्लेख नहीं कर सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रणाली में सुधार और एक बेहत्तर नीति लाने के बारे में सोचने के बजाय, हम एक दूसरे के विरूद्ध छींटा-कशी करने में उत्सुक रहते हैं। अन्य लोग भी एक दूसरे के विरूद्ध बात करने के इच्छुक रहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : किसी तरह से जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि वास्तविकता क्या है ....

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप नियमों का पालन करें। इसके अधीन कुछ भी कहें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन आप नियमों का पालन करें।

श्री जसवन्त सिंह : यदि मैंने किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया हैं .....

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं नियम उद्धृत कर सकता हूँ?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, निश्चित रूप से बहस के बीच में यदि मैंने .... कहकर नियमों का उल्लंघन किया हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम उद्धृत करता हूँ और कृपया, आप इसका पालन करें।

"किसीं सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध मान हानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो, जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।"

यह नियम संख्या 353 हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, ठीक है। मैं नियम का पूरा पालन करूंगा। मैं मान हानिकारक स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं इस सरकार द्वारा लिए गये एक निर्णय का उल्लेख कर रहा हूँ कि कतिपय मामलों में इस सरकार ने शुरू से आयकर मामलों में कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति के विरूद्ध कारवाई न करना ठीक समझा हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर यह निर्णय लिया गया हैं? सरकार मुकर सकती है और यह कह सकती है कि यह निर्णय नहीं लिया गया है। क्या आपने विभिन्न मंत्रियों को नोटिस दिये थे? यह आयकर में अपेक्षित हैं। यदि यह नोटिस नहीं दिया गया ..... **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : यह तब किया गया था जब नियमित जांच के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कतिपय साक्ष्य उपलब्ध हुये थे।

अध्यक्ष महोदय : अब वह नियमों का पालन कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। अब वह अपने अधिकार के अन्तर्गत बात कर रहें हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, हमको कोई रूचि नहीं है। अगर हमारे नाम लेने से इनकी इतनी बेचैनी बढ़ती हैं। .... **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : आप चीज़ को बिगाड़ने के लिए नाम लेते हैं। ....**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : हमारे राजस्थान के रामनिवास जी बैठे हैं, ___* तो राम को प्यारे हो गए। इसमें ___ का नाम भी है। .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया जायेगा। मैं इसके कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं देता।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : तो फिर किस-किसका सर।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए जैसा आप बोल रहे थे। आपको कौन औब्स्ट्रक्ट कर रहा है। न आपके लोगों का नाम जाएगा, न उनके लोगों का नाम जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसका भी तरीका है, उस तरीके से कीजिए।

[अनुवाद]

मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। जब हम इसे उचित तरीके से नहीं करते हैं तो हम अपना अधिकार खो देते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : उच्चतम न्यायालय को इसलिए कारवाई करनी पड़ी क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मन में शंका थी। एक प्रश्न जो हम सभी ने पहले यहाँ उठाया और मैं अब भी दोहरा रहा हूँ कि कार्यपालिका और सरकार का चयनात्मक दृष्टिकोण है। इस पूरे मामले में सरकार चयनात्मक तरीके से कार्य कर रही है, ऐसी चयनात्मकता जिसका कोई मानदंड नहीं है। हमें यह मालूम नहीं है कि किस आधार पर यह चयनात्मकता निर्धारित की गई है। इस प्रमुख मुद्दे, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं यदि यह चयनात्मकता, मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में जारी रहती है तो निश्चित रूप से किसी तरह से कार्यकाल के शेष कुछ हफ्ते भी पक्षपातपूर्ण या चयनात्मक बनें रहेंगें। लेकिन आप निश्चत रूप से इस बड़े अपराध जो पहले ही घटित हो चुका है, को सुधारने में एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं।

आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं केवल एक और पहलू का उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं अपने मित्रों से अपील करता हूँ कि वे इसे सुनें। मैं सचमुच भ्रष्टाचार, चयनात्मकता, पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में चिन्तित हूँ। हम सभी पूर्वाग्रही हैं। हम आत्मनिष्ठ राजनीतिक प्राणी हैं। यह राजनीतिक सभा है। हम यहाँ एकत्र होते हैं। मैं यह दावा नहीं कर सकता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो मैं स्पष्टतया बोलता हूँ। लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ वैसा मैंने पिछले पांच वर्षों में नहीं देखा, खासतौर पर सत्तापक्ष के सदस्यों की इस तरह की प्रवृत्ति में उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

आजकल जो सरकार का रवैया है, उसमें अधिनायकवाद की झलक आती है।

[अनुवाद]

मैं आभास कर रहा हूँ कि सत्तापक्ष के सदस्यों में डर की भावना व्याप्त है। वे स्वयं की परछाईयों से डर रहे हैं। वे इस बात से भयभीत हैं कि कल उनके विरूद्ध एक कागज का टुकड़ा न पकड़ा दिया जाये क्योंकि एक कागज का टुकड़ा उनके सरकार के मुखिया, उनकी पार्टी के मुखिया द्वारा पकड़ाया जाता है, उन्हें सभी तरह के आरोपों का उत्तर देना होगा, मैं आपको सावधान करता हूँ। मुझे अति प्रसन्नता है कि सत्तापक्ष के मेरे मित्र अभी भी मुस्करा सकते हैं लेकिन आप जो पद धारण करते हैं उसके सुख चैन में ही मुस्कराते हैं। यह पद आपके ही सहयोगियों द्वारा बिना सूचना के छीन लिया गया है, वह भी किसी पूर्व परामर्श शिष्टाचार के बिना, और इस कारण आप लोगों के दिल में डर की भावना घर कर गई है, यह डर की भावना ही अधिनायकवाद की शुरूवात है। आपके सरकार के मुखिया के पास राजनीतिक मामलों सम्बन्धी कोई मंत्रिमंडल समिति नहीं है और पार्टी के मुखिया के पास कोई संसदीय बोर्ड नहीं है जो किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आपकी सलाह की परवाह नहीं करता है। फिर भी यदि आप मुस्करा सकते हैं और यदि अभी भी आप अधिनायकवाद की सम्भावनाओं के बारे में चिन्तित नहीं हैं और यदि इस प्रस्ताव का अवसर आपने पूरी तरह से खो दिया है।

[हिन्दी]

थोक के व्यापारियों की तरह आपके मंत्रिमंडल के मंत्री जब एक के बाद दूसरे चले गये,

[अनुवाद]

आप में से कोई भी जिसके पास अपने साथियों, जिनके साथ आपने काम किया की वफादारी और शिष्टाचार का भाव था, खड़े होकर यह कह सकते "आप अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के प्रति ऐसा कैसे कर सकते हैं और आप अकेले ही रक्षक या गुण के एकमात्र आदर्श बनना चाहते हो और फिर भी सभी अधिकार अपने पास ही रखे हो तथा संसद को उत्तर नहीं देते?" इसमें अधिनायकवाद के बीज हैं और मैं आपको इस बारे में सावधान करता हूँ-चाहे आप चुनाव अप्रैल के अंत में करायें या जुलाई में कराएं, आपको चुनाव तो कराने ही पड़ेगे-कि आपने जो बीज बोया है उससे अपूर्णीय क्षति होगी और वह भी आपके राजनीतिक संगठन को,।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

पिछले पांच वर्षों, की जब से आप इन सत्तापक्ष की सीटों पर बैठे हुए हैं की तरफ देखो और इन पांच वर्षों की उस सूची की तरफ देखो जो आपने कार्य किया हैं- बहुचर्चित बोफोर्स-सोलंकी मुद्दे से लेकर बैंकिंग और प्रतिभूति ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, एक मिनट।

श्री जसवन्त सिंह जी : महोदय, आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से हम मध्याह्न भोज के लिए विश्राम न करें। जो सदस्य मध्याह्न भोज के लिए जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं। मैंने मध्याह्न भोज के लिए कुछ संसद सदस्यों को आमंत्रित किया है और मैं अध्यक्षपीठ उन्हें सुपुर्द कर रहा हूँ। सदस्य गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के पूरा होने के पश्चात् बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा।

....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। हां , जसवन्त सिंह जी बालिए।

....(**व्यवधान**)

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं बाध्य हूँ, ...(**व्यवधान**)

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां , आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या हैं?

प्रो. प्रेम धूमल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसके बाद सदस्यगण चर्चा जारी रखेंगे और तत् पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लिये जायेंगे, अतः, नियम 377 के अधीन मामले तथा कार्य सूची के अन्य मदों को किस प्रकार लिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : हम उस बारे में निर्णय लेंगे। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। ....(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे अनुमति नहीं दी गई है। आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति दे दी जायेगी।

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे अनुमति कब दी जायेगी, महोदय?

अध्यक्ष महोदय : लेकिन फिर समय ही कहां बचेगा? हमारे पास समय नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?

....(**व्यवधान**)......

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वे इन सभी मुद्दों पर बोल रहे हैं. ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी को अनुमति दी है।

....(**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं कुछ ही मिनटों अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

मैंने कहा है कि आप पिछले पांच वर्षे के अपने कार्यों पर नजर डालिये। मैंने बोफोर्स, सोलंकी तथा सेंट किट्स, बैंकिंग, प्रतिभूति घोटाले,चीनी घोटाले, अनिवेश और तेल घोटालों जैसे चर्चित मामलों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं क्योंकि इनमें से कोई भी ..... (**व्यवधान**)

श्री उमराव सिंह(जालंधर) : महोदय, हमें एक मिनट का समय भी नहीं दिया गया है और आप देख रहे हैं, उन्हें कितना अधिक समय दिया जा रहा है....(**व्यवधान**) इसका आज के मामले से कोई संबंध नहीं है ...(**व्यवधान**) विचाराधीन मुद्दा उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित है। आप सभा का सारा समय नहीं ले सकते। आखिरकार हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है ....(**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिह : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास है कि यदि आपका दृष्टिकोण ऐसा न होता, और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के प्रति ऐसी जागरूकता और संवेदनशीलता नहीं रही होती तो निश्चित रूप से हम उस चरमसीमा तक न पहुँचते जहाँ हवाला मामले में पहुँचे हैं। महोदय, इसी से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है। मेरा यह विश्वास है कि मामले के शुरू में ही उसका उपचारात्मक उपाय होता है। सम्पूर्ण राजनैतिक ढांचे में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए केवल कानून को ही नही बल्कि नैतिकता को भी आधार बनाना होगा। अगर आपका यह विचार है कि कानून को और बेहतर बनाकर अथवा इसमें कुछ संशोधन करके अथवा अन्य विधान लाकर आप समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और इसके नैतिक परिप्रेक्ष्य को अपने विवेक से बिल्कुल परे रखते हैं, तो फिर चाहे जो भी कानून हम बनायें, उसके आरंभ में ही हम असफल हो जायेंगे अंततः, आप उस नैतिक प्रश्न का जवाब देने में असफल रहते हैं। आज सभा में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति, चाहे उनके व्यक्तिगत दायित्व कुछ भी रहे हों, इस बात का द्योतक है कि नैतिक आधार पर इस समय कितनी रिक्तता आ गई हैं। ....(**व्यवधान**)

श्री उमराव सिंह : महोदय, कृपया मुझे एक बार बोलने का अवसर दीजिये। ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप श्रीमती आल्वा के पश्चात् बोल सकते हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, ऐसे समय पर आने का मुझे खेद है। ऐसा लगता है कि श्री जसवन्त सिंह जी की संपूर्ण वेदना और रोष मेरे प्रति ही है। मैं इसका कारण नहीं जानती। लेकिन मैं इस संबंध में नहीं बोलूंगी।

महोदय, आज के एक समाचारपत्र में जो समाचार प्रकाशित हुआ है, उससे मुझे निराशा हुई है। यह विपक्ष के नेताओं के साथ आपकी एक बैठक के बारे में है, निःसन्देह जिसमें मैंने भाग नहीं लिया था। ऐसा समाचार छपा है कि सभा के विपक्षी नेताओं ने इस आधार पर मेरे द्वारा जवाब देने पर आपत्ति उठाई है कि मेरा नाम भी डायरियों में है। यह समाचार आज मुखपृष्ठ पर छपा है। मैं केवल इतना ही कहूँगी कि मैं इससे अत्यधिक परेशान हूँ।

श्री जसवन्त सिंह : किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई है।

अध्यक्ष महोदय : यह सच नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं कहा है। अगर ऐसा समाचार छपा है, तो इसमें सच्चाई नहीं है। किसी भी सदस्य ने ऐसा नहीं कहा।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं यही सुनना चाहती थी।... ....(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह : महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विषय में जो कारण बताया गया है, वास्तव में वह कारण नहीं है। श्री आडवाणी और श्री अर्जुन सिंह सहित विपक्ष के सभी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जांच-पड़ताल पक्षपातपूर्ण ढंग से की गई है। उन्होंने खुले रूप में सभा में तथा सभा के बाहर आरोप लगाया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो हमारे प्रति अत्यधिक पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण अपना रहा है। ऐसा आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को निर्देश दे रहे हैं। सही जांच के कारण ही इतने लोगों का नाम सामने आ सका। जांच-पड़ताल निष्पक्ष रूप से हो, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपनी रिपोर्ट सिर्फ उच्चतम न्यायालय को ही दे और ऐसा किसी राजनीतिक कारण की वजह से नहीं बल्कि, आडवाणी जी तथा अर्जुन सिंह जी, जिनके नाम इसमें शामिल हैं , के हितों की रक्षा के लिए ही किया गया है। मेरे विचार में संपूर्ण सदन को इसकी सराहना करनी चाहिये क्योंकि अब जांच पड़ताल बिल्कुल निष्पक्ष रूप से की जायेगी .... (व्यवधान)

2.27 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? ....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

[अनुवाद]

2.27 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पर रखता हूँ :

(1) (एक) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 9160/96)

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 9161/96)

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री जी. वेंकटस्वामी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उत्प्रवास (दूसरा संशोधन) नियम, 1996, जो 28 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 159(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उत्प्रवास (संशोधन) नियम, 1996, जो 8 फरवरी; 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 9162/96)

(2) (एक) जूट विनिर्माता विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट विनिर्माता विकास परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9163/96)

(4) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9164/96)

(6) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघ्जा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9165/96)

(8) (एक) संश्लिष्ट और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संश्लिष्ट और रेयन कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9166/96)

(10) (एक) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास के के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9167/96)

(12) (एक) सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9168/96)

(14) (एक) कपड़ा समिति, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कपड़ा समिति, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9169/96)

भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री पी. चिदम्बरम् की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9170/96)

(2) (एक) ओवरसीज़ कन्सट्रक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज़ कन्सट्रक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9171/96)

(3) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9172/96)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के करण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण)

(5) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचिन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, काचिन के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल0 टी0 9173/96)

(7) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(क) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल. टी. 9174/96)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा. का. नि. 772 (अ), जो 4 दिसम्बर 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 116/85-के.उ.शु. के कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) दिनांक 28 दिसम्बर, 1995 को तदर्थ छूट आदेश संख्या 35/16/95 केउ.शु. जिसका आशय अशोक पेपर मिल (असम) लिमिटेड की जोगीघोप फैक्ट्री में निर्मित पेपर और पेपरबोर्ड को उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1996 जो 1 जनवरी 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 2 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. का. नि. 3 (अ), जो 1 जनवरी 1996 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95 के उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का. नि. 12 (अ), जो 9 जनवरी 1996 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 74/94 के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा. का. नि. 36 (अ), जो 17 फरवरी 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 फरवरी, 1995 की अधिसूचना संख्या 8/95 के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल. टी. 9175/96)

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा. का. नि. 766 (अ) जो 29 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 सितम्बर, 1989 की अधिसूचना संख्या 236/89-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 786(अ), जो 7 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 सितम्बर, 1989 की अधिसूचना संख्या 236/89-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमा शुल्क टैरिफ (सार्क अधिमानती व्यापार व्यवस्था पर करार के अधीन माल के उद्‌भूत का अवधारण) नियम, 1995 के भारत के राजपत्र के अधिसूचना संख्या 787(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 797(अ), जो 15 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 131/94-सी.शु. और अधिसूचना संख्या 132/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. का. नि. 802(अ), जो 19 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 65/88 सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) 22 दिसम्बर, 1995 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 342, जिसका आशय विसकोस स्टेपल फाइबर को सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा. का. नि. 819(अ), जो 28 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अगस्त, 1992 की अधिसूचना संख्या 257/92-सी.शु. की अवधि को 31 दिसम्बर, 1999 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा. का. नि. 4(अ), जो 1 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मशीनरी, उपस्करों आदि जब किसी अधिकृत कार्यशाला अथवा सरकारी एजेंसी अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा उसका आयात किया जाये, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा. का. नि. 5(अ), जो 1 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 110/86-सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 30(अ), जो 15 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें वर्णित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा. का. नि. 31(अ), जो 15 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना संख्या 84/95-सी.शु. का विखण्डन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 37(अ), जो 17 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशिता हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 13/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 807(अ), जो 26 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमे वर्णित दो अधिसूचनाओ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 808(अ), जो 26 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय

सौ फीसदी निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रसंस्करण जोन के एककों के लिए शुल्क योजनाओं को संशोधित करना है ताकि ऐसे एककों को मूल्यानुसार 15 प्रतिशन के हिसाब से सीमा शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) 8 जनवरी, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 4/96, जो शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक द्वारा शैक्षिक संस्थानों को, निःशुल्क धर्मार्थ दान के रूप में 105 प्रयुक्त कम्प्यूटर प्रणालियों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उनकी निकासी करने पर सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. संख्या 9176/96)

(3) निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल. टी. संख्या 9177/96)

(4) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 को भारतीय जीवन बीमा निगम के पच्चीसवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल. टी. संख्या 9178/96)

(5) भारत प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल टी संख्या 9179/96)

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी-वृन्द) दूसरा संशोधन नियम, 1996 जो 16 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 93(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी I के अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1996, जो 16 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 94(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1996, जो 26 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 95 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और वर्ग IV के कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1996, जो 16 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 96(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग III और वर्ग IV के कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1996, जो 22 फरवरी 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1029अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल0 टी0 9180/96)

(8) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) (संशोधन) स्कीम, 1996, जो 22 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 139 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति।

(ग्रंथालय में रखी गई/ देखिए संख्या एल0 टी0 9181/96)

(9) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1994-95 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन :

(एक) निमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगांव

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9182/96)

(दो) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9183/96)

(तीन) रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्री ग्रामीण बैंक झांसी

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9184/96)

(चार) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बीकानेर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9185/96)

(पांच) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9186/96)

(छह) सुरेन्द्र नगर भावनगर ग्रामीण बैंक सुरेन्द्रनगर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9187/96)

(सात) बुंदी चित्तौडगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बुंदी

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9188/96)

(आठ) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लाहेरियासराय

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9189/96)

(नौ) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कानपुर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9190/96)

(दस) नैनीताल अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नैनीताल

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9191/96)

(ग्यारह) फरीदकोट भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भटिण्डा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9192/96)

(बारह) शिवलिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियापुर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9193/96)

(तेरह) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भीलवाड़ा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9194/96)

(चौदह) हिण्डन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9195/96)

(पन्द्रह) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9196/96)

(सोलह) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9197/96)

(सत्रह) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक, पाटन

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9198/96)

(अट्ठारह) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9199/96)

(उन्नीस) नागालैण्ड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9200/96)

(बीस) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9201/96)

(इक्कीस) एटा ग्रामीण बैंक, एटा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9202/96)

(बाईस) श्री अनन्था ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9203/96)

(तईस) कटक ग्राम्या बैंक, कटक

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9204/96)

(चौबीस) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9205/96)

(पच्चीस) माल्वा ग्रामीण बैंक, संगरूर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9206/96)

(छब्बीस) कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बेंक, जयपोर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9207/96)

(सत्ताईस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9208/96)

(अट्ठाइस) श्रीवस्ती ग्रामीण बैंक, बहराईच

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9209/96)

(उनतीस) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9210/96)

(तीस) कपूरथला फिरोजपुर ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9211/96)

(इकतीस) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9212/96)

(बत्तीस) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9213/96)

(तैंतीस) काशी ग्रामी बैंक, वाराणसी

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9214/96)

(चौंतीस) कालाहाण्डी आंचलिक ग्रामीण बैंक, भवानीपटना

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9215/96)

(पैंतीस) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बंकुरा

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9216/96)

(छत्तीस) लखीमी गांवलिया बैंक, गोलाघाट

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9217/96)

(सैंतीस) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दौलत गंज

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9218/96)

(अड़तीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9219/96)

(उनतलीस) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9220/96)

(चालीस) सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9221/96)

(इकतालीस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, बीरभूम

(ग्रथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9222/96)

(बयालीस) भागलपुर बांका ग्रामीण बैंक, भागलपुर

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9223/96)

(तैतालीस) विश्वेशरैया ग्रामीण बैंक, माण्डया

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9224/96)

(चवालीस) बोलगिर आंचलिक ग्रामीण बैंक, बोलगिर

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9225/96)

(पैतालीस, रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैक, रत्नागिरी

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9226/96)

(10) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1993-94 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(एक) का बैक नोगक्यांडेंगरी खासी जैनतिया, सिलांग

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9227/96)

(दो) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, गिरिडीह

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9228/96)

(तीन) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9229/96)

(चार) फैजाबाद-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद

(ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 9230/96)

(11) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत में आवास का रुझान तथा प्रगति-जून, 1993 संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 9231/96)

(12) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 4)-(राजस्व प्रापितयां-अप्रत्यक्ष कर)।

(ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 9232/96)

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 8) रक्षा सेवायें (सेना तथा आयुध कारखाने)।

(ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 9233/96)

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1996 का संख्यांक 9) रक्षा सेवायें (वायु सेना और नौ सेना)।

(ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 9234/96)

(13) वर्ष 1994-95 के लिए रक्षा सेवायें के विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 9235/96)

नेहरू इस्टिट्यूट आफ माउनटैनीयरिंग उत्तरकाशी के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मै श्री मल्लिकार्जुन की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट आफ माउनटेनीयरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेहरू इंसिटट्यूट आफ माउनटेनीयरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9236/96)

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं आठवीं नौवीं, और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. विवरण संख्या 41 ग्यारहवां सत्र, 1988 आठवीं लोक सभा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9237/96)

2. विवरण संख्या 31 बारहवां सत्र, 1988 आठवीं लाकसभा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9238/96)

3. विवरण संख्या 39 तेरहवां सत्र, 1989 आठवीं लोकसभा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9239/96)

4. विवरण संख्या 38 दूसरा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9240/96)

5. विवरण संख्या 28 छठा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9241/96)

6. विवरण संख्या 27 सातवां सत्र, 1991 नौवीं लोक सभा

(ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9242/96)

7. विवरण संख्या 32 पहला सत्र, 1991 नौवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9243/96)

8. विवरण संख्या 27 दूसरा सत्र, 1991 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9244/96)

9. विवरण संख्या 28 तीसरा सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9245/96)

10. विवरण संख्या 25 चौथा सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9246/96)

11. विवरण संख्या 23 पाचवां सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9247/96)

12. विवरण संख्या 22 छठा सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9248/96)

13. विवरण संख्या 18 सातवां सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9249/96)

14. विवरण संख्या 17 आठवां सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9250/96)

15. विवरण संख्या 15 नौवा सत्र, 1994 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9251/96)

16. विवरण संख्या 10 ग्यारहवां सत्र, 1994 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9252/96)

17. विवरण संख्या 8 ग्यारहवां सत्र, 1994 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9253/96)

18. विवरण संख्या 6 तेहरवां सत्र, 1995 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथानय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9254/96)

19 विवरण संख्या 3 चौदहवां सत्र, 1995 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथानय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9255/96)

20. विवरण संख्या 1 पनद्रहवां सत्र, 1995 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 9256/96)

02.30 म. प.

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

श्री संत राम सिंगला (पटियाला) : गैर-सरकारी के विधेयकों तथा संकलपों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई अड़तालीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

02.30 ½ म० प०

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

एक सौ सत्रहवां, एक सौ अठारहवां तथा एक सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं लोक लेखा समिति (दसवी लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) वायुयान को बेड़े में शामिल किये जाने के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 85वें प्रतिवेदन पर की-गयी कार्यवाही संबंधी 117वां प्रतिवेदन।

(2) जबलपुर में टयूब बनाने के संयंत्र के संबंध मे लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 89वें प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही संबंधी 118 वां प्रतिवेदन।

(3) सीमा शुल्क प्राप्तियां- शुल्क की वापसी-कपटपूर्ण वापसी के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 91 वें प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही संबंधी 119 वां प्रतिवेदन।

02.31 म. प.

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

समिति के विभिन्न प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने

वाले विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पैकिंग प्रमार, पेपर और पेपर बोर्डों का कम मूल्यांकन, निर्यर्तित और वातित जल के प्रमाण की गैर-प्राप्ति के संबंध में 69वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(2) संघ उत्पाद शुल्क आकस्मिक लाभ और रबड़ उत्पाद के संबंध में 71 वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(3) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संबंध में 109वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में 132 वां प्रतिवेदन (7वीं लोक सभा)।

(5) विजयवाड़ा ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज, टेलीफोन राजस्व का बकाया और एस.टी.डी. रहित टेलीफानों के फालतू बिलिंग तथा टेलीफोन शिकायतों के संबंध मे तीसरा प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)

(6) संघ उत्पाद शुल्क के संबंध में 9वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(7) मध्य रेलवे में दिवा और बस्सियां रोड़ स्टेशनों के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण तथा पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर और दरभंगा के बीच रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में 30वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(8) अन्तर निगमित लाभांशों के गलत कटौती के संबंध में 58 वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(9) मध्य रेलवे में उपनगरीय सेवाओं के कार्य निष्पादन के संबंध में 62 वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(10) संघ उत्पाद शुल्क-बड़ी इकाईयों के लिए और उनकी ओर से लधु इकाईयों में उत्पादन पर अनियमित छूट के बारे में 109वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(11) खाद्यान्नों के वैगनों के परिचालन मे प्रतिपूर्ति दावों के संबंध में 118वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(12) टैंक वैगनों का प्रामण और उपयोग के संबंध में 126 वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(13) वाडी बन्दर में एक फर्म को भूमि का लाइसेंस देने के बारे में 172वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(14) चाय बोर्ड के संबंध में 174वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(15) इन्दिरा गांधी स्टेडियम परिसर में पांच सितारा होटल के संबंध में 185वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(16) बौक्सन बैगन के संबंध में पहले प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा)।

(17) सीमाशुल्क प्राप्तियां अंतरदेशीय सीमाशुल्क बन्धित भंडागार के संबंध में 7वां प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा)।

(18) उर्वरकों का आयात और वितरण के संबंध में 21 वां प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा)।

(19) शोध रिएक्टर धुव के संबंध में 12वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)

(20) 1988 के बजट में मानव निर्मित रेशों ओर धागों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में रियायतो का मूल्यों पर प्रभाव के संबंध में 21 वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(21) दोषपूर्ण आयातित पैराशूटों की अधिप्राप्ति के संबंध में 59वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(22) एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों के संबंध में 63वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(23) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के संबंध में 64 वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(24) संघ उत्पाद शुलक-मोटर यानों पर गलत छूट दिये जाने के कारण शुल्क नहीं लगाये जाने/कम लगाये जाने के संबंध में 69वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)

(25) बख्तबंद गाड़ी "जैड" और इसकी तोप और गोला बारूद के उत्पादन के संबंध में 86वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

02.31 ½ म. प.

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) बावनवां और त्रिपनवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियापुर) : महोदय, मैं कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड-बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड-भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में 53वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

02.32 म. प.

[अनुवाद]

(दो) कार्यवाही सारांश

स्क्वैड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, मैं प्रक्रियात्मक और प्रकीर्ण मामलों के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

02.32 ¼ म. प.

[अनुवाद]

विशेषाधिकार समिति

पाचवां प्रतिवेदन

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

02.32 ½ म. प.

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

श्री सत्येन्द्र नाथ ब्रह्म चौधरी (कोकराझार) : महोदय, मैं सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिनि का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू।

02.32 ¾ म.प.

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं रक्षा नीति योजना और प्रबंधन के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

02.33 म. प.

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करने और दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंधकों द्वारा कथित व्यापक भ्रष्टाचार के कारण हुए भारी घाटे की जांच के संबंध में याचिका

[हिन्दी]

श्री नरेश कुमार बालियान (मुजफ्फरनगर) : महोदय, मैं दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान करने और दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों द्वारा कथित व्यापक भ्रष्टाचार के कारण हुए भारी घाटे की जांच किए जाने के संबंध में श्री राजपाल सिंह राणा, वाइस प्रेसीडेण्ट, डी. टी. सी. कर्मचारी मोर्चा तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

02.33 ½ म. प.

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मुम्बई नागरकोइल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : पिछले बजट सत्र में भूतपूर्व रेल मंत्री ने मुम्बई से सप्ताह में एक बार चलने वाली एक नई रेलगाड़ी "मुम्बई-नागरकोइल-एक्सप्रेस' शुरू करने की घोषणा की थी। तदनुसार, मुम्बई से इस रेलगाड़ी को झण्डी दिखाकर रवाना किया गया था। इस रेलगाड़ी के शुरू किये जाने से मुम्बई में विशेषकर धारावी निर्वाचन क्षेत्र में जोकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ही एक भाग है रहने वाले तिरूनावेली के लोगों को काफी राहत मिली हैं तथापि अब तक प्राप्त अनुभव के ऐसा प्रतीत होता है कि इस रेलगाड़ी की काफी अधिक मांग है और इसे सप्ताह में मात्र एक बारे चलाना पर्याप्त नहीं है।

मैं रेलमंत्री से इस रेलगाड़ी को सप्ताह में एक बार की बजाय प्रतिदिन चलाने का अनुरोध करता हूं। इससे दक्षिण से आये मुम्बई में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी।

(दो) सहरसा जिले में खाद्य प्रंसस्करण उद्योगों को स्थापित करने हेतु लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उत्तर बिहार वे सहरसा जिले में कोई उद्योग न होने के कारण यहां पर दिनों दिन बेरोजगार युवकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सहरसा, सुपौत व मधेपुरा आदि के बहुत से लोग रोजगार के लिये पलायन करते जा रहे हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व बम्बई में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तथा इन लोगों के परिवार यहां पर बेसहारा रह जाते है। मेरे क्षेत्र सहरसा में कृषि पर आधारित अनेक प्रकार के उत्पादन होते हैं जिनका देश में तथा विदेशों में भी निर्यात किया जाता है परन्तु सरकार ने इन के लिये अभी तक यहां पर कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं लगाया है जिसके कारण यहां के कृषकों को इन सभी कृषि पर आधारित उपज के लिए पटना तथा अन्य राज्यों में जाकर बहुत ही कम दामों में बेचने पर मजबूर होना पड़ता है जिससे यहां पर कृषि उपज को ज्यादा पैदावार न करके यहां के नागरिक अन्य राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करने पर भी मजबूर हो रहे हैं।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह सहरसा जिले में चहुंमुखी विकास के लिये कृषि पर आधारित उपजों के लिये सहरसा, पुपौल जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाये जाने के लाइसेंस प्रदान करे जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को यहां पर रोजगार प्राप्त हो सके और कृषि क्षेत्र में भी कार्यरत लोगों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके।

(तीन) जयपुर विमान पत्तन को अतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मे जयपुर शहर के हवाई अड्डा के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 248 बीघा भूमि हवाई अड्डा प्राधिकरण को ट्रांसफर कर दी है, जिस के कारण रनवे बढ़ाया जा सके और जयपुर से वर्तमान हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय ऐरोड्रम का रूप दिया जा सके, परन्तु हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जयपुर हवाई अड्डे को शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय ऐरोड्रम का रूप दिया जाए।

(चार) स्वां और अन्य छोटी नदियों के नहरीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के उना जिला में स्वां नदी और उसके साथ मिलने वाली 73 छोटी नदियां हर वर्ष भारी क्षति पहुंचाती है। वर्षा ऋतु में जब भी भारी वर्षा होती है, तो यह स्वां नदी और उसकी सहायक नदियों भयकर रूप धारण करती है और इस जिले के गरीब किसानों के लिए विनाश का कारण बन जाती है। पिछले कई वर्षों से इस नदी के और इसके साथ मिलने वाली नदियों के नहरीकरण की मांग इस क्षेत्र की जनता लगातार कर रही है, परनतु यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही प्रदेश सरकार इस मांग की ओर उचित ध्यान दे रही है। परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए के जान ओ माल की क्षति होती है।

यदि स्वां नदी और इस के साथ जुड़ने वाली 73 छोटी नदियों का नहरीकरण कर दिया जाए, तो 28 हजार हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकेगा। इस लिए मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हू कि स्वां नदी और इसके साथ मिलने वाली 73 नदियों का नहरीकरण करने क लिए समुचित धन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि विनाश की नदी विकास की नदी बन सके।

(पांच) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राशि 200 रूपये तक बढ़ाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी की रेखा से नीचे स्तर के गरीब वृद्धों के लिए सरकार मे पेंशन देने की योजना लागू की किन्तु पेंशन की रकम इतनी कम है जिससे उन के लिए जीवन-यापन संभव नहीं है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस रकम को बढ़ा कर कम से कम दो सौ रूपए प्रतिमाह किया जाए।

[अनुवाद]

(छह) भवानी कुटचेरी डाकघर की वितरण कार्यालय के रूप में यथास्थिति बनये रखने की आवश्यकता

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं माननीय संचार मंत्री का डाक अधिकारियों द्वारा भवानी कुटचेरी वितरण उप-डाकघर का भवानी प्रधान डाकघर के वितरण क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित विलय और भवानी कुटचेरी उप-डाकघर को कोई वितरण उपडाक घर नहीं में परिवर्तित करने के प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हू और उनके विचारार्थ कुछ कहना चाहता हूं।

भवानी तमिलनाडु में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोबिचेट्टिपालयम में है। 18-10-1995 तक वहाँ दो वितरण डाक घर कार्य कर रहे थे। डाक अधिकारियो ने अचानक बिना किसी ठोस कारण के भवानी कुटचेरी विवरण उप डाकघर का विलय करने का निर्णय लिया हैं भवानी कुटचेरी वितरण डाकघर एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इस विलय से निश्चय ही आम जनता तथा व्यापारियों को बहुत कठिनाई तथा असुविधा होगी। यदि ऐसा किया जाता है तो भवानी प्रधान डाक घर में अतिरिक्त कार्य भार संभालना मुश्किल होगा। संपूर्ण रूप से एक वितरण कार्यालय कहीं बीच में उपयुक्त स्थान पर खोला जा सकता है और डाक वितरण कार्यालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन के लिए शीघ्रता से कार्यवाही की जाए।

ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि तमिलनाडु सर्कल में विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में कई डाकधार बंद किए जाने की योजना है।

केनवस थैलों उपलब्ध न होने की वजह से हथकरघा कालीन बुनकरों को अपने कालीन भेजने में बहुत कठिनाई हो रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह जब तक भवानी शहर में पृथक रूप से मुख्य वितरण कार्यालय नहीं खोला जाता तब तक सरकार को यथास्थिति बनाये रखनी चाहिए।

[अनुवाद]

2.40 म. प.

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

अठारहवाँ, उन्नीसवाँ, बीसवाँ और इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कपास ओटाई और दबाई (निरसन) विधेयक, 1995 संबंध अट्ठारहवां प्रतिवेदन;

(2) भारत-श्रीलंका व्यापार संबंध के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन;

(3) भारत-नेपाल व्यापार संबंध के बारे में बीसवां प्रतिवेदन; और

(4) चमड़ा उद्योग के बारे में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी बोल रही थीं। अब मैं उनसे भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

2.41 म. प.

हवाला मामलें से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर-कानूनी रूप से धन दिये जाने संबंधित अभिकथनों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असंतोष के संबंध में प्रस्ताव-जारी

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदए। मैं आपकी आभारी हूँ। कम से कम आपने मुझे बोलने की अनुमति तो दी। मैं नहीं जानती कि क्या यह बात सांसदों के विशेषधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत आती है या नहीं कि जब मैं इस प्रस्ताव पर बोल रही थी तो बाद में मुझे अपना भाषण जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रस्ताव के संबंध में अन्य कई सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी गई। मैं नहीं जानती कि पहले भी कभी ऐसा हुआ हो।

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, यह तो सामंजस्य स्थापित करने की बात है।

कुमारी ममता बनर्जी : प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा मैं उस बारे में स्पष्टीकरण नहीं भाग रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब मैं उस विषय पर बोल रही थी तब अध्यक्षपीठ ने अन्य कई सदस्यों को तो बोलने की अनुमति दी किन्तु मुझे अनुमति नही दी। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है। मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर्वप्रथम विपक्षी दलों के तथा अपने दल के बड़े नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों में मैंने जो कुछ सुना उस संबंध में मैं कुछ कहना चाहती हूं। किसी सदस्य ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की प्रतिष्ठा कम हुई है। पूरे विश्व को पता चल गया है कि भारत एक भ्रष्ट राष्ट्र है। भ्रष्टाचार तो हर जगह व्याप्त है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। लेकिन यह हमारे देश की अंदरूनी बात हैं। हमें विश्व में यह बात नहीं फैलानी चाहिए कि भारत एक भ्रष्ट राष्ट्र है। मैं इन बातों का विरोध करती हूं।

महोदय, मैं आपके तथा आपके माध्यम से सदन के समक्ष श्री अब्राहिम लिंकन के विचार रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, ''यदि आप एक बार अपने देशवासियों का विश्वास खो बैठते हैं तो दुबारा आप उनका सम्मान कभी नहीं पा सकते। यह सच है कि आप सभी लोगों को कुछ समय तक के लिए मूर्ख बना सकते हैं या कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं किन्तु आप सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते।'' अतः इस सभा की कनिष्ठ सदस्यता होने के नाते मैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों जो सम्माननीय सदस्य. हैं को याद दिलाना चाहती हूं कि वे उत्साहित करने की बजाए निरूत्साहित न करें अर्थात उन्हें अपने देश की प्रतिष्ठा कम नहीं करनी चाहिए। यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला है भी तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी राजनैनिक कारण से भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया की नजर में गिरा दिया जाए। मैं ऐसे विचारों का पुरजोर विरोध करती हूँ क्योंकि कुछ राजनीतिज्ञ चुनावों से पहले इन मामलों को तल देना चाहते हैं। इतिहास साक्षी है कि हर बार चुनावों से पहले इस तरह के मामले सामने आते हैं। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तब बोफोर्स में दलाली लेने का मामला उठा था। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं तब भी कोई मामला उठा था और जब श्री नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री है तो यह हवाला मामला उठा है। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हमें उस पर आपत्ति नहीं है किन्तु यह भी सच है कि भारत हमारा देश है और हमें अपने देश पर गर्व है। इस संदर्भ में मैं एक सुप्रसिद्ध अमरीकी दार्शनिक विली डूरांट के कथन को उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होने ठीक कहा है, ''भारत हमारे दर्शनशास्त्र की जननी है।'' उसी तरह ज़ेन के एक विद्वान डा. सुजूकी ने जापान में लिखा ''जापानी विचारों का अध्ययन भारतीय विचारों का

अध्ययन है।'' प्रसिद्ध चीनी लेखन लिम यूफांग ने लिखा, 'धार्मिक और कल्पनात्मक साहित्य के क्षेत्र में भारत चीन का गुरू रहा है।

अतः महोदय न हम असफल होंगे न हिम्मत हारेंगे। हम अपनी पूरी ईमानदारी और नैतिकता से लड़ेंगे और पीदे नहीं हटेंगे। हम इसमें सफल होंगे। चाहे कुछ भी हो हम इसका मुकाबला करेंगे। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं, वह कह सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है किन्तु किसी व्यक्ति विशेष की निंदा करना। इसीलिए मैंने यह सब बातें उद्धृत की हैं।

महोदय, पहले भी वोहरा समिति रिपोर्ट, लोकपाल विधेयक, चुनावों के लिए राज्यों द्वारा धन देने के बारे में बोलते हुए मैने कहा कि कि भ्रष्ट व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए। वोहरा समिति को रिपोर्ट बहुत गंभीर रिपोर्ट है। गुप्तचर विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, और अन्य प्रवर्तन शाखाओं ने कहा है कि कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ उद्योगपति भूमिगत माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसी लिए देश की सुरक्षा खतरे में है। मेरा भी यही विचार है। लेकिन वोहरा समिति से हमें छोटी सी रिपोर्ट ही मिली है और एक विस्तृत रिपोर्ट अभी मिलनी बाकी है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या है, किन्तु यह एक तथ्य है।

किसी ने कहा है कि उच्चतम न्यायलय के फैसले के कारण यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री में किसी का कोई विश्वास नहीं रह गया है। मैं ऐसा नहीं मानता। निसन्देह केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक निष्पक्ष निकाय है। यदि कोई उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय जांच ब्यूरों को किसी मामले की जांच करने के लिए कहता है, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो सरकार से पूछे बिना ऐसा कर सकता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और इस प्रकार की शक्तियां उसे प्रदत्त है। यहां तक कि यदि कोई राज्य सरकार भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किसी मामले की जांच करने के लिए कहती है, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो उस मामले की जांच कर सकता है। लेकिन वे सदैव प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते।

महोदय, मैं एक मामले को उद्धृत कर रही हूँ। 1995 के इन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए फैसले में, पृष्ठ छाट पर, पैरा 18 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की जानी चाहिए। महोदय, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक फैसले दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस फैसले में क्या है हां, मैं महाधिवक्ता की भूमिका के संबंध में चन्द्रशेखर जी के दृष्टिकोण का समर्थन करती हूँ। हां, हमें सन्देह है। हमारे मन में इस बात का सन्देह है कि क्या वह अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहे हैं अथवा इसके पीछे कोई राजनीति या कोई साजिश काम कर रही है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ... **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सेलम) : हम इन बातों को छोड़िए। उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि, मैं किसी व्यक्ति का बचाव कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा हूँ, वह मेरे व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति है और वह यहां आकर अपना बचाव नहीं कर सकते। हम लोगों को यथा संभव इन बातों पर विचार करने से बचना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं भी एक वकील हूँ। मैं सदैव लोक हित के मामलों की वकालत करती हूँ, अन्य किसी मामले की नहीं ......**(व्यवधान)** मैंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : संविधान के अनुसार केवल एक महाधिवक्ता है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने नाम नहीं लिया है। यह बात चन्द्रशेखर जी ने इसी सदन में कही है। यदि आप कार्यवाही-वृत्तांत को देखें, तो आप उसमें यह पाएंगे। मैं वही बात कह रही हूँ जो चन्द्रशेखर जी ने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है, तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह आपत्तिजनक बिल्कुल नहीं है। मैं चन्द्रशेखर जी के विचार का समर्थन करती हूँ। हमें इसे देखना चाहिए और यदि कोई बात गलत है, तो उसे ठीक करना चाहिए। हम लोगों को अपने देश की प्रतिष्ठा का ह्रास नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए मैंने यह बात कही है। मेरा किसी व्यक्ति का अनादर करने का इरादा नहीं है। यह व्यक्ति बंगाल के रहने वाले हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भलीभांति जानती हूँ, किन्तु व्यक्तिगत संबंध और राष्ट्रीय संबंध दो भिन्न बातें हैं। यही कारण है कि मैंने ऐसा कहा है।

यह सच है कि हमें चार सुधार करने की आवश्यकता हैं और मैं समझती हूँ कि कुमारमंगलम जी मेरे विचारों का समर्थन करेंगे। क्या आप यह नहीं चाहते कि ये चार सुधार होने चाहिए अर्थात् न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, निर्वाचन सुधार और लोकपाल। इन सुधारों के बिना और लोकपाल विधेयक के पारित किए बना, आप चुनाव नहीं करा सकते। यदि आप चुनाव कराते है, तो आपको लोगों से, उद्योगपतियों से धन मांगना पड़ेगा।

हवाला से संबंधित व्यक्ति की मध्य प्रदेश में एक कम्पनी है और यह कारण है कि वहां किसी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। यदि आप किसी राज्य में जाएंगे, तो आपको डायरियां ही डायरियां मिलेंगी। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय हर आदमी डायरियां खरीदने में लगा हुआ है। वे जिस व्यक्ति का नाम लिखना चाहते हैं, अपनी डायरी में लिख लेते है क्योंकि एक डायरी के मिलने से यह बात उजागर हो गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसन्द के हिसाब से किसी का भी नाम अपनी डायरी में लिख सकता है। मैं एक जन प्रतिनिधि हूँ। मान लीजिए कि एक

आम आदमी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है, "ममता जी, पेट्रोल पम्प के लिए मेरे आवेदन-पत्र को अग्रसारित कर दीजिए।" मैं ऐसा नहीं करती हूँ और वह व्यक्ति मुझसे रूष्ट हो जाता है। अब वह व्यक्ति अपनी डायरी में मेरा नाम लिख लेता है। किन्तु, कुछ प्रमाण तो होना चाहिए, कोई प्रामणिकता तो होनी चाहिए। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ घटित हो सकता है। हम भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन, यदि आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते है, तो आपको व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा क्योंकि इस समय व्यवस्था चरमरा चुकी है। सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यदि चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण नहीं किया जाता, तो चुनाव लड़ने के लिए हमें धन प्राप्त करने हेतु लोगों अथवा उद्योगपतियों के पास जाना पड़ेगा, हमें विदेशों से धन प्राप्त करना पड़ेगा। मैं विशेष रूप से वित्त मंत्री महोदय अथवा जो उत्तर देंगे, उस व्यक्ति से यह जानना चाहूंगी कि वे कौन-से दल है जो विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं। महोदय, यह एक बहुत गंभीर आरोप है। मैं ऐसी कुछ पार्टियों को जानती हूँ जो अपने पार्टी-खर्चे के लिए विदेशी एजेंसियों तथा विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं। मैं कांग्रेस, भाजपा सीपीएम, जनता या समता पार्टी या किसी अन्य पार्टी का नाम लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहती। मैं विस्तृत रूप से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसी जानकारी है अथवा नहीं। यदि नहीं है, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करके इसे हमारे देशवासियों की जानकारी हेतु सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

लोकपाल विधेयक में, राज्य द्वारा वित्तपोषण को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि जो लोग धन जमा कर सकते हैं, वही चुनाव लड़ सकते है और निर्धन लोग आगे नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास न तो धन-लाभ होता है और न ही बाहु-बल यह लोकतंत्र की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हो सकती। अतः, यदि हम सही लोकतंत्र, सही लोकतांत्रिक अधिकार चाहते है, तो हमें इस लोकपाल विधेयक को पारित करना होगा। मेरा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील है, अनुरोध है कि वे इस लोकपाल विधेयक को पारित करें तथा राज्य द्वारा वित्तपोषण की माग करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने केवल पांच मिनट लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रही है, किन्तु अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त करने है। कृपया पीठासीन अधिकारी को गलत न समझें।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केवल कुछेक मिनट और बोलना चाहती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सरकार और साथ ही, सभी राजनीतिक नेताओं से इस लोकपाल विधेयक को पारित करने से पूर्व अनुरोध करना चाहती हूँ कि उन्हे एक-साथ बैठकर एक फार्मूला या एकनीति तैयार करनी चाहिए कि अगला चुनाव राज्य द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से लड़ा जाएगा। लोगों तक यह संदेश पहुंचना जरूरी है कि संसद के लिए चुने जाने वाले लोग जो धन खर्च कर रहे हैं, वह किसी उद्योगपति अथवा किसी माफिया से मिला हुआ धन नहीं है। वे अन्यथा भी सदस्य बनने जा रहे हैं। तभी यह भ्रष्टाचार रूक पाएगा। मेरा अपनी सरकार सहित सभी दलों के सदस्यों से अनुरोध है कि इस लोकपाल विधेयक को पारित करने से पूर्व, यदि वे एक साथ बैठकर इन बातों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो यह देश के लिए उचित होगा। यहां वरिष्ठ लोग भी है और कुछ कनिष्ठ सदस्य भी हैं, लेकिन यदि आप नई पीढ़ी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो यह निकट भविष्य में उन लोगों के लिए कठिन होगा जो विधान सभा अथवा संसद में चुनकर आने वाले हैं, जो इस देश के भविष्य होंगे। यही कारण है कि लोगों का नेताओं में विश्वास समाप्त होता जा रहा है।

महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ। वित्त मंत्री, जो इस समय यहां मौजूद नहीं है, जानते है कि हाल ही में कलकत्ता में पिलकॉम क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन हुआ था। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि क्या वित्त मंत्रालय की सहमति से 'पिलकॉम' का खाता लंदन में है। किसी नुनेटा को 11 करोड़ रूपये की भारी राशि का भुगतान किया गया है। इस धन का हस्तांतरण किस प्रकार किया गया? बिना किसी निविदा के यह कैसे किया गया? इसके अन्तर्गत क्या समझौता किया गया व मैंने सुना है कि लंदन में एक होटल बनाने के लिए इसे एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया है। मैं चाहती हूँ कि इस संबंध में जांच-पड़ताल की जाए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि क्या यह सच है कि, आंख में तकलीफ होने के कारण मैं टेलीविजन नहीं देख सकती, उन्होंने भारत के नक्शे में कश्मीर के हिस्से को नहीं दिखाया है। यदि यह सच है तो यह संविधान का एक गंभीर उल्लंघन है। अतः मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को दंड दिया जाए और सरकार इस मामले की जांच करे क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि कश्मीर को न दिखाए, कश्मीर तो हमारा एक हिस्सा है। अतः, मैं मंत्रालय से एक सही रिपोर्ट चाहती हूँ।

महोदय, कुछ ऐसे राजनेता हैं जो प्रत्येक वर्ष विदेश भ्रमण पर जाते हैं। किस उद्देश्य के लिए वे जाते है? वे स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्राइवेट होटलों में ठहरते है। विदेश जाने के लिए एक नियम का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई सरकारी एजेंसी अथवा कोई प्राइवेट एजेंसी किसी व्यक्ति को आमंत्रित करती है, तो वह वहां छः दिन के लिए ठहर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से यह मानदंड निर्धारित किया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेता ऐसे हैं जो वहां 100 से

200 दिन तक ठहरते हैं। किस प्रयोजन से? ऐसे निजी दौरे पर कितने नेता स्विटजरलैण्ड गए हैं? वे काफी दिनों तक वहां ठहरे हैं। उनके खाने-पीने और ठहरने अन्य खर्चों को काली सूची में दर्ज उद्योगपति बहन करते हैं।

जहाँ तक हवाला मामला का संबंध है जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए हम भी यही चाहते हैं कि जहां भी भ्रष्टाचार हो वहां-वहां कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अन्त मे यह कहते मुझे खेद है कि जिस प्रकार से भूखे व्यक्ति के लिए खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती उसी प्रकार एक लालची राजनेता के लिए, जिसकी कोई विश्वसनीयता न हो, जिसमें कर्तव्यनिष्ठा की भावना न हो, नैतिकता व नैतिक मूल्य की बात करना कोई मायने नहीं रखती। आप देखिए कि क्या वे इन मूलयों को कायम रखे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब उर्दू कवि इकबाल मृत्यु हुई थी, उसकी मां बहुत गरीब थी।

[हिन्दी]

उसके लड़के के लिए उन्होंने बहुत किया था। इकबाल जब माता को देखने के लिए तैयार हुआ तो उसकी माता का देहांत हो गया। जब इकबाल को दुख हुआ तो उसने लिखा।

उम्रभर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत करती रही,

पर जब तेरी खिदमत करने के काबिल हुआ तो तू चल बसी।

[अनुवाद]

इसका मतलब है कि आपने मेरे लिए सब कुछ किया लेकिन जब मैं आपके लिए कुछ लायक हुआ तो आप इस दुनिया से विदा हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं लेकिन यह मत भूलिए कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं, गिरती है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर सवाल है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारे संसद की कुछ परम्पराये हैं।

3.00 म. प.

प्रधान मंत्री जी देश में सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं और वह सदन के नेता भी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन की ग्लोरियस ट्रेडीशन यह है कि किसी भी सदस्य के सिलसिले में कोई मिसडिमिन्योर का सवाल आता है, कोई मिसकंडक्ट का सवाल आता है, इस सदन का इतिहास बतलाता है कि उस कंडक्ट के बारे में संसद उस स्थिति से निपटती हैं। और इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं और सदन को तथा देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1951 में कांग्रेस दल के एक सदस्य मुद्गल जी का सिर्फ इतना कसूर था कि उन्होंने बंबई के एक बिजनेस हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए संसद का इस्तेमाल किया था। उस समय के प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपने कमरे में बुलाया। जब प्रधान मंत्री जी को उनकी बात से संतोष नहीं हुआ तो मामला सदन में आया। यह दस हजार रूपए से कम का मामला था। उस वक्त सदन में मावलंकर जी ने इसको सदन में कैसे डील किया यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मावलंकर जी ने संसद की एक विशेष समिति बनाई कि मुद्गल जी के कंडक्ट ने किस हद तक संसद की साख को गिराया है। मैं आपकी, इस संसद की तथा देशवासियों की खिद्मत में उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मावलंकर ने अपना विनिर्णय इस प्रकार दिया। यद्यपि नियमों के अन्तर्गत गाठित एक विशेषधिकार समिनि की व्यवस्था है, फिर भी यदि विशेष परिस्थितियां और अपेक्षित जांच की आवश्यकता हो तो सभा को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वह इसके लिए विशेष समितियों का गठन कर सकती है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है इसके अलावा विचार किए जाने के लिए यह भी एक अन्तर्निहित महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरोपित आचरण से वास्तव में सभा के विशेषाधिकार का हनन होता है या मामला इससे कुछ भिन्न है। एक सदस्य इस तरह का आचरण करता है जिसे सभा कभी नहीं चाहेगी और फिर भी यह तर्क का विषय तो सकता है कि यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है।

ऐसी सभी परिस्थितियों में हाउस आफ कामन्स में एक विशेष समिति गठित करने की प्रथा रहीं है कि और इसके लिये प्रस्ताव करने की प्रक्रिया विशेषाधिकार समिति के होते हुए भी, वही प्रक्रिया है जो सामान्यतया हाउस आफ कामन्स में अपनायी जाती है।

[हिन्दी]

उनके कंडक्ट के बारे में एलीगेशन आया है कि दस हजार रूपए से कम रकम के लिए मुद्गल साहब ने संसद का इस्तेमाल किया था जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे । यह दल विशेष का सवाल नहीं रहा, संसद का सवाल बन गया, मैं प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू को नमस्कार करता हूं कि वह उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए तो संसद में मामला आया और संसद में मावलंकर जी ने एक समिति बनायी। समिति ने उनको दोषी पाया और उनकी

भर्त्सना की जाने वाली थी लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर भर्त्सना की गई कि उन्होनें इस्तीफा क्यों दिया। 1951 में जब प्रोविजनल पार्लियामेंट थी तो एक सांसद के मिसकंडक्ट के बारे में संसद ने यह काम किया था। आज प्रधानमंत्री के बारे में एलीगेशन है। लीडर ऑफ अपोजीशन वाजपेयी जी ने इसे पहले संसद के बाहर उठाया और फिर संसद के भीतर उठाया। सांसदों को खरीदने के बारे में भी एलीगेशन है। यह संसद इस तरह के एलीगेशन के बारे में क्या करेगी यह सवाल है लेकिन इस बारे में कोई बहस नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुद्गल जी के कंडक्ट के सिलसिले में संसद ने ठीक किया था।

यह देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में दो बार हाउस के अंदर, हाउस के बाहर बोले। उपाध्यक्ष जी जब अटल जी ये बात बोले तो मैं अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा कर रहा था। हमसे हमारे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने पूछा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का तीन करोड़ का आरोप आया है। मैंने कहा कि मैं कुद नहीं कहूंगा, मैं संसद में जा रहा हूं। मैं आज कह रहा हूं कि ऐलीगेशन के बारे में प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। क्या यह अच्छा है, क्या यह प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? इसलिए मैं आज की संसद में, क्योंकि संसद देश को जोड़कर रखती है। संसद हमारी एक ऐसी संस्था हैं। हम दुनिया के सामने बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में प्रजातांत्रिक पार्लियमेंट शुरू से रहा है और अंत तक रहेगा। तो फिर मेरा कहना यह है कि ___

[अनुवाद]

संसद को इस स्थिति से निपटना चाहिए और इस सभा को सदस्य के दुर्व्यहार का मामला उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

और जब मुद्गल के बारे में ऐलीगेशन हुआ था वह सामान्य ऐलीगेशन था। उसकी तुलना में प्रधान मंत्री के खिलाफ जो ऐलीगेशन हैं वे बहुत की गंभीरतम है। प्रधान मंत्री चुप्पी क्यों साधे है? इसलिए मैं आज कहा रहा हूं। फिर मावलंकर जी ने हाउस आफ कामन्स के बारे मे बात की थी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपको प्रोफ्यूमों कांड में ले जाना चाहता हूं।

श्री प्रोफ्यूमो इंग्लैण्ड के रक्षा मंत्री थे। उनका क्या दोष था? उनका दोष था वह संसद के सामने मिथ्या बोले, झूठ बोले, असत्य बोले। उनकी कंजरवेटिव पार्टी की बैठक हुई और कहा, कंजरवेटिव पार्टी ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओं और हाउस ऑफ कामंस के सामने माफी मांगों और माफी मांगने बाद उनको यह कहा गया कि तुम डिफेनस मिनिस्टर के पद से जाओं और हाउस ऑफ कामंस जाओं। उन्होंने दोनों जगह से इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ एक औरत का नाम था क्रिश्चियन किलर। उनका उससे अवैध संबंध था और वह क्रिश्चियन किलर के.जी.बी. की एजेंट है ऐसा कहकर जब हाउस ऑफ कामंस में चार्ज आया तो फिर ग्रेट ब्रिटेन जहां मेच्योर्ड डेमोक्रेसी है ने ऐसा मानकर कि एक विदेशी राष्ट्र की खुफिया के साथ इनका संबंध था, अवैध संबंध था, तो फिर विश्व प्रसिद्ध, सारी दुनिया में प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त जज, इंगलिस्तान के लार्ड डेनिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई कि यह प्रोफ्यूमों तो राजनीति से गया। लेकिन देश की निरापदता सिक्योरिटी के बारे में क्या दिक्कत थी उसके बारे में वह कमेटी बनी। मैं आज कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी के बारे में जो ऐलीगेशंन आये हैं, मैं नहीं कहता कि प्रधान मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं या साबित हो गये हैं। मैं आज अध्यक्ष जी दुनिया के सबसे जो नामी कांस्टीट्यूशनल ज्यूरिस्ट हैं मैं उनको आपकी खिदमत में, सदन की खिदमत में, देश की खिदमत में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। लार्ड आइवरजेनिंग्स कहते हैं ''

[अनुवाद]

''मंत्री की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रारंभिक योग्यता उसका इमानदार और अभ्रष्टव्य होना है। तथापि उन्हें केवल ईमानदारी की बात ही नहीं करनी चाहिए बल्कि ईमानदार होना भी चाहिए।''

[हिन्दी]

इतना ही नहीं मैं हिंदुस्तान के जिसके बारे में हम सब गर्व करते हैं वे है लेट लेमेंटिड हिदायतुल्ला, जो चीफ जस्टिस थे। जब बिहार का कोई मंत्रियों का ऐलीगेशंन का मामला आया तो हिदायतुल्ला ने क्या फरमाया :

[अनुवाद]

यह हिदातुल्ला का वाक्य है जांच अवश्य की जानी चाहिए।

''पर्याप्त रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सार्वजनिक जीवन में सत्ता में रहते हुए व्यक्तियों को उन पर लगाए गए आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आरोप लगाए जाते हैं तो इन्हें स्थापित करने या आरोपित व्यक्ति को आरोपयुक्त करने अर्थात न्याय के लिए जांच की जानी चाहिए।''

उपाध्यक्ष महोदय मेरे विचार से इसमे कोई गलत बात नहीं है कि इन मानदंडों के अनुसार यदि प्रधानमंत्री महोदय किसी स्वतंत्र संस्था या न्यायिक प्राधिकारी से अपनी जांच करवाएं।

[हिन्दी]

उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मुदगल के प्रकरण में जिस तरीके से संसदीय परम्पराओं को निभाया गया, उसका समाधान किया, वह

इस सदन का ग्लोरियस ट्रैडीशन है। देशवासियों को पता लगना चाहिये कि इस सदन में सारे क्रुक्स नहीं हैं बल्कि सदन की कुछ ऊंची परम्पराएं है, यहां इस तरह के लोग हैं। इसलिये मैं आज कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश के 90 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप अंदाजा लगाईये कि अगर ऐसे चार्ज अमेरिका के न्यूयार्क टाइम्स में या लंदन के टाइम्स में प्रकाशित होंगे तो क्या उससे हिन्दुस्तान की साख बढ़ेगी। इसलिये मैं आज बड़ी तकलीफ से कहा रहा हूं, हमारे कैबिनेट मंत्री वेंकट स्वामी जी यहां बैठे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के लिये यह जरूरी नहीं था, मैं उन्हें केवल प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं कहता हूं बल्कि इस सदन के नेता के नाते कहता हूं कि इस हाउस की ग्लोरियस ट्रैडीशन्स को ऊपर रखते हुए जिस तरह मुदगल के मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी प्रस्ताव लाए थे कि उनके बारे में एक स्पेशल कमेटी बने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वैसा क्यों नहीं किया। हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं।

[अनुवाद]

वे इस अवसर पर आगे आए और स्वयं अपनी न्यायिक जांच करवाएं क्योंं उन पर किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि विपक्ष के नेता ने आरोप लगाए हैं।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नही हुआ। यह देश कैसे चलेगा? हम हिन्दुस्तानियों के लिये —

[अनुवाद]

संसदीय लोकतन्त्र एक जीवन पद्धति है।

[हिन्दी]

यह सिर्फ वोट का सवाल ही नहीं है, यह हम लोगों के लिये जीवन की पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है।

मैं यहां दो चीजें कहना चाहता हूं। 'ट्रासपेरेंसी इंटरनेशनल' नाम का जर्मन बेस्ड एक आर्गेनाईजेशन है। उसका कहना है कि दुनिया में जितने भ्रष्ट देश हैं, उनमें हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, फिलिपाईन्स तथा युनाइटिड स्टेट्स के नाम हैं क्या हमें और हमारी संसद के लिये ऐसी बातें शोभा देती है। कुछ खोज करने के बाद लोग अगर ऐसा कहते है कि हमारा देश सबसे भ्रष्ट देश है। मैं यहां उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि दूसरी बात कहता हूं कि क्या सी. आई ए. भी गलत बोलता है क्योंकि सी. आई. ए. ने भविष्यवाणी की है कि हिन्दुस्तान डिस-इंटीग्रेट कर जायेगा। मैं यह भी मानता हूं कि सी. आई ए. पर किसी का विश्वास नहीं है क्योंकि —

[अनुवाद]

समूचे विश्व की सभी ताकतें भारत के खिलाफ षडयन्त्र कर रही हैं। क्या हमें इस चंगुल में फंसना चाहिए।

आज मेरे सामने और देशवासियों के सामने to be or not to be का सवाल है। यह राष्ट्र, हमारी पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी सफलता के साथ आगे बढ़ेगी या कुछ मुट्ठीभर मंत्रियों के लिये हम इस देश को गिरा देंगे।

इसलिये प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, वैसे प्रधानमंत्री जी यहां नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि वेंकट स्वामी जी मेरे निवेदन को उन तक पहुंचा दे कि मुदगल के मामले में मावलंकर जी ने उस समय जो रूलिग दी थी, उसे वे गौर से पढ़ें। प्रधानमंत्री नेहरू जी के जमाने में जो भाषण हुआ था, जिस सवाल को रखा गया था, उस विवेक को समक्ष रखकर वे फैसला करें।

[अनुवाद]

अपनी अन्तरआत्मा की आवाज सुनें।

[हिन्दी]

मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी एक सामान्य मनुष्य नहीं हैं बल्कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री है जिसकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है।

[अनुवाद]

जब तक न्यायिक प्राधिकारी उन्हें आरोप से मुक्त न कर दें, उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। उन्हें प्रधान मंत्री के पद से हट जाना चाहिए। संसदीय लोकतन्त्र को बचाने के लिए इतना उन्हें कम से कम करना चाहिए। उन्हें पद से हट जाना चाहिए। उनके लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे एक वयोवृध्द नेता के रूप मे आचरण करें, एक उस सभा के नेता के रूप में आचरण करे जिसका संसदीय लोकतन्त्र में अपना नाम है।

[हिन्दी]

इसलिये मुझे उम्मीद है और मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुये, यही कहना चाहता हूं कि -

[अनुवाद]

संसदीय लोकतन्त्र के हित में और सार्वजनिक जीवन की

ईमानदारी के लिए मेरा प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि (श्री नरसिंह राव) जब तक न्यायिक प्राधिकारी या सभा का साक्ष्य प्राधिकारी उन्हें उन आरोपों से मुक्त नहीं कर देता जो उन पर सभा में व सभा के बाहर विपक्ष के नेता ने लगाए हैं तब तक उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं फिर कहता हूं कि जब उनके बारे में आउटसाइड हाउस कहा गया तो फिर उन्होंने कंटैम्प्ट का मुकदमा क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते थे। इसीलिये मैंने सुझाव दिया कि संसद के पुराने इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी चाहिये क्योंकि इस तरह के सबूत हैं, प्रमाण हैं, इस तरह के काम अतीत में हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने इस संसद में किये हैं, यह मेरा कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के प्रजातांत्रिक मूल्यों के खातिर और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री को कम से कम यह चीज तो अवश्य करनी चाहिए कि

[अनुवाद]

उन्हें तब तक अपने पद से हट जाना चाहिए जब तक एक स्वतन्त्र न्यायिक प्राधिकारी पर एक स्वतन्त्र समिति जैसा कि श्री मावलंकर ने मुदगल के मामले में कहा है, उन्हें उनके आरोपों से मुक्त न करे दें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) उपाध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय रवि राय जी ने यह कहा है कि हमने ब्रिटिश डेमोक्रेसी स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रिटिश डेमोक्रेसी की नीतिमत्ता हमने स्वीकार नहीं की। प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि हवाला कांड में जिनके खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे दोषी करार दिए गए हैं। मैं सत्ताधारी पक्ष से पूछना चाहता हूं कि दोषी होना या न होना, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन यह तो सही है कि पांच हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ? जब इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो इनकी नीतिमत्ता कहां गई थी?

3.16 म. प.

(श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, आज पूरा देश घोटालों से भरा पड़ा है। हमने दुनिया भर में जब सबसे महंगी चीनी थी, तब चीनी खरीदी और उसमें हजारों करोड का घोटाला हुआ जबकि चीनी की हमें जरूरत नहीं थी हमारे देश में चीनी बहुत थी, लेकिन बहुत महंगो दामों पर चीनी खरीदी उसमे हवाले के माध्यम से जो पैसा मिला वह कहां गया? हमने यूरिया 202 डालर प्रति टन का रेट था तब नहीं खरीदा बल्कि जब 246 डालर का रेट हो गया तब खरीदा। उसमें कितना पैसा हवाला के माध्यम से मिला? अगर हम चन्द्रास्वामी को गिरफ्तार कर लेंगे, तो हवाले के सारे मामले हमारे सामने आ सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको सी. बी. आई का अभी का एक केस बताता हूं। गोआ के एक्स. चीफ मिनिस्टर का भाई स्मगलर था। वह आठ करोड़ रुपए का सोना स्मगलिंग कर के लिए जा रहा था। फर्नान्डीज नाम के एक कस्टम अधिकारी ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस स्मगलर को 20 जगह गोली चलाकर घायल कर दिया और अन्त में वह मर गया, लेकिन सी. बी. आई ने झूठा केस उस कस्टम अधिकारी के खिलाफ बना दिया। इस सम्बन्ध में अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में सी. बी. आई की कटु आलोचना की है गोआ में जो सरकार चल रही थी उसको कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता थी, इसलिए सी. बी. आई से कह कर झूठा केस बनवा दिया गया जिसका पर्दाफाश अभी सुप्रीम कोर्ट ने आने आदेश में किया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री अंसारिया ने बताया कि सी. बी. आई कितना झूठ बोल सकती है और कितना अन्याय कर सकती है। ये सारे सुबूत सुप्रीम कोर्ट के समाने हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहता हूं और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश के लोगों में पहली बार ऐसी हताशा पैदा हुई है और लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश की बागडोर किस के हाथो में सौंप दी गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन में मांग करता हूं कि सी. बी. आई के ऊपर कोई प्रैशर नही होना चाहिए और उसे बिना प्रैशर के काम करने का मौका देना चाहिए। उसके पीछे पूरा सदन रहना चाहिए।

सभापनि महोदय, अन्त में आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपना भाषणा समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाडा) : सभापति महोदय, इस मुद्दे ने समूचे राष्ट्र को चकरा दिया है। वे नाम सुपरिचित हैं मैं उनका उल्लेख नहीं करुंगा। उनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह हवाला मामला बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इससे विश्व समुदाय में हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा गिरी है। इससे व्यक्तियों सहित राजनेताओं के प्रति बड़ी तुच्छ धारणा पनपी है और इसके साथ-साथ मुख्य बात यह भी है कि मुख्य जांच ऐजेन्सियों में से एक एजेन्सी अर्थात केन्द्रीय जांच ब्यूरों जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था, ने जनता में अपनी

विश्वसनीयता खो दी है। जनता यह समझने में असमर्थ है कि किस अक्षमता ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को घेर लिया जो यद्यपि आपातकाल में अपनी सीमाओं को पार कर गई थी लेकिन तदन्तर काफी हद तक जनता में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुई थी। लेकिन वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह इतनी लम्बी अवधि तक चुप रही। इससे कई गम्भीर प्रश्न पैदा हो गए हैं क्योंकि यह सन्देह से परे की बात हो गई है। अब ये आरोप विपक्ष द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं। हम यह आरोप नहीं लगा रहे हैं कि इस-इस ने करोड़ों, लाखों रूपए लिए। यह तो कुछ खोजबीन के बाद बाहर आया और अब यह स्पष्ट हो गया है कि हवाला के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में सक्रिय आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों को धन पहुंचाया जा रहा था और उन्हीं व्यक्तियों ने उच्च पदों पर आसीन राजनेताओं को भी धन दिया।

महोदय, यह वास्तव में एक विक्षोभपूर्ण स्थिति है कि कुछ वरिष्ठ सचिवों ने धन लिया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक पूर्व निदेशक ने भी पैसा लिया। यह वास्तव में विस्मयकारी स्थिति है। हवाला ने यह भी साबित कर दिया है कि विदेशी कम्पनियों राजनेताओं और नौकरशाहों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े-बड़े उपक्रमों के निर्णय को प्रभावित कर लेती है। अब इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है और इसके तुरन्त बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1 मार्च का अपना निर्णय दिया है।

महोदय इस वाद-विवाद में प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी कहा मैंने उस ध्यानपूर्वक सुना। मैं वास्तव में इस बात को नहीं समझ सकता और मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि किस मुखड़े से क्या सोचकर सरकार अभी भी उसी स्थिति में चल रही है, और प्रधान मंत्री भी चल रहे हैं। आप मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि इसमें प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया है जिनका केन्द्रीय जांच ब्यूरों पर प्रशासनिक नियन्त्रण है। समय के अभाव के कारण मैं इसे नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन उन्होंने कहा "पक्षपात की किसी धारणा को मिटाने और विश्वसनीयता के अपक्षरण से बचने।"

इसका आशय है कि न्यायालय ने अपने विवेक से इस मत पर पहुंचा क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है या कुछ पक्षपात की भावना से काम कर रहा है। कुछ चयनशीलता के आधार पर काम कर रहा है और यह जनता में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। यह उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों या कुछ राजनेताओं के इशारे पर काम कर रहा है इन सब बातों को ध्यान में रखकर न्यायालय ने यह निर्णय दिया। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने विगत में कोई ऐसा निर्णय दिया है? क्या यह शर्मनाक बात नहीं है? मैं यह समझने में असमर्थ हूं। उसने यह भी कहा है कि इन रिकार्डो को ताले में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उसने यह महसूस किया कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ कुछ छेड़छाड की सम्भावना हो सकती है इससे यही सपष्ट होता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों की अक्षमना पर अब कोई सन्देह नहीं रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रभारी भी हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे उनके नियन्त्रण है। अत: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रधान मंत्री के कार्यकरण का ही प्रतिबिम्ब है। मैं यही कहना चाहता हूं।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा है लेकिन उन्होंने उन कारणों, उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया जिनकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया। यदि मुझे अनुमति दें तो मेरा तो कहना है कि इसने केन्द्रीय जांच ब्यूरो और प्रधान मंत्री की, चाहे मृदु शब्दों में ही सही, निन्दा की है।

उन्होंने यह भी पढ़ा है "हम विधान सॉलिसिटर जनरल के इस वक्तव्य को भी रिकार्ड में रखते हैं जिसमें उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के अनुदेश पर यह बताया कि न तो सी. बी. आई. का निदेशक और न कोई अन्य अधिकारी किसी भी प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट दे रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या इसके निदेशक 1.3.96 तक प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहे थे? हम इस तर्क को कैसे मान सकते हैं? इसका मतलब है कि वे अपने कर्तव्य में असफल रहे और प्रधानमंत्री किस प्रकार चुपचाप रहे। वे केन्द्रीय जांच ब्यूरों को यह अनुमति कैसे दे सकते है कि वह अपने विभागाध्यक्ष अर्थात् प्रधान मंत्री को ही अपनी कार्यवाही से सूचित न करे? यह कार्यविधि है जिसके अन्तर्गत प्रधान मंत्री को सीधे सभा को जवाब देना है।

उन आरोपों से बचने के लिए, जो उन पर विपक्ष के नेताओं ने यहां लगाए है कि 11 मार्च 1995 को जब श्री एस. के. जैन केन्द्रीय जांच ब्यूरों के समक्ष बयान दे रहे थे, उन्होंने अपने बयान में बताया कि उन्होंने इस देश के प्रधान मंत्री और उनकी सलाह पर कुछ अन्य व्यक्तियों को धनराशि दी थी प्रधानमंत्री ने इस अवसर का उपयोग यही कहने के लिए किया है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

अभी-अभी श्री रवि राय पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने श्री मुदगल और उक्त घटना का उल्लेख किया था। यहां मैं प्रधान मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि समूचे राष्ट्र की प्रतिष्ठा ताक पर है। यदि वे इस अवसर पर आगे नहीं आते.... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे खड़े हुए और बाहर चले गए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : हां, दुर्भाग्यवश वे बाहर चले गए हैं। मेरा तो सुझाव यह है कि उन्हें कम से कम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 1 मार्च के निर्णय के बाद, स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए था। उन्हें उक्त पद पर बने रहने के लिए एक मिनट का भी इन्तजार नहीं करना चाहिए था। ....**(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरा व्यवस्था प्रश्न सभा मे गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घन्टी बजायी जाए।

3.30 म. प.

(गणपूर्ति की घण्टी बजाई गई।)

सभापति महोदय : अब सभा मे गणपूर्ति है श्री वी. एस. …न्द कृपया अपनी सीट पर बैठिए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के पश्चात आप अपना भाषण जारी रखें।

....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

3.30½ म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

डा. विश्वनाथम कानिथी (श्रीकाकुलम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा 28 फरवरी, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 28 फरवरी, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढवाल): महोदय मुझे एक अनुरोध करना है। पिछली जुलाई से रूग्ण उद्योगों से संबंधित संकल्प पर चर्चा चल रही है हमे इसे आज समाप्त करके दूसरे विषय को लेना चाहिए।

3.35 म. प.

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार के संबंध में संकल्प–जारी

सभापति महोदय, सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमो को अर्थक्षम बनाने संबंधी श्री सुदर्शन राय चौधरी के संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस संकल्प पहले ही 6 घंटे 55 मिनट चर्चा हो चुकी है अर्थात 6 घंटे 30 मिनट का समय आवंटित किया गया था। पिछले अवसर पर माननीय उद्योग मंत्री, श्री के. करूणाकरण ने भी इस संकल्प पर वाद-विवाद में भाग लिया था। अब इस संकल्प के प्रस्तावक श्री राय चौधरी वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : हमें अगले विषय पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हमने पहले ही नोटिस दिया है

सभापति महोदय : हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

...(व्यवधान)...

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम भी बोलना चाहते हैं। आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं?

सभापति महोदय : हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय किसी कठिनाई के कारण ही हम बोलना चाहते हैं। आप पांच से दस मिनट के लिए बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? हम केवल दस मिनट के लिए बोलेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम.सईद) : सदन की प्रथा है कि यदि कुछ सदस्य किसी संकल्प पर बोलना चाहें तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जाती है।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री पी. एम. सईद : सदन सदस्यों के अधिकारों में कमी नहीं करना ...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सत्ताधारी दल अगले संकल्प से बचना चाहता है।

सभापति महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। श्री राय चौधरी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : ममता बनर्जी की बात काफी हद तक ठीक है। मेरे पास कई अनुरोध हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण बहुत से सदस्य भाग लेना चाहते हैं।

...(व्यवधान)....

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने अपना अंतिम विनिर्णय नहीं दिया है सदन की यह प्रथा है कि मंत्री के बोल चुकने के बाद, प्रस्ताव का प्रस्तावक ही उत्तर दे सकता है। कृपया समझने की कोशिश करें।

माननीय मंत्री भी यही प्रश्न उठा रहे थे। इस मामले में आगे चर्चा किए जाने की अनुमति देने के लिए मैं सहमत नहीं हो सकता। मंत्री बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : मैं चाहता हूं कि श्री राय चौधरी बोलें और इसे समाप्त करें। यदि सभा सहमत हो तो इसके लिए हम इस संकल्प पर चर्चा का समय कम से कम 30 मिनट के लिए बढ़ा सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। बहुत हो चुका। इस तरह हम समय बरबाद नहीं कर सकते। अतः सभा की सहमति से मैंने इस को समय 30 मिनट बढ़ा दिया है। अब श्री राय चौधरी जवाब दे सकते हैं

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : सर्वप्रथम मैं अपने उन सहयोगियों और माननीय मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा उन्हें धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण संकल्प से संबंधित चर्चा में भाग लिया तथा कुछ उपयोगी टिप्पणियां और महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिससे पता चलता है कि इस सदन में उपस्थित हम सभी लोगों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के संबंध में वास्तविक चिन्ता है। सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को फिर से चालू करने के बारे में यदि माननीय मंत्री कोई ठोस प्रस्ताव रखते तो मुझे और अधिक खुशी होती। इन रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जिनका भविष्य पूर्णतया अंधकारमय तथा अनिश्चित है, की दयनीय स्थिति पर आंसू बहाना और शांत है। लेकिन जब तक इन उद्योगों के प्रति, जिससे आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जाता, इन उद्योगों में फिर से जान फूंकने के लिए कुछ ठोस नीति नहीं बनाई जाती तब तक यह हमारे लिए शर्म की बात रहेगी लगता है सुधार के नाम पर सरकार की नई नीति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त कर देगी और महोदय खतरनाक बात यह है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे हमारे विदेशी गुरू सुधार की इस गति से भी संतुष्ट नहीं है। विश्व बैंक ने अपनी हाल ही के रिपोर्ट मे हमे यह परामर्श दिया है कि हम अपने तथाकथित सुधारों में और तेजी लायें। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री श्री रोनेल्ड ब्राऊन ने पिछले वर्ष इस देश की यात्रा के दौरान जो कहा था वह मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जब तक हम सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सुधार नहीं करते तब तक विश्वीकरण और उदारीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। वर्तमान स्थिति में, मैं वह कुछ भी दुहाराना नहीं चाहता जो मैं अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा था। इस समय, मै कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। विशेषकर 8 दिसम्बर, 1995 को माननीय मंत्री ने अपने उत्तर मे जो कहा था उस संदर्भ में मैं कुछ सप्ष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय उद्योग मंत्री ने उस दिन अपने उत्तर में कहा था।

"सरकार के लिए सरकारी क्षेत्र के कर्मकारों का हित सरकार के लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की व्यवस्था के रुग्ण एककों को फिर से चालू करने अथवा बंद किये जाने से उत्पन्न होने वाली मजदूरों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गयी है। इसके अन्तर्गत योजनाओं, कर्मकारों को परामर्श देने, उन्हें पुनः शिक्षित करने तथा फिर से तैनात करने के लिए सहायता दी जाती हैं।"

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ इन वर्षो में कितने कर्मकारों को पुनः प्रशिक्षित किया गया तथा फिर से तैनात किया गया है। मैं यह सब इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि इन आंकड़ों के बिना हम राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्तुति करते नही रह सकते।

महोदय, माननीय मंत्री ने पुनः कहा था : "कुछ सरकारी क्षेत्रो के उपक्रमों से संबंधित फिर से चालू करने की योजनाओं को बी. आई एफ आर द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता न दिए जाने के कारण उन्हें कार्यान्वित नही किया जा रहा है।"

वास्तविक स्थिति क्या है? बी आई एफ आर में, जैसाकि हम सभी जानते हैं सरकार, बैंक वित्तीय संस्थानों कर्मकारों प्रबंधक, सभी अलग से प्रतिनिधि विभिन्न पदो पर होते हैं। अनेक सुनवाइयों के बाद उन उद्योगों को जिनके बारे में सभी प्रमोटरों अर्थात भारत सरकार सहित सभी प्रतिनिधियों द्वारा बैंच को अनुमति मिलने पर ही पुर्नजीवित करने के बारे में योजना बनायी जाती है। तत्पश्चात् बैंक और वित्तीय संस्थान धन देने से कैसे इंकार कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार कुछ विशिष्ट मामले में, न कि हरेक मामले में, प्रति गारंटी भी देती है। सरकार एक अविभाज्य ईकाई है। सरकार का एक अंग तो उद्योगों के पुनर्जीवित योजना को स्वीकार कर रहा है जबकि बैंक और वित्तीय संस्थानों के रूप में उसका दूसरा अंग धन देने से मना कर देता है। सभी मामलों में एक ही सरकार प्रति गारंटी नहीं देती। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों के ग्रुप का क्या कार्य है? ऐसा प्रतीत होता है कि बी. आई. एफ. आर से पुर्नजीवित योजना प्राप्त होने के बाद भी मंत्रियों के ग्रुप हरेक मामले का अलग-अलग अध्ययन कर यह निर्णय करते हैं कि धन दिया जाए अथवा नहीं। बैंक भी यही खेल खेल रहे हैं। अतः, मैं माननीय

उद्योग मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं बैंक और वित्तीय संस्थान सुपर बी. आई एफ. आर. है अथवा बी. आई एफ आर को हमने मात्र एक पहेली बना कर रख दिया है। उद्योग मंत्री ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के संबंध में बी आई. एफ आर स्वीकृत पुर्नजीवित योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के इच्छुक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया :

''माननीय सदस्य श्री सुदर्शन राय चौधरी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सरकार रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुर्नजीवित करने के लिए अपनी प्रमोटर की भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही है। यह कहना सही नहीं है तथा मैं इसका जोरदार रूप से खण्डन करता हूँ।''

आगे उन्होंने कहा :

''सरकार ने सरकारी क्षेत्र के नौ रूग्ण उपक्रमों अर्थात् ब्रेथवेयट, भारत ब्रेकस एंड वाल्वल, भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड तथा अन्य को पुर्नजीवित करने के बारे में विगत घाटे आदि को माफ करने के अतिरिक्त और धन देने के लिए पहले ही सहमत हो चुकी है।''

महोदय, वास्तविक स्थिति क्या है। क्या भारत सरकार वास्तव में प्रमोटर की भूमिका अदा कर रही है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 6 मार्च को बी. आई. एफ. आर में भारत प्रोसेस मेकेनिकल की सुनवाई थी। पहले इसको बंद करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन अब बी. आई. एफ. आर. इस पर पुर्नविचार कर रही है तथा यह पता लगा रही है कि क्या इसे फिर से पुर्नजीवित करने की योजना तैयार की जा सकती है। बैंच ने अपनी सुनवाई के दौरान प्रमोटर अर्थात् भारत सरकार से पूछा कि क्या वह कोई ऐसी योजना तैयार कर इसे क्रियान्वित करने के लिए कुछ धन देगी। प्रमोटर अर्थात् भारत सरकार ने न तो हां कहा और न ही 'नहीं'। ऐसा प्रतीत होता है कि मौनी बाबा के रोग ने समूची भारत सरकार को अपने जाल में फंसा लिया है।

इसके अतिरिक्त रेयरोल बर्न का क्या मामला है? यह वही मामला है जिसमें सरकार के अनिर्णय के फलस्वरूप पुर्नजीवित योजना लागत 4 करोड़ रूपये से बढ़कर 7 करोड़ रूपये हो गयी। 10 महीने के अनिर्णय के पश्चात कर्मकारी प्रमोटर अर्थात् सरकार ने अन्ततः प्रमोटर के रूप में कार्य करने से मना कर दिया और अब बी. आई. एफ. आर. द्वारा इस यूनिट को बंद कर देने की सूचना प्राप्त हुई है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के नौ उपक्रमों को पुर्नजीवित करने की योजना को स्वीकार कर लिया है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? ब्रेथवेट और भारत ब्रेकस के मामलों में, बी. आई. एफ. आर की स्वीकृत निष्पादन कार्य योजनाओं को समयानुसार क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है जिससे कि इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

महोदय, हम सभी राष्ट्रीय कपड़ा निगम को जानते हैं। यह सरकार के अनिर्णय का अनोखा मामला है। 'बिफर' ने अपनी अन्तिम सुनवाई में कहा था

''राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी एककों की दीर्घकालिन सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने के लिए समुचित पुनर्वास योजना बनाने हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम मुख्यालय की ओर बकाया सारे ऋणों को माफ किया जाये।''

यह बात 27 नवम्बर, 1995 को सामने आई। पिछले चार से पांच महीनों के दौरान सरकार इस सम्बंध में क्या करती रही? यह बताया गया है कि सरकार तथा ट्रेड यूनियनों ने 'बिफर' से इस निर्णय पर पुनःविचार करने का निवेदन किया है। यहाँ तक कि परामर्शदात्री समिति ने भी एक संकल्प पेश करने हेतु न्यायपीठ जाने का अभूतपूर्व कदम उठाया था ताकि 'बिफर' अपने पूर्व निर्णय में परिवर्तन कर सके। लेकिन वास्तविकता क्या है? महोदय, यदि आपकी जानने में दिलचस्पी हैं- तो संचित ब्याज 115.58 करोड़ रूपये है। सन् 1974 में इस सहायता के इसमें शामिल कर देने से ही भारत सरकार 35 प्रतिशत की दर से अप्रतिभूत ऋणों पर ब्याज वसूल कर रही थी। 1992-93 के वर्षो में अकस्मात जब सारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम अभूतपूर्व संकट में फंस गया-तो सरकार ने क्या किया? इसने ब्याज की दर 25 प्रतिशत से 18 प्रतिशत बढ़ा दी। इस प्रकार कुल 115.58 करोड़ रुपये का ब्याज का बोझ संचित हो गया है तत्कालीन वस्तु मंत्री-सरकार को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 1994-95 से उन्होंने कुल ब्याज माफी के छुट्टी दिवस की अनुमति दे दी है।

लेकिन पूर्व संचित ब्याज के बारे में क्या हुआ? सरकार वह नहीं कर रही है जो 'बिफर' ने सरकार को करने के लिए कहा है। यह तो केवल 'बिफर' को अपने पुराने निर्णय को बदलने के लिए कहते हुए एक संकल्प पारित कर रही है। यह कैसे संभव हो सकता है। जहाँ तक भारत ओप्थालमिक ग्लास लिमिटेड की स्थिति का संबंध है, मंत्री जी ने जो कहा है कि वह भयावह है:-

''सरकार सरकारी क्षेत्र के नौ उपक्रमों अर्थात् ब्रेथेवट, भारत ब्रेकस एण्ड वाल्वज और भारत ओप्थालमिक ग्लास के पुनर्रूद्धार के लिए पहले ही सहमत हो चुकी है।''

महोदय, मैं यह अवश्य कहूँगा कि मैं उद्योग मंत्री के प्रति बड़ा सम्मान तथा सहानुभूति रखता हूँ। लेकिन जब वे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो वे या तो हकीकत से वाकिफ नहीं थे अथवा उन्होंने शिष्ट कथनात्मक रूप से गलत बताया है। भारत ओप्थालमिक ग्लास लिमिटेड का परिसमापन 4 फरवरी, 96 को हुआ है क्यों? परिसमापन आदेश हो गया है फिर भी सरकार यह आश्वसान देती आ रही है कि पुनर्रूद्धार योजना विचाराधीन है। महोदय इसके अलावा भारत ब्रेक एण्ड वाल्वल के मामले में नवीनतम योजना मंजूर हुई है। लेकिन सरकार धन नहीं दे रही है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत

हम यह कैसे दावा कर सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों की पुर्नजीवित करने के लिए सरकार ने जो करना था वह इसने किया है।

महोदय, मैं एम. ए. एम. सी के मामले का जिक्र करना चाहता हूँ। केवल दो अथवा तीन दिन पूर्व हमने एक प्रैस रिपोर्ट देखी है कि हमारे माननीय उद्योग मंत्री ने बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि जब से 'बिफर' ने कम समय का नोटिस जारी किया है तभी से सरकार निःसहाय होकर एम. ए. एस. सी को समाप्त कर रही है। हक़ीकत क्या है। दिनांक 1.1.95 को 'बिफर' की अन्तिम सुनवाई में न्यायपीठ ने यह टिप्पणी की थी?

"आज की सुनवाई में किये गये निवेदन तथा मामले के रिकार्ड के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए न्यायपीठ ने यह नोट किया कि प्रमोटर-मंत्रालय ने कम्पनी के पुनर्रूद्धार तथा निकायों के प्रचालन हेतु और अधिक धन नहीं देने का निर्णय लिया है।" कम्पनी का कार्यभार हाथ में लेने के लिए एक वैकल्पिक प्रबंधकारिणी स्थापित करने हेतु प्रचालन निकाय द्वारा सारे प्रयास करने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला है। अतः पुनर्बास हेतु सरकार का कोई प्रस्ताव नही है। जब उसका कोई दोष नहीं है तो फिर आप 'बिफर' को क्यों दोष देते हैं? 'बिफर' ने यह टिप्पणी की थी कि इस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। महोदय मैं दूसरे मामलों में भी इस बात का उल्लेख कर सकता हूँ कि सरकार ने ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं लिया है अथवा मुझे आशंका है कि सरकार ने इन एककों को समाप्त करने का ठीक निर्णय लिया है।

महोदय, इसके अलावा सांविधिक बकाया राशि की क्या स्थिति है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया था कि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि इत्यादि के लिए निम्नलिखित सहायता प्रावधान है :

"बद किये जाने अथवा पुनर्रूद्धार किये जाने के मामले में कामगारों के मुआवजे का भुगतान जिसमें बी. आर एस तथा सांविधिक बकाया शामिल हैं।"

लेकिन हकीकत यह है कि जेसप एम. ए. एम. सी बर्न स्टैण्डर्ड राष्ट्रीय कपड़ा निगम आदि के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपनी ग्रेजुएटी तथा भविष्य निधि नहीं मिल रही है। उसके अलावा 'बिफर' में उन सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान को पुनर्रूद्धार योजनाओं के साथ जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कानून का पूर्णत : अतिक्रमण है अर्थात् उपदान संसद अधिनियम का अतिक्रमण है। आप इसका अतिक्रमण कर रहे हैं। यह वेतन तथा बकाया राशि आदि की दीर्घकीलिक भुगतान भी है, यह अनियमित भुगतान तथा भुगतान न करना है।

बर्न स्टैण्डर्ड, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट, रूइरोल बर्न सी. सी. आई एल. तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रभावित कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। यह हक़ीकत है। राष्ट्रीय बजट निगम के बारे में मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। महीनों से उन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिल रहा है।

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं दो अथवा तीन मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। हमेशा यह कहा जाता रहा है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों को बराबर की दृष्टि से व्यवहृत कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उर्वरक अथवा कोल जैसे कतिपय उद्योगों को 'बिफर' के पास भेजा जा रहा है। अब आप जानते हैं कि इन उद्योगों में मूल्य निर्धारित किया जाता है। जब इन एककों को 'बिफर' के पास भेजा जा रहा है तो हम इस तथ्य की उपेक्षा कर देते हैं कि वाणिज्यिक लाभ के अनुरूप इन एककों के उत्पादों का मूल्य निधरित नहीं हो पाता है। वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनका मूल्य सरकारी मूल्य होता है। चूंकि किन्ही सामाजिक कारणों की वजह से हम उस तर्क पर समान रूप से विचार करते हैं। लेकिन विशिष्ट सरकारी क्षेत्र के एककों को 'बिफर' के पास कैसे भेजा जा रहा है और इनसे यह प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है कि "आप लाभ अर्जित क्यों नहीं कर रहे है?" तो इन प्रचालन करने पर सरकार की नीति क्या होगी? आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई एकक 'बिफर' के पास भेज दिया जाता है तो इस पर एक तरह का दाग-सा लग जाता है मानों इसे उद्योगों के परिवार से निष्कासित कर दिया गया हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थान उन्हें धन देने से इंकार कर देते हैं। वे धन नहीं देते हैं। इस संकट की स्थिति में भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्रयादेश मिल रहे हैं। उनको लगभग 4 करोड़ रूपयों के क्रयादेश मिलते है। उनको अपने क्रयादेश मिलते है। जैसप को अपने क्रयादेश मिलते है। लेकिन ऐसे क्रयादेशों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये निष्कासित हैं। ये लाछित हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान उन्हें धन नहीं दे रहे हैं तो इनका परिचालन जारी कैसे रहेगा, उन्हें 'ब्रिज' वित्त नहीं मिल रहा है। जिस दिन किसी कम्पनी को पुनरूज्जीवित करने की किसी विशेष योजना को स्वीकृति मिलती है और जिस दिन पुनरूज्जीवित करने की उस विशेष योजना का कार्यान्वयन आरम्भ होता है इन दोनों के बीच काफी बड़ा अन्तराल होता है, इस पूरी अवधि के दौरान जब किसी विशेष इकाई को पुररूज्जीवित करने की योजना को स्वीकृति मिलती है तब भी कारखाना बंद होने के कगार पर है। छः माह या आठ माह, एक वर्ष या दो वर्ष बाद जब इकाई को पुनरूज्जीवित करने की योजना का वास्तव में परिचालन या क्रियान्वयन आरम्भ होता है तो आप पायेंगे कि मशीनें जीर्ण-शीर्ण हो गई है और कुछ भी नहीं किया जा सकता है, यह स्थिति व्याप्त है।

एक बात और क्या आपने इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र में बदलने की सामाजिक लागत का आकलन किया है? यदि कोई 'क' सरकारी क्षेत्र का उपक्रम कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनकी जरूरत हमारे आर्थिक उत्थान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए है, उन्हें बंद किया जाता है तथा हम उसके पुनःसुदृढ़ीकरण के लिए धन नही देते हैं। आपको उसके उत्पादों की आवश्यकता है किंतु ये उत्पादन किसी निजी

क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उत्पादित की जाती है इसमें कुल कितनी सामाजिक लागत आयेगी।

4.00 म. प.

जब सरकार ऐसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का परिसमापन कर रही है तो वह इस संस्थान का स्थान किसी गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा लिए जाने की सामाजिक लागत पर विचार नहीं कर रहे हैं तथा इसका आकलन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये समस्यायें हैं। महोदय, इन परिस्थितियों में मै आपके माध्यम से अपने ठोस सुझाव और ठोस प्रश्न पर ठोस स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ, यही सब कुछ इस समय में कहना चाहता हूँ। मैं मंत्री महोदय से ठोस उत्तर चाहता हूँ।

सभापति महोदय : श्री सुदर्शन राय चौधरी, धन्यवाद। मेरे विचार से इस मामले में मंत्री महोदय ने पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। यदि कोई विशेष बात हो, यदि वे कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने कुछ बातें अभी उठाई है। इन पर मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें ...**(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : ब्रैथवैट कम्पनी को पुनर्रुज्जीवित करने के लिए 26.88 करोड़ रूपये का पैकेज है। या उस पुनरूज्जीवित करने के पैकेज को स्वीकृति मिल गई है? एक पैसा भी नहीं दिया गया है। इसलिए हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।

सभापति महोदय : श्री सुदर्शन राय चौधरी ने कुछ बातें उठाई है यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते है तो मैं अनुमति दे सकता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें उत्तर देना चाहिए।

सभापति महोदय : ये सब बातें पहले हो चुकी है। यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इन सब बातों पर पहले नहीं कहा है। ये नई बातें हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : मैने ये बातें उनके उत्तर के आधार पर उठाई है ये सभी कार्योत्तर प्रश्न हैं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री महोदय जबाव दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान लीजिये।

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण) : सभापति महोदय, पिछली बार मैने अपनी स्थिति बिलकुल साफ कर दी थी, सरकार का इरादा.....

श्री बसुदेव आचार्य : आप इन सब उद्योगों को बंद कर देंगे।

सभापति महोदय : कृपया मंत्री की बात सुनें।

श्री के. करूणाकरण मैंने इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया था। उसे परिणामस्वरूप मैंने श्रमिक संघ के नेताओं के साथ बैठक की जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आदि जैसे प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जैसा आप सभी जानते है कि यह एक ऐसी समस्या है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लोगो के दृष्टिकोण से जहां तक संभव हो हमे किसी उपक्रम को बंद होने नहीं देना चाहिए दुर्भाग्यवश 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 117 थी।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उनके राज्य मे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम बहुत खराब स्थिति मे, बंद होने के कगार पर थे। लेकिन फिर भी सरकार के हस्तक्षेप से हमने उन्हें पुनः चालू किया और उन्हें इस स्थिति से उबारने के प्रयास किये जा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे उपक्रमो का उल्लेख किया है जिनकी कुछ समस्याएं हैं। मूलतः मैं एक बात कहना चाहता हूं: जब उन्हें चालू करने की योजना औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष रखी तो उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। यद्यपि बैंको के प्रतिनिधि भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूर भी कर लिया लेकिन दुर्भाग्य से इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है, इसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना संभव नहीं है। अतः हमें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : क्यो ऐसा किस लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुन निर्माण बोर्ड मे बैंको के प्रतिनिधि थे

श्री के. करूणाकरण : कृपया मेरी बात सुनिए। आप मुझसे इसका कारण पूछ रहे है। क्यों ......**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आप इसी तरह प्रश्न पूछते रहे तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाएगे। आप इस तरह व्यवधान मत डालिए।

श्री के. करूणाकरण : आप इसका कारण पूछ रहे हैं। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। प्रतिनिधियों में से कुछ ने, यद्यपि परियोजना पर विचार करने के बाद औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में जो प्रतिनिधि सम्मिलित थे, यद्यपि वे सहमत थे; परन्तु कुछ समय पश्चात परियोजना पर विचार करने के बाद उन्होंने कुछ शंकाये व्यक्त की थी। वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि परियोजना पर विचार किए बिना उन्होंने सहमति दे दी थी ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया एक समय में एक ही सदस्य बोलें। यह क्या है? यहाँ क्या हो रहा है?

...**(व्यवधान)**...

श्री सुदर्शन राय चौधरी : मैं मंत्री महोदय की स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूँ। परन्तु एक विशिष्ट बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिनिधियों, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जैसी शीर्षस्थ संस्था ने बिना सोच विचार के ऐसी बात क्यों की थी? ...**(व्यवधान)**

श्री के. करुणाकरण : आप कृपया मेरी बात सुनिए ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : मै आपकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूं। मुझे आपकी असहायता पर अफसोस है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री राय चौधरी, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। उनके भाषण में इस तरह व्यवधान मत डालिए। कृपया उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मजेरी) : मेरे विचार में यह एक दूसरे के साथ जिरह करने का मंच नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री के. करुणाकरण : मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एक ऐसा संगठन है जिसके पास कुछ अर्ध न्यायिक शक्तियाँ हैं। यह सरकार का अंग नहीं है।

परियोजना पर विचार करने के बाद प्राथमिक रूप में भौगोलिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रिपोर्ट मंजूर कर ली थी। तत्पश्चात यह परियोजना बैंकों सहित कुछ समय एजेंसियों को भेजी गई उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे। मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने योजना को नामंजूर कर दिया है मैं यह बता रहा हूं कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है। मात्र अत्याधिक देरी ही इसका कारण नहीं है। मैं आपको ऐसे कई उपक्रमों के नाम बता सकता हूं जिन्हें हमने पुनः चालू किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कितने?

सभापति महोदय : बढ़ाई गई अवधि भी समाप्त होने को है। कृपया इस बात को समझिए। मेरे विचार में मंत्री महोदय ने अधिकतर मुद्दों का जवाब दे दिया है।

...**(व्यवधान)**...

श्री सुदर्शन राय चौधरी : 91 सार्वजनिक उपक्रमों में से कितने उपक्रम पुनः चालू किए गये हैं।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. करुणाकरण : 14 उपक्रमों को पुन : चालू किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में ऐसे कितने उपक्रम है।

सभापति महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं है। आप किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं? यह प्रश्न सभी सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में है।

श्री के. करुणाकरण : अधिकतर ऐसा उपक्रम पश्चिम बंगाल के है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : कितने?

श्री के. करुणाकरण : आप कृपया मुझे बताइए कि किन उपक्रमों में हमने यह योजना कार्यान्वित नहीं की हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : आपने स्वयं भारत आप्थेल्मि ग्लास लिमिटेड के बारे में उत्तर दिया है। इसे क्यों बंद किया गया? आप उन्हें क्या सौंप रहे हैं।

सभापति महोदय : आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे।

...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह बहुत खेद की बात है। आपके साथी ने प्रस्ताव रखा है। उन्हें कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार है। कृपया उनके भाषण में इस तरह व्यवधान मत डालिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें भी प्रश्न पूछने का अधिकार है।

सभापति महोदय : अध्यक्ष पीठ की अनुमति लिए बिना आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं

...**(व्यवधान)**...

श्री के. करुणाकरण : जहां तक भारत औप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड का संबंध है, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इसे बंद करने की सिफारिश की है। लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : किस लिए?

श्री के. करुणाकरण : सरकार इस लिए सहमत नहीं हुई क्योंकि सरकार चाहती है कि श्रमिकों को पुनः रोजगार दिया जाना

चाहिए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बंद नहीं किये जाने चाहिए। इसका यही कारण है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने निर्णय ले लिया है। लेकिन हम उनके निर्णय से सहमत नही हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्रियों के दल का क्या हुआ?

श्री सुदर्शन राय चौधरी : ठीक हैं इसका अर्थ है कि आप उसे बंद किए जाने पर सहमत नहीं है।

सभापति महोदय : आपको उनकी बात सुननी चाहिए अन्यथा आपको उनकी बात समझ नहीं आएगी। आप मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। वह सूची पढ़कर सुना रहें हैं।

श्री के. करुणाकरण : दो दिन पूर्व प्रतिनिधि आए थे। परसों हमने उनके साथ विस्तृत चर्चा की और उस कारखाने को पुनः चलाए जाने हेतु कुछ सुझाव दिए गए थे। हमने समिति के पास जाकर अपील करने का निर्णय लिया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जहां तक संभव होगा हम उसे पुनः चलाने का हर संभव प्रयास करेंगे ।

सभापति महोदय : यह बहुत अच्छी बात है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूँ .....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री के. करुणाकरण : मुझे खेद हैं, मैं इस तरह उत्तर नहीं दे सकता ....(व्यवधान) श्रमिक संघों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे। वे मुझसे सहमत थे। सभी अधिकारी-अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वहां उपस्थित थे। हमने विस्तृत चर्चा की और सब इस बात पर सहमत थे कि हमें हर कीमत पर इसे पुन : चालू करना है। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएँ अपनानी होगी और हम ऐसा करेगें . ....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहती हूं ......(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : मेरे विचार से माननीय महोदय ने अपनी बात पूरी कर ली है।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : कृपया अपनी-अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)...

श्री के. करुणाकरण : महोदय, हमने अपनी स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है कि हम कारखाना बंद नहीं होने देंगे। पिछली बार मैंने कुछ शर्तें रखी थी। लेकिन अंततः यदि कोई आगे नहीं आया, यहा तक कि श्रमिक भी इसके लिए तैयार नहीं हुए -तो हमारे पास केवल यही विकल्प रह जायेगा कि पर्याप्त मुआवजा देकर इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन यह हमारा अंतिम प्रयास होगा। अतः हम इस कारखाने को चलाने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि कुछ कारखाने बन रहे हैं, केवल बन ही नहीं रहे हैं अपितु बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। अतः मेरा कामगारों से निवेदन है कि उन्हें सहयोग करना चाहिए। कुछ वचन देने के बाद भी कुछ उपक्रमों का उत्पादन कम हुआ है लेकिन मैंने इसे गम्भीरता से नहीं लिया। प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि वे इसकी आपूर्ति कर लेंगे और निश्चय ही उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि आपको किसी उपक्रम के बारे में कोई सूचना चाहिए.....

श्री सुदर्शन राय चौधरी : हमें सभी उपक्रमों के बारे में पूरी सूचना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया एक प्रश्न ....(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं , कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईये। अब आपको कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है। मंत्री महोदय अपनी बात पूरी करें।

श्री के. करुणाकरण : महोदय, मैं आपको बताता हूं कि हमने कार्यवाही की है। कार्यवाही प्रगति पर हैं यह कई स्तरों पर चल रही हैं हमें आशा है कि हम इसे कम समय के अंदर पूरा करने में और समर्थ होंगे और माननीय सदस्य बकाया राशि और मजदूरी के बारे में जो उल्लेख कर रहे थे उसके बारे में भी आश्वासन देता हूं ....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय जो कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

.....(व्यवधान)*...

श्री के. करुणाकरण : बकाया राशि के बारे में भी हमने दो दिन पहले आदेश दिये हैं और धनराशि भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई है। अतः इसके बारे में चिन्ता न करें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि कामगारों के हितों की रक्षा के लिए हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे और कारखानों को बंद होने से बचायेंगे।

* कार्यवाही -वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जो भी सम्भव है, किया जा रहा है और भविष्य में भी हम इसे चरणबद्ध ढंग से करेंगे ।

......(व्यवधान).....

सभापति महोदय : कृपया बीच में रोकें नहीं।

श्री के. करुणाकरण : महोदय, सौभाग्यवश , मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पश्चिम बंगाल से सभी मजदूर संघ के प्रतिनिधि एक साथ आये और हमारे साथ बातचीत की और हमारी उनसे विस्तृत बातचीत हुई और वे सभी इस बात से सहमत थे कि सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही संतोषजनक होगी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे हमें सहयोग देंगे। अतः, उनके पूर्ण समर्थन से, मैं माननीय सदस्यों और सभा को आश्वासन देता हूं कि हमने जो आश्वासन आपको दिया है, उसे हम पूरा करेंगे। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईये।

....(व्यवधान)....

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, एक बात, हमें मालूम नहीं है.........

सभापति महोदय : क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगी?

माननीय सदस्यगण, हमने समय बढ़ा दिया है।

.....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : सुशीला जी, कृपया बैठ जाईये। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हमने इस प्रस्ताव के लिए आवंटित समय से कहीं अधिक समय ले लिया है, अब हम इस पर आगे चर्चा नहीं कर सकते हैं।

....(व्यवधान)...

सभापति महोदय : श्री राय चौधरी सुनिए। इसके लिए और समय बढ़ाये बिना जिसके लिए यह सभा सहमत नहीं है, सभा ने इसके लिए 30 मिनट का समय बढ़ा दिया है हमने उससे 10 मिनट का अधिक समय ले लिया है।

....(व्यवधान)...

सभापति महोदय : आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अर्थात क्या आप उत्तर को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हैं।

श्री के. करुणाकरण : मुझे एक और अनुरोध करना है .... ..(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जब तक आप पक्का आश्वासन नहीं दे देते हैं कि किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को बन्द नहीं किया जायेगा जब तक वह इसे वापस कैसे ले सकते है? वह इसे वापस नहीं ले सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठ जाईए।

.....(व्यवधान).....

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया ...(व्यवधान)

श्री के. करुणाकरण : मैं सभी उपक्रमों के बारे में नहीं कह सकता हैं । मैंने कतिपय तरीका सुझाया है जिसे अपनाया जाना चाहिए। अनततः मेरे विचार से चार उपक्रमों को छोड़कर अन्य सभी उपक्रमों को सीधे पुनर्जीवित किया जा सकता है। चार उपक्रमों के बारे में कुछ तकनीकी कठनाईयां विद्यमान हैं। इसके बारे में मैंने मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को बता दिया है। मजदूर संघ के प्रतिनिधियों से इस बारे में शिकायतें थी कि उन्हें समुचित ढंग से नहीं सुना गया, कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों को स्वीकार कर लिया गया है। मैंने तुरन्त ही अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि किसी भी परिस्थिति मे, जब मजदूर संघ प्रतिनिधि कामगारों की तरफ से कुछ कहना चाहते है तो कोई भी प्रबंध निदेशक य अन्य अधिकारियों इसके लिए मना नहीं करेगा, उसे उनकी बात माननी चाहिए। यह भी आदेश हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपको अवसर मिले आप आयें और जो भी कहना चाहें कह सकते है, मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं ......(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे विचार से यह बात पहले ही कह दी गई हैं।

.....(व्यवधान).....

सभापति महोदय : यदि आपने अपनी बात कह दी है ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से माननीय मंत्री महोदय ने अपना भाषण पूरा कर दिया है।

...(व्यवधान)....

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाईये।

* कार्यवाही -वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री के. करुणाकरण : मैने माननीय सदस्य को यह बताया है कि हम जितना कर सकते हैं उतना हमने किया हैं; हम इसे कर रहे हैं यदि इसके अतिरिक्त कुछ और कहा जाना है तो कृपया हमारे समक्ष आई, और हम इसका समाधान ढूढंगे। मेरा अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिये गये आश्वासन और सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर माननीय सदस्य संकल्प वापस ले लें। मैं सदस्य को विश्वास दिलाता हू कि उनका जो भी अभिप्राय है उसे पूरा किया जायेगा। अतः कृपया अपना संकल्प वापस ले लें। ....(व्यवधान)

सभापति महोदय : चर्चा अब समाप्त हो गई है।

....(व्यवधान)....*

सभापति महोदय : ममता जी, कृपया बात समझिए, इस संकल्प के लिए आवंटित समय पूरा हो गया है।

...(व्यवधान)....

सभापति महोदय : क्या आप बैठेंगे? कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। मैं प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक को सूचित करता हू कि मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यदि वह अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं तो यह उनके लिए अवसर है कि वे अपना प्रस्ताव ले लें।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : कुछ केन्द्रीय मुद्दों पर मैंने यह चर्चा उठाई थी। मंत्री महोदय के उत्तर के तुरंत बाद प्रतिक्रिया के रूप में मेरा जो भी विचार था वह मैंने व्यक्त कर दिया था। अब में कुछ तात्विक स्पष्टीकरण चाहता हू।

सभापति महोदय : नहीं , कृपया बैठ जाईए। माननीय सदस्य कृपया समझा करें कि अध्यक्षपीठ का कर्तव्य किसी व्यक्ति को गाली देना नहीं हैं आपके सहयोग से ही अध्यक्षपीठ इस सभा को चलाता है।

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय: में किसी टिप्पणी की आशा नहीं करता। हमने 4.05 म. प. तक समय बढ़ा दिया हैं अब 4.20 म. प. का समय हो गया है।

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : आप समझते क्यों नहीं ? औपचारिक रूप से सभा का समय बढ़ाये बिना....

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : कृपया स्वतंत्रता को इस तरह से न लें। सभा का समय बढ़ाये बिना हम इस पर आगे चर्चा नहीं कर सकते हैं मैने केवल श्री राय चौधरी को बोलने की अनुमति दी है और वह भी इस आधार पर कि वे और स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे । मंत्री महोदय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। यदि प्रस्ताव का प्रस्तावक इसे वापस लेना चाहते हैं तो इस समय वह ऐसा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)....*

सभापति महोदय : क्या आप लोग बैठेंगे? मैं इस पर और चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री के. करुणाकरण : अन्ततः वह गारंटी के बारे में पुछ रहे थे। मैं उन्हें सूचित करता हू कि सरका ने प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के जरिए प्रति-गारंटी दने का निर्णय भी लिया है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : मंत्री महोदय कुछ स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि जैसे भारत आप्थाल्मिक ग्लास के समापन आदेश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

लेकिन अन्य भी हैं जैसे एम एम सी, जे ई एस एस ओ .पी, भारत ब्रिक्स एण्ड वाल्वस, एम टी सी आदि।

सभापति महोदय : मैं संकल्प को सभा के मतदान के लिए रख रहा हू कि आप वापस ले रहे हैं?

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय, मंत्री महोदय ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। सांविधिक देय राशि के भुगतान या मजदूरी के नियमित भुगतान की तो बात ही छोड़ दीजिये।

महोदय, मैं सभा की परम्परा को जानता हू कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर मत-विभाजन नहीं हुआ करता.:....(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों नहीं?

श्री सुदर्शन राय चौधरी : यह एक परम्परा है। लेकिन मैं इस संकल्प को स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहा हू।

---

*कार्यवाही -वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ....

....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए । कोई भी व्यक्ति इस तरह सभा को चला नहीं सकता।

...(व्यवधान)....

श्री वासुदेव आचार्य : इस संकल्प का कोई विरोध नहीं करेगा .....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समझा करें। क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे?

.....(व्यवधान)....

श्री वासुदेव आचार्य : वे भी इसका समर्थन करेंगे .... (व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय, आपकी टिप्पणी पर विचार करते हुए कि समय बहुत कम है, मैं इस स्थिति को अधिक लम्बा नहीं खींचना चाहता। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की स्थिति की तरफ सरकार की नितान्त अनिच्छा और उदासीनता, लम्बे समय से चली आ रही उदासीनता के कारण, हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

4.22 म.प.

श्री शरद दिघे पीठासीन हुए

इस समय श्री सुदर्शन राय चौधरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की बढ़ती संख्या तथा उन एककों के कार्मिकों को उनके बकाया का भुगतान न किये जाने पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि वह देश हित में इन एककों को पुनर्जीवित करने तथा उनके कर्मचारियों के बकाये के भुगतान हेतु क्या कदम उठाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

4.22 ½ म.प.

[अनुवाद]

अवैध आप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने संबंधी संकल्प

सभापति महोदय : अब तक सभा अगली मद प्रो. रासा सिंह रावत के अवैध आप्रवासियों को वापस भेजे जाने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करेगी। इस संकल्प पर चर्चा शुरू करने से पहले हमें समय निर्धारित करना पड़ेगा। मैं एक सुझाव दूँगा। क्या हम इस संकल्प पर चर्चा के लिए दो घंटे निर्धारित कर दें?

अगर यह दो घण्टे में पूरी न हो तो फिर इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जायेगा। अब दो घंटे निर्धारित किए गए है। प्रो. रासा सिंह रावत बोलेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संकल्प यह है.

" कि यह सभा विगत 25 वर्ष से भी अधिक वर्षों के दौरान भारत-बंगलादेश व भारत-पाकिस्तान सीमा पर से लोगों के बड़े पैमानें पर अवैध ढंग से आकर बसने पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है तथा संकल्प करती है कि उन सभी अवैध अप्रवासियों की पहचान करने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं।"

मान्यवर, बहुत लम्बे संघर्ष के पश्चात् और कालकोठरियों की यातनाओं को सहन करने के बाद, क्रान्तिकारियों की कुर्बानियों के पश्चात् और राष्ट्रीय नेताओं के सत्याग्रह के पश्चात् हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ और उसके बाद 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत को सर्वप्रभुसत्ता सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। उसके बाद स्वाभाविक था कि हम अपने स्वायित्व, देश की अस्मिता, देश की स्वतंत्रता , सुरक्षा, एकता, अखंडता, विकास और देश के निर्माण की ओर ध्यान देने का प्रयास करते और वह प्रयास चलता रहा, परन्तु धीरे -धीरे जिन लोगों के हाथ में इस देश के शासन की बागडोर थी, वे हाथ इतने कमजोर थे, वे हाथ इतने अशक्त थे, वे हाथ इतने निकम्मे थे कि धीरे-धीरे देश की सीमा पर रहने वाले जो हमारे पड़ौसी थे, जिनसे हमने तो सोचा था कि भाईचारे का बर्ताव करेंगे, मित्रता का बर्ताव करेंगे, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे शत्रुतापूर्ण रवैय्या अपनाना प्रारंभ कर दिया।

मान्यवर, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पडी और पाकिस्तान के दो टुकड़े पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हो गए। पूर्वी

पाकिस्तान के हिस्से को बंगलादेश के नाम से जाना गया। हमने सोचा शायद पाकिस्तान को अब सबक मिल जाएगा और वह हमसे लड़ाई मोल नहीं लेगा। हमारे घरेलू कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अब पाकिस्तान कश्मीर के मामले में हमारी स्थिति को स्वीकार करेगा। उधर बंगलादेश के बारे में भी हमने सोचा कि यह हमारा छोटा भाई है। इस राष्ट्र का निर्माण हमने किया है, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे सैनिकों ने भी खून बहाया है। हमारे सैनिकों ने भी मदद की है तो यह देश हमारा एक पड़ोसी देश, हमारा एक छोटा भाई, हमारा साथ देने वाला राष्ट्र बनेगा। लेकिन अफसोस है कि थोड़े ही समय के बाद हमारा वह सपना चकनाचूर हो गया।

हार समझे बैठे थे जिससे गला अपना सजाने को,

वे ही नाग बन बैठे हमें डस जाने को।

उसके बाद धीरे-धीरे बंगलादेश में जब कट्टरपंथियों के हाथ में वहां की सत्ता आई तो वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर भी अत्याचार होने लगे। उनको तो वहां से पहले ही कम कर दिया गया था, और भी भगाया जाने लगा। परन्तु उसके बाद बंगलादेश जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, जिसके साथ हम मैत्री के संबंध चाहते हैं, जिन लोगों के हाथ में वहां की शासन की बागडोर रही, उन लोगों ने वहां की जनसंख्या को भारत की ओर धकेलना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि आज यदि हम देश के पूर्वांचल की जनसंख्यात्मक स्थिति की ओर ध्यान दे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राष्ट्र के अस्तित्व को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

मुझे खेद से साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश में जिनके हाथ में केन्द्र के शासन की बागडोर है या आसाम के शासन की बागडोर है या और अन्य राज्यों की भी बागडोर है, उन लोगों को न तो देश की चिन्ता है, न समाज की चिन्ता है, उन्हें केवल अपनी कुर्सी बचाने की चिन्ता है, अपने वोट बैंक बनाने की चिन्ता है। इसका परिणाम यह है कि बंगलादेश और पाकिस्तान से घुसपैठिये हिन्दुस्तान में आकर बस गए। उनके राशन कार्ड बनवा दिए गए। वोट के लालचियों ने मिलकर उन विदेशियों को यहां का नागरिक घोषित कर दिया, मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है।

बंगलादेश एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर है जबकि आज वहां की जनसंख्या 12 करोड़ है और अगले 25 सालों में 25 करोड़ हो जाएगी अर्थात बंगलादेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 776 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बंगलादेश भी विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है और वहां पर कट्टरपंथियों का शिकंजा है इसलिए हमारे पूर्वांचल के विभिन्न राज्यों में वहां से जो निरन्तर घुसपैठ हो रही है, उसका नक्शा मैं आपके सामने पेश करूंगा। उससे सदन अवश्य चिन्तित होगा। भारत सरकार और भारत की समस्त जनता को चिन्तित हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। यदि हमने राष्ट्रहित के अहम मसलों को भी दलीय दृष्टिकोणों से देखना शुरू कर दिया तो यह बहुत बड़ी राष्ट्रद्रोहिता होगी।

मैं कहना चाहूंगा, मेरे विपक्षी बंधु मुझे क्षमा करेंगे, इस सदन में चाहे कांग्रेस (आई) के लोग हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हो और चाहे जनता दल के लोग हों, वे तुष्टिकरण की नीति के नाम पर अथवा वोट बैंक के लालच के नाम पर, देश के हित को सर्वोपरि न मानकर विदेशी घुसपैठियें जहां-जहां भी आ गए हैं, जब भी उनका मसला संसद में उठाया जाता है या देश के समाचारपत्रों, देश की जनता का ध्यान उस ओर आकर्षित करते है तो उन लोगों के द्वारा धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कोसने की कोशिशे शुरू हो जाती है और साम्प्रदायी कह दिया जाता है लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, जब हम यह कहते हैं कि विदेशी नागरिकों को भारत से निकाला जाए, चाहे वे पाकिस्तान से घुस आए हों, आई.एस.आई. के माध्यम से पाकिस्तान भी इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है और कश्मीर में आज तक जो आतंकवाद फैल रहा है, वह इस बात का उदाहरण है कि आई.एस.आई. के द्वारा भेजे गए एजेंट, चाहे वे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो, चाहे पाकिस्तान के अन्तर्गत कश्मीर हिस्से में रहने वाले लोग हो अथवा अफगानिस्तान के रहने वाले हो चाहे सूडान के रहने वाले हो। अन्य लोग जो धर्म या मजहब के नाम पर काजी बनने की फिराक में कश्मीर के आतंकवादियों में शामिल होकर कश्मीर को हिन्दुस्तान से अलग बनाने के षड्यंत्र में लगे हैं अथवा पाकिस्तान की राजस्थान से मिलने वाली जो 700 किलोमीटर लम्बी सीमा है अथवा गुजरात से मिलने वाली जो सीमा है, वहां से जो पाकिस्तानी लोग निरन्तर कभी तस्करी के नाम पर कभी चोरी, डकैती के नाम पर, कभी बंगलादेशियों को धकेलने के नाम पर और कभी गूंगे, बहरे और विकृत मस्तिष्क के एजेंटों को भेजने के नाम पर घुसपैठ कराई जा रही है।

यह जो पाकिस्तान और आई.एस.आई. के लोग हैं, वह नेपाल के माध्यम से भी भारत के अन्दर घुसपैठ करा रहे हैं अनेकों षड्यंत्रों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पूर्वांचल के तरफ है। देश की राजधानी दिल्ली के अन्दर भी पिछले दिनों जो चुनी हुई सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भारत की राजधानी दिल्ली के अन्दर भी बंगलादेशियों की संख्या 2-3 लाख है। जब बंगलादेशियों की जांच हुई, मुम्बई के अंदर भी एक लाख के लगभग बंगलादेशी लोग हैं अब उनकी जांच शुरू हुई और आपरेशन पुश बैक शुरू किया गया तो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का दम भरने वाले लोगों ने एकदम कहा कि नहीं-नहीं, यह तो बंगालियों के विरुद्ध हैं। लेकिन वह बंगालियों के विरुद्ध नहीं था। पश्चिम बंगाल के रहने वाले या बंगाल के रहने वाले कहीं भी रह सकते हैं। इस भारत का जो नागरिक है, उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्यवाई नहीं की जा सकती।

परन्तु जो बंगलादेश से आये हुए लोग हैं, जो बंगलादेश से घुसपैठ करके यहां आये हैं और यहां पर आकर मतदाता सूचियों

के अन्दर जिनके नाम शामिल हो गये हैं, उनमें यहां भी दो प्रकार के लोग हैं, एक तो वह लोग हैं, जिनका देश के विभाजन के कारण धर्म खतरे में पड़ गया था ,जो भारत माता की जय बोलने वाले थे, जो राम और कृष्ण की संताने थे, जो वन्दे मातरम् कहने वाले थे, जो आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले थे, उन लोगों की भी बंगलादेश से , जिस समय मे पाकिस्तान बना, देश के दो टुकडे और उस समय में पाकिस्तान कहो, पश्चिमी पाकिस्तान कहो या पूर्वी पाकिस्तान, उनको वहा से निकाल दिया गया, उनको यहां बसाना हमारा नैतिक दायित्व था। जो हिन्दू शरणार्थी कहलाये और जो यहां आकर के बसे, यहां पर उनको बसाया गया , सब प्रकार की सहायता की गई, यह भी हमारा कर्तव्य था, क्योंकि देश के नेताओं ने जब देश के विभाजन को स्वीकार किया आर उसके बाद यहां से जो लोग उधर गए था उधर से जो लाग इधर आये आर मजहब के नाम पर जिन्होंने देश के टुकड़े करना स्वीकार किया तो परिणाम यह हुआ कि आबादी की बहुत बड़ी अदला-बदली हुई। लेकिन 1971 के बाद जो आने वाले लोग हैं, वह एक सम्प्रदाय विशेष के, मुस्लिम सम्प्रदाय से संबंध रखने वाले लोग है और उनकी संख्या देश मे निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही है।

1991 की जनगणना के आंकड़े मे आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे यह पता लगता है कि पूर्वांचल के अन्दर स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई है। 1981 से लकर 1991 के बीच जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है, उसमें अरुणाचल राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि की दर 36.83 थी, लेकिन मुस्लिम आबादी की अरुणाचल मे वृद्धि 135.01 परसेण्ट हो गई। बिहार के अन्दर 1981 से 1991 तक के दस वर्षो में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 23.54 परसेण्ट थी, लेकिन मुसिलम आबादी की जनसंख्या वृद्धि दर 29.5 प्रतिशत हो गई । मणिपुर के अन्दर ...(व्यवधान) मैं यह सिद्ध करना चाहता हू कि यह जो आबादी बढ़ी है, यह बंगलादेशियों की घुसपैठ के कारण बढी है। पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने लोक सभा में उत्तर दिया था ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह किसी विशेष समुदाय के बारे में ऐसा कैसे कह सकते है? .....(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्या है? ......(व्यवधान)

श्री ई. अहमद अगर माननीय सदस्य कुछ आंकड़े पेश कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आंकड़े पेश करते समय वह किसी विशेष समुदाय पर आरोप लगा रहे हैं। वह इसे सांप्रदायिक रूप क्यो दे रहे है? मैं उनसे जानना चाहता हूं कि केरल में अल्पसंख्यक समुदाय का क्या प्रतिशत है? यह सब क्या हैं? क्या वह इस देश में इस प्रकार बोल सकते हैं? ....(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

.....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, मैं पोलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि यह जो आबादी बढ़ रही है, उसकी जनसंख्या की जो दर है, वह इतनी अधिक है .... (व्यवधान) बंगलादेशियों को राज्य सरकार के राशन कार्डो में शामिल करने वाले, वोट बैंक के नाम पर मतदाता सूचियों में नाम लिखाने वाले लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रावत जी, कृपया अपना भाषण संकल्प तक ही सीमित रखिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं केवल उसी पर बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

उसमें यह आंकड़े हैं। बिहार के अन्दर जो औसत जनसंख्या वृद्धि हुई, वह 23.54 प्रतिशत हुई, जबकि जो दूसरी आबादी बढ़ी, मुस्लिम आबादी 29.5 प्रतिशत बढ़ी। मणिपुर के अन्दर औसत जनसंख्या वृद्धि दर 29.29 प्रतिशत हुई, लेकिन उन दस वर्षो में उनकी आबादी 34.44 प्रतिशत बढ़ी। मेघालय के अन्दर औसत वृद्धि 32.86 प्रतिशत हुई और मुस्लिम 48.34 परसेण्ट बढ़ी। ......(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं पुनः यह कहूंगा कि यह मुस्लिम अथवा गैर-मुस्लिम जनसंख्या का प्रश्न नहीं है....... (व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, वे भी इस देश के नागरिक हैं।.... ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार में, आप साधारण तौर पर नहीं, संकल्प के संदर्भ में, बंगलादेशियों, बल्कि वह भी उन बंगलादेशियों के संबंध में जो बाहर से आ रहे हैं, आंकड़े दे सकते हैं ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : बंगलादेशियों के कारण यह संख्या बढ़ी, यह आबादी का समूह बदला। ....(**व्यवधान**)

जनसंख्यात्मक आक्रमण है बंगलादेशियों का, जिसके कारण वहाँ की आबादी में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही मैं कहना चाहता हूं। अगर हमारे यहां के रहने वाले भारतीय चाहे वे मुस्लिम हो, चाहे हिन्दू हो या ईसाई हो, वे बढे तो यह गौरव की बात है। कश्मीर कन्याकुमारी तक और गुजरात से नागालैंड तक सारा देश एक है, हम सब 92 करोड़ एक देश हैं। लेकिन पाकिस्तान और बंगलादेश से जो यहां विदेशी नागरिक आ गया है उनके आने से साम्प्रदायिक तनाव पैदा होता है, सामाजिक तनाव पैदा होता है, जनसख्यात्मक समस्या पैदा होती है, आई. एस. आई. की गतिविधि यां बढ़ती है, आर्थिक असंतोष पैदा होता है। वैसे भी हिन्दुस्तान की जनसंख्या दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हमारा देश एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश है। देश में कोई भी विदेशी नागरिक अगर वह पर्यटक के रूप में वीजा और पासपोर्ट लेकर आता है तो उसका यहां स्वागत है। हमारे यहां कहा भी गया है-मेहमान जो हमारा होता है, वह जान से प्यारा होता है।

लेकिन जो यहां की आबादी में घुल मिलकर बस जाते हैं और बाद में समस्या पैदा करते हैं, ऐसे लोगो को चाहे वे बंगलादेशी हो या पाकिस्तानी घुसपैठिये हो, उनकी जांच करके भारत की सीमाओं से उन्हें खदेड़ा जाये। विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें यह दर्ज हो कि वे कब आये, कहां गये और कब उन्हें जाना है। इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। मेघालय के अंदर इनके कारण 32.86 प्रतिशत बंगलादेशियों के कारण आबादी बढ़ गई।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का कौन सा प्रश्न है?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : जनसंख्या संबंधी जिन आंकड़ों को उद्धृत किया जा रहा है, वह बंगलादेशियों अथवा पाकिस्तानियों अथवा तिब्बतियों अथवा नेपालियों की श्रेणियों का उल्लेख नहीं करते। वे इस देश के मुसलमानों, हिन्दुओं तथा ईसाइयों की ओर इशारा करते हैं और इसीलिए इन आंकडों को उद्धृत करना संपूर्ण स्थिति को साम्प्रदायिक रंग देना है और कुछ एक समुदायों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करना है और इसीलिए, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपने भाषण से उन आंकडों को हटा सकते हैं। रावत जी, कृपया विषय पर ही बोलिये।

...... (**व्यवधान**).....

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अगर उनके पास हिन्दुओं ईसाइयों तथा मुसलमानों के बारे में नहीं बल्कि पाकिस्तानियों अथवा बंगलादेशियो के बारे में आंकड़े हैं, तो उन्हें उद्धृत करने दीजिए ।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैंने ये आंकडे प्रमाणित दस्तावेजों से प्राप्त किये हैं।

[हिन्दी]

1990-91 के बीच में जो जनगणना हुई हैं, उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। असम में 1981 की जनगणना नहीं हुई थी, 1991 के जो आंकड़े हैं उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा अनुमान है कि असम की एक तिहाई आबादी भी इन बंगलादेशियों और पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारण बढ़ी है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, पुनः एक आरोप और लगाया गया है कि असम में रहने वाले एक-तिहाई मुसलमान बंगलादेशी हैं । सभा में इस प्रकार का आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय आप इन आरोपों का विरोध कर सकते हैं। उन्हें बोलने का अधिकार है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : ये बंगलादेशियों की वकालत करने वाले कौन हैं? हम लोगो को आने देश के बारे में चिन्ता करनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा चाहे विदेशी नागरिक हो या अन्य कोई हो, उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। जो घुसपैठिये आ गये हैं और देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और आई.एस.आई. के एजेंट बनते हैं

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला किसी समुदाय का नहीं है, यह देशी-परदेशी का मामला है। किसी समुदाय को इंगित करना देश हित में नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि वह बंगलादेश के आप्रवासियों का उल्लेख करें और उसी के अनुसार आंकड़े उद्धृत करें।

श्री सैयद शहाबुद्दीन महोदय, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप अपने भाषण में उनका विरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम और क्या कर सकते हैं?

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत : मिज़ोरम में जनसंख्या में औसत वृद्धि दर 49.7 प्रतिशत हुई, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के कारण वहां की आबादी वृद्धि 105.88 प्रतिशत हो गई। नागालैंड में जनसंख्या में औसत वृद्धि दर 56.08 प्रतिशत थी, लेकिन बंगलादेशियों के कारण 74.84 प्रतिशत हो गई । ऐसे ही उड़ीसा में जनसंख्या औसत वृद्धि दर 20.06 प्रतिशत थी, लेकिन बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण 36.83 हो गई।

माननीय, त्रिपुरा के अन्दर ......(व्यवधान) मैं पूर्वान्चल के राज्यों की बात कर रहा हूं जहां बंगलादेशी घुसपैठिये आ रहे हैं।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब ये उनके आंकड़े हैं। अगर आप उनका विरोध करना चाहते हैं तो इस विषय पर बोलते समय आप ऐसा कर सकते हैं। मेरे पास यहां आंकड़ों का निरीक्षण करने का कोई तरीका नहीं है।

श्री चित्त बसु : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए और उसके पश्चात् अपने विचार रखिये। हमारी जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट में इस आधार पर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कौन बंगलादेश से है और कौन पाकिस्तान से हैं वे आंकड़े उपलब्ध नहीं है। विदेशी आप्रवासियों से संबंधित आंकडे अवैधप्रवासी निर्धारण न्यायाधिकरण (आई.एम.डी.टी.) की रिपोर्ट में मिल सकते हैं।

सभापति महोदय : वह अपनी जानकारी के अनुसार आंकड़े दे रहे हैं। आपके पास भी जो जानकारी है, वह आप इस विषय पर बोलते हुए दे सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय, त्रिपुरा की औसत वृद्धि 41.84 प्रतिशत हो गई है। पश्चिमी बंगाल जहां के बन्धु कह रहे हैं कि औसत वृद्धि 24.73 प्रतिशत है लेकिन घुसपैठियों के कारण सीमावर्ती जिलो में 36.79 प्रतिशत हो गई है। इससे पता चलता है कि पूर्वान्चल राज्यों के अन्दर कितनी तेजी से घुसपैठियों के कारण जनसंख्यात्मक मानचित्र बदल गया है। मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वह राष्ट्र हित में अहम मसलों को दलीय चश्मों से देखना बन्द करें। एक-दो दिन बाद जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म जयन्ती वगैरह मनाने का यह वर्ष है और एक बार नेता जी ने कहा था कि:

"कदम-कदम बढ़ाये जा, खुशी के गीत गाये जा

जिन्दगी है कौम की, तु कौम पर लुटाये जा।"

आज जयहिन्द का जयहिन्द नाम सार्थक करने का हमारा कर्तव्य है। इस देश के अन्दर रहने वाले भारतीय नागरिकों को विदेशी घुसपैठियों के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार का तनाव या किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय द्रोह या किसी भी प्रकार की शत्रुता की भावना हमारे यहां पर पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और हालांकि सदन के अन्दर कई दफा इस बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हमारे मित्र कह रहे हैं कि इस सन्दर्भ में हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता यु.. मोर्चा ने लगभग पचास लाख हस्ताक्षर कराकर महामहिम राष्ट्रपति जी को 21 अक्तुबर 1995 को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। सारे देश के युवा मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल पचास लाख हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति जी से मिला था और महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना की थी कि देश के अन्दर विदेशियों की खासकर बंगलादेशियों की जो घुसपैठ बढ़ती जा रही है और चटगांव की पहाड़ियों के जो चकमा बन्धु है, उनकी भी आबादी पर दबाव डालकर हिन्दुस्तान की तरफ धकेला जा रहा है। भारत सरकार के रूप में प्रतिनिधि विराजे हुए है। सरकार ने बंगलादेश के नेताओं से बातें भी की थी और इन्होंने स्वीकार भी किया था कि हम चकमाओं को वापस भी लेंगे और एक दल को वापस भी भेजा गया था। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में त्रिपुरा के अन्दर चकमा बन्धु हैं। वे वहां अरुणाचल के कैम्पों में हैं और जहां पर उनको नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इन सब से पता चलता है कि बंगलादेश और असम के अन्दर और पूर्वान्चल के राज्यों में और पश्चिमी बंगाल जहां से यह जहाज जैसी जो आवाज अभी सदन में उठ रही थी, ऐसा मालूम पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, तुष्टिकरण की नीति के नाम पर सब के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हैं होना तो यह चाहिए कि जस्टिस टू आंल एण्ड अपीज़मेंट टू नन, किसी के प्रति तुष्टिकरण नहीं हो, सब को न्याय मिले। लेकिन जैसे स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, ऐसे वहां पर लोग है और जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं और जिन्होंने वहां की जनसंख्या को रहने की सुविधायें दी, उनके राशन कार्ड बनवाकर दिये, मतदाता सूची में उनका नाम लिखा दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि असम की सरकार ने असम की जो गण परिषद है, उनकी सरकार बनाई। उससे पहले वहां के छात्रों ने, वहां की युवा शक्ति ने जिन विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए कितनी बार आन्दोलन किया था और उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने आश्वासन दिया था, समझौता हुआ था कि विदेशी नागरिकों को निकाला जायेगा, विदेशी नागरिकों की पहचान की जायेगी चाहे वे बंगलादेशी हों चाहे पाकिस्तानी हों, जहां पर जो भी विदेशी नागरिक हों। लेकिन उसके बाद वोट बैंक के नाम पर कि हमारा वोट बैंक छिन जायेगा क्याकि वे कई स्थानों पर प्रभावी हो गये हैं और वहां वोट के चुनाव के परिणामों को प्रभावी करने की स्थिति में आ गये हैं।

अवैध आप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने संबंधी संकल्प

सभापति जी, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे जिलो के नाम लेना चाहता हूं, हां पर यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है इस समय आज की तारीख में हमारे देश के अन्दर, गृह मंत्रालय के आंकड़े तो कुछ और कहते हैं और जिनके द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं, मैं उन का नाम बताऊंगा, लगभग 1.07 करोड़ घुसपैठिए भारतवर्ष के अन्दर है। एक आई. पी. एस. अधिकारी श्री बलजीत राय, जो भारतीय पुलिस सेवा में पंजाब, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, बिहार, राजस्थान में महानिदेशक के पद पर सेवा करने के बाद सेवा -निवृत्त होने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है - "डेमोग्राफिक अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया"- भारत के खिलाफ जनसंख्यात्मक आक्रमण। इसमें उन्होंने देश की जनता, देश की सरकार, देश के रहनुमाओं और देश के पत्रकारों को भी सावधान किया है कि विदेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए तात्कालिक रूप से प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि डेढ़ करोड़ बंगलादेशी मुस्लिम भारत के विभिन्न भागों में बस गए हैं। मैं आपकों जिलों के नाम बताता हूं। पश्चिमी बंगाल के छः सीमावर्ती जिले हैं - दक्षिणी चौबीस परगना, उत्तरी चौबीस परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा और पश्चिमी दिनाजपुर। बिहार के चार जिले है - पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। शाहबुद्दीन जी यहां विराजमान हैं जिस क्षेत्र से वे आते है, उस क्षेत्र में भी यह समस्या विद्यमान है। पिछले दिनों कई लोगों ने इस बात की मांग की है कि इन घुसपैठियों को निकाला जाए। इसी प्रकार असम के दस जिले हैं -धुबरी, बारपेटा, बोंगाईगांव, नलबाड़ी, कोकराझार, लखीमपुर, नौगांव, दारंग, कामरूप। इसलिए चाहे बोडो के लोग हो या कोई अन्य, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि विदेशी घुसपैठियों को निकाला जाए। आज नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और जितने भी हमारे पूर्वाचल के राज्य हैं, इन सभी राज्यों के अन्दर बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए वहां पर निरन्तर आवाज उठ रही है कि 1971 के बाद जो भी विदेशी आ गए है, इस तारीख से उनको पहचान कर और भलीभांति पहचान करके, किसी निर्दोष को न सताया जाए आपरेशन-घुसपैठ के नाम पर, सीमाओं से परे ढकेल दिया जाए। यहां तक कि भारत-बंगलादेश सीमा को भी सील कर दिया जाना चाहिए। इस लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, जिस प्रकार भारत-पकिस्तान की सीमा पर पंजाब के अन्दर तारबन्दी करने के बाद और उसमें इलैक्ट्रिकल-फ्लड-लाइट लगाने के बाद आंतकवाद और घुसपैठियों की समस्या थोड़ी कम हुई है, उसी प्रकार जम्मू-काश्मीर के पुंछराजौरी, राजस्थान के बार्डर और गुजरात के बार्डर पर भी कांटेदार तार लगाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों और आई. एस. आई. एजेन्टों को रोकने के लिए व्यवस्था करें। बिहारी मुस्लिम देश के विभाजन के समय में धर्म के नाम पर पाकिस्तान चले गये थे, पाकिस्तान पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था, उनकों बंगलादेशी कैम्पस में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। करांची के अन्दर मुहाजिरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। बिहारी मुस्लिमों को पाकिस्तान भी अपने यहां रखने के लिए मना कर रहा है और हिन्दुस्तान की सीमा पर ढकेल रहा है।

मान्यवर, असम के अन्दर, बंगाल के अन्दर और अन्य पूर्वांचल राज्यों के अन्दर कई ऐसे माफिया गिरोह हैं, जो इन बंगलादेशी घुसपैठियों को या पाकिस्तानी घुसपैठियों को कान्ट्रैक्ट लेकर एक प्रकार से पनाह दे रहे हैं। यह सारी व्यवस्था पुलिस से मिलकर या अन्य लोगो से मिल कर या सत्ता तक अपनी पहुंच होने के कारण एक अम्ब्रेला प्रदान करके उनको गलियारों से निकालने का काम करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि इनमें बंगलादेशी अटारी सीमा को पार करते हुए पकड़े गए या राजस्थान के बाड़मेर बार्डर पर पकड़े गए। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर वे वहा तक कैसे पहुंचे चाहे अटारी की सीमा हो या बाड़मेर की सीमा, वे वहां तक पहुंच जाते है। इनको पहुंचाने वाला कौन है? इनको सहयोग देने वाला कौन है और इनकी मदद करने वाला कौन है? यह तो राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। जो भी ऐसे लोग हैं, जो इस प्रकार का काम करते है, जो इस काम में लगे हुए है, उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाई करनी चाहिए।

मान्यवर, बहुत से लोग तो चोरी-छिपे आकर बस गए हैं और बहुतों को दबाव डाल कर बसाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के जनगणना आयुक्त ने, इस संबंध में हमारे विदेशी नागरिकों को चेक करने वाले, उन पर पाबंदी लगाने वाले या उनका ध्यान रखने वाला जो महकमा है, उन्होंगे इस संबंध मे कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन बंगलादेशी घुसपैठियों और पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को रोका जाए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और समस्या की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बंगलादेश में पहले हिन्दुओं की संख्या 28 प्रतिशत थी जो आज घट कर केवल 10 प्रतिशत रह गई है। इससे मालूम पड़ता है, जिसके बारे में श्री तस्लमा ने अपने लज्जा नामक उन्यास में इनकी करुणामय और दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन किया हैं जिसके कारण उसके बंगलादेश भी छोड़ना पड़ा और आज उसे विदेशों में रहना पड़ रहा है। तस्लीमा ने उसका वर्णन विस्तार से किया है। ममता जी, आप लज्जा उपन्यास पढ़िये तब आपको पता लगेगा कि बंगला देश में रहने वाले अल्पसंख्यक बंधुओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। उनकी संख्या 10 प्रतिशत रह गई है। उनकों वहां से निकाला जा रहा है। चटगांव की पहाड़ियों में बसे हुए बौद्ध तथा अन्य जनजातीय लोगों को भी वहां से भगाया जा रहा है। वहां के लोगों पर अत्याचार करके उनको वहां से निकाल कर जनसंख्या के बोझ को उत्तर-पूर्व की ओर धकलने का प्रयास किया जा रहा हैं मुझे अफसोस है कि भारत सरकार आंखें मूंदे हुए है। हम आपसे एक उर्दू के शायर के शब्दों में पूछना चाहते है जब मंत्री जी जवाब दे तो इस बारे में बताएं :-

"तू इधर-उधर की न बात कर, यह बता कि काफिला क्यों लुटा,

मुझे राहजनी का गम नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।"

मान्यवर, भारत सरकार के सीमा सुरक्षा बल तथा जो भी एनफोर्समेंट डिर्पाटमेंट्स हैं उनकी आखिर क्या जिम्मेदारी है? हम लम्बे समय से सनु रहे हैं कांटेदार तार बंगलादेश के बार्डर पर भी लगाया जा रहा है। उसकी अब तक क्या प्रगति हुई है? उनको कौन-कौन शरण देने वाले है? इन सब के बारे में जांच-पड़ताल करके राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और राष्ट्र की अखंडता से जुड़ा हुआ सब प्रकरण मान् करके, इन बंगलादेशी घुसपैठियों या पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और उनको देश से निकाला जाना चाहिए, अन्यथा पूर्वाचल, जो हमारे राष्ट्र के सेवन सिस्टर्स कह जाते है वे हमारे लिए समस्या बन जाएंगे और आगे जाकर अलगावाद की भावना पैदा होने लगेगी तथा हमारे देश के अंदर अन्यान्य समास्याएं पैदा हो जाएंगी । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सारे देश में सरकार सर्वेक्षण कराए और जो स्थायी अनुदेश दे रखे है कि कोई भी अवैध विदेशी नागरिक, विदेशी अप्रवासी घुसपैठिया हिन्दुस्तान में नहीं रह सकता , लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में रह रहे हैं। मुझे तो सरकार का उत्तर सुन कर हंसी आती है। मैं उन शब्दों को कोट करना चाहूंगा। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी. एम. सईद साहब ने एक बार दिल्ली के बारे में उत्तर दिया था कि दिल्ली में अवैध अप्रवासी बंगलादेशी नागरिकों को ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है, क्योकि इस संबंध में विस्तार से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अब यह सर्वेक्षण कब किया जाएगा, कब सारी स्थिति सामने आएगी? सरकार का इस बारे में स्थाई अनुदेश है कि किसी भी अवैध विदेशी अप्रवासी घुसपैठिए का पता लगाने पर उसको स्वदेश वापस भेज दिया जाए। स्थायी अनुदेश तो है लेकिन उनकी अनुपालन कौन कराएगा, उनकी अनुपालन के लिए मशीनरी कौन सक्रिय करेगा? उन अनुदेशों की अनुपालन करके, कौन उनकी हमेशा की रिर्पोट जानने का प्रयास करेगा? अवैध अप्रवासियों को स्वदेश भेजने की एक अनुवरक प्रक्रिया है, यह जो हम जानते हैं। हमारे कानून के अंदर है लेकिन उसका पालन तो होना चाहिए।

"कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तर सार,

कह कबीर करनी सबल, उत्तरे भव जल पार।"

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा-

"जो भरा नही है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,

वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।"

स्वदेश का प्यार, स्वदेश का अभिमान, स्वदेश की अस्मिता, यह सब हमसे इस बात का आग्रह करते हैं, हमारे अंतःकरण में एक भावना जगाते हैं कि आप और हम सब मिलकर देश में रह रहे घुसपैठियों का पता लगाएं। वे घुसपैठिये चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बंगलादेशी हो, उनका पता लगाया जाए और उनका पता लगाकर उन्हे वापस उनके देश भेजा जाए। हमारी सीमाओं पर इस बात की कड़ी व्यवस्था की जाए कि घुसपैठिये फिर दुबारा हमारी सीमाओं में प्रवेश न कर पाये।

मान्यवर इसमे जो आंकड़े दिये हैं वे बड़े गलत आंकड़े हैं। उदाहरण के लिए इसमें 1990 में एक घुसपैठिया बताया गया है, 1991 में यह संख्या 118 बतायी गयी है, 1992 में 1518 ,1993 में 2136 और 1994 में 1663 घुसपैठिये बताए गये हैं। ये संख्या 22/11/94 तक दिल्ली से बंगलादेशियों को और विदेशी घुसपैठियों को निकालने की संख्या है। यह एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है तथा मान्यवर एक और प्रश्न के उत्तर में 17 अगस्त 1995 को सईद साहब ने बताया है कि पश्चिमी-बंगाल में घुसपैठ के मामले की संख्या 1993 में 1713 थी, 1994 में 1954 तथा 1995 में उनकी संख्या 863 बताई गयी है। मैं समझता हूं कि यह संख्या बहुत ही कम बताई गयी है। वोट बैंक के हमारे जैसे लालची लोग इन विदेशी नागरिकों के साथ घुल-मिलकर इनको निकालने के रास्ते में, जांच-पड़ताल के रास्ते में बाधा डालते हैं। भारत-सरकार कहती है कि हम सीमा पर चौकियों के बीच की दूरी को कम करेगें , सीमा-सुरक्षा बल का विस्तार करेंगे, समुद्री सीमाओं पर जहां दोनों देशों की सीमा मिलती है वहां गश्त का इंतजाम करेंगे, सीमा पर सड़के बनाई जाएंगी, सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी, सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, निगरानी बुर्जिया बनाई जाएंगी। लेकिन यह सब कोरे आश्वासन सरकार की तरफ से दिय जाते हैं मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन आश्वासनों पर क्या प्रगति हुई है, क्या कार्यान्विति हुई है, इसका पता लगाया जाए और पता लगाया जाए कि कितने घुसपैठियों को निकाला जा चुका है, कितने ऐसे है जिनके बारे में सरकार के पास जानकारी नहीं है, कितने ऐसे है जो पासपोर्ट या वीजा लेकर भारत में छिपे हुए हैं और भारत-विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और भारत-विरोधी ताकतों के साथ मिलकर षडयंत्र रचते रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सरकार के आंकड़े निरंतर बदल रहे हैं। दिनांक 30-5-95 को यही लोकसभा में चित्त बसु जी के प्रश्न का उत्तर दिया गया था। उस समय गृहमंत्री जी ने बताया कि भारत-बंगला देश की सीमा के ऊपर घुसपैठ की प्रवृत्ति कितनी हुई? 1992 में 37891 , 1993 में 23559 और 1994 में 16991 लोगों की घुसपैठ हुई और भारत पाक सीमा की तरफ 1992 में 10994, 1993 में 4538, 1994 में 4738 लोगों की घुसपैठ हुई स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम एक रुपया गरीबों के लिए भेजते हैं तो 15 पैसे ही उनके पास पहुंच पाते हैं तो इन सरकारी आंकड़ों की सत्यता क्या होगी, वस्तुस्थिति क्या होगी, इसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते है। ये तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है।

एक और बात बड़ी हास्यास्पद है। पाकिस्तानी आई.एस.आई. ने सीमा पर हमारे सुरक्षा-बलों की परीक्षा लेने के लिए मानसिक रूप से विकलांग गूंगे -बहरे लोगों की भी घुसपैठ शुरू करा दी है

और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी भी संख्या हैं। फिर राष्ट्र-विरोधी घुसपैठियों को कितना पकड़ा गया है इसके बारे में भी बताया है। लेकिन एक बात जिसकी तरफ सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, राज्य सभा में हमारे दूसरे सदन में उत्तर दिया गया था, माननीय गृह-मंत्री जी ने कहा था।

5.00 म.प.

मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूँ।

"सरकार इस बात से वाकिफ है कि कुछ बंगलादेशी बिहार सहित देश के कुछ हिस्सों में घुसपैठ करने में कामयाब हो गये हैं। यह अनुमान लगा पाना कठिन है कि ऐसे बंगलादेशी राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है क्योंकि वे चखेरी-छिपे घुसते है और स्थानीय जनता में घुल-मिल जाते हैं। अवैध बंगलादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस स्वदेश लौटाने के लिये सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को स्थायी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा घुसपैठ को रोकने के लिये सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त गहन करने इसकी वाटर विंग्स को सुदृढ़ करने, विदेशी नागरिकों की घुसपैठ को रोकने (पी.आई.एफ.) तथा मोबाइल टास्क फोर्स (एम. टी.एफ) योजनाओं को सुदृढ़ करने आदि जैसे विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। "

5.01 म.प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

इससे साफ जाहिर है कि सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि सीमा पार से बंगलादेशी और पाकिस्तानी निरन्तर घुस रहे हैं।

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये आंकड़े गलत हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बड़े-बड़े समाचार पत्रों के शीर्षक हैं। उनमें स्पष्ट सब लिखा हुआ है। समय कम है। मैं सभी बातें नहीं बताना चाहता हूं लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यह हकीकत है। वोटों के लालची राजनीतिज्ञ इन घुसपैठियों के लिये देश के दरवाजे खोलने में मदद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय संकट मानें और इसको सर्वोपरि रख कर इसका मुकाबला करने के लिये सरकार और राष्ट्र के नागरिकों का साथ दे।

"अगर नाव डूबेगी तो डूबेंगे सारे,

न तुम ही बचोगे, न साथी तुम्हारे।"

राष्ट्र रूपी नौका में 92 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। यह राष्ट्र और हमारे ऊपर आने वाला संकट है। अगर पैर के अंगूठे पर कांटा चुभता है तो हमारा दिमाग यह नहीं कहता कि शरीर तो लम्बा-चौड़ा है, इसमें करोड़ों अव्यव हैं, हमें पैर के अंगूठे से क्या लेना-दना । कांटा चुभने से सारे शरीर में सनसनाहट होती है और पीड़ा अनुभव होती हैं दिमाग कहता है कि देखों, क्या हो गया। कांटा दिखायी देने पर उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है और मरहम लगायी जाती है। इससे शरीर को शांति अनुभव होती हैं देश के किसी भी भाग में, किसी भी राज्य में चाहे वह सीमावर्ती राज्य हो या पूर्ववती हो या पश्चिमवर्ती हो, वहां इन घुसपैठियों को रोकना चाहिये। .... (व्यवधान) अभी चुनाव आने वाले हैं। आप जैसे लोग ही कहते हैं कि घुसपैठियों का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। यह बात मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं। यह सदन अपनी गरिमा को बनाये रखे और विदेशी नागरिकों की पहचान में सरकार की पूरी सहायता करे। हम भी सरकार की पूरी सहायता करेगें। विदेशी नागरिक जो राष्ट्र के लिये संकट है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिये संकट है, उनको देश से बाहर निकालने का प्रयास किया जाये।

मैं दो मिनट में इस संकट का दूर करने के उपाय भी बताना चाहूंगा। मेरा प्रस्ताव था :-

"यह सभा विगत 25 से भी अधिक वर्षो के दौरान भारत-बंगलादेश व भारत-पाकिस्तान सीमा पार से लोगों के बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से आकर बसने पर अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है तथा संकल्प करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने हेतु तकाल कदम उठाये जायें।"

मेरा सुझाव है कि एनफोर्समेंट ऐजेंसियां सक्रिय हों। सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम हो। सीमा सुरक्षा बल की विस्तार योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बटालियनो को स्वीकृति मिले क्योंकि सीमा लम्बी है और सीमा सुरक्षा बल की संख्या कम है। भूमि तथा तटीय दोनों सीमाओं पर गश्त लगाने का काम सक्रियता से किया जाये। सीमा पर सड़कें बनायी जाये और बाड़ लगाने के काम को शीघ्रता से किया जाये। संवदेनशील क्षेत्रों में तेज रोशनी की व्यवस्था की जाये और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ऊंचे-ऊंचे बुर्जे जैसे पंजाब बार्डर पर बने है, उनका निर्माण हो। हमारे प्रहरी जो कि राष्ट्र के ऊपर आपने वाले संकटों को चाहे आंधी हो या तूफान, सर्दी हों या गर्मी, सहन करते हैं, उनके लिये हम कहते हैं "जय जवान, जय किसान"

उनकी जय करके जय जयकार करते हैं। वे हमारे बड़े प्रहरी हैं, बुर्जों के अंदर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और इसलिये चौकसी में काम आने वाले उपकरणों तथा नाइट विज़न डिवाइसिस आ रहे हैं वे उन लोगों को मुहैया कराया जाये भारतीय राष्ट्रकों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जाये बंगलादेश से बंगलादेशी लोगों के बारें में बात की जाये और उसको चेतावनी दी जाये कि बंगलादेशी घुसपैठियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा और बंगलादेश और पाकिस्तान से धकेले हुये बंगलादेशी या मुहाज़िर या बिहारी लोगों को वापस अपने देश में जाना होगा। उन लोगों पर दबाव डालकर यह कहा जाये कि विदेशी नागरिक कानून का कड़ाई से पालन हो। सरकार

को यूएन.ओ. अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बंगलादेश और पाकिस्तान से आये घुसपैठियों और आई.एस.आई. गतिविधियों जो राष्ट्र विरोधी हैं, इन मंचों द्वारा उठाया जाना चाहिये ताकि जनमत भारत पर मंडरा रहे इन खतरों से वाकिफ हो सके।

अंत में आपका आभार मानता हूं कि आपने मेरे संकल्प पर बोलने के लिये इतना समय दिया। मुझे आशा और विश्वास है कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर हमारी सरकार विदेशी आप्रवासियों को रोकने में सख्ती से काम करेंगी।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। चूंकि रावत जी हिन्दी में बोले हैं, मैं भी हिन्दी में बोलूंगी।

सभापति जी, रावत जी जो विषय यहां पर डिसकशन के लिये लाये है वह एक गंभीर चीज है लकिन एक कम्युनिटी के नाम पर उन्होंने जो टकराव किया है, वह अच्छा नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई में सभी धर्मो के लोगों ने हिस्सा लिया था। आपको प्रैक्टीकल प्राब्लम की बात यह समझनी चाहिये कि जब भारत देश एक था और पाकिस्तान , बंगला देश अलग नहीं थे। बंगला देश से जो लोग आते हैं , उनकी भाषा और हमारी भाषा एक है, कल्चर एक है, ट्रडीशन एक है। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। उनकी भाषा भी बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के लोगों सी है। उनके आपस में रिश्ते हैं। आपने नार्थ ईस्ट रीजन के लोगों कि यह बात कही है कि वहां पर बंगला देशी ज्यादा है तो मेरा यह कहना है कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि जो हिली ऐरियाज में रहते हैं, उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है जबकि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को देना पड़ता है। इसमें हमारे हिन्दू, मुस्लिम लोग रहते हैं। तो जो हिली ऐरियाज में रहते हैं उनको एडवांटेज मिलता है लकिन जो बाहर से आते हैं, उनको नहीं मिलता हैं आपको इस बात की तरफ देखना चाहिये कि प्रैक्टीकल बात करनी चाहिये।

सभापति जी, इन्होने वोटों की राजनीति की बात की है। यह बात सच नहीं है। इस बारे में हमें पोलाईटली पालिसी लेकर बात करनी चाहिये। किसी देश पर इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी देश है इसलिये आपने जो बात कही है वहां इनफिलट्रेशन हो रहा है।

मैं इस पर आपसे मतभेद नहीं रखती हूं। इनफिलट्रेशन और इमिग्रेशन ज़रूर हो रहा है लेकिन इसके लिए गलती किसकी है? पहले हिन्दुस्तान एक था, फिर अलग हो गया। अभी भी बहुत सारे लोग है जो ब्रेकफास्ट पश्चिम बंगाल में करते हैं तो दोपहर का लंच बंगलादेश में करते हैं। जब वहां बाढ़ आई थी तो बहुत सारे लोगों ने बंगलादेश में शरण ली थी। हमारे दक्षिण दिनाजपुर में जब बांढ़ आई थी तो वहां लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उनके खाने-पीने का सामान नहीं था। तब वे लोग बंगलोदश में अपने रिश्तेदारों के यहां गए। इस प्रकार हमारा सांस्कृतिक संबंध है। कुछ लोग बंगलादेश में रहते हैं तो कुछ पश्चिम बंगाल में रहते हैं। रिश्तेदारी और टेरस्टि ऐक्टिविटीज़ की बात अलग-अलग है। जहां तक टैररिस्ट ऐक्टिविटीज की बात है, इसमें सरकार को कड़ा रूख अपनाना चाहिए लेकिन जहां रिश्ते की बात है, इसको आप तोड़ नहीं सकते है। हमारे यहां एक बांका सब डिवीजन है। वहां से दूसरी तरफ बंगलादेश दिखाई देता है। वहां एक ही बोट चलती है। इधर से हमारी चलती है और उधर से बंगलादेश की बोट चलती है। इस स्थिति को आप दूर नही कर सकते हैं। इसके लिए आपके आई.एन.डी.ओ. रुल्स हैं। उसके तहत आप विदेशियों को क्यो आइडेण्टिफाइ नहीं करते हैं। आप कहते है कि असम में माइनीरिटीज और मुस्लिम ज्यादा हो गए इसलिए वहां वोट की राजनीति चलती हैं आपको मालूम नही है कि कलकत्ता में कितने मुस्लिम लोगों को इन्होंने जला दिया था। शायद आप भूल गए? मैं उसे कहना नहीं चाहती हूं। वहां कम्यूनल राइट्स में हजारों आदमी एक दिन में मार दिये गए। मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहती हूं लेकिन रावत जी ने इस सवाल को उठाया है इसलिए मैं इस पर कुछ कहना चाहती हूं। आपको इस बारे में दिल से सोचना चाहिए।

सभापति जी, हम विदेशियों के बारे में कह सकते हैं लेकिन किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। हमारे विपक्ष के लोग कहते है कि पश्चित बंगाल का आदमी बनारस में क्या रहता है? महाराष्ट्र में माइनौरिटीज़ पर नयी सरकार आने के बाद बहुत टौर्चर किया गया है। मुम्बई तथा पूरे महाराष्ट्र से छोटे छोटे मज़दूरों को पीटकर भगा दिया गया। उनके पास एक कपड़ा भी पहनने को नहीं था। हमने उनको देखा हैं उन्होंने हमें पत्र भी लिखे हैं। वे कहते हैं कि हम बंगाली भाषा में बात करते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? वे कहते है कि शिव सेना तथा बीजेपी के डर से वे लोग बंगाली साड़ी भी नहीं पहन सकते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मैने विदेशी नागरिकों के बारे में ही कहा है। .....**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद) : आप जो कहे वह जिम्मेदारी के साथ कहे। ......**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : मैं जो कह रही हूं वह औथेटिसिटी के साथ कह रही हूं। .....**(व्यवधान)** जब आप कहते है तो हमारी बात भी सुने।

[अनुवाद]

मुझे महाराष्ट्र से अनेक पत्र मिले हैं। महिलाओं ने मुझे लिखा है एक स्थान पर दस हजार बंगाली रह रहे हैं। मैं नहीं जानती

कि वे हिन्दू हैं, मुसलमान है, ईसाई है या सिक्ख हैं। लेकिन वे बंगलाभाषी लोग हैं। यहां तक कि वे साड़ी भी नहीं पहन सकते।

[हिन्दी]

अगर वह साड़ी पहनेगी तो मालूम हो जाएगा कि वह बंगाली हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हम बंगाल में रहते है लेकिन हमारे यहां कौस्मोपेलिटन में ऐसा नहीं है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : बंगालियों का नाम नही आया है।

बंगलादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की बात आई है। ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकों भी बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : आप हमारी बात सुनिएं। आप सुनना नहीं चाहते हैं; यह आपके सदस्य का बिल है। आप नहीं चाहते है कि हम आपके बिल पर बोलें तो आप बिल विदड्रा कर लें। कोई आपके बिल पर नहीं बोलेगा।

सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि आप हमारी स्टेट में भी देखिये कितने बिहार के आदमी रहते हैं, कितन यूपी. के आदमी रहते हैं कितने राजस्थान के आदमी रहते है, कितने वम्बई के आदमी रहते हैं।

[अनुवाद]

आप उत्तर-पूर्व क्षेत्र से हैं। आप जानते हैं कि वहां कोई चिकित्सीय विश्वविद्यालय और चिकित्सीय इलाज के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं आपको बंगाल से जाना पड़ेगा । जाने का रास्ता सिलीगुड़ी है। आप जानते हैं कि विभिन्न राज्यों से आये लोगों से हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यही हमारी प्रणाली है, यही हमारी सभ्यता है।

इंदिरा गांधी -मजीबुर रहमान समझौते के अनुसार जो कोई भी मार्च , 1971 से पहले आया है, वह भारतीय नागरिकता के योग्य है। यह व्यस्था समझौते के अनुसार है।

[हिन्दी]

इसी के लिए यह चीज पैदा हुई है और आप जो विदेश के नाम पर कहते हैं तो मैं आपको कहना चाहती हूं कि आप लोगों को मालूम नहीं है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जब प्रधान मंत्री थे, उनके साथ लियाकत साहब का एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो हमारे देश में आना चाहते हैं, वे आ सकते हैं उसके बाद श्रीमति इंदिरा गांधी तथा शेख मुजीबुर्रहमान का मार्च 1971 में समझौता हुआ था कि जो हमारे देश में आ गये हैं, या आये हुए हैं वे हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं वे बंगलादेशी नहीं हैं, वे पाकिस्तानी नहीं हैं।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी-मुजीबुर्रहमान समझौते के अनुसार जो कोई व्यक्ति मार्च,1971 से पहले आया था, भारतीय नागरिकता के योग्य है। यही व्यवस्था समझौते के अनुरूप है।

[हिन्दी]

मैं गौरव से कहना चाहती हूं कि इंदिरा जी ने देश के लिए कुरबानी दी है और जो बंगलादेश का मुक्ति युद्ध हुआ था उसके आज 25 साल पूरे हो गये है। इंदिरा जी आज जिंदा नहीं हैं, शेख मुजीबुर्रहमान भी आज जिंदा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि आज जो देशद्रोहिता कि बात कहते हैं और उन लोगों के बारे में नहीं कहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुरबान करके कहा था-

"प्यासी जमीं थी लहू सारा दिया,

मुझ पर वतन का कर्ज था मैने चुका दिया।"

जिस पर वतन का कर्ज था देश के लिए चुका दिया। आप लोग वह बात नहीं कहते हैं। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए खून दिया, कुरबानी दी, आप वह बात नहीं कहते हैं खाली वोट की बात पर राजनीति करते हैं, धर्म की बात पर राजनीति करते हैं। अगर आपके रिजोलूशन में खाली विदेशियों के बारें में होता तो मैं आपसे सहमत होती। लेकिन आपने विदेशियों के बोलने के नाते धर्म की राजनीति की है। आपने मुस्लिम-मुस्लिम कहा है। क्यों आपने मुस्लिम-मुस्लिम कहा है, क्यों आपने बंगाली -बंगाली कहा है? आप जब हिंदुस्तान के नागरिक कहते हो तब कहते हो "सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तब आप से नहीं कह सकते हो कि हम मुस्लिम के खिलाफ है, हम बंगाली के खिलाफ है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे देश के लिए जो हमारे देश का गौरव है वह मानना हम सबका काम है। इसी कारण हर कम्युनिटी के आदमी को सम्मान देना हमारा काम हैं। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हमारे संविधान के आर्टीकल 21 में कहा है - हर आदमी के लिए इक्युअल अपारचुनिटी और माइनॉरिटी के लिए स्पेशल अपारचुनिटी दी गई हैं। इसी के लिए ......

[अनुवाद]

सरकार ने अल्पसंख्यकों के बारे में यह फैसला किया है। एक अल्पसंख्यक आयोग है और सरकार ने यही फैसला किया है।

[हिन्दी]

आपको मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर एक आदमी दुखी होकर देश से भागकर हमारे देश में आ गया तो क्या उसको बिना खाना दिये, बिना कपड़ा दिये पीट-पीटकर भगाना उचित है? क्या ये एक इन्हयूमैन एटीच्यूड नहीं है? दिल्ली में भी ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है इंडिया, बंगलादेश, पाकिस्तान ___

[अनुवाद]

आप जानते हैं कि श्री राजीव गांधी ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की। भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश सार्क के सदस्य हैं वे इकटठे बैठकर निर्णय कर सकते हैं। वे एक व्यापक योजना तैयार कर सकते हैं ताकि इस समस्या को हल किया जा सके।

[हिन्दी]

किसी को मारने से ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, किसी को पीटने से ये समस्या हल नहीं होगी, किसी को आग लगाने से यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर एरिया में स्मगलिंग होती है। पंजाब में थोड़ा सा सील हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सी जगह है जहां बॉर्डर एरिया में सील नहीं है। बॉर्डर सील करने के लिए बहुत रुपयों की जरूरत है। इसीलिए सरकार करने को कहती है लेकिन नहीं कर पा रही है। इसमें बी.एस.एफ. अच्छा काम करती है। लेकिन इनवोल्व भी हैं जो लोकल एंटी सोशल एलीमेंट्स है वे भी इनवोल्व हैं और जो माफियां गैंग ऑपरेट करते हैं वे भी इसमें इनवोल्व है। इसीलिए हमको ये देखना है कि हमारे देश में कोई चीज स्मगल न हो। हमारे बंगाल में हर तरफ जो सुविधा से मिलता है वह लवण है। लवण एक छोटी सी चीज हैं लेकिन गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था ये साल्ट लेकर ही मूवमेंट किया था।

साल्ट एक छोटी सी चीज है लेकिन हमारे देश से साल्ट बंगला देश स्मगल होकर जाता है, चावल बंगलादेश चला जाता है, पोटैटो जाता है जबकि हमारे हमारे राज्य में लोगों को ठीक तरह से नहीं मिलता । इसलिए प्रौब्लम यहां दुसरी है। इसके कारण हमारे यहां अनएम्पलायमेंट बढती जा रही है, इम्मीग्रेशन तथा रिपैट्रिएशन से संबंधित एक्ट को इम्पलीमेंट करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट उसे पास करती है लेकिन कुछ कानूनों को लागू करना राज्य सरकार का काम है। मैं कहना चाहती हूं कि अगर सैन्ट्रल गवर्नमेंट ऐसे कामों में मौनिटरिंग नहीं करेगी तो उससे कभी खतरा उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिये आई .एस. आई. है जिसके लोग कश्मीर में सभी जगह फैले हुए हैं। हमें पता है कि सब जगह आई.एस.आई. के लोग हैं लेकिन अगर वे कश्मीर में किसी के घर में रिश्तेदार बनकर रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं - कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहती हूं कि इस बात को आप सोचिए ...... **(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सरकारी पार्टी में रहते हुए, माननीय सदस्य कितनी गम्भीर बात कह रही है कि किसी के रिश्तेदार बनकर यदि आई.एस.आई. के लोग रहेंगे आतंकवादी रहेंगे तो क्या कर सकते है, ऐसा रूलिंग पार्टी की सदस्या बोल रही है?......**(व्यवधान)** फिर लोग सरकार में क्यों बैठे हैं ..... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : मै जो कुछ कह रही हूं, आप पहले उसे समझिये । मैं कह रही हूं कि आई.एस.आई के संबंध में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिये लेकिन किसी के घर में रिश्तेदार बनकर यदि वे लोग रहते हैं तो गवर्नमेंट को उनके बारे में सूचना कैसे मिल सकती है। जिस भाषा में हम बात करते हैं, उसी में वे भी बात करते हैं। इसलिये मेरा कहना हैं कि गवर्नमेंट की विजिलैंस स्ट्रिन्जैन्ट होनी चाहिये, हम लोगों को सतर्कता से काम लेना चाहिये हमें बोर्डर को सील करना जरूरी है। वहां जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, एक आदमी का नाम बंगला देश की वोटर्स लिस्ट में भी है, हमारे स्टेट की वोटर्स लिस्ट में भी है और यह बात सच है। कुछ लोगो के राशन कार्ड बंगला देश में भी हैं। कुछ लोगों के राशन कार्ड पाकिस्तान में भी हैं, और हमारे बार्डर एरिया में भी और बहुत सी जगह ऐसा है लेकिन जो सच बात है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इसीलिये मैंने एक प्रैक्टिकल बात कही है। कल यदि मै एम.पी. न रहूं और आपके घर में जाकर कहूं कि भाई साहब मुझे एक कप चाय पिलाओं तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि तुम बंगाली हो, मैं राजस्थानी हूं इसलिये मैं चाय नहीं पिलाऊगां । ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आपस में भाषाई, ट्रैडीशनल, कल्चरल और लैंग्वेज के आधार पर एक रिश्ता हैं इसलिये दूसरे नजरिये से हमें इस समस्या को देखना होगा। मैं गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट करना चाहती हू कि

[अनुवाद]

उन्हें एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करना चाहिये ताकि वे इसके विस्तार में जा सके। इन अवैध आप्रवासियों को यहाँ नहीं आना चाहिये क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है और बेरोजगारी दिन प्रति-दिन बढ़ रही है। इससे हमारी सुरक्षा और अखंडता भी नष्ट नहीं होनी चाहिये। लेकिन साथ ही, हमे अपने देश को हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों और ईसाईयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। हम सभी एक हैं। हम सभी -एक ही मंजिल के

राही हैं। इसीलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से इस संकल्प को वापिस लेने का अनुरोध करती हूँ।

जहाँ तक अवैध आप्रवासियों के बारे में इस संकल्प की विषय-वस्तु का संबंध है, सरकार को कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें अवैध आप्रवासियों के नाम पर असम और मेघालय में लोगों के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए।

महोदय, मैं जानती हूँ कि आप मेघालय से निर्वाचित हैं मैं एक कहानी जानती हूँ। एक वृद्ध मेघालय गया। मुझे वहाँ से एक सूचना मिली। उन्होंने कहा : ममता, मैं एक बंगाली हूँ। इसीलिए मुझे निर्ममता से पीटा जाता है। उसके पश्चात् मैंने यह मामला मेघालय सरकार के साथ उठाया और उन्होंने कार्यवाही की ।

नागालैण्ड में दीमापुर के अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है मै वहां कई बार गई हूँ। मैं वहाँ की स्थिति जानती हूँ ; उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि मैं श्री हितेश्वर सैकिया को धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से असम में अलसंख्यक सुरक्षित हैं असम-निवासी और अलसंख्यक भी सुरक्षित हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे रहें, इकट्ठे बैठें और इकट्ठे खाये-पीये ताकि हमें अपने देश पर गर्व हो लेकिन हमें देश कर विभाजन नहीं करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं इस विषय को संकल्प के रूप में लाने के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम सब उनकी चिन्ता से सहमत हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने सीमाओं को सील करने के लिए जिन उपायों के सुझाव दिए हैं मैं उन सबसे भी सहमत हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रुप से महसूस करता हूं कि कोई भी राष्ट्र हर समय अपनी सीमांए हमेशा खुली नहीं रख सकता है अतः इसकी भी कोई सीमा होती है। सिद्धान्त के रूप से हम घुसपैठ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तथापि मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि भौगोलिक प्राकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारे उप महाद्वीप में अप्राकृतिक विभाजन को ध्यान में रखते हुए किसी भी सरकार को अपनी पूरी शक्ति से भी घुसपेठ की संभावना को ध्यान में रखते हुए सीमा को पूरी तरह से सील करना व्यवहारिक रूप से संभव नही है। अतः मैं उनसे स्थिति को बढा चढाकर पेश ने करने, देश की तस्वीर इस तरह से देश के सामने प्रस्तुत न करने का अनुरोध करता हूं साथ ही यह भी अनुरोध करता हूं कि वह यह न कहें कि इस घुसपैठ से देश का विनाश हो गया है, राष्ट्रवाद की अवहेलना करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश की जा रही है।

मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वह यह न कहे कि देश भक्ति पर केवल उनका या उनके दल का ही एकाधिकार है, सरकार में काम करने वाले सभी लोगों, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सभी लोगों, राजनीतिक व्यवस्था में काम करने वाले लोगों, हम सब पर इस समस्या का कोई असर नहीं होता हैं हम इससे बेअसर नहीं हैं। हम इस समस्या को समझते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि हम उनकी चिन्ता से सहमत हैं। मै उनसे अनुरोध करता हूं कि इस स्थिति को सामप्रदायिक रंग न दें। एसी तस्वीर प्रस्तुत न करें कि वह हर एक व्यक्ति जो उनके धर्म का नहीं है वह उस पर संदेह करते हैं। असल में यह समस्या हैं । मैं यह कहते हुए सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करना चाहता हूं कि तीन तरह के विदेशी प्रवासी हैं। यद्यपि ऐसे लोग हैं जो वीजा और पासपोर्ट लेकर आते हैं और किन्हीं कारणों से निर्धारित समय सीमा से अधिक देश में रहते हैं। यह एक छोटी समस्या है, क्योंकि यदि आप इस बात पर विचार करें कि पासपोर्ट और वीजा प्रणाली के लागू होने से देश में जितने लोग आए, यदि मेरी यादाश्त ठीक है तो इस संबंध में कुल अद्यतन संचयित आंकड़ा पिछले चालीस वर्षो में 30,000 या 40,000 के लगभग है। इस बात पर विचार कीजिए कि बीस वर्ष का जो व्यक्ति देश में आया इस बीच वह मर गया होगा। अतः मैं जहां एक ओर अनुज्ञेय समय सीमा से अधिक समय तक देश में रहने का विरोध करता हूं वहीं दूसरी ओर मैं चाहता हूं कि अनुज्ञेय समय सीमा से अधिक समय तक देश में रहने के इन मामलों पर अधिक चिन्ता न की जाए और इस समस्या को और न बढाया जाए। समस्या कुछ हजार लोगों की हो सकती है और पुलिस को इस बात का पता लगाना संभव होगा कि उन लोगों का क्या हुआ। हमें अनुज्ञेय समय सीमा से अधिक समय तक देश में रहने की इस समस्या को इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि यह हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है।

दूसरी श्रेणी शरणार्थियों की है। मैं ममता बनर्जी की इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि राजनीतिक या धार्मिक अत्याचार के कारण हमारे देश में उन सभी लोगों को शरण देना हमारे देश की परंपरा रही है। अतः हम उन्हें उसी तरह से श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। फिर भी कानून लागू होना चाहिए। उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। हम उन्हें वैसा ही नहीं छोड़ सकते हैं। मैं थोड़ी देरे में इस बात पर आऊंगा कि उन्हें कैसे विनियमित किया जाए।

तीसरी श्रेणी के लोग वे हैं जिन्हें हमारे मित्र घुसपैठिए कहते हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं हैं जो वीजा लेकर नहीं आए हैं। शायद वे आजीविका की तलाश में हमारे देश में आए हैं। उदाहरण के लिए असम में मैंने एक मौसम में 'रोड गैंगस' को काम करते हुए देखा है और सभी जानते हैं कि वे काम कर रहे हैं। अलगे मौसम में वे वापस चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं। जहां कहीं आप अप्राकृतिक सीमा बनाते हैं वहां परस्पर आवाजाही की एक विशेष प्रक्रिया होती है। सीमा पार सदृश्य लोग रहते हैं, जिनकी एक ही संस्कृति है, जिनके सामाजिक संबंध है, जिनके आर्थिक संबंध हैं। यदि मुझे ठीक से याद है तो पश्चिम बंगाल-बंगलादेश की सीमा

कभी एक ही गांव में गुजरती थी। कभी-कभार ऐसा होता है कि घर सीमा के इस पार और खेत सीमा के उस पार रह जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि वही घर दो हिस्सों में बंट जाता है; एक दरवाजा भारत में और दूसरा दरवाजा दूसरी सीमा में खुलता है। अतः इस प्रश्न के बारे में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं किसी सीमित क्षेत्र में आवाजाही के लिए आप कतिपय नियमित व्यवस्था बना सकते हैं। जैसा कि हमने बर्मा की सीमा पर बनाया है जिसमें दोनों और रहने वाले लोग, जो लोग एक ही जाति के है, जो एक दूसरे के सदृश्य है वे केवल एक पहचान पत्र के आधार सुबह को आए शाम को गए आधार सीमा के आर-पार आ जा सकते हैं।

वे सुबह आएं और दोपहर को चले जाएं। वहां पर बाज़ार हैं। वे बाजार की गतिविधियों में भाग लेते हैं, अपना सामान बेचकर अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर वापस जा सकते हैं। इस तरह के माननीय व्यवहार पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अब घुसपैठ के स्तर के लिए मेरे मित्र जनगणना के आंकड़े उद्‌त कर रहे थे। ऐसा कहा गया है कि बड़े-बड़े झूठ और आंकड़ों के आलावा और कुछ नहीं है। कभी कभार आप आंकड़ों के आधार पर कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। आप 10,000 की मूल जनसंख्या लीजिए। अब कुछ आर्थिक विकास के कारण जनसंख्या में 10,000 की और वृद्धि हो जाती है। देश के अन्य भागों से लोग वहां चले जाते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि वहां पर जनसंख्या में शतप्रतिशत वृद्धि हो गई है। यह झूठ है। आपको एक पूरा क्षेत्र लेना होगा, आपको यह काफी बड़े वर्ग को लेना होगा, यह सिद्ध करने के लिए एक काफी बड़ा नमूना लेना पड़ेगा कि जनसंख्या में असामान्य स्तर की वृद्धि हुई है। अतः जनसंख्या ने आंकड़े ही पर्याप्त नहीं है।

आपने किशनगंज का उल्लेख किया है। मैं किशनगंज का रहने वाला हूं। मैं किशनगंज का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं पिछले दस वर्षो से इस संसद में किशनगंज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरी जानकारी के अनुसार इन दस वर्षो के दौरान स्थानीय प्रशासन ने दो युवकों को बंगलादेशी घुसपैठिए होने के संदेह के आधार पर पकड़ा। मैंने इस समस्या की जांच की। मैं उनके गांव गया और एक लम्बी सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखा जो उस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति का नाना, दादा, चाचा और मामा था। वह रो रहा था। उसने कहा कि पुलिस मेरे पोतों को पकड़ कर ले गई है। जो दादा वर्षो से पचास वर्ष से अधिक समय से उस क्षेत्र में रह रहा है, उसे वहां का नागरिक और उसने पोतों को विदेशी कैसे समझा जा सकता है। यह एक अजीब स्थिति है।

मेरे क्षेत्र में एक ईमानदार समाहर्तो थे जिसने उस समय राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, सीमा सुरक्षा बल से क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उनका उड्डा है, रिपोर्ट मांगी जब सरकार ने उनसे इस बात का पता लगाने के लिए कहा कि वहां कितने विदेशी लोग हैं। उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्हें शून्य रिपोर्ट मिली। उसने सरकार को शून्य रिपोर्ट भेज दी। मैं यह अवश्य कहूंगा कि किशनगंज के नाम पर कुछ लोग त्यौरियां चढ़ा लेते हैं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि केवल किशनगंज में ही सतरह लाख घुसपैठिए घुस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए और वहां पर उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में यह आरोप लगाया कि किशनगंज जिले में सतरह लाख विदेशी घुसपैठ कर गए हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : श्रीमान, जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत : आपने उस व्यक्ति का नाम लिया जो अपना बचाव नहीं कर सकता है जो इस सभा का सदस्य नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं उद्धृत कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैने उन्हें लिखा। मैंने उन्हें लिखा था "कि मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या सतरह लाख से कम है। उस जनसंख्या में सतरह लाख घुसपैठिए कैसे छुप सकते हैं और यदि आपके पास कोई विशेष जानकारी है तो क्या कृपया आप वह जानकारी ब्लाक-वार पंचायत-वार मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं प्रशासन को सतर्क कर सकूं और उन लोगों को वहां से बाहर कर सकूं, मैं समझता हूं कि उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है। मैने उन्हें स्मरण पत्र भेजा। मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला। अतः समस्या बढ़ाचढ़ा कर दर्शाई गई है।

जनसंख्या के आंकड़े हमसे कुछ जानकारी देते हैं। जनसंख्या वृद्धि की एक सम्पूर्ण औसत्त दर है। यह हर राज्य में भिन्न है। एक ही राज्य में यह हर जिले में भिन्न है। इससे कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मैं यह सब निष्कर्ष निकालने से नहीं झिडकूंगा।

मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता इस बात पर विचार करें कि यदि बिहार और बंगाल में जनसंख्या में असामान्य वृद्धि का कारण घुसपैठ मानी जाती है तो कर्नाटक और केरल में जनसंख्या में असामान्य वृद्धि का कारण क्या माना जा सकता है? क्या इसका कारण घुसपैठ है? अतः किसी को भी गहराई से इसके कारणों का पता लगाना होगा।

ममता जी मुझसे सहमत होगी। सन् 1911 की जनगणना की रिपोर्ट याद है। सन् 1911 में ही ऐसा कहा गया था।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्रबुद्ध साथी ने मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर का यह मामला उठाया है तथा उन्होंने इनकी जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर का कारण घुसपैठ बताया है। यही उनका तर्क है। सभापति महोदय, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सन् 1911 तत्कालीन जनगणना अधीक्षक ने कहा था कि उस समय की बंगाल प्रेसीडेंसी में मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि दर हिन्दुओं की तुलना में अधिक थी तथा इस का प्रमुख कारण यह बताया गया था कि हिन्दुओं में विधवाएँ तथा तलाक शुदा महिलायें पुनर्विवाह नहीं करती इसलिए प्रजनन अवधि कम हो जाती है और फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो जाती है। इसके अनेक अन्य कारण हैं, जिन्हें कि हम जानते ही हैं। विभिन्न समुदायों के बीच जनसंख्या की वृद्धि हर अलग-अलग शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों का काफी महत्व है। उदाहरण के लिए अब हम चुनिंदा आधार पर भ्रूणहत्या के बारे में जानते ही है, आजकल लोग बालिका भ्रूण की हत्या कर देते हैं। हम बालिका का शिशु हत्या के विषय में भी जानते ही हैं, लोग बालिका शिशुओं की हत्या कर देते हैं अथवा उन्हें पौष्टिक आहार नहीं देते या बालिका शिशु को प्रारम्भिक अवस्था में ही मर जाने देते हैं। कुछ जातियों में छोटी उम्र में ही शादी करने की प्रथा है, जिससे कि जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ने में सहायता मिलती है। यह वृद्धि का एक कारक है। लेकिन जहाँ तक दुल्हनों को जलाये जाने की बात है। वह एक नकारात्मक पहलू है। इससे वर्तमान सामाजिक ढांचे में उपलब्ध महिलाओं की संख्या घटती है। जैसाकि मैंने कहा ही है विधवा पुनर्विवाह एवं तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह का प्रश्न भी हमारे सामने है। मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड रहा है कि देवदासी प्रथा का प्रश्न भी हमारे सामने है। अतः ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें उपलब्ध महिलाओं की संख्या कम कर दी जाती हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर भी कम हो जायेगी तथा उस सीमा तक उसमें फर्क आ जायेगा। यह सामाजिक परिदृश्य है हमें इसे समाजशास्त्र की दृष्टि से समझना चाहिये। बहु-विवाह का प्रश्न भी हमारे सामने विद्यमान है। सभापति महोदय, अब यदि विद्यमान व्यवस्था में महिलाओं की संख्या स्थिर रहती है, तो बहु विवाह से जनसंख्या वृद्धि की दर नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू यह है कि कई बार देखा गया है कि कुछ समाज ऐसे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है, जहाँ बहु-विवाह प्रथा प्रचलित है, तथा छोटी-उम्र में विवाह भी कर दिया जाता है। निस्संदेह छोटी-उम्र में विवाह करने की स्थिति से जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ सकती है।

महोदय, मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र एक आसन से प्रश्न का उत्तर दें। यह कहा जाता है कि असम राज्य में बड़े स्तर पर घुसपैठ होती है। हमें 1921, 1931, 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना पर दृष्टि डालनी होगी। क्या कारण हैं कि असम में मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात तकरीबन 23 से 25 प्रतिशत तक रहा है। गणितीय दृष्टि से इसके दो कारण हो सकते हैं। एक या तो वहां कोई घुसपैठ नहीं हुई है और यह वृद्धि स्वाभाविक वृद्धि है और इसलिये विभिन्न समुदायों की जनसंख्या अनुपात वही है या यह ऐसी स्थिति है जिसमें अगर चार लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो उन एक मुसलमान है और तीन गैर मुसलमान हैं। यह सम्भव है। ऐसी स्थिति में ही विभिन्न समुदायों की जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहेगा। लेकिन असम में उंगली सदा मुसलमानों पर उठाई जाती है, उस व्यक्ति पर उठाई जाती है जो बंगाली बोलता है, जो लुंगी पहनता है, जो गंजी बनियान पहनता है और पान चबाता है। वे कहते हैं कि वे सब बंगलादेशी है। वास्तव मे जो इस प्रकार का आरोप लगाते है जो एसी स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर बखान करते हैं वे हमेशा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देते है। वे भारत की बंगलादेशी जनसंख्या और सम्भावित बंगलादेशी में अन्तर नहीं करते, मेरी यह शिकायत है।

मैं आपसे सहमत हूं कि यदि कोई बंगलादेशी है तो उसे निकाल बाहर करो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसे मेहमान बनाओ। हम कोई धर्मशाला, गैस्ट हाउस या सराय नहीं चला रहे हैं। अब मैं आपको भारत बर्मा सीमा का उदाहरण देता हूं। सभापति महोदय मैं पिछले 10 सालों से इस सरकार, पिछली सरकारों से अनुरोध करता आ रहा हूं कि सीमावर्ती जिलों में तुरन्त पहचान पत्र लागू करों ताकि कम से कम हम यह जान सकें कि आज इस क्षेत्र का निवासी कौन है ताकि अगर कल कोई और आता है तो पुलिस तत्काल यह पूछ सकती है कि आप का पहचान पत्र कहां है? यदि उस समय वह पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो उनके पास यह सन्देह करने का कारण बन जाता है कि वह वहां बाहर से आया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? यह तो आसानी से किया जा सकता है। एक नियत क्षेत्र में सीमा से नियत दूरी के अन्दर जो भी जिला पड़ता है उसमें या सीमावर्ती सभी जिलों में पहचान पत्र प्रणाली तत्काल लागू की जानी चाहिए।

अब मैं एक दिलचस्प मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि कुछ घुसपैठिए हैं क्योंकि कोई भी सीमा सील नहीं की जा सकती। महोदय एक बार मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 पर किशनगंज से गुजरते हुए ऊंटो की एक कतार देखी।

मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने कहा, " इन ऊंटों को क्या होने वाला है? ये कहा जा रहे हैं। राजस्थान के रास्ते इन ऊंटो के आने का कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने मुझे धीरे से बताया कि, " हम बंगलादेश जा रहे है।" अब हम वापस जा रहे है। क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगलादेश के सम्पन्न वर्ग के लोग ईद-कुर्बानी के समय कत्ल किए जाने वाले ऊंटों की नुमाइश लगाते हैं। ठीक है। मैंने यह बात एक बैठक में मंत्री महोदय को बताई। मैंने पूछा हमारी सीमावर्ती चौकियों से ये ऊंट कैसे निकल जाते हैं? यदि इन चौकियों से ऊंट निकल सकते हैं, तो मनुष्यों के बारे में क्या स्थिति है?" इसलिए निश्चित रूप से दोनों तरीकों से घुसपैठ हो रही है। मेरा प्रश्न यह है," हम इसका पता कैसे लगाएंगे? इस संकल्प के प्रस्तावक से मेरा यही मतभेद है।

महोदय, मैं तो कहता हूं कि केवल एक ही तरीका है। हमारे

देश में जहाँ संवैधानिक प्रणाली है, जो कानून ही शासन लागू होता है, ऐसा नही हो सकता कि मेरा मित्र किसी को देखे और कहे कि अमुक-अमुक व्यक्ति विदेशी है, क्योंकि राजनैतिक दल विशेष उस पर उंगली उठाता है और कहता है कि वह विदेशी है, वह इसलिए विदेशी नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस या सम्बद्ध अधिकारी को किसी अन्य पर सन्देह है। मैं इस प्रकार के तर्क को स्वीकार नहीं करता। मैं तो केवल कानून के शासन को ही स्वीकार करूंगा जिसका आशय यह है कि ऐसा कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही किया जानना चाहिए।

महोदय, मैं यदि प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि एक समय था जब हम सभी एक ही राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। 1979 में घुसपैठ के सवाल पर जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पहला प्रस्ताव पारित किया था। वह प्रस्ताव मैंने लिखा था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इस समय अपनी पार्टी के नेता तथा विपक्ष के नेता हैं, इसे अनुमोदित किया था उस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति की पहचान कानून के अनुरूप समुचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए। उस समय कानून के शासन में उनकी आस्था थी। आज उनका विश्वास है कि यदि वे ऐसा कहते हैं, एक राजनैतिक दल ऐसा कहता है। एक राजनैतिक कार्यकर्ता ऐसा कहता है तो किए नागरिक विदशी हो जाएगा ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आप को किसी पर सन्देह है, यदि प्रथम दृष्टया में कोई मामला बनता है तो इसे समुचित न्यायिक प्राधिकारी के समाने लाइए और साबित कीजिए। एक बार उसका मामला सिद्ध हो जाता है तो मतदाता सूची में से उसका नाम हटाया जा सकता है और यदि सम्भव हुआ तो उसे यहां से निकाल कर उसके देश वापस भेजा जा सकता है।

समस्या यह है कि हमारी बंगला देश या पाकिस्तान के साथ कोई निर्वासन सन्धि नहीं है। हमारे पास जबरदस्ती वापस भेजने की अनौपचारिक व्यवस्था है। मैंने लगभग हर तिमाही में यह सवाल पूछा है कि आपने कितने लोगों को सीमा पर पकड़ कर वापस भेजा है। इसका उत्तर यह रहा है कि इस सैक्टर में ऐसे लोगों की संख्या हजारों मे यानी 10,000 या 20,000 है। अब मेरा कहना है कि हो सकता है, आप एक व्यक्ति का पता लगाएं और एक व्यक्ति को पकड़ लें, लेकिन आप यह मानकर कि यह 1:10 का अनुपात हो सकता है 10 व्यक्तियों का पता नहीं लगा सकते।

[हिन्दी]

मैं एक को पकड़ता हू 10 चोर और होंगे।

[अनुवाद]

लेकिन फिर भी यह संख्या लाखों में होगी। सम्भवतय यह संख्या करोड़ों में नहीं जाएगी जैसा कि मेरे मित्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि इसे राजनैतिक व दलगत मुद्दा न बनाएं कृपया इसे साम्प्रदायिक मुद्दा भी न बनाएं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हमें इस मामले को हमारी अपनी राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के अनुसार निपटाना चाहिए।

हमारी राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था क्या है? हमारे पास न्यायाधिकरण के लिए अधिनियम है। वह असम पर भी लागू होता है। वास्तव हम जो कानून बनाते हैं वह सारे देश पर लागू होता है। मेरा कहना है कि जब भी आपको सन्देह हो कि यहां विदेशी राष्ट्रकों का जमाव हो रहा है जो कि यहां अवैध रूप से आए हैं तो सरकार को एक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए कहिए ताकि सन्देहास्पद सभी मामले न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जा सके और उन पर कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से निर्णय हो सके। इस प्रकार कानून के अन्तर्गत यदि किसी को विदेशी राष्ट्रिक पाया जाता है कम से कम मुझे विश्वास है कि श्री चित्त बसु या मुझे स्वंय उसे निकाल बाहर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि ममता जी को भी उसे निकाल बाहर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

महोदय, एक दिलचस्प विनिर्णय और भी है। मेरे मित्र ने बम्बई के बारे में कहा। मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों का नाम हटाने से सम्बन्धित एक मामला उच्चतम न्यायालय में आया।

जब तक आप किसी व्यक्ति को विदेशी साबित नहीं कर देते, उसका नाम मतदाता-सूची से नहीं हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है। उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट विनिर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मूलतः मामले दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे लोग हैं, जिनके नाम मतदाता-सूची में पहले से ही विद्यमान हैं। ऐसे लोगों के नाम तबतक नहीं हटाए जा सकते जबतक कि सरकार ऐसे लोगों को कारण बताने के लिए नहीं कहती है तथा प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य को प्रमाण्ति करने का अवसर प्रदान नहीं करती है। अतः, यह जिम्मेवारी सरकार की है। दूसरे मामले में, जब कोई अजनबी आकर कहे कि मेरा नाम सूची में शामिल कर लो, तो अपनी नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेवारी आवेदक की होती है। उदाहरणार्थ, माल लीजिए मैं गया से मुम्बई जाता हूँ और वहां घर बनाकर रहने लगता हूँ तथा आवेदन करता हूँ कि मेरा नाम मतदाता-सूची में शामिल कर लिया जाए, तो यह सिद्ध करना मेरा दायित्व होगा कि मैं भारतीय नागरिक हूँ।

मुझे यह बताना पड़ेगा कि गया में सूची में मेरा नाम दर्ज था और मेरा जन्म. वहां हुआ है। अतः मेरा यह अधिकार है कि मैं कहीं भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता हूँ। इसलिए यह एक बिलकुल स्पष्ट विनिर्णय है और यदि सारे काम इस विनिर्णय के अनुसार किए जाते हैं, तो किसी को भी कोई शिकायत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस उच्चतम न्यायालय का यह एक युगान्तरकारी निर्णय है जिसके आधार पर पूरे देश में विदेशियों का पता लगाया जा सकता है। उनकी पहचान की जा सकती है।

महोदय, एक अन्य कानून भी है जिसमे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है, भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है। यहां तक कि यदि किसी के मां-बाप अवैध रूप से भारत में आए हों किन्तु उसका जन्म भारत की धरती पर हुआ हो, तो उसे भारतीय नागरिकता पाने का अधिकार है। कृपया इसे याद रखने की कोशिश करें। यही हमारा कानून है। यही हमारा संवैधानिक सिद्धांत है। इसलिए भारत की धरती पर जन्मे उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने से हम वंचित नहीं कर सकते, जिसके माता-पिता इस देश में अवैध रूप से आये हों।

मैंने यह कहा है कि पुलिस को अथवा मजिस्ट्रेट को इस संबंध मे निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि मुझे भय है कि अनेक स्थानों पर वे मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, वे राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक परिवेश से प्रभवित होते हैं। कभी-कभी उन पर स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी दबाव पड़ता है, उनसे परेशान होना पड़ता है। उदाहरणार्थ, 'आसु' को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अमुक-अमुक व्यक्ति विदेशी हैं। तथापि, यदि स्थानीय लोग, उसके पड़ोसी शिकायत करते हैं कि उसके मोहल्ले में कोई नया व्यक्ति आया है तो इस बात का पता लगाया जाए कि क्या प्रथम दृष्टया कोई कारण बनता है। कोई स्थानीय निवासी शिकायत कर सकता है किन्तु एक राजनीतिक अभियान के रूप में किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य ऐसा नहीं कर सकता।

महोदय, मेरा कहना है किसी मामूली कारण से किसी व्यक्ति को देश निकाला नहीं हो सकता क्योंकि हमने कोई निर्वासन संधि नहीं की हुई है। फिर, इस प्रकार जबरदस्ती वापस भेजने की पद्धति वस्तुतः अधिक कारगर सिद्ध नहीं होती। अतः मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर बंगलादेश के साथ औपचारिक बातचीत होनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूँ कि समस्या उतनी विकट नहीं है जो भी हो हमने उस सीमा को सील कर दिया है।

अन्त में, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा और मैं आशा करता हूँ कि मेरे मित्र मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे उप महाद्वीप के विभाजन हो जाने के बावजूद, मेरा विश्वास उपमहाद्वीप की एकता में है। मेरा विश्वास अखण्ड भारत में है जिसकी सृष्टि ईश्वर ने ऐसे ढंग से है कि इसके एक ओर हिमालय की बर्फीली चोटयां हैं व दूसरी ओर हिन्द महासागर का नीला जल मनुष्य ने इतिहास में अनेकों बार इस पर लकीरें खींची हैं किन्तु समय के प्रवाह में ये सारी लकीरें मिट गई है। बहुत अधिक काल तक ये विद्यमान नही रही। इसलिए, इस क्षेत्र मे सबसे बड़ा देश होने के कारण हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे उपमहाद्वीप के सुख-दुख को अपना समझे। दक्षिण एशिया के एक बड़े परिवार के कर्त्ता के रूप मे याद स्मरण रखें कि इस क्षेत्र का विभाजन नहीं हुआ था तथा बंगलादेश की जनसंख्या का हमें क्या करना है? क्या हम उन्हे मार डालें? क्या हम कहें कि हम सभी बंगाली बच्चों को मार डालेंगे? यह अमाननीय होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पुनः एक देश के नागरिक हो सकते हैं। निःसन्देह, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि दरवाजे खोल दिए। मैं तो केवल माननीय व्यवहार की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भविष्य के लिए उनके साथ मैत्री पूर्ण व्यवहार किया जाए और उन्हें दुश्मन न समझा जाए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहली बात यह है कि माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ सदस्यों में से है और यह बार-बार इस तरफ अंगुली उठा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। सारा हिन्दुस्तान इस को टी.वी. पर देख रहा है। बार-बार परेशान करना ठीक नहीं है। आप सभापति महोदय को इंगित करिये।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सभापति महोदय, सारा देश जानता है कि इसे कौन चला रहा है और उसका संबंध किस दल से है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री सैयद शहाबुद्दीन अतः, मेरा निष्कर्ष यह है कि विभिन्न समुदायों की विकास-दर में कुछ विशेष बातें होती है। इन बातों का राज्य दर राज्य, जिला, दर जिला वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए। सीमावर्ती जिलों के लिए एक विशेष क्षेत्र बनाया जाए, लोगों को पहचान-पत्र दिए जाए तथा सीमा पार से मुक्त आवागमन के लिए कोई छोटा क्षेत्र बनाया जाए। जहां कही संभव हो, सीमा को सील कर दिया जाए और साथ ही, हम यह भी याद रखें कि एक लम्बे समय के पश्चात् इस उपमहाद्वीप का भाग्य, इसकी एकता में एक राष्ट्र के सृजन मे निहित है। हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र की एक सामान्य संस्कृति है, एक सामान्य इतिहास है।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, मैं तो रासा सिंह रावत द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूँ। संकल्प में निहित भाव, अवैध प्रवासियों का प्रत्यावर्तन है। संकल्प अति सरल है। इस संकल्प का प्रयोजन, भारतीय भू भाग में अवैध साधनों अनियमित मार्गो से विशेष रूप से बंगलादेश और पाकिस्तान से, प्रवेश करने वाले अवैध आप्रवासियों को प्रत्यावर्तन करना है अथवा अन्य सदस्यों की भाषा में कहें, तो उन्हें बाहर निकालना है।

मैं नियमों तथा इन आप्रवासियों की जनसंख्या के संबंध में इन विवादों में विस्तार से नहीं जाना चाहता। मुझे बंगलादेश अथवा पाकिस्तान से हमारी भौगोलिक सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या अथवा उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहने का प्राधिकार नहीं है। इस विषय को मैं छोड़ता हूँ। सौभाग्य की बात है कि मेरे राज्य, मणिपुर के प्रो. एम. कामसन गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्य देख रहे है। इन आप्रवासियों के कारण माणिपुर राज्य में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं।

मणिपुर के बारे में बोलने से पूर्व मैं, अन्य राज्यों के बारे में भी बोलना चाहूंगा। यह एक अत्य है कि असम राज्य में विशेष रूप से इन विदेशियों के कारण, समस्याएं उत्पन्न हुई है। असम में लोग, विशेष रूप से ऑल असम स्अुडेंट्स यूनियन से सम्बद्ध छात्र समुदाय बहुत ही संगठित लोग हैं। उन्होंने विदेशियों के इस मसले को उठाया है। इस संगठन ने एक बहुत ही मजबूत आन्दोलन शुरू किया क्योंकि यह इसे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। येन केन प्रकारेण इसका समाधान कर लिया गया। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इसका समाधान कर ही लिया गया है। असम राज्य के लिए यह अभी भी एक ज्वलंत समस्या बना हुआ है। मेरा विश्वास है कि आगमी विधान सभा और के चुनाव असम में विदेशियों अथवा अवैध आप्रवासियों के मसले को लेकर ही लड़े जाएंगे।

मेरा यह विचार है कि यह असम गण परिषद् के हक में जाएगा क्योंकि यह पार्टी इन विदेशियों को निष्कासित करने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रश्न यह उठता है कि वहां इन विदेशियों की पहचान कैसे की जाए। यह एक समस्या है। मैं भी सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि असम तथा मणिपुर एवं अन्य स्थानों जैसे मिजोरम, मेघालय इत्यादि में विदेशियों की पहचान करने में कठिनाइयां हैं। अतः समस्या यह है कि विदेशियां की पहचान कैसे की जाए, किस वर्ष को आखिरी वर्ष माना जाए। ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि समस्या को हल कैसे किया जाए। किसी समस्या को लम्बे समय तक नहीं बनाए रखना चाहिए क्योंकि इससे देश के हितों पर प्रभाव पड़ता है। हमें कोई ऐसा मार्ग निकालना है कि भारतीय भूभाग में प्रवेश करने वाले इन अप्राधिकृत लोगों के कारण उत्पन्न समस्या का समाधान कैसे किया जाए। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इसलिए मेरी चिन्ता मणिपुर को लेकर है। मणिपुर भी विदेशियों की समस्या से ग्रसित है। ऑल मणिपुर स्टुडेंट्स यूनियन ने इस मसले को उठा रखा है। राज्य प्रशासन को इस मसले को उठाने एवं समस्या का समाधान करने में दिक्कत होती है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि माननीय राज्य मंत्री, प्रो. कामसन इससे भालीभाति परिचित हैं। अतः, वह इसे सही ढंग से निबटायेंगे। मैं यह उन पर छोड़ता हूँ। लेकिन मैं केवल यही उल्लेख करना चाहूंगा कि इसकी समस्या मणिपुर में भी है। हो सकता है कि प्रो. रावत ने इन आप्रवासियों की जिस संख्या अथवा आबादी का उल्लेख किया है, मैं उससे सहमत न होऊं। फिर भी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे विदेशी है जो बांग्लादेश से आए हैं। पहाड़ी रास्तों से वे अति सुगमतापूर्वक मणिपुर के भूभाग में प्रवेश कर जाते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि ये आप्रवासी अब मणिपुर के एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिरीबाम में बस गए हैं। अब बताया जा रहा है कि यह स्थान बंगलादेश से आये आप्रवासियों से भर गया है। इसलिए, इस मामले का तुरंत समाधान किया जाए। अन्यथा इससे राज्य में समस्याएं बढ़ जाएगी। अतः, महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि इन सभी आप्रवासियों की अथवा जिन्हें हम विदेशी कहते हैं, उनकी मणिपुर के इस जिरीबाम क्षेत्र में पहचान करने में आसानी होगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर तत्परता से विचार किया जाए ताकि मणिपुर में इस समस्या का ईमानदारी से समाधान किया जा सके।

अन्तिम बात, मैं यह माननीय मंत्री महोदय और साथ ही सरकार पर छोड़ता हूँ कि वह उस क्षेत्र मे तेजी से फल रही अफवाह की सत्यता के बारे में पता लगाए। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में दक्षिणवर्ती राज्यों में पूरी तरह फैल चुका हैं।

6.00 म. प.

इनमें असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल और सिक्किम भी शामिल हैं। अफवाह यह है कि ये विदेशी बांग्लादेश सहित इन सात संबद्ध राज्यों को मिलाकर एक संप्रभुता सम्पन्न देश का निर्माण करने की सोच रहे हैं। इन दिनों यही अफवाह चल रही है। इसकी जांच की जानी चाहिए। इसे काबू करना, सरकार के लिए बहुत कठिन हो गया है। अतः, सभा से मेरा निवेदन है कि इस बात का वह पता लगाए कि यह कहां तक सही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवटित समय समाप्त हो गया है।

अब हम 'हवाला मामले' से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

6.03 म. प.

(श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : एक मिनट सर, जो बात कार्यवाही मे चली गयी है उसको मैं निकलवाना चाह रहा हू..

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): वह डायरी जब्त हो गई थी। वह कम्पयूटराइज्ड डायरी है .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : एक नई डायरी बनाई जा सकती है... (व्यवधान) फिर उन्होंने कहा कि कि चूंकि एक अभियुक्त ने यह बात कही है अतः प्रधान मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। चूंकि एक अभियुक्त ने ऐसी बात कही है मात्र इसी कारण से क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उस अभियुक्त व्यक्ति श्री एस. के. जैन ने जैसा कि मेरे साथी ने कल ठीक ही कहा था अपनी गिरफ्तारी से पहले 17 और गिरफ्तारी के बाद 5 वक्तव्य दिए। उसके सभी 22 वक्तव्यों में उसने कहीं भी प्रधान मंत्री का जिक्र नहीं किया। किन्तु एक दिन अचानक उन्हें कुछ सूझा और उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री का नाम भी इसमें आना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं व्यवसाय से वकील हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामले अदालती जांच में टिक भी पाएंगे। जैसे पिछले सत्र में सभा के 13 दिन बर्बाद किए गए थे पुनः उसी तरह सभा के दो दिन बर्बाद किए गए। उनकी मांग केवल यह थी कि प्रधान मंत्री को यहां आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि उनके इस तर्क के पीछे क्या मानसिकता छिपी है। ऐसा कहां लिखा है कि प्रधान मंत्री को प्रतिदिन सदन में उपस्थित रहना चाहिए? उन्हें राज्य सभा में भी जाना पड़ता है और अन्य काम भी निपटाने होते हैं। प्रधान मंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन चूंकि उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणियां भी है मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं देश के उच्चतम न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया है कि वे इस संबंध में जो दस्तावेज हैं उन्हें किसी के समक्ष न रखे, ऐसा निष्कर्ष निकाल लिया कि इससे प्रधान मंत्री पर संदेह व्यक्त किया गया है। यह कोई तर्क नहीं है।

विपक्ष द्वारा और विशेष रूप से विपक्ष के गणमान्य विधिवेत्ता श्री सोमनाथ चटर्जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं ने दूसरी जिस बात पर बल दिया है वह यह कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निदेशक का सेवा काल बढ़ाया गया है*

गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सचिवों का सेवाकाल क्यों नही बढ़ाया गया? इस संबंध में मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक श्री के. पी. एस गिल का सेवाकाल तीन बार क्यों बढ़ाया गया? उनके विरूद्ध किसी ने शोर नहीं मचाया और उसके लिए किसी को दोष नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने पंजाब मे सामान्य स्थिति बहाल की और पंजाब में कानून और व्यवस्था बहाल की। पंजाब की जनता के मन में विश्वास पैदा किया जनता के मन में विश्वास पैदा किया और पंजाब में पुन सामान्य स्थिति पैदा की। उनका सेवाकाल बढाने का कारण उनके द्वारा किए गये अच्छे कार्य थे। माननीय सभापति महोदय, आप समाचार पत्र तो पढ़ते होंगे। श्री के. पी. एस. गिल जहां भी जाते है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर पंजाब की रक्षा की। अत यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निदेशक ने उन्हें सौंपे गए सभी कार्यों को अच्छे ढग से निपटाया है तो सरकार को उनका सेवाकाल बढाने का अधिकार है। केवल उनका सेवाकाल बढाया जाने के कारण सरकार पर शक करना सही नहीं है।

विपक्ष द्वारा तीसरे इस बात पर बल दिया गया है कि मंत्रियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जा रहे हैं इसलिए प्रधान मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। ज्यों ही उन मंत्रियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए उन्होंने त्यागपत्र दे दिए। क्या प्रधानमंत्री उन्हें बचाने आए थे। क्या प्रधान मंत्री ने उन्हें इस्तीका न देने के लिए कहा था क्या प्रधान मंत्री ने उनसे कहा था कि चूंकि सब नियंत्रण उनके हाथ में है अतः उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या प्रधानमंत्री ने उन्हें यह कहा था कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे या क्या प्रधानमंत्री ने कभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच में कोई हस्तक्षेप किया। यदि नहीं तो प्रधान मंत्री क्यों इस्तीफा दें? मै तो कहता हूं कि इसका श्रेय प्रधान मंत्री को ही जाता है।

एक माननीय सदस्य : किस बात का श्रेय?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : किसी का बचाव न करने का श्रेय, स्पष्ट रूप से यह कहने का श्रेय कि कानून अपना काम करेगा। अन्यथा वे उनके बचाव करने के बोर में सोच सकते थे लेकिन उनकी अन्रात्मा ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने स्पष्ट कहा, "कानून को अपना काम करने दीजिए।" मैं नहीं समझता कि कुछ मंत्रियों के विरूद्ध जो आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, वे आरोप पत्र तथ्यों पर आधारित हैं। तथापि तथ्य तो तथ्य हैं और उनका सामना करना होगा। लेकिन न्यायल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सिद्ध करना होगा कि उनके विरूद्ध ठोस प्रमाण हैं और उस बारे में कोई संदेह नहीं है। केवल तभी इस मंजूर किया जाएगा। सभापति महोदय जैसा कि मैंने आपको अभी बताया श्री ए. आर. अंतुले को 9-10 वर्षो तक परेशानियों का सामना करना पड़ा था और पूरे 12 वर्षो के बाद उसे न्यायालय ने निदोष करार दिया। तत्पश्चात उन मंत्रियों का जिक्र किया गया जो अपराधियों को शरण दे रहे थे, जिनमें विशेष रूप से श्री कल्पनाथ राय का नाम लिया गया था। मेरा कहने का अभिप्राय यह नही है कि यदि इस तरफ के एक मंत्री के विरूद्ध ऐसा आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने भी ऐसा किया था। में ऐसा नहीं कहता। किन्तु महोदय, मुझे इस बारे में एक बात कहनी है। हम राजनीतिज्ञ हैं। हमारे पास कई

लोग आते हैं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि मेरे घर के अतिथि कक्ष में कौन रूका हुआ है। मैं किसी के बारे में ऐसी कोई जानकारी भी नहीं रखता। मैं यह नहीं कहता कि वे निर्दोष है लेकिन जब मैंने कहा है कि वह निर्दोष हो सकता है तो ऐसा मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। मै वकालत करता हू हमारे यहाँ मुवक्किल आकर ठहरते हैं। अपराधी हमारे पास आते हैं और हम उनका बचाव करते हैं। हम नहीं जानते कि वे कौन हैं। कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर बहुत बल दिया कि इस सरकार के मंत्रियों ने अपराधियो को, दाऊद के साथियो को शरण दी यह कोई ठोस दलील नही है। क्योंकि हम राजनीतिज्ञ हैं। हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते है। हमारे पास सैकड़ो लोग आते हैं। उनमें से कुछ रात भर रूकते हैं। इसे यह मानना कि उन्हें शरण दी गई और उन्हे बचाया गया यह तो उल्टी गंगा बहाने जैसा है। इस तर्क में कोई दम नही है। निःसन्देह इस हवाला कांड ने पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। इस हवालाकांड के जरिए सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री ने इस बात की पूरी कोशिश की कि कानून अपना काम सही ढंग से कर सके। उन्होंने अपने कार्यो द्वारा और एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर इस संबंध मे वक्तव्य देकर इस बात का ठोस सबूत दिया है।

[हिन्दी]

इस सिलसिले में मुझे एक शेर याद आ गया। प्रधान मंत्री जी सोचते है:-

आता है तूफान आने दो

कश्ती का खुदा खुद मुहाफ़िज है

मुमकिन है इन लहरों में

बहता हुआ साहिल आ जाए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : माननीय सभापति जी, जिस विषय पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही है, उसके मुख्य पहलू थे - एक था हवाला कांड और प्रधानमंत्री जी की उसमें भूमिका और दूसरा था सांसदों की खरीद-फरोख्त जो इस लोक सभा में हुई, उसके बारे में चर्चा। माननीय अटल जी ने उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की और उसके बाद अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार रखे। जो बातें कही जा चुकी हैं, उनको में दोहराना नही चाहूंगा लेकिन चन्द एक बातें है जिन पर टिप्पणी करना जरूरी है अटल जी के भाषण के बाद सरकार की तरफ से जब उनके मुख्य वक्ता श्री मणि शंकर अय्यर जी जवाब देने के लिए उठे तो हमे आशा थी कि वे तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, जो आरोप लगे है, उनका किसी तर्क के साथ, लोजिक के साथ खंडन करने की कोशिश करेंगे क्योकि उनमें काबलियत भी है और वे बोल भी अच्छा सकते हैं। हमें आशा थी कि वे हमें कुछ तर्क से, सिस्टम से समझाएंगे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिससे पूरा राष्ट्र चिन्तित है, इसके विषय में सरकारी पक्ष की क्या जवाबदारी है, क्या बातें है, क्या भावनाएं है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना जवाब दिया, उन्होंने पूरे गंभीर विषय को एक मजाक के तौर पर उड़ाना शुरू किया। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिनमें न तो कोई तर्क था, न कोई लोजिक था। छोटी-छोटी बातें को उठाकर ऐसा जाहिर करने की कोशिश की जैसे मामला गंभीर नहीं बहुत साधारण हैं।

मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हू। एक बात कही गई थी कि सी. बी. आई. के जिस अधिकारी ने यह स्टेटमैंट रिकार्ड किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जैन ने धन दिया है, उसके बाद तुरन्त उसकी बदली कर दी गई, उसको एक्सटैन्शन नहीं दिया गया। जवाब था कि भारत सरकार की पोस्टिंग पॉलिसी किस प्रकार होती है और उनका व्यक्तिगत क्या अनुभव है। एक गंभीर आरोप जो लगा था, वह अधिकारी ने अपना काम, अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाया, उसको आपने सजा के तौर पर वहां से हटाया। यह आरोप था, आप उसको तर्क के साथ कहें लेकिन उनका तर्क सही था कि जब अटल जी मिनिस्टर थे, मुझे दो साल के बाद बदली कर दिया गया तो क्या सजा के तौर पर किया था। एक जगह मैं तीन साल था और तीन साल 16 दिन के बाद मेरी पोस्टिंग हुई तो यह क्या था।

काफी लम्बी उन्होंने सरकारी विभागों में नौकरी की है, मैंने भी बहुत लम्बे समय तक सरकार में नौकरी की है। पोस्टिंग पालिसी क्या होती है, किस प्रकार अधिकारी बदले जाते हैं, यह सब लोग जानते हैं। तर्क ये देना चाहिए था कि जिस वजह से राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा कि आपने पक्षपातपूर्ण ढंग से काम किया, वह तो नही कहा, यह कहा कि मेरा 16 दिन के बाद ट्रांसफर कर दिया तो इसलिए ....**(व्यवधान)** नहीं, उन्होंने जो भी कहा है, जो भी जिम्मेदार है, उसका कोई तर्क होना चाहिए था, लेकिन इतनी गम्भीर बात को इतने हलके ढंग से उड़ा देना और उसको मजाक, मखौल बना देना, यह बड़ी चिन्ता और दुख की बात है। यहां पर गम्भीर तरीके से विषय उठाया जा रहा है, उसका जवाब उन्हें देना चाहिए, लेकिन यह कहना कि आपने ऐसा किया और उसमें माननीय अटल जी का नाम लेना कि वह विदेश मंत्री थे, दो साल के बाद मेरी बदली कर दी, तो क्यों कर दी, उसमें उनका क्या इंटरेस्ट है। इस प्रकार की बातें करने से बात की गम्भीरता खत्म हो जाती है और इस तरह से आप अपने पक्ष की भी कमजोर कर रहे है। आप बजाय सही जवाब देने के उस आर्ग्यूमेंट को डाइगैस और डाइवर्ट कर रहे हैं।

उसी प्रकार उन्होंने जो एक्सटेंशन की बात कही थी, उन्होंने कहने की कोशिश की है कि यह सरकार का अधिकार है। यह

सही है और हमारे जो एक कांग्रेस के सदस्य कह रहे थे कि एक्सटेंशन बहुत सारे लोगों को दिया है। एक्सटेंशन पालिसी में कोई गलती या परिस्थितियों की जरूरत है, वह ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन को कांग्रेस सरकार ने इतने सालों के अन्दर एक व्यापार बना दिया है। आप उस अधिकारी को एक्सटेंशन देते है, जिसके आगे आपने कैरट लटकाकर रखा है, उसके आगे एक लालच देकर रखा है कि आप मेरे तरीके से काम करेगे तो मैं आपको सुविधाजनक जगह पर रखूंगा या आपको जो अच्छी आपकी पावरफुल पोस्ट है, उस पर रखूंगा। यह आरोप था सी. बी. आई डायरेक्टर के बारे में, क्या इस प्रकार की एक्सटेंशन पालिसी आप फालों कर रहे हैं? अगर आप उसका जवाब देते, आप उनको बताते, जैसे आपके पी. एस. गिल की बात कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यह कर रहें हैं, वह कहते, लेकिन वह कहना कि यह तो अधिकार है और उसकी प्रकार उदाहरण दे देना कि आपने उसको एक्सटेंशन दिया था तो क्यों दिया था, आपके ऊपर भी एक आरोप लग सकता है, इससे बात हल नही होती। इस बात का कोई जवाब नहीं आता कि एक व्यक्ति को बराबर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी आज कह रहा है कि यह विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है और इस प्रकार के रैस्ट्रिक्शंस उसके अधिकारी और उस विभाग के ऊपर लग रहे हैं, जो अभूतपूर्व है, आज तक इस प्रकार के रैस्ट्रिक्शन किसी विभाग पर नहीं लगे, तो उस बात और उस उदाहरण का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया।

आज अच्छे अधिकारी को भी एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन आज एक्सटेशन में चाटुकारिता सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। मैं सरकारी पक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि इन्हीं प्रधान मंत्री ने शुरू में कहा था कि हम एक्सटेंशन नहीं देगे और हमारी ऐसी कोई पालिसी नहीं हैं माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं, इन्हीं की यह पालिसी थी कि एक्सटेंशन नहीं दिया जायेगा, लेकिन पिछले दो तीन सालों से क्या हो रहा है, आपकी वह पालिसी कहा चली गई? आप हर अधिकारी को, जो जहां बैठा है जो आपका सुविधाजनक काम कर रहा है, उसके एक्सटेंशन दिये जा रहें हैं और जो आपको पसन्द नहीं है, उसके एक्सटेंशन नही दिया जा रहा। एक-एक अधिकारी को 4-4 दफा एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? क्या ऐसे अधिकारी आपके पास नही है, जो कि योग्यतापूर्ण काम कर सके? क्या वजह आप समझाइये और अगर वजह नही है तो मानिये कि यह सही तरीके से नहीं हो रहा है।

अगली बात जो उन्होंने कही थी, डिफैक्शन के बारे में और जो खरीद-फरोख्त यहां पर एम.पीज की चली है, उसमें जो आरोप लगाये गये थे, उसने भी मजाक के तरीके से कहना कि जिस सदस्य ने बाहर आरोप लगाया था, उसने अभी यहा पर कहा दिया है और उसने अपना बयान बदल दिया है। विषय वह नहीं था, विषय यह था कि क्या आपने उस दिन अपनी मैजोरिटी सही तरीके से ली थी या आपने गलत तरीके से ली है? क्या आपने कुछ सदस्यों को घूस या ब्राइबरी देने का काम किया है? बाइबरी के भी दो तरीके है, चाहे वह पैसे की हो या पोलिटिकल ब्राइबरी हो। पैसे की बाइबरी के बारे में काफी बातचीत हो रही है। उसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने तो कोई जवाब दिया नहीं। शायद मंत्री महोदय उसका कुछ जवाब देगी, लेकिन अभी उसका नतीजा निकल रहा है, वह पैसा आप लोग कह रहे है कि नहीं दिया है, लेकिन किस प्रकार फ्लैट खरीदे गये हैं और किस प्रकार क्या सब बातें हुई हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। सब साफ है कि पैसा दिया गया, किसको दिया गया, क्यों दिया गया, किस समय दिया गया। अब आप अगर बिल्कुल असत्य बोलना चाहते हैं तो बोलिये, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा।

लेकिन मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप यह तो मानते हैं, बूटा सिंह जी ने यहां पर कहा है कि झारखण्ड के बारे में आप लोगों ने उन सदस्यों को कहा, तो क्या यह पोलिटिकल ब्राइबरी नहीं है? आप इसको जस्टीफाई करते हैं कि जब आपकी सरकार गिरने वाली है, उस समय आप कहते हैं कि आपको झारखण्ड दूंगा या कांसिल दूंगा, यह कौन सा तरीका है? यह कौन सा आचरण है? किस प्रकार का चरित्र आप देश में निर्माण कर रहे है? अगर आप समझते है कि झारखंड बनाना ठीक नही है, लेकिन जब आप माइनोरिटी में होते हैं तो कहते हैं कि ठीक है तो यह क्या, यह राष्ट्रीय हित में है? अगर नहीं है तो फिर क्यों अपनी सरकार बचाने के लिए उसका आश्वासन आपने दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह राष्ट्रीय हित में नहीं था तो क्यों किया और यदि राष्ट्रीय हित में था तो पहले क्यों नहीं किया? जैसा अटलजी ने कहा और माननीय आडवाणी जी ने पहले कहा था कि आप उत्तराखंड की बात नहीं करते। वह इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां के चार सांसदों को आप नहीं खरीद सकते। आप जवाब दें जो चीज आपने स्वीकार की है, वह क्यों की है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का पोलिटिकल कल्चर यह है कि हां इस प्रकार की खरीद-फरोख्त चल सकती है, जिसको आप उचित नहीं मानते हैं, लेकिन सरकार को बचाना है तो वह भी आप कर सकते हैं।

इनके अलावा जो एक विषय और यहां आज उठाया गया है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका क्या इम्पैक्ट है, इस पर काफी चर्चा हुई है। मुझे बहुत दुःख और पीड़ा तथा आश्चर्य होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो यह कहें कि सुप्रीम कोर्ट बिना सोचे-समझे आदेश दे रही है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होनें जो कहा है वह हम पहले से कर रहे हैं।

[अनुवाद]

'केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न किया है, न कर रहा है और न करेगा।' यदि वह नहीं कर रहा, उसने कभी किया है और न करेगा तो फिर उच्चतम न्यायालय ने इतना कठोर आदेश क्यों दिया है या आप कह सकते हैं उसने इतना कड़ा प्रतिबंध क्यों लगाया हैं।

[हिन्दी]

अभूतपूर्व निर्णय उन्होंने दिया है। इसको भी समझाने की आवश्यकता है। सिर्फ आपके कहने से कि ऐसे ही काम चल रहा है, पहले भी ऐसा ही होता रहा है, उससे समस्या का समाधान नहीं होता। यहां तक कि आरोप का खंडन भी नहीं होता है। जहां तक हवाला कांड का विषय है उसके ऊपर किस प्रकार से सलेक्टिविटी इंस्टालमेंट में की जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए चार्जशीट निकाली गई है, जिसके बारे में बहुत से सदस्यों ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इन विषयों से हटकर कुछ कहना चाहता हूं।

आज हमारे देश की संस्कृति और संस्कार कैसे हो रहे हैं। इस देश पर कांग्रेस ने 50 साल में से ढाई-तीन साल निकाल दें तो सारे समय उसी ने शासन किया है। आपने इस देश कों कहां सें कहां पहुंचा दिया यहां पर जार्ज फर्नीडीज कह रहे थे कि एक सूट-पीस का कीमत 72,000 रुपये है। भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का कल्चर आपने पैदा किया है और कर रहे हैं तो इसका कौन जिम्मेदार है? आज इस देश के अंदर एक तरफ एक रात को सोने के लिए एक बिस्तर की कीमत लोग पांच से दस हजार रूपये देते है और कहीं लोग फुटपाथ पर सोते हैं।

[अनुवाद]

एक व्यक्ति एक रात के लिए एक बिस्तर पर सोने की कीमत 5000 रूपए से 10,000 रुपए देता हैं। मैं यह बात अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। उसी होटल के बाहर एक आदमी फर्श पर सोता है और ठंड के कारण मर जाता है, क्योंकि उसके पास कंबल नहीं है। एक थाली भोजन के लिए एक आदमी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है।

[हिन्दी]

एक थाली खाने के लिए 1500 से 2000 रुपये देते है और वहीं थाली की जूठन जब बाहर जाती है तो उस पर आदमी और कुत्ते का बच्चा दोनो झपटते है, लेकिन कुत्ते का बच्चा उसको छीन लेता है, क्योंकि आदमी का बच्चा कमजोर है। आपने भ्रष्टाचार को, कालेधन को चुनावों में दुरुपयोग होने से रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। केवल खड़े होकर भाषण बाजी करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने यह काम किया और वह अच्छा काम किया। फिर जो यह गलतियां हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह भारतवर्ष का आचरण है, चरित्र की इनहैरिटेट क्वालिटी है? आज भी इस प्रकार की बातें होती है तो आप चुनाव सुधार की बात करते हैं। जबकि आपको चुनाव का स्टंट पैदा करना होता है। इतने सालों से अनेक बार ये मुद्दे उठे हैं।

आपके पास रिपोर्ट तैयार है। उसमें से ही आप कुछ चुनाव सुधार कर देते। आप लोगों ने ने कुछ नहीं किया है। आज आप अखबार में छापते हैं कि 21 दिन के बदले कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 14 दिन हो जाए। आप आज तक कहां सोए हुए थे? आपकी सरकार पिछले पांच साल से चल रही है और आप कह रहे हैं कि आप अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं। क्यों नहीं आपने कुछ चुनाव सुधार किया? आपको यदि राजनीति का ही फायदा उठाना है और सिर्फ वोटों के लिए ही काम करना है तो आप इस देश में शासन करने लायक नहीं हैं लेकिन भविष्य में भी आप अगर इस प्रकार की कोई आशा करते हैं तो आपको जनता आने नही देगी यह आप कृपया समझ लीजिए।

यहां पर भ्रष्टाचार के बारे में बात चल रही है। कुछ समय पहले जब मैं फौज से रिटायर हाने के बाद लोक सभा में आया था, फौज में भी हम लोग वह टर्म इस्तेमाल करते है, परंतु यह नहीं कहते थे कि धूस दी जा रही है। यह कहते थे कि 'ही इज बींग बोफोशइस्ट' आज आप लोगों में जैन का नाम लिया जा रहा है, उसका नाम भी हवाला की शब्दावली मे जुड़ गया है। आपके राज में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपने क्या किया है? आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में हर बड़ी कंपनी में जो संपर्क अधिकारी है, उन्हीं के माध्यम से आपके मंत्रालयों में भी काम होता है। आपने इस दिशा में क्या किया है? वे संपर्क अधिकागी किस लिए हैं? वे लाखों रूपया महीना खर्चा करते हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा है क्या?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आप मंत्री नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। आप मंत्री बन जाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। जिस आदमी के पास घूस का गलत पैसा है, अगर वह 20 करोड रूपए का मकान बनाता है तो आपने कभी यह जानने की कोशिश नही कि कि उसके पास कहां से यह रुपया आ रहा है। आज आपने देश के संस्कार और संस्कृति का यह हाल कर दिया है कि जो आदमी घूस खाता है वह समाज में सम्मनित होता है और जो आदमी तनख्वाह में खर्चा करता है, उसको कहते है कि उसको नौकरी करने का तमीज नहीं है, वह बेवकूफ है। आपने पचास साल के अंदर इस देश का यह हाल

कर दिया है कि जो सही आदमी है, सज्जन व्यक्ति है, उसको आज आपने बेवकूफो की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। पचास साल की आजादी के बाद देश के अंदर यह आपका कंट्रीब्यूशन हैं।

जस्टिस ढींगरा ने जो सांसदों के बारे में कहा, उस पर हम लोग बहुत नाराज हुए थे, वह ठीक है। लेकिन कुछ वक्ताओं ने कहा है और मैं भी कहना चाहूंगा कि हम लोग अपना भी कुछ इंट्रोस्पेक्शन करें। इसी सदन में मैंने कुछ बिन्दु उठाए थे कि किस प्रकार से गलत काम हो रहे हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। गृह मंत्री तथा हाउसिंग मिनिस्टर को मैंने पत्र लिखे हैं कि किस प्रकार से गलत काम हो रहे हैं। आपकी सरकार ने कुछ सुधार नहीं किया है। इसकी सदन में खड़े होकर मैंने दो उदाहरण दिये थे कि किस प्रकार से सिक्यूरिटी कंप्रोमाइजेज हुए हैं, किस प्रकार से गलत काम किये जा रहे है, आप इस पर कुछ कीजिए। यहा माननीय राजेश पायलट जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं कुछ करूंगा। माननीय हाउसिंग मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया कि वह वह मेरा काम नहीं है, आप होम मिनिस्टर से बात करें। आपके पास शिकायतें दी जाती हैं। एक-सांसद आपको शिकायत् दे रहा है कि किस प्रकार से गलत काम हो रहे हैं, लेकिन आप उस पर भी कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आप यह कल्चर डैव्लप कर रहे हैं, आप जान-बूझकर उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप इसको एनकरेज कर रहे हैं। मैं सरकार पर यह दोष लगाता हूं कि आज समाज में ही नहीं, संसद सदस्यों में भी जो भ्रष्टाचार का कल्चर है, उसके लिए भी वह जिम्मेदार है। आप इस प्रकार की बातें करते है, इस प्रकार की सुविधाएं देते है जिससे आप इनडायरेक्टली कहते हैं कि यह ठीक है यह भ्रष्टाचार के लिए है। आप इसमें पैसा बनाइए और इससे गलत काम कीजिए, यह आपकी सुविधाओं के लिए हैं। बजाय सही काम करने के, सही सुविधाएं देने के आप उनको इस प्रकार की सुविधाएं देते हैं कि उनका दुरुपयोग हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गैस बेच देते हैं, टेलीफोन बेच देते हैं। आप लोगों ने इसके लिए क्या किया है? क्यों नहीं आप इस प्रकार की सुविधाएं देते है कि उन सुविधाओं का दुरुपयोग न हो।

[अनुवाद]

लेकिन आप ऐसा नहीं करते इसका कारण जीवन यह है आप वैसा करना ही नहीं चाहते। क्योंकि आप लोगों का और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। आप उन्हें ऐसी सुविधाएं देते है जिनका वे दुरुपयोग कर खुश रह सकें।

[हिन्दी]

आप लोगों को शिकायते न हों, हमने आपको यह सुविधाएं दे दी। अगर अब आप काम नहीं कर रहे हैं, आप टेलीफोन बेच लीजिए, गैस बेच लीजिए। इस बारे में भी हमें सोचना है। इसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है। हममें से जो लोग गलत काम करते है वह तो जिम्मेदार है ही, लेकिन अगर आप ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करे कि आदमी को यह करने की जरूरत न पड़े तो क्या समस्या है? क्यों नहीं आप यह करते हैं और इसलिए उस संदर्भ में जिसमें हम लोग बहुत नाराज थे और कह रहे हैं, मेरी सरकार से आशा है कि कुछ न कुछ इस तरह की व्यवस्था बनायी जाए कि संसद सदस्य भी अपनी अंतरात्मा का निरीक्षण करें।

6.55 म. प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम माननीय सदस्य, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने एसैट्स को डिक्लेयर करने की शुरूआत करे। आज इलेक्शन फन्डिंग की बात हो रही है, इसके बारे में कब बात होगी और यह सरकार तो वैसे भी कुछ नही कर पाएगी, क्योंकि इस सरकार के बहुत थोड़े दिन रह गए है। मेरा सुझाव है कि सब नेताओं को साथ ले कर इस पर विचार किया जाए और अगले चुनाव में कुछ हो सकता है, तो यह भी करना चाहिए।

अंत में, सभापति जी, मैं इस सरकार पर स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं, इस हवाला कांड का राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरा दुरुपयोग किया गया है, सिलैक्टिविटी की गई है। अपने स्वार्थ के लिए इस राष्ट्र का अहित किया है। इसलिए यह सरकार शासन करने के लायक नहीं है और मैं मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस्तीफा दें और शीघ्र चुनाव करायें

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, हवाला कांड पर सदन में चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज चर्चा से पूर्व हवाला के सिलसिले में प्रधान मंत्री ने इस सदन को जो बताया, उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली में आज जिस तरह से प्रधान मंत्री ने तीन मिनट की अपनी सफाई मे जिन बातों का जिक्र किया है, इससे स्पष्ट रूप से यह साफ हो गया है कि आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था गम्भीर खतरे में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर एक प्रश्नचिह्न लग गया है। पूरे देश की निगाह थी कि प्रधान मत्री इस मामले को गम्भीरता से लेगे, लेकिन लगातार दो रोज तक सदन में गतिरोध बना रहा। न्यायपालिका और कार्यपालिका की अपनी-अपनी सीमाये हैं और मार्यादायें हैं। लेकिन एक मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट

से आर्डर आया है, उससे यह साफ हो गया है कि आज प्रधानमंत्री पर न्यायालय का विश्वास नहीं रहा गया है और प्रधानमंत्री सम्पूर्ण रूप से सन्देह के घेरे में हैं। यही कारण है कि सी. बी. आई. को निदेश दिया गया कि आप रिपोर्ट न केवल सरकार के प्रधान को बल्कि सरकार की किसी भी अथारिटी को नहीं दे सकते हैं। हवाला पर जो बहस हो रही है, उस का जवाब श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा उद्यतन नहीं दे सकती हैं यह उनको कठिनाई है। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी से निदेश आने से, डायरैक्टिव आने से.........

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है, सदन मे गणपूर्ति नहीं है। इतने बड़े हवाला कांड पर प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है और सदन में गणपूर्ति नहीं है। सरकारी बैंचेज बिल्कुल खाली पड़ी हुई है।

7.00 म. प.

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

7.05 ¾ म. प.

सभापति महोदय : चूंकि सभा में गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा सोमवार, 11 मार्च, 1996 को 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.06 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 मार्च, 1996/21 फाल्गुन 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।